ध्येयIAS
most trusted since 2003

परफेक्ट 7

मासिक करेंट अफेयर्स पत्रिका

अक्टूबर 2025
वर्ष : 07 | अंक : 10

dhyeyaias.com

नेपाल में सत्ता परिवर्तन:

जेन जी आंदोलन, राजनीतिक उथल-पुथल और भारत का समीकरण

»मुख्य विशेषताएं

पावर पैक्ड न्यूज | यूपीएससी प्री बेस्ड एमसीक्यूस | समाचार विश्लेषण

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

Branch
Prayagraj

New Batch

General Studies

3 NOV 2025

8:30 AM

(Hindi Medium)

TOPIC:

Post Independence

by

Vinay Sir

8853467068, 7459911157

पहला पन्ना

एक सही अभिक्षमता वाला सिविल सेवक ही वह सेवक है जिसकी देश अपेक्षा करता है। सही अभिक्षमता का अभिप्राय यह नहीं कि व्यक्ति के पास असीमित ज्ञान हो, बल्कि उसमें सही मात्रा का ज्ञान और उस ज्ञान का उचित निष्पादन करने की क्षमता हो।

बात जब यूपीएससी या पीसीएस परीक्षा की हो तो सार सिर्फ ज्ञान का संचय नहीं, बल्कि उसकी सही अभिव्यक्ति और किसी भी स्थिति में उसका सही क्रियान्वयन है। यह यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी से लेकर देश के महत्त्वपूर्ण मुद्दे सँभालने तक, कुछ भी हो सकती है। यह यात्रा चुनौतीपूर्ण तो जरूर है परंतु सार्थक है।

परफेक्ट 7 पत्रिका कई आईएएस और पीसीएस परीक्षाओं में चयनित सिविल सेवकों की राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समझ विकसित करने का अभिन्न अंग रही है। यह पत्रिका खुद भी, बदलते पाठ्यक्रम के साथ ही बदलावों और सुधारों के निरंतर उतार चढ़ाव से गुजरी है।

अब, यह पत्रिका आपके समक्ष मासिक स्वरूप में प्रस्तुत है, मैं आशा करता हूँ कि यह आपकी तैयारी की एक परफेक्ट साथी बनकर, सिविल सेवा परीक्षा की इस रोमांचक यात्रा में आपका निरंतर मार्गदर्शन करती रहेगी।

शुभकामनाओं के साथ,

विनय सिंह
संस्थापक
ध्येय IAS

टीम परफेक्ट 7

संस्थापक	:	विनय सिंह
प्रबंध संपादक	:	विजय सिंह
संपादक	:	आशुतोष मिश्र
उप-संपादक	:	भानू प्रताप
	:	ऋषिका तिवारी
डिजाइनिंग	:	अरूण मिश्र
आवरण सज्जा	:	सोनल तिवारी

-: साभार :-

PIB, PRS, AIR, ORF, प्रसार भारती, योजना, कुरूक्षेत्र, द हिन्दू, डाउन टू अर्थ, इंडियन एक्सप्रेस, इंडिया टुडे, WION, BBC, Deccan Herald, हिन्दुस्तान टाइम्स, इकोनॉमिक्स टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, दैनिक जागरण, दैनिक भाष्कर, जनसत्ता व अन्य

-: For any feedback Contact us :-

+91 9369227134

perfect7magazine@gmail.com

ध्येयIAS
most trusted since 2003

परफेक्ट 7
मासिक समसामयिकी पत्रिका

इस अंक में ...

1. भारतीय समाज व कला एवं संस्कृति 06-16

- ➢ नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग 2025: भारतीय उच्च शिक्षा परिदृश्य का विश्लेषण
- हिमाचल प्रदेश 'पूर्ण साक्षर' राज्य घोषित
- भारत के 7 नए प्राकृतिक धरोहर स्थल यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल
- आदि वाणी
- ग्रामीण महिला उद्यमियों के लिए बिहार राज्य जीविका निधि
- वैश्विक शांति सूचकांक (GPI) 2025
- मानसिक स्वास्थ्य पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट
- स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान

2. राजव्यवस्था एवं शासन 17-34

- ➢ भारतीय न्यायिक प्रणाली: संरचनात्मक संकट और सुधारों की अनिवार्यता
- सी. पी. राधाकृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित
- आप्रवासन और विदेशी नागरिक अधिनियम, 2025
- अल्पसंख्यक संस्थानों को मिली छूट की पुनः समीक्षा
- हैदराबाद गजट के माध्यम से मराठा आरक्षण की पहल
- ज्ञान भारतम पोर्टल
- मानकी-मुंडा व्यवस्था
- राजनीतिक दल पॉश (POSH) अधिनियम के दायरे में नहीं: सुप्रीम कोर्ट
- राष्ट्रीय मखाना बोर्ड
- आपराधिक मामलों में डीएनए साक्ष्य पर दिशानिर्देश
- आनंद विवाह अधिनियम
- चिनाब नदी पर सावलकोट बांध
- जीएसटी अपीलीय अधिकरण (GSTAT)
- एफसीआरए लाइसेंस

3. अन्तर्राष्ट्रीय संबंध 35-52

- ➢ नेपाल का राजनीतिक संकट: जेन-ज़ी प्रदर्शन और भारत पर प्रभाव
- फ्रांस में राजनीतिक संकट और नए प्रधानमंत्री
- एससीओ शिखर सम्मेलन 2025
- थाईलैंड में राजनीतिक संकट
- सिंगापुर प्रधानमंत्री की भारत यात्रा
- भारत–यूरोपीय संघ व्यापार समझौता
- भारत हेल्थएआई वैश्विक नियामक नेटवर्क में हुआ शामिल
- पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच सामरिक पारस्परिक रक्षा समझौता
- ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025
- अमेरिकी एच 1बी वीज़ा
- भारत-मोरक्को रक्षा समझौता
- फ़ोरम फ़ॉर इंडिया–पैसिफ़िक आइलैंड्स कोऑपरेशन
- संयुक्त राष्ट्र द्वारा ईरान पर पुनः प्रतिबंध

4. पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी 53-68

- ➢ भारत की भूतापीय ऊर्जा नीति 2025: भूमिगत ऊष्मा से सतत भविष्य की ओर
- वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक (AQLI) 2025 रिपोर्ट
- केरल में मानव-वन्यजीव संघर्ष
- सिकाडा (Cicada) की पुनर्वापसी
- एस्परगिलस सेक्शन निगरी की दो नई प्रजातियाँ की खोज
- अपतटीय जलभृत
- ब्लू ड्रैगन

- क्रोकोथेमिस एरिथ्राया (Crocothemis Erythraea)
- अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन (AMOC) का अध्ययन
- स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार और आर्द्रभूमि शहर मान्यता
- ऑस्ट्रेलिया ने कोआला के लिए टीके को मंजूरी दी
- पाक खाड़ी (Palk Bay) में भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व
- भारत ने दो नए रामसर स्थलों को किया नामित
- यूनेस्को विश्व जैवमंडल अभयारण्य नेटवर्क

5. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 69-82

➢ आत्मनिर्भर भारत से वैश्विक नेतृत्व तक: सेमीकंडक्टर क्रांति की ओर
- चंद्रयान-5 मिशन
- सेरेबो (CEREBO)
- भारत का पहला स्वदेशी बहु-चरणीय मलेरिया टीका
- रेड आइवी पौधे से घाव-भरने वाला पैड विकसित
- एमपॉक्स वैश्विक आपातकाल नहीं -WHO
- प्रोटीन लैंग्वेज मॉडल्स
- ओवर-द-काउंटर (OTC) दवाइओं से बढ़ती चुनौतियां
- डब्ल्यूएचओ की आवश्यक दवाओं की सूची में जीएलपी-1 दवाएँ शामिल
- पृथ्वी को एक नया छोटा "अर्ध-चंद्रमा" 2025 PN7 मिला
- बंद ईंधन चक्र परमाणु परियोजना

6. आर्थिकी 83-102

➢ जीएसटी 2.0: भारत के परोक्ष कर सुधारों के निहितार्थ
- स्टेबलकॉइन्स
- महत्वपूर्ण खनिजों के पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने हेतु प्रोत्साहन योजना
- भारती पहल
- दाल उत्पादन के प्रोत्साहन हेतु नीति आयोग की रणनीति
- भारत की विदेशी मुद्रा भंडार रणनीति में रणनीतिक बदलाव
- यूपीआई–यूपीयू एकीकरण
- एकीकृत रेरा पोर्टल
- नीलगिरी चाय
- ओईसीडी आर्थिक दृष्टिकोण
- पीएम मित्र पार्क
- एकीकृत पेंशन योजना (UPS)
- भारत और एफएओ ने मिलकर विश्वस्तरीय ब्लू पोर्ट बनाने का किया समझौता
- वर्ल्ड फूड इंडिया 2025
- जहाज निर्माण, समुद्री क्षेत्र में वित्तपोषण पहल
- भारतीय रुपया का अवमूल्यन

7. रक्षा और आंतरिक सुरक्षा 103-115

➢ ग्रेट निकोबार परियोजना: राष्ट्रीय सुरक्षा और सतत विकास की चुनौती
- रक्षा खरीद मैनुअल 2025
- डिफाई (DeFi) और राष्ट्रीय सुरक्षा
- आईएनएस एंड्रोथ (INS 'Androth')
- झारखंड में नक्सल विरोधी अभियान
- ड्रोन से तस्करी में वृद्धि
- अफस्पा की अवधि का विस्तार
- तेजस Mk1A लड़ाकू विमान
- अग्नि-प्राइम मिसाइल का परीक्षण

पावर पैक्ड न्यूज 116-127

समसामयिकी आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न 128-136

1 भारतीय समाज व कला एवं संस्कृति

नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग 2025: भारतीय उच्च शिक्षा परिदृश्य का विश्लेषण

परिचय:

शिक्षा, किसी भी राष्ट्र की प्रगति और उसकी बौद्धिक संपन्नता का मूलाधार है। भारत, जो आज विश्व की सबसे बड़ी युवा आबादी का घर है, अपनी उच्च शिक्षा प्रणाली के माध्यम से न केवल प्रतिभाओं का पोषण कर रहा है बल्कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भी अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। इसी पृष्ठभूमि में राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF), जिसे शिक्षा मंत्रालय ने 2015 में लॉन्च किया था और 2016 से लागू किया गया, उच्च शिक्षा संस्थानों के मूल्यांकन और तुलनात्मक अध्ययन का सबसे विश्वसनीय साधन बन चुका है।

2025 में जब इसका दसवाँ संस्करण जारी हुआ, तो यह केवल एक रैंकिंग सूची नहीं बल्कि भारतीय उच्च शिक्षा की मजबूती, खामियों और भविष्य की दिशा का प्रतीक बन गया। इस वर्ष की रैंकिंग में 17 श्रेणियों को शामिल किया गया है जैसे इंजीनियरिंग, प्रबंधन, चिकित्सा, विधि, अनुसंधान संस्थान आदि। विशेष रूप से, 2025 में सतत विकास लक्ष्य (SDGs) पर आधारित एक नई श्रेणी को जोड़ा गया है, जो शिक्षा के सतत विकास और सामाजिक योगदान के बढ़ते महत्व को दर्शाता है।

NIRF क्यों महत्वपूर्ण है?

- भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली दुनिया की सबसे बड़ी प्रणालियों में से एक है। इसमें 1000 से अधिक विश्वविद्यालय, 40,000 से ज्यादा कॉलेज और लाखों छात्र सम्मिलित हैं। इतने व्यापक नेटवर्क में गुणवत्ता का मूल्यांकन कठिन कार्य है। ऐसे में NIRF न केवल पारदर्शी मानदंड प्रस्तुत करता है, बल्कि छात्रों, अभिभावकों और नीति-निर्माताओं को सूचित निर्णय लेने में मदद करता है।

- इसके पाँच प्रमुख मूल्यांकन पैमाने हैं:
  - **शिक्षण, अधिगम और संसाधन (TLR):** बुनियादी ढाँचा, शिक्षक–छात्र अनुपात और पाठ्यक्रम की गुणवत्ता।
  - **अनुसंधान और व्यावसायिक अभ्यास (RPC):** शोध प्रकाशन, पेटेंट और उद्योग सहयोग।
  - **स्नातक परिणाम (GO):** प्लेसमेंट, उच्च शिक्षा में प्रगति और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता।
  - **संपर्क और समावेशिता (OI):** सामाजिक व क्षेत्रीय विविधता, लैंगिक संतुलन और सबको साथ लेने की प्रवृत्ति।
  - **छवि (Perception):** अकादमिक जगत और उद्योग में संस्था की प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता।
- 2025 में इन पैमानों के अतिरिक्त SDG पैरामीटर को शामिल करना उल्लेखनीय है, क्योंकि यह संस्थानों को केवल अकादमिक

उत्कृष्टता तक सीमित नहीं रखता बल्कि समाज और पर्यावरण के प्रति उनकी ज़िम्मेदारी को भी मापता है।

2025 के रैंकिंग में नई पहल:

- इस वर्ष NIRF ने तार्किक और दूरदर्शी बदलाव किए हैं:
  - 17 श्रेणियों में 7,692 संस्थाएँ शामिल हुईं, जो अब तक की सर्वाधिक है।
  - पहली बार सतत विकास लक्ष्य (SDG) श्रेणी जोड़ी गई है, जिससे 'हरित परिसर', सामाजिक-सांस्कृतिक जिम्मेदारी और टिकाऊ शिक्षा के वैश्विक उद्देश्य रैंकिंग का हिस्सा बने हैं।
  - राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अनुरूप 'भारतीय ज्ञान पद्धति', 'क्षेत्रीय भाषा' व 'लचीली शैक्षिक प्रणाली' जैसी अवधारणाओं को भी सूचकांक में स्थान मिला है।

SDGs: शिक्षा की नई दिशा:

- 2025 में NIRF ने एक क्रांतिकारी कदम उठाते हुए SDG आधारित मूल्यांकन श्रेणी शामिल की। इसका महत्व दो स्तरों पर है:
  - **शैक्षिक दायित्व:** विश्वविद्यालय और कॉलेज केवल डिग्री देने वाली इकाइयाँ नहीं, बल्कि समाज को बेहतर बनाने वाली संस्थाएँ भी हैं। SDGs पर काम करके वे जलवायु परिवर्तन, गरीबी उन्मूलन, लैंगिक समानता और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जैसे मुद्दों पर ठोस योगदान दे सकते हैं।
  - **वैश्विक प्रतिस्पर्धा:** आज विश्वभर के प्रमुख रैंकिंग फ्रेमवर्क (जैसे QS और THE) भी सतत विकास लक्ष्यों को अहम मानदंड बना रहे हैं। भारत का NIRF इस प्रवृत्ति के साथ तालमेल बैठाकर अपनी विश्वसनीयता को और मज़बूत कर रहा है।
- इससे छात्रों और शोधकर्ताओं को भी प्रेरणा मिलेगी कि वे केवल करियर-उन्मुख न रहकर समाज-उन्मुख अनुसंधान और प्रोजेक्ट्स में सक्रिय भागीदारी करें।

व्यापक प्रभाव: छात्रों से लेकर नीति तक:

- **छात्रों के लिए:** रैंकिंग उन्हें संस्थान चुनने में मदद करती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई इंजीनियरिंग पढ़ना चाहता है तो वह आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली या आईआईटी बॉम्बे की ओर देख सकता है। वहीं, मेडिकल के इच्छुक एम्स दिल्ली या केजीएमयू जैसे संस्थानों को प्राथमिकता देंगे।
- **अभिभावकों के लिए:** NIRF उन्हें यह भरोसा दिलाता है कि उनके बच्चे जिस संस्थान में पढ़ रहे हैं, वह शिक्षा गुणवत्ता के मानकों पर खरा उतरता है।
- **संस्थानों के लिए:** रैंकिंग एक तरह की प्रतिस्पर्धा भी है। हर संस्थान चाहता है कि वह सूची में ऊपर आए, इसलिए वह बुनियादी ढाँचे, शोध और समावेशिता में सुधार के लिए लगातार प्रयास करता है।
- **नीति-निर्माताओं के लिए:** यह रैंकिंग बताती है कि किन क्षेत्रों में निवेश और सुधार की ज़रूरत है। उदाहरण के लिए, यदि किसी श्रेणी में निजी विश्वविद्यालय तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि सरकारी विश्वविद्यालयों को अतिरिक्त समर्थन की आवश्यकता है।

चुनौतियाँ:

- हालाँकि NIRF एक महत्त्वपूर्ण कदम है, परंतु यह चुनौतियों से मुक्त नहीं है।
  - **रैंकिंग बनाम वास्तविकता:** कई बार संस्थान रैंकिंग सुधारने के लिए आँकड़ों में हेरफेर करते हैं।
  - **समान अवसर की कमी:** महानगरों के संस्थान ग्रामीण और छोटे शहरों के विश्वविद्यालयों की तुलना में अधिक संसाधनों से संपन्न हैं।
  - **पैरामीटर्स का सीमित दायरा:** SDG जोड़ने के बावजूद, कई मानवीय और सामाजिक पहलुओं को अभी भी पर्याप्त महत्व

नहीं दिया गया है।

» **धारणा पर अधिक जोर:** किसी संस्था की छवि कभी-कभी वास्तविक प्रदर्शन से अलग हो सकती है।

- इन चुनौतियों को दूर करने के लिए NIRF को लगातार अपने मूल्यांकन तंत्र में सुधार और पारदर्शिता बढ़ाने की आवश्यकता है।

आगे की राह:

- **अनुसंधान और नवाचार को मजबूत करना**: भारतीय विश्वविद्यालयों को केवल शिक्षण तक सीमित न रहकर विश्वस्तरीय शोध केंद्र बनना होगा। इसके लिए उद्योग-अकादमिक साझेदारी और वित्तीय निवेश ज़रूरी है।
- **मुख्यधारा के सतत विकास लक्ष्य:** सतत विकास लक्ष्यों में योगदान को प्रतीकात्मक न रखकर ठोस कार्य—जैसे ग्रीन कैंपस, ग्रामीण विकास प्रोजेक्ट, लैंगिक समावेशन—के आधार पर मापा जाना चाहिए।
- **क्षेत्रीय असंतुलन को कम करना:** राज्य विश्वविद्यालयों और ग्रामीण इलाकों के संस्थानों को विशेष अनुदान और प्रशासनिक समर्थन दिया जाए।
- **पारदर्शिता सुनिश्चित करना:** डेटा संग्रह और मूल्यांकन में स्वतंत्र ऑडिट प्रणाली लागू हो, ताकि किसी प्रकार का डेटा मैनिपुलेशन न हो।
- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करना:** भारतीय संस्थानों को विदेशी विश्वविद्यालयों से साझेदारी करनी चाहिए ताकि उनकी रिसर्च और पाठ्यक्रम अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हों।

निष्कर्ष:

NIRF रैंकिंग 2025 ने यह साबित किया है कि भारतीय उच्च शिक्षा अब केवल देश तक सीमित नहीं है, बल्कि वैश्विक मानकों की ओर अग्रसर है। IIT मद्रास का लगातार शीर्ष पर रहना यह दिखाता है कि यदि संस्थान उत्कृष्टता, अनुसंधान और सामाजिक जिम्मेदारी पर ध्यान दें तो विश्व-स्तर की पहचान संभव है। नई SDG श्रेणी यह स्पष्ट करती है कि शिक्षा केवल अकादमिक उपलब्धि नहीं, बल्कि सामाजिक-पर्यावरणीय योगदान भी है। आने वाले समय में यही दृष्टिकोण भारत को न केवल "ज्ञान-महाशक्ति" बल्कि "सतत विकास में अग्रणी राष्ट्र" के रूप में स्थापित कर सकता है।

संक्षिप्त मुद्दे

हिमाचल प्रदेश 'पूर्ण साक्षर' राज्य घोषित

सन्दर्भ:

हिमाचल प्रदेश को आधिकारिक रूप से उल्लास (Understanding Lifelong Learning for All in Society) पहल के तहत "पूर्ण साक्षर" घोषित किया गया है। इस तरह, यह उपलब्धि हासिल करने वाला भारत का पाँचवाँ राज्य/केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। हालांकि इसका मतलब 100% साक्षरता नहीं है, लेकिन राज्य ने 99.3% साक्षरता दर प्राप्त कर ली है, जो कि सरकार द्वारा निर्धारित 95% की सीमा से अधिक है। यह मील का पत्थर भारत के व्यापक साक्षरता लक्ष्यों का प्रतीक है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य (SDG-4) के अंतर्गत आते हैं, जिनका उद्देश्य 2030 तक सार्वभौमिक साक्षरता प्राप्त करना है।

सफलता के कारक:

- **उच्च प्रारंभिक साक्षरता दर:** 2011 की जनगणना के अनुसार 82.8%।
- मजबूत सामुदायिक भागीदारी और सुशासन।
- अपेक्षाकृत छोटी जनसंख्या, जिससे पहुँच आसान रही।
- स्वयंसेवकों और तकनीक-आधारित शिक्षण प्लेटफ़ॉर्म का प्रभावी उपयोग।

उल्लास कार्यक्रम के बारे में:

- यह कार्यक्रम 2022 में शुरू किया गया था, जिसका लक्ष्य 2030 तक 100% साक्षरता प्राप्त करना है।
- **मुख्य विशेषताएँ:**
  » 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के उन वयस्कों पर केंद्रित, जिन्हें औपचारिक शिक्षा नहीं मिली।
  » बुनियादी पढ़ना, लिखना, गणना और जीवन कौशल (जैसे—बैंक चेक का उपयोग, मोबाइल भुगतान, कैलेंडर, समय का ज्ञान) सिखाना।
  » मोबाइल ऐप्स और सामुदायिक स्वयंसेवकों के माध्यम से

शिक्षा प्रदान करना।

- » शिक्षार्थियों का मूल्यांकन FLNAT (Functional Literacy and Numeracy Assessment Test) के माध्यम से।
- » राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS) द्वारा प्रमाणन।

साक्षरता को सहयोग देने वाला राष्ट्रीय शैक्षिक ढाँचा:

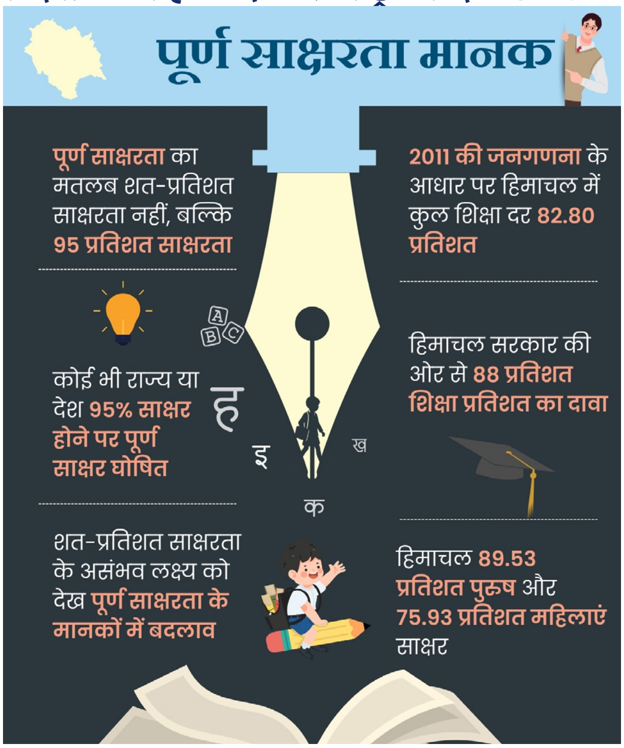

भारत के साक्षरता लक्ष्य, विद्यालय और वयस्क शिक्षा सुधारों की एक बड़ी पारिस्थितिकी से जुड़े हुए हैं। निम्नलिखित प्रमुख पहलें एक साथ मिलकर कार्य कर रही हैं:

पहल	उद्देश्य / केंद्रबिंदु
NEP 2020	प्री-स्कूल से उच्च शिक्षा तक समग्र, लचीला और बहुविषयक शिक्षा सुधार।
पीएम श्री स्कूल	14,500 NEP-सरेखित मॉडल स्कूल विकसित करना।
निपुण भारत मिशन	2026–27 तक कक्षा 3 तक मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान सुनिश्चित करना।
DIKSHA पोर्टल	शिक्षक प्रशिक्षण और ई-कॉन्टेंट हेतु राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म। NISHTHA और FLN मॉड्यूल का समर्थन।
राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (NCF)	अनुभवात्मक और दक्षता-आधारित शिक्षा को बढ़ावा देना।
पीएम ई-विद्या	टीवी, रेडियो, ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म द्वारा डिजिटल शिक्षा तक बहु-आयामी पहुँच।
उल्लास (ULLAS)	नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत वयस्क शिक्षा कार्यक्रम। जीवन पर्यंत सीखने और प्रमाणन पर केंद्रित।

- ये कार्यक्रम औपचारिक शिक्षा और वयस्क शिक्षा को जोड़ते हैं और शिक्षा तक समावेशी, समान एवं आजीवन पहुँच सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं।

सर्वव्यापी साक्षरता की चुनौतियाँ

- **क्षेत्रीय असमानताएँ:** बिहार, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश जैसे राज्य अब भी पीछे हैं।
- **लैंगिक अंतर:** ग्रामीण क्षेत्रों में महिला साक्षरता अब भी कम है।
- **डिजिटल अंतर:** सीमित इंटरनेट पहुँच, तकनीक-आधारित शिक्षण में बाधा डालती है।
- **पुराना आँकड़ा:** अंतिम जनगणना 2011 में हुई, जिससे वास्तविक समय की नीतिगत लक्ष्यीकरण मुश्किल।
- **उच्च ड्रॉपआउट दर:** प्रवासी और कामकाजी आबादी प्रशिक्षण पूरा करने में कठिनाई झेलती है।

निष्कर्ष:

हिमाचल प्रदेश, गोवा, मिज़ोरम, लद्दाख और त्रिपुरा के साथ उन चुनिंदा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में शामिल हो गया है, जिन्होंने पूर्ण साक्षरता का दर्जा हासिल किया है। यह उपलब्धि अन्य राज्यों के लिए एक रोडमैप प्रस्तुत करती है, जो यह दर्शाती है कि सुदृढ़ नीतियाँ, जमीनी अभियान और सामुदायिक भागीदारी शिक्षा को बढ़ावा देने में कितने प्रभावी हो सकते हैं।

भारत के 7 नए प्राकृतिक धरोहर स्थल यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल

संदर्भ:

हाल ही में भारत के सात नए प्राकृतिक धरोहर स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। इसके

साथ ही भारत के अस्थायी सूची में शामिल स्थलों की कुल संख्या 62 से बढ़कर 69 हो गई है। इन 69 स्थलों में 49 सांस्कृतिक, 17 प्राकृतिक और 3 मिश्रित धरोहर स्थल शामिल हैं।

सूची में शामिल नए स्थल:

- **महाराष्ट्र के पंचगनी और महाबलेश्वर स्थित डेक्कन ट्रैप:** दुनिया के कुछ सर्वोत्तम संरक्षित और अध्ययन किए गए लावा प्रवाहों का घर, ये स्थल विशाल डेक्कन ट्रैप का हिस्सा हैं और उस कोयना वन्यजीव अभयारण्य के भीतर स्थित हैं जो पहले से ही यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है।
- **कर्नाटक में सेंट मैरी द्वीप समूह की भूवैज्ञानिक विरासत:** अपनी दुर्लभ स्तंभाकार बेसाल्टिक चट्टान संरचनाओं के लिए जाना जाने वाला, यह द्वीप समूह उत्तर क्रेटेशियस काल का है, जो लगभग 85 मिलियन वर्ष पूर्व का भूवैज्ञानिक चित्रण प्रस्तुत करता है।
- **मेघालय में मेघालय युग की गुफाएं:** मेघालय की आश्चर्यजनक गुफा प्रणालियां, विशेष रूप से माव्लुह गुफा, होलोसीन युग में मेघालय युग के लिए वैश्विक संदर्भ बिंदु के रूप में कार्य करती हैं, जो महत्वपूर्ण जलवायु और भूवैज्ञानिक परिवर्तनों को दर्शाती हैं।
- **नागालैंड की नागा हिल ओफियोलाइट:** ओफियोलाइट चट्टानों का एक दुर्लभ प्रदर्शन, ये पहाड़ियां महाद्वीपीय प्लेटों पर उभरी हुई महासागरीय परत का प्रतिनिधित्व करती हैं—जो टेक्टोनिक प्रक्रियाओं और मध्य-महासागरीय रिज की गतिशीलता की गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं।
- **आंध्र प्रदेश में एर्रा मट्टी डिब्बालु (लाल रेत की पहाड़ियां):** विशाखापत्तनम के पास ये आकर्षक लाल रेत की संरचनाएं अद्वितीय पुरा-जलवायु और तटीय भू-आकृति विज्ञान संबंधी विशेषताओं को दर्शाती हैं जो पृथ्वी के जलवायु इतिहास और गतिशील विकास को प्रकट करती हैं।
- **आंध्र प्रदेश में तिरुमाला पहाड़ियों की प्राकृतिक विरासत:** एपार्चियन नादुरुस्ती (अनकन्फॉर्मिटी) और प्रतिष्ठित सिलाथोरनम (प्राकृतिक मेहराब) की विशेषता वाला यह स्थल अत्यधिक भूवैज्ञानिक महत्व रखता है। यह पृथ्वी के 1.5 अरब वर्षों से अधिक के इतिहास का प्रतिनिधित्व करता है।
- **केरल में वर्कला चट्टानें:** केरल के समुद्र तट के किनारे स्थित सुंदर चट्टानें, प्राकृतिक झरनों और आकर्षक अपरदनकारी भू-आकृतियों के साथ, मायो-प्लियोसीन युग के वर्कल्ली संरचना को उजागर करती हैं, जो वैज्ञानिक और पर्यटन दोनों ही दृष्टि से मूल्यवान हैं।

यूनेस्को की अस्थायी सूची के बारे में:

- किसी स्थल को विश्व धरोहर बनाने से पहले उसे अस्थायी सूची में शामिल किया जाता है। यह चयन प्रक्रिया का पहला चरण है, जिसमें स्थल का महत्व और उसका वैश्विक मूल्य अध्ययन किया जाता है। इसके बाद ही इसे यूनेस्को को अंतिम नामांकन के लिए भेजा जाता है।
- भारत के विश्व धरोहर मामलों को संभालने वाली भारतीय सर्वेक्षण विभाग (ASI) ने इन नामांकनों को तैयार और प्रस्तुत किया।
- भारत ने धरोहर संरक्षण में नेतृत्व दिखाते हुए 46वें विश्व धरोहर समिति सत्र की मेज़बानी की थी, जो जुलाई 2024 में नई दिल्ली में आयोजित हुआ और इसमें 140 देशों के 2,000 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हुए।

यूनेस्को के बारे में:

- यूनेस्को (संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन) एक संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है, जिसकी स्थापना नवंबर 1945 में हुई थी।
  - इसका मुख्यालय पेरिस में है और इसके 194 सदस्य देश हैं।
  - यूनेस्को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक संरक्षण को बढ़ावा देता है। इसकी विश्व धरोहर सूची जैसी पहलें इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास हैं।

निष्कर्ष:

इन सात नए प्राकृतिक स्थलों का यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल

होना भारत की अद्वितीय भूगर्भीय और पारिस्थितिक धरोहरों की सुरक्षा के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह कदम इन अनूठे स्थलों को विश्व के सामने संरक्षित करने और भविष्य की पीढ़ियों के लिए ज्ञान और शिक्षा का स्रोत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।

आदि वाणी

संदर्भ:

हाल ही में जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय भाषाओं के लिए भारत का पहला एआई-आधारित अनुवादक "आदि वाणी" का बीटा संस्करण लॉन्च किया है। यह पहल लुप्तप्राय जनजातीय भाषाओं के संरक्षण और जनजातीय समुदायों को मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

आदि वाणी के बारे में:

- आदि वाणी एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित अनुवाद उपकरण है, जो हिंदी/अंग्रेज़ी और जनजातीय भाषाओं के बीच पाठ और भाषण का अनुवाद करने में सक्षम है।
- इसका विकास आईआईटी दिल्ली, बिट्स पिलानी, आईआईआईटी हैदराबाद और आईआईआईटी रायपुर जैसे प्रमुख तकनीकी संस्थानों द्वारा, विभिन्न राज्यों के जनजातीय अनुसंधान संस्थानों के सहयोग से किया जा रहा है।
- बीटा संस्करण किसी सॉफ़्टवेयर या एप्लिकेशन का पूर्व-रिलीज़ संस्करण होता है, जिसे अंतिम रूप से लॉन्च करने से पहले सीमित उपयोगकर्ताओं के लिए परीक्षण और सुझाव जुटाने हेतु जारी किया जाता है।
- 'आदि कर्मयोगी' पहल के अंतर्गत, इस ऐप का देश भर के आदिवासी जिलों में क्षेत्रीय परीक्षण किया जाएगा। इस पहल का लक्ष्य 550 जिलों के 1 लाख आदिवासी गांवों में 20 लाख स्वयंसेवकों और सामुदायिक नेताओं को प्रशिक्षित करना है।

आदि वाणी की मुख्य विशेषताएँ:

- यह हिंदी/अंग्रेज़ी और जनजातीय भाषाओं के बीच पाठ (Text) और भाषण (Speech) का अनुवाद करने में सक्षम है।
- यह टेक्स्ट-टू-स्पीच, स्पीच-टू-टेक्स्ट और स्पीच-टू-स्पीच जैसी सुविधाओं का समर्थन करता है।
- यह छात्रों को भाषा सीखने के लिए आवश्यक उपकरण प्रदान करता है, जिससे मातृभाषा आधारित शिक्षा को बढ़ावा मिलता है।
- यह एआई (AI) और ओसीआर (OCR) तकनीकों की सहायता से पारंपरिक जनजातीय पांडुलिपियों और पुस्तकों का डिजिटलीकरण करता है।
- यह आदिवासी भाषाओं में प्रधानमंत्री के भाषणों, स्वास्थ्य संबंधी संदेशों और सरकारी योजनाओं की जानकारी को उपशीर्षकों (Subtitles) के माध्यम से उपलब्ध कराता है।

बीटा संस्करण में शामिल भाषाएँ:

- संथाली (ओडिशा)
- भीली (मध्य प्रदेश)
- मुंडारी (झारखंड)
- गोंडी (छत्तीसगढ़)
- कुई और गारो (जल्द शामिल की जाएंगी)

आदि वाणी का महत्व:

- भारत में 461 से अधिक आदिवासी भाषाएँ बोली जाती हैं, जिनमें से अनेक विलुप्ति की कगार पर हैं। यदि समय रहते ठोस प्रयास नहीं किए गए, तो कई भाषाएँ पूरी तरह लुप्त हो सकती हैं। ऐसे में "आदि वाणी" पहल निम्नलिखित क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण योगदान देती है:
  - » कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के माध्यम से आदिवासी भाषाओं के

संरक्षण और दस्तावेज़ीकरण में सहायता।
- » आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच को सुलभ और प्रभावी बनाना।
- » नागरिकों को उनकी मातृभाषा में सरकारी योजनाओं, अधिकारों और सूचनाओं की समझ प्रदान करना।
- » दूरस्थ और वंचित समुदायों में समावेशन और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना।
- » मौखिक परंपराओं, लोककथाओं और सांस्कृतिक धरोहरों को डिजिटल रूप में संरक्षित करना।

भारत की आदिवासी भाषाई विविधता:

- 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में विविध आदिवासी भाषाओं का व्यापक वितरण है, जिनमें प्रमुख भाषाएँ निम्नलिखित हैं:
  - » भीली 1.04 करोड़ से ज़्यादा लोगों द्वारा बोली जाती है (मुख्यतः मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात में)
  - » संथाली - 73.68 लाख (झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार, असम)
  - » गोंडी - 29.84 लाख (छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र)
  - » मुंडारी - 11.28 लाख (झारखंड, ओडिशा)
  - » कुई - 9.41 लाख (ओडिशा)
  - » गारो - 11.45 लाख (मेघालय, असम)

निष्कर्ष:

आदि वाणी केवल एक अनुवादक नहीं, बल्कि एक समावेशी डिजिटल पहल है, जो आदिवासी नागरिकों को उनकी भाषाओं में शिक्षा, सरकारी सेवाओं और जानकारी तक पहुँच प्रदान करती है। यह डिजिटल इंडिया, एक भारत श्रेष्ठ भारत, प्रधानमंत्री जनमन, आदि कर्मयोगी और ग्राम उत्कर्ष जैसे अभियानों का समर्थन करती है। एआई के माध्यम से यह पहल भाषाई संरक्षण, सामुदायिक सशक्तिकरण और सुशासन को सुदृढ़ करते हुए भारत को इस क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर अग्रसर करती है।

ग्रामीण महिला उद्यमियों के लिए बिहार राज्य जीविका निधि

संदर्भ:

हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का वर्चुअल उद्घाटन किया। इस पहल का उद्देश्य राज्य में ग्रामीण महिलाओं की उद्यमिता और आत्मनिर्भरता को मज़बूत करना है। इस अवसर पर, संस्था के बैंक खाते में सीधे 105 करोड़ हस्तांतरित किए गए।

पहल के विषय में:

- जीविका निधि, जीविका स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं के लिए एक सहकारी समिति के रूप में कार्य करेगी। जीविका के अंतर्गत पंजीकृत सभी क्लस्टर-स्तरीय संघ इसके सदस्य होंगे।
- केंद्र और बिहार सरकारें इसके संचालन के लिए संयुक्त रूप से धनराशि का योगदान करेंगी।
- यह प्रणाली पूरी तरह से ऑनलाइन कार्य करेगी, जिससे लाभार्थियों के खातों में सीधे पारदर्शी और त्वरित धनराशि हस्तांतरण संभव होगा।
- कार्यान्वयन में सहायता के लिए, 12,000 सामुदायिक कार्यकर्ताओं को डिजिटल और वित्तीय साक्षरता में सहायता के लिए टैबलेट से लैस किया जाएगा।

उद्देश्य:

- महिला उद्यमियों के लिए संस्थागत ऋण तक आसान पहुँच प्रदान करना।
- सूक्ष्म उद्यमों के विस्तार के लिए महिलाओं के नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाना।
- वित्तीय स्वतंत्रता को बढ़ावा देना और अनौपचारिक ऋण पर निर्भरता कम करना।
- ग्रामीण विकास प्रक्रियाओं में डिजिटल उपकरणों को एकीकृत करना।

श्रम बाजार में ग्रामीण महिलाएँ (पीएलएफएस जून 2025 डेटा):

- **श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर):** 35.2% ग्रामीण महिलाएँ (15 वर्ष से अधिक उम्र) श्रम बल का हिस्सा थीं, जो मई 2025 की तुलना में कमी दर्शाती है।
- **श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर):** 33.6% ग्रामीण महिलाएँ वास्तव में कार्यरत थीं, जो मौसमी बदलाव और अवैतनिक कृषि श्रम में कमी को दर्शाता है।
- **भूमिकाओं में बदलाव:** उच्च आय वाले ग्रामीण परिवारों की कई महिलाएँ अवैतनिक कृषि कार्य से हटकर घरेलू कर्तव्यों की ओर

बढ़ गई हैं। इसके कारण, कृषि में महिलाओं की हिस्सेदारी 70.2% (मई) से घटकर 69.8% (जून) हो गई है।

- **स्वयं-रोजगार गतिविधियों में वृद्धिः** कुल श्रम भागीदारी में गिरावट के बावजूद, अधिक महिलाएँ स्व-प्रेरित लघु स्तर के कार्यों जैसे छोटा व्यापार, मरम्मत कार्य या सेवा क्षेत्र की ओर बढ़ रही हैं, जो जमीनी स्तर पर उद्यमिता में वृद्धि का संकेत है।
- औपचारिक भागीदारी में गिरावट के बावजूद, ग्रामीण महिलाएँ कृषि या मौसमी मंदी के दौरान एक बफर के रूप में उद्यमशीलता गतिविधियों में तेज़ी से शामिल हो रही हैं।

जीविका निधि का महत्व:

- ऐसे समय में औपचारिक ऋण सहायता प्रदान करता है जब महिलाएँ स्व-रोज़गार और सूक्ष्म व्यवसायों की ओर बढ़ रही हैं।
- ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों में संगठित कर जीविका कार्यक्रम के प्रभाव को मजबूत करता है।
- महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को प्रोत्साहित करता है, जो भारत की नीतिगत प्राथमिकताओं में शामिल है।
- कल्याणकारी वितरण में पारदर्शिता और डिजिटल एकीकरण को बढ़ावा देता है।
- महिला उद्यमिता को संस्थागत समर्थन से जोड़कर समावेशी विकास को समर्थन देता है।

व्यापक निहितार्थ:

- यह मॉडल अन्य राज्यों के लिए एक अनुकरणीय ढाँचे के रूप में काम कर सकता है।
- महिलाओं की वित्तीय स्वतंत्रता का निर्माण करके ग्रामीण घरेलू अर्थव्यवस्था को मज़बूत करता है।
- दीनदयाल अंत्योदय योजना - एनआरएलएम और डिजिटल इंडिया जैसी राष्ट्रीय योजनाओं का पूरक है।

निष्कर्ष:

बिहार राज्य जीविका निधि ग्रामीण महिला उद्यमियों को वित्तीय सहायता तक बेहतर पहुंच देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ग्रामीण महिलाओं के बीच स्व-निर्देशित आर्थिक गतिविधियों में बढ़ोतरी के हालिया पीएलएफएस आंकड़े इस पहल की सफलता को दर्शाते हैं। यह कार्यक्रम महिलाओं की उद्यमशीलता को अवसर और सुरक्षा दोनों प्रदान करता है। साथ ही, यह महिलाओं को समावेशी और लचीले ग्रामीण विकास का अहम हिस्सा बनाकर उन्हें सशक्त बनाने के भारत के व्यापक उद्देश्य को प्रतिबिंबित करता है।

वैश्विक शांति सूचकांक (GPI) 2025

संदर्भ:

हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक (Global Peace Index - GPI) 2025 में आइसलैंड को लगातार 17वें वर्ष विश्व का सबसे शांतिपूर्ण देश घोषित किया गया है। भारत इस सूचकांक में 163 देशों में से 115वें स्थान पर रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में उसके शांति स्कोर में मामूली सुधार को दर्शाता है

वैश्विक शांति सूचकांक (GPI) के विषय में:

- वैश्विक शांति सूचकांक (Global Peace Index- GPI) एक वार्षिक रिपोर्ट है, जो विश्व के देशों की सापेक्षिक शांति का मूल्यांकन करती है। यह रिपोर्ट इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस - IEP द्वारा प्रकाशित की जाती है, जिसका मुख्यालय सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है।
- GPI 2025 में 163 स्वतंत्र देशों और क्षेत्रों को शामिल किया गया है, जो विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 99.7% प्रतिनिधित्व करते हैं। यह सूचकांक देशों का मूल्यांकन तीन मुख्य क्षेत्रों में समूहीकृत 23 संकेतकों के आधार पर करता है।

वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान:

- भारत, वर्ष 2025 के वैश्विक शांति सूचकांक (GPI) में 115वें स्थान पर रहा है, जो पिछले वर्ष की तुलना में मामूली सुधार को दर्शाता है। भारत का वर्तमान GPI स्कोर 2.229 है, जो शांति में 0.58% की वृद्धि को दर्शाता है।
- हालांकि यह प्रगति सकारात्मक संकेत है, भारत को अब भी आंतरिक संघर्षों, सीमा तनावों, और सुरक्षा संबंधी चिंताओं जैसी गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

शीर्ष 10 सबसे शांतिपूर्ण देश (2025):

- वर्ष 2025 के वैश्विक शांति सूचकांक (GPI) में सबसे शांतिपूर्ण देशों की सूची में आइसलैंड, आयरलैंड, न्यूज़ीलैंड, फ़िनलैंड, ऑस्ट्रिया, स्विट्ज़रलैंड, सिंगापुर, पुर्तगाल, डेनमार्क, और स्लोवेनिया शामिल हैं।
- ये देश सामाजिक स्थिरता, कम अपराध दर, प्रभावी शासन, और सैन्य हस्तक्षेप की न्यूनता जैसे मानकों पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं। इनमें से आइसलैंड लगातार 17वें वर्ष भी दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश बना हुआ है।

- वहीं, सबसे कम शांतिपूर्ण देशों में रूस, यूक्रेन, सूडान, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (DRC), और यमन शामिल हैं। इन देशों में जारी सशस्त्र संघर्ष, राजनीतिक अस्थिरता, आतंकवाद, और मानवीय संकट शांति सूचकांक में गिरावट के मुख्य कारण हैं।

क्षेत्रीय अंतर्दृष्टि:

- **यूरोप:** शीर्ष 10 में अधिकांश स्थानों पर काबिज़, सबसे शांतिपूर्ण क्षेत्र बना हुआ है।
- **दक्षिण अमेरिका:** विशेष रूप से अर्जेंटीना और पेरू में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।
- **उप-सहारा अफ्रीका और मध्य पूर्व:** अभी भी सबसे कम शांतिपूर्ण क्षेत्र बने हुए हैं।
- **वैश्विक प्रवृत्ति:** बढ़ते आंतरिक संघर्षों, सैन्यीकरण, और भू-राजनीतिक तनावों के कारण वैश्विक शांति में समग्र रूप से गिरावट देखी गई है।

इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के बारे में:

- इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस (IEP) एक स्वतंत्र, गैर-लाभकारी थिंक टैंक है, जो शांति को मापने, उसके आर्थिक प्रभाव को समझने और स्थायी शांति को बढ़ावा देने वाले सामाजिक, आर्थिक और संस्थागत कारकों की पहचान करने के लिए कार्य करता है।
- **मुख्य अवधारणाएँ:**
  - **सकारात्मक शांति:** आईईपी "सकारात्मक शांति" के विचार को बढ़ावा देता है, जिसे आठ स्तंभों द्वारा परिभाषित किया गया है, जिनमें एक सुचारु रूप से कार्य करने वाली सरकार, कम भ्रष्टाचार, सुदृढ़ व्यावसायिक वातावरण, संसाधनों का समान वितरण, आदि शामिल हैं।
  - यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि शांति केवल हिंसा का अभाव नहीं है, बल्कि सामाजिक सद्भाव को बनाए रखने वाली संरचनाओं की उपस्थिति है।
- **मुख्यालय और वैश्विक उपस्थिति:**
  - सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में मुख्यालय।
  - न्यूयॉर्क, ब्रुसेल्स, द हेग, मेक्सिको सिटी और हरारे में वैश्विक कार्यालय स्थित हैं।

निष्कर्ष:

हालांकि जीपीआई 2025 रैंकिंग में भारत का मामूली सुधार एक सकारात्मक संकेत है, फिर भी अभी भी कई चुनौतियाँ हैं। आंतरिक अशांति से निपटना, सैन्यीकरण को कम करना और समावेशी विकास को बढ़ावा देना दीर्घकालिक शांति सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। जीपीआई नीति निर्धारण और राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्थिरता की प्रगति को मापने के लिए एक महत्वपूर्ण मानक के रूप में कार्य करता है।

मानसिक स्वास्थ्य पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट

संदर्भ:

हाल ही में, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने दो महत्वपूर्ण रिपोर्टें "वर्ल्ड मेंटल हेल्थ टुडे और मेंटल हेल्थ एटलस 2024" प्रकाशित की हैं। ये रिपोर्टें कोविड-19 महामारी के पश्चात पहली बार वैश्विक स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों के अद्यतन आँकड़े प्रस्तुत करती हैं। इन दस्तावेज़ों में विश्वभर में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के निरंतर बढ़ते बोझ और इससे जुड़ी चुनौतियों को स्पष्ट रूप से उजागर किया गया है

रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष:

- **वैश्विक मानसिक स्वास्थ्य बोझ (2021):**
  - वर्ष 2021 में, विश्व स्तर पर 1 अरब से अधिक व्यक्ति, अर्थात हर 7 में से 1 व्यक्ति, किसी न किसी मानसिक स्वास्थ्य समस्या से प्रभावित पाया गया।
  - कुल मानसिक स्वास्थ्य मामलों में से दो-तिहाई से अधिक का संबंध मुख्यतः चिंता और अवसाद जैसी स्थितियों से था।
  - गंभीर मानसिक रोगों में सिज़ोफ्रेनिया ने प्रत्येक 200 में से 1 वयस्क को, जबकि बाइपोलर डिसऑर्डर (Bipolar Disorder) ने प्रत्येक 150 में से 1 वयस्क को प्रभावित किया।
- **आत्महत्या:**
  - वर्ष 2021 में, दुनिया भर में हर 100 में से 1 से अधिक मौतें आत्महत्या के कारण हुईं, जो वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है।
  - आत्महत्या 15 से 29 वर्ष की आयु के युवाओं में मृत्यु के प्रमुख कारणों में से एक बनी हुई है।
  - यह समस्या विशेष रूप से युवाओं और हाशिए पर रहने वाले समुदायों (जैसे: आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, जातीय/लिंग अल्पसंख्यक आदि) को असमान रूप से प्रभावित करती है।
  - साथ ही, आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि पुरुषों में आत्महत्या के कारण मृत्यु की संभावना महिलाओं की तुलना में अधिक होती

है।

- **आर्थिक और सामाजिक लागत:**
  - मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं, विशेष रूप से उत्पादकता में कमी के कारण, भारी आर्थिक बोझ उत्पन्न करती हैं।
  - अवसाद और चिंता के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रति वर्ष 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का नुकसान होता है।
- **सेवाओं और नीतियों में अंतराल:**
  - 2020 से अनेक देशों ने मानसिक स्वास्थ्य संबंधी नीतियों को तो सुदृढ़ किया है, लेकिन अभी भी कानूनी सुधारों की स्पष्ट कमी बनी हुई है।
  - मानसिक स्वास्थ्य पर खर्च, अब भी कुल स्वास्थ्य बजट का केवल 2% है, जो 2017 से अपरिवर्तित बना हुआ है।
  - यह खर्च उच्च आय वाले देशों में प्रति व्यक्ति 65 अमेरिकी डॉलर तक है, जबकि निम्न आय वाले देशों में मात्र 0.04 अमेरिकी डॉलर तक सीमित है।

भारत का मानसिक स्वास्थ्य संकट:

- भारत एक गंभीर मानसिक स्वास्थ्य संकट से जूझ रहा है, अनुमान है कि लगभग 15 करोड़ लोगों को मानसिक स्वास्थ्य हस्तक्षेप की आवश्यकता है। अवसाद लगभग 5.6 करोड़ लोगों को प्रभावित करता है, जबकि 3.8 करोड़ लोग चिंता विकारों से पीड़ित हैं, जिसके परिणामस्वरूप 2012 और 2030 के बीच 1.03 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुमानित रोग भार और आर्थिक नुकसान हुआ है।
- **प्रमुख चुनौतियाँ:**
  - **उपचार अंतराल:** मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं वाले 70-92% लोगों को पर्याप्त देखभाल नहीं मिल पाती है।
  - **सामाजिक कलंक:** मानसिक बीमारी के बारे में नकारात्मक धारणाएँ और भय कई लोगों को मदद लेने से रोकते हैं।
  - **अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा:** मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ अभी भी अपर्याप्त रूप से विकसित हैं और जमीनी स्तर पर अपर्याप्त रूप से क्रियान्वित हैं।
  - **योगदान देने वाले कारक:** तेज़ी से बढ़ता शहरीकरण, शैक्षणिक दबाव, सामाजिक-आर्थिक संघर्ष, मादक द्रव्यों का सेवन और कोविड-19 महामारी ने मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को और जटिल बना दिया है।

भारत की मानसिक स्वास्थ्य पहल:

- मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 ने आत्महत्या के प्रयासों को अपराधमुक्त कर दिया, पुनर्वास और अधिकार-आधारित देखभाल पर ज़ोर दिया।
- 1982 में शुरू किया गया राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनएमएचपी) मानसिक स्वास्थ्य को सामान्य स्वास्थ्य सेवा के साथ एकीकृत करता है, सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देता है और कुशल पेशेवरों का विकास करता है।
- 2022 में शुरू किया गया टेली मानस कार्यक्रम, 20 भाषाओं में 24/7 निःशुल्क टेली-मानसिक स्वास्थ्य सहायता प्रदान करता है, जिससे देश भर में इसकी पहुँच का विस्तार होता है।

आगे की राह:

डब्लूएचओ ने सरकारों से मानसिक स्वास्थ्य में निवेश बढ़ाने, इसे प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं में शामिल करने, सेवाओं की पहुँच बढ़ाने और कलंक हटाने का आह्वान किया है। रिपोर्टों के अनुसार, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल कोई विशेषाधिकार नहीं, बल्कि एक मौलिक अधिकार है, जो मानव कल्याण और सामाजिक विकास के लिए आवश्यक है।

स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान

संदर्भ:

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान' की शुरुआत की। यह एक राष्ट्रव्यापी अभियान है जिसका उद्देश्य देशभर में महिलाओं, किशोरियों और बच्चों के लिए स्वास्थ्य और पोषण सेवाओं को मज़बूत करना है। यह अभियान 2 अक्टूबर 2025 तक चलेगा, जो गांधी जयंती के अवसर पर समाप्त होगा।

स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के बारे में:

- स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान (SNSPA) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख स्वास्थ्य पहल है।
- इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को मज़बूत करना, महिलाओं के स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करना, पोषण जागरूकता फैलाना और रोकथाम आधारित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना।

प्रमुख विशेषताएँ:

- **व्यापक स्वास्थ्य जाँच:** एनीमिया, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ, स्तन और गर्भाशय ग्रीवा (सर्वाइकल) कैंसर, क्षय रोग (टीबी) और सिकल सेल रोग (SCD) जैसी बीमारियों

की स्क्रीनिंग।

- **स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन:** देशभर के आयुष्मान आरोग्य मंदिरों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 1 लाख से अधिक शिविर लगाए जाएंगे।
- **डिजिटल निगरानी व्यवस्था:** अभियान की वास्तविक समय पर प्रगति और आँकड़ों की ट्रैकिंग के लिए विशेष डिजिटल पोर्टल 'सशक्त' तैयार किया गया है।
- **अन्य योजनाओं से समन्वय:** इस अभियान को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY), आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता (ABHA) और पोषण 2.0 जैसी योजनाओं से जोड़ा गया है।

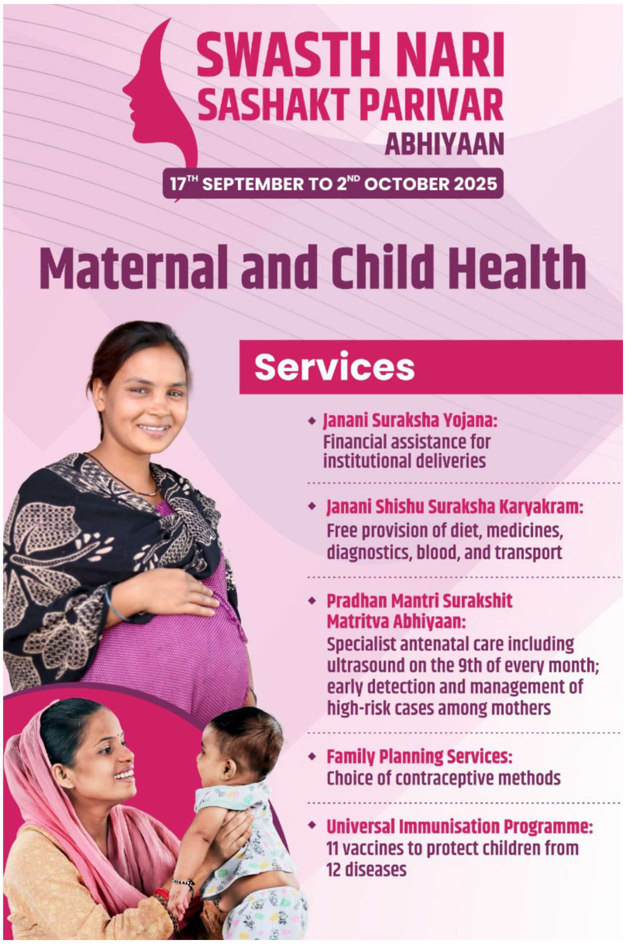

उद्देश्य:

- **महिलाओं का स्वास्थ्य सुधारना:** विशेषकर जनजातीय और वंचित क्षेत्रों में व्यापक जाँच और विशेष देखभाल।
- **परिवार की भलाई को बढ़ावा:** मातृ एवं शिशु सुरक्षा कार्ड (MCP), गर्भावस्था पूर्व देखभाल, टीकाकरण सेवाएँ और मासिक धर्म स्वच्छता, पोषण व जीवनशैली पर शिक्षा।
- **समुदाय की भागीदारी:** समुदाय स्तर पर जागरूकता और व्यवहार में स्थायी बदलाव लाना।

अन्य संबंधित योजनाएँ:

- **जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम:** प्रसवपूर्व, प्रसवोत्तर और नवजात शिशु की देखभाल पूरी तरह मुफ्त। इसमें परिवहन, जांच और दवाइयाँ भी शामिल हैं। 2014 से अब तक 16.6 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को मदद मिली, जिससे परिवारों का खर्च कम हुआ।
- **जननी सुरक्षा योजना:** गरीब गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव के लिए प्रोत्साहित करने वाली योजना। मार्च 2025 तक 11 करोड़ से अधिक महिलाओं को इसका लाभ मिला।
- **सुरक्षित मातृत्व आश्वासन (SUMAN):** गर्भवती महिलाओं, बीमार नवजात शिशुओं और प्रसव के 6 महीने तक माताओं को मुफ्त और सम्मानजनक स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराता है।
- **मिशन इंद्रधनुष:** 2014 में शुरू की गई योजना, जिसका उद्देश्य बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण बढ़ाना है। दिसंबर 2024 तक 5.46 करोड़ बच्चों और 1.32 करोड़ महिलाओं को टीका लगाया गया।
- **प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (PMSMA):** गर्भावस्था की पहली तिमाही में 4 प्रसवपूर्व जांच सुनिश्चित करता है, ताकि उच्च जोखिम वाले मामलों की समय रहते पहचान हो सके।
- **प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY):** पहले बच्चे और दूसरे (यदि बेटी हो) के लिए ₹5,000 की वित्तीय सहायता दी जाती है, जिससे मातृ स्वास्थ्य सुधरे और बेटी के जन्म को बढ़ावा मिले।
- **सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान:** देश की 1,000 उत्कृष्ट ग्राम पंचायतों को सम्मानित और प्रोत्साहित किया जाता है, जिन्होंने मातृ और शिशु पोषण सुधार में उल्लेखनीय कार्य किया।

निष्कर्ष:

स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान से भारत के स्वास्थ्य सूचकांकों में उल्लेखनीय सुधार होने की उम्मीद है। विशेषकर गर्भावस्था पूर्व देखभाल, नियमित स्वास्थ्य जाँच और टीकाकरण सेवाओं के ज़रिए मातृ मृत्यु दर में कमी लाई जा सकेगी। यह अभियान रोकथाम आधारित स्वास्थ्य सेवाओं, डिजिटल निगरानी और व्यापक जन-जागरूकता पर ज़ोर देता है। इसके परिणामस्वरूप परिवार न केवल स्वस्थ और मज़बूत बनेंगे, बल्कि यह पहल विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण योगदान भी साबित होगी।

2 राजव्यवस्था एवं शासन

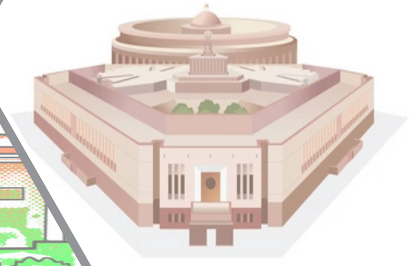

भारतीय न्यायिक प्रणाली: संरचनात्मक संकट और सुधारों की अनिवार्यता

परिचय:

भारतीय न्यायपालिका को संवैधानिक मूल्यों का संरक्षक और न्याय का अंतिम निर्णायक माना जाता है। फिर भी, यह दुनिया के सबसे भारी मामलों के बोझ तले दबी हुई है। हाल ही में राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (NJDG) द्वारा जारी नवीनतम आंकड़े इस समस्या की गंभीरता को उजागर करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की संख्या 88,417 तक पहुंच गई है, जो अब तक की सर्वाधिक संख्या है, यह स्थिति तब है जब न्यायालय वर्तमान में 34 न्यायाधीशों की अपनी पूर्ण स्वीकृत न्यायिक क्षमता के साथ कार्य कर रहा है।

मुकदमों के दाखिले और निपटान के बीच का अंतर नया नहीं है, लेकिन महामारी के बाद के वर्षों में यह और अधिक गंभीर हो गया है। सर्वोच्च न्यायालय अपने पूर्ण स्वीकृत 34 न्यायाधीशों की संख्या के साथ काम कर रहा है और "आंशिक कार्य दिवसों" के दौरान ग्रीष्मकालीन पीठ जैसे उपाय अपनाए हैं, फिर भी लंबित मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। यह दर्शाता है कि सर्वोच्च न्यायालय खुद तेजी से बढ़ती वाद-विवाद की संख्या से जूझ रहा है, जिससे न्याय तक पहुँच, कानून के शासन और न्यायिक प्रशासन की विश्वसनीयता पर गंभीर प्रश्न उठते हैं।

राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड रिपोर्ट से मुख्य बिंदु:

- **अब तक सबसे अधिक लंबित मामले:** अगस्त तक, सर्वोच्च न्यायालय में 88,417 मामले लंबित हैं — 69,553 सिविल और 18,864 आपराधिक।
- **फाइलिंग बनाम निपटान का अंतर:** अगस्त में 7,000 से अधिक नए मामले दर्ज हुए, जबकि 5,667 का निपटान हुआ, निपटान दर 80.04% रही।
- **पूर्ण क्षमता के बावजूद बैकलॉग:** सर्वोच्च न्यायालय 34 न्यायाधीशों की पूर्ण स्वीकृत संख्या के साथ काम कर रहा है, फिर भी लंबित मामले बढ़ रहे हैं।
- **ग्रीष्मकालीन पीठ पहल:** प्रधान न्यायाधीश बी.आर. गवई ने अदालत की ग्रीष्मकालीन छुट्टियों (जिन्हें आंशिक कार्य दिवस नाम दिया गया) के दौरान पीठों की संख्या बढ़ा दी। मई से जुलाई के बीच 21 पीठों ने काम किया, जिनकी अध्यक्षता प्रारंभ में सीजेआई और पांच वरिष्ठतम न्यायाधीशों ने की।
- **ऐतिहासिक प्रवृत्ति:** लंबित मामलों की संख्या मध्य-2023 में भी चरम पर पहुंच गई थी, जब 82,000 से अधिक मामले सुनवाई की प्रतीक्षा में थे। महामारी के बाद, विशेषकर 2023 में समस्या और गंभीर हो गई।

राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (NJDG)

- NJDG एक व्यापक डिजिटल न्यायिक डेटा भंडार है। इसे ई-कोर्ट्स प्रोजेक्ट के चरण II के तहत पारदर्शिता और न्याय वितरण प्रणाली में दक्षता लाने के लिए शुरू किया गया था।
- 18,735 ज़िला और अधीनस्थ न्यायालयों और सभी उच्च न्यायालयों को शामिल करता है।
- वास्तविक समय में दर्ज, लंबित और निपटाए गए मामलों को ट्रैक करता है।
- तालुका स्तर तक मामले का विवरण उपलब्ध कराता है, जिससे सूक्ष्म स्तर पर विश्लेषण संभव है।
- 2025 तक, इसमें 23.81 करोड़ मामलों और 23.02 करोड़ आदेशों/निर्णयों का रिकॉर्ड है।

- **विकास:**
  - » इसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) ने सर्वोच्च न्यायालय की कंप्यूटर सेल की मदद से विकसित किया।
  - » इसमें प्रवृत्तियों को दर्शाने के लिए एक इंटरएक्टिव एनालिटिक्स डैशबोर्ड है।
- **महत्व**
  - » **नीति इनपुट:** कानूनों और न्यायिक प्रशासन में रुकावटें पहचानता है (जैसे राज्य भूमि रिकॉर्ड से जुड़े बढ़ते भूमि विवाद)।
  - » **पारदर्शिता:** वादी वास्तविक समय में अपने मामले की स्थिति देख सकते हैं।
  - » **जवाबदेही:** न्यायाधीश और प्रशासक प्रदर्शन और देरी की निगरानी कर सकते हैं।

लंबित मामलों के बढ़ने के कारण:

- **सर्वोच्च न्यायालय की विस्तारित भूमिका**
  - » सर्वोच्च न्यायालय को मूल रूप से संवैधानिक अदालत के रूप में डिजाइन किया गया था, जो क़ानून और उसकी व्याख्या पर केंद्रित हो।
  - » समय के साथ, यह नियमित अपीलों और विशेष अनुमति याचिकाओं (SLPs) की अदालत बन गया। लगभग 40% मामले SLPs हैं, जो इसके डॉकेट को बढ़ाते हैं और संवैधानिक मामलों के लिए कम समय छोड़ते हैं।
- **न्यायाधीशों की कमी**
  - » भारत में प्रति दस लाख आबादी पर 21 न्यायाधीश हैं, जो विधि आयोग की 50 न्यायाधीशों की अनुशंसा से बहुत कम है।
  - » न्यायिक रिक्तियां बनी रहती हैं:
    - ➢ **उच्च न्यायालय:** 30–35% पद रिक्त।
    - ➢ **अधीनस्थ न्यायालय:** 20% से अधिक खाली।
  - » वैश्विक स्तर पर भारत पीछे है: अमेरिका में प्रति दस लाख पर 100+ न्यायाधीश हैं, और यूरोपीय देशों में औसत 50–70 प्रति दस लाख है।
- **प्रक्रियात्मक अक्षमताएं**
  - » स्थगन और बार-बार मामलों का स्थानांतरण निपटान में देरी करता है।
  - » पुराने कानूनी प्रावधान और अपील की कई परतें मुकदमेबाज़ी को लंबा खींचती हैं।
- **कमज़ोर बुनियादी ढांचा**
  - » कई ज़िला अदालतों में आधुनिक कोर्टरूम, पर्याप्त स्टाफ और भरोसेमंद डिजिटल प्रणालियों का अभाव है।
  - » प्रति-न्यायाधीश स्टाफ अनुपात भारत में उन्नत देशों की तुलना में बहुत कम है।
- **वैकल्पिक विवाद निपटान (ADR) का अपर्याप्त उपयोग**
  - » मध्यस्थता और पंचाट जैसी प्रणालियाँ अभी भी कम विकसित हैं।
  - » वाणिज्यिक मामलों में, अदालतें अभी भी उन मामलों का बोझ उठाती हैं जिन्हें अदालत के बाहर सुलझाया जा सकता था।
- **प्रशासनिक देरी**
  - » न्यायिक नियुक्तियों में कोलेजियम–सरकार की लंबी चर्चाओं के कारण देरी।
  - » पुराने केस प्रबंधन सिस्टम जिनमें डिजिटल प्राथमिकता उपकरण नहीं हैं।

लंबित मामलों से उत्पन्न चुनौतियां:

- **न्याय में देरी**
  - » 2009 की विधि आयोग रिपोर्ट ने चेतावनी दी थी कि मौजूदा दरों पर भारत के लंबित मामलों को साफ करने में 464 साल लगेंगे।
  - » न्याय में देरी से क़ानून के शासन और अदालतों के अधिकार पर विश्वास कम होता है।
- **आर्थिक नुकसान**
  - » कानूनी देरी के कारण अटके हुए कर राजस्व GDP के 4.7% के बराबर हैं।
  - » लगभग ₹50,000 करोड़ मूल्य की परियोजनाएं विवादों के न सुलझने के कारण रुकी हुई हैं।
  - » धीमे न्यायिक परिणाम निवेशकों के विश्वास को घटाते हैं और व्यवसाय को हतोत्साहित करते हैं।
- **समाज और शासन पर प्रभाव**
  - » क़ानून के शासन को कमज़ोर करता है, जिससे अपराध के विरुद्ध निवारक शक्ति घटती है।
  - » प्रति व्यक्ति आय, रोज़गार और गरीबी पर नकारात्मक प्रभाव।
  - » सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और शासन की दक्षता कम होती है।

- **मानवाधिकार संबंधी चिंताएं**
  - भारतीय जेलें 150% क्षमता पर चल रही हैं, जिनमें अधिकांश कैदी विचाराधीन हैं।
  - बिना मुकदमे के लम्बा कारावास अनुच्छेद 21 (जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार) का उल्लंघन है।

संवैधानिक और न्यायिक प्रतिक्रियाएं:

- **अस्थायी न्यायाधीश (अनुच्छेद 224A):**
  - सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय न्यायाधीशों को राष्ट्रपति की मंज़ूरी से अस्थायी रूप से पुनर्नियुक्त करने की अनुमति।
  - लोक प्रहरी बनाम भारत संघ (2021) में पुनर्जीवित, लेकिन केवल तब जब रिक्तियां 20% से अधिक हों।
  - ऐतिहासिक रूप से कम इस्तेमाल—2021 से पहले केवल तीन बार।
- **कोलेजियम चिंताएं:**
  - 2023 के प्रस्ताव ने रेखांकित किया कि शीर्ष अदालत "एक भी रिक्ति बर्दाश्त नहीं कर सकती"।
  - सभी स्तरों पर तत्काल पदों को भरने का आग्रह किया।
- **सर्वोच्च न्यायालय की पहलें:**
  - **ग्रीष्मकालीन पीठ (2025):** 21 पीठों ने "आंशिक कार्य दिवसों" में लंबित मामलों को निपटाने के लिए काम किया।
  - **ई-कोर्ट्स:** डिजिटलीकरण, ऑनलाइन फाइलिंग और हाइब्रिड सुनवाई को बढ़ावा।

लंबित मामलों को कम करने के उपाय:

- **लंबित मामलों का त्वरित निपटान**
  - 10 साल से अधिक पुराने जनहित याचिकाओं का समयबद्ध निपटान।
  - नियमित बनाम संवैधानिक मामलों का वर्गीकरण।
- **न्यायिक क्षमता का विस्तार**
  - सभी रिक्तियों को प्राथमिकता से भरना।
  - सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को विशिष्ट श्रेणी के मामलों के लिए नियुक्त करना।
- **ADR और मध्यस्थता**
  - वाणिज्यिक विवादों में मुकदमेबाज़ी से पहले मध्यस्थता अनिवार्य करना।
  - लोक अदालत, पंचाट और सुलह को प्रोत्साहित करना।
- **न्यायालय की उत्पादकता बढ़ाना**
  - लंबे कार्य दिवस और अवकाश की अवधि कम करना।
  - न्यायाधीशों और स्टाफ का प्रदर्शन मूल्यांकन।
- **प्रौद्योगिकी एकीकरण**
  - AI-आधारित भविष्यवाणी उपकरणों के साथ NJDG का विस्तार।
  - ऑनलाइन फाइलिंग, डिजिटल समन और स्वचालित शेड्यूलिंग।
  - प्रणालीगत बाधाओं की पहचान के लिए बिग डेटा एनालिटिक्स का उपयोग।
- **कानूनी और प्रशासनिक सुधार**
  - पुराने कानूनों को निरस्त करना ताकि अनावश्यक मुकदमेबाज़ी कम हो।
  - प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग (BPR) लागू करना।

निष्कर्ष:

सर्वोच्च न्यायालय और भारतीय अदालतों में लंबित मामलों का संकट न्यायिक सुधार की तत्काल आवश्यकता को उजागर करता है। NJDG, ई-कोर्ट्स और आंशिक कार्य दिवस जैसी पहलों के बावजूद, नए मामलों की संख्या निपटान की दर से अधिक बनी हुई है।

- एक बहु-आयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है:
- न्यायाधीशों की संख्या और बुनियादी ढांचे को मजबूत करना।
- ADR को मुख्यधारा में लाना।
- केस प्रबंधन के लिए तकनीक का उपयोग।
- न्यायिक रिक्तियों को कभी भी खाली न रहने देना।

ऐसे प्रणालीगत हस्तक्षेपों के बिना, भारत को न केवल न्यायिक प्रणाली के ध्वस्त होने का खतरा है, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के संवैधानिक वादे के भी कमजोर होने का खतरा है।

सी. पी. राधाकृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित

संदर्भ:

एनडीए उम्मीदवार और महाराष्ट्र के राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन जगदीप धनखड़ के स्थान पर भारत के नए उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। उन्होंने विपक्षी उम्मीदवार और सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश बी. सुदर्शन रेड्डी को 152 मतों के अंतर से हराया।

संवैधानिक प्रावधान:

- उपराष्ट्रपति का पद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 से 68 द्वारा शासित होता है।
  - संविधान के अनुच्छेद 64-68 उपराष्ट्रपति के लिए नियम निर्धारित करते हैं।
  - **अनुच्छेद 66:** निर्वाचक मंडल द्वारा चुनाव।
  - **अनुच्छेद 67:** पाँच वर्ष का कार्यकाल, उत्तराधिकारी के पदभार ग्रहण करने तक जारी रहता है।
  - **अनुच्छेद 68:** रिक्ति की स्थिति में छह महीने के भीतर चुनाव।
  - **अनुच्छेद 66(2):** उपराष्ट्रपति संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता।
- उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है, जो इसकी कार्यवाही की अध्यक्षता के लिए उत्तरदायी होता है।

निर्वाचक मंडल और मतदान प्रक्रिया:

- इस पद के लिए निर्वाचक मंडल में केवल संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) के सदस्य होते हैं, जिनमें मनोनीत सदस्य भी शामिल हैं।
- राज्य विधानमंडल इस चुनाव में भाग नहीं लेते, जिससे यह पूरी तरह संसदीय मामला बन जाता है।
- मतदान प्रणाली इस पर आधारित है:
  - **एकल संक्रमणीय मत (एसटीवी) के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व:** यह सुनिश्चित करता है कि विजयी उम्मीदवार व्यापक सहमति प्राप्त करे।
  - **गुप्त मतदान:** सांसद बिना किसी पार्टी व्हिप के स्वतंत्र रूप से अपना वोट डालते हैं। दलबदल विरोधी कानून लागू नहीं होता, जो चुनाव की स्वतंत्रता की गारंटी देता है।
  - **समान वोट मूल्य -** राष्ट्रपति चुनाव के विपरीत, जहां सांसदों और विधायकों के वोटों का अलग-अलग महत्व होता है, यहां प्रत्येक सांसद के वोट का एक मूल्य होता है।
- किसी उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित करने के लिए, उसे डाले गए वैध मतों के 50% से अधिक और एक मत प्राप्त करना होगा।

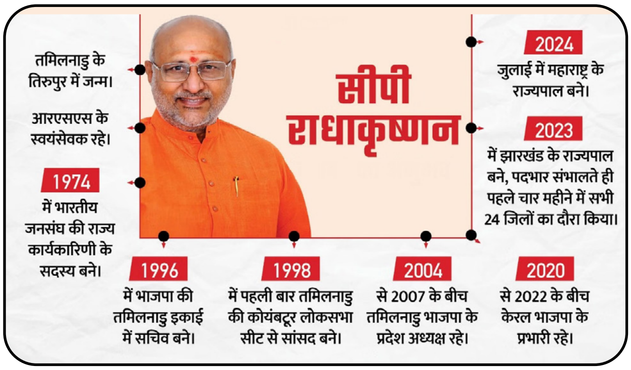

चुनाव का संचालन:

- संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत, चुनाव कराने की ज़िम्मेदारी भारत के चुनाव आयोग (ECI) की है।
- परंपरा के अनुसार, लोकसभा या राज्यसभा के महासचिव को निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया जाता है।
- मतपत्र गुलाबी रंग में मुद्रित होते हैं, हिंदी और अंग्रेजी में द्विभाषी होते हैं, और उनमें मतदाताओं की पसंद दर्शाने के लिए कॉलम होते हैं।
- चुनाव संसद भवन परिसर में आयोजित किया जाता है, और मतों की गिनती आमतौर पर उसी दिन पूरी हो जाती है, जिससे परिणामों की शीघ्र घोषणा सुनिश्चित होती है।

कार्यकाल और उत्तराधिकार:

- उपराष्ट्रपति पाँच वर्ष तक पद पर रहते हैं और उत्तराधिकारी के कार्यभार ग्रहण करने तक पद पर बने रहते हैं।
- त्यागपत्र, मृत्यु या निष्कासन के कारण पद रिक्त होने की स्थिति में, छह महीने के भीतर नया चुनाव कराया जाना चाहिए।
- इस बीच, राज्यसभा के उपसभापति सदन की अध्यक्षता करते हैं।

निष्कर्ष:

उपराष्ट्रपति का पद शासन में निरंतरता और संसद के कामकाज में स्थिरता सुनिश्चित करता है। निर्वाचित और मनोनीत, दोनों सांसदों की भागीदारी से, चुनाव प्रक्रिया व्यापक प्रतिनिधित्व को दर्शाती है, जबकि गुप्त मतदान चुनाव की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। यह पद भारत के संवैधानिक ढाँचे का केंद्रबिंदु बना हुआ है, जो संसदीय उत्तरदायित्व को संवैधानिक अधिकार से जोड़ता है।

आप्रवासन और विदेशी नागरिक अधिनियम, 2025

संदर्भः

हाल ही में आप्रवासन और विदेशी नागरिक अधिनियम, 2025 लागू किया गया है। यह विधेयक लोकसभा में 27 मार्च 2025 को और राज्यसभा में 2 अप्रैल 2025 पारित हुआ था। इसके बाद राष्ट्रपति ने 4 अप्रैल 2025 को अपनी स्वीकृति दी। यह अधिनियम 1 सितंबर 2025 से पूरे देश में प्रभावी हो गया।

अधिनियम की मुख्य विशेषताएँः

- विधायी एकीकरण (Legislative Consolidation): इस अधिनियम ने चार पुराने कानूनों को समाप्त कर दिया है:
  - » पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920
  - » विदेशी नागरिकों का पंजीकरण अधिनियम, 1939
  - » विदेशी नागरिक अधिनियम, 1946
  - » आप्रवासन (वाहकों की ज़िम्मेदारी) अधिनियम, 2000
- इन सभी कानूनों के एकीकरण से दशकों से चली आ रही पुरानी व्यवस्थाओं का अंत हुआ तथा भारत की आप्रवासन व्यवस्था को एक आधुनिक और संगठित स्वरूप प्राप्त हुआ।

प्रमुख प्रावधानः

- **प्रवेश की शर्तें:** भारत आने के लिए प्रत्येक व्यक्ति के पास वैध पासपोर्ट और वीज़ा होना अनिवार्य है। केवल उन्हीं को छूट मिलेगी जिन्हें विशेष रूप से इस संबंध में छूट दी गई हो।
- **डिजिटल निगरानी:** होटल, हॉस्टल और अस्पताल जैसी संस्थाओं को विदेशी नागरिकों से संबंधित विवरण ऑनलाइन दर्ज करना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त, एक रियल-टाइम राष्ट्रीय आप्रवासन डाटाबेस तैयार किया जाएगा, जिससे सुरक्षा व्यवस्था और नीति निर्माण में मदद मिलेगी।
- **पंजीकरण नियम:** विदेशी नागरिकों को ज़िला एसपी/डीसीपी या एफआरआरओ (Foreigners Regional Registration Officer) के पास पंजीकरण कराना आवश्यक होगा।
- **प्रतिबंधित क्षेत्र:** कुछ प्रतिबंधित या संरक्षित क्षेत्रों में प्रवेश के लिए विशेष परमिट लेना अनिवार्य होगा।
- **क्रमिक दंड व्यवस्था:**
  - » ₹10,000 से ₹5 लाख तक का जुर्माना
  - » अधिकतम 5 वर्ष तक का कारावास
  - » तिब्बती, मंगोलियाई भिक्षुओं और कुछ शरणार्थियों के लिए अपेक्षाकृत कम सज़ा का प्रावधान
- **समझौता तंत्र:** अधिनियम का उल्लंघन करने वाले मामलों का निपटारा अदालत में ले जाए बिना, प्रशासनिक स्तर पर समझौते के माध्यम से किया जा सकेगा।
- **केंद्र और राज्य की भूमिका:** अधिनियम से संबंधित प्रमुख अधिकार केंद्र सरकार के पास रहेंगे, किंतु आवश्यकता पड़ने पर वह इन अधिकारों को राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को सौंप सकती है।

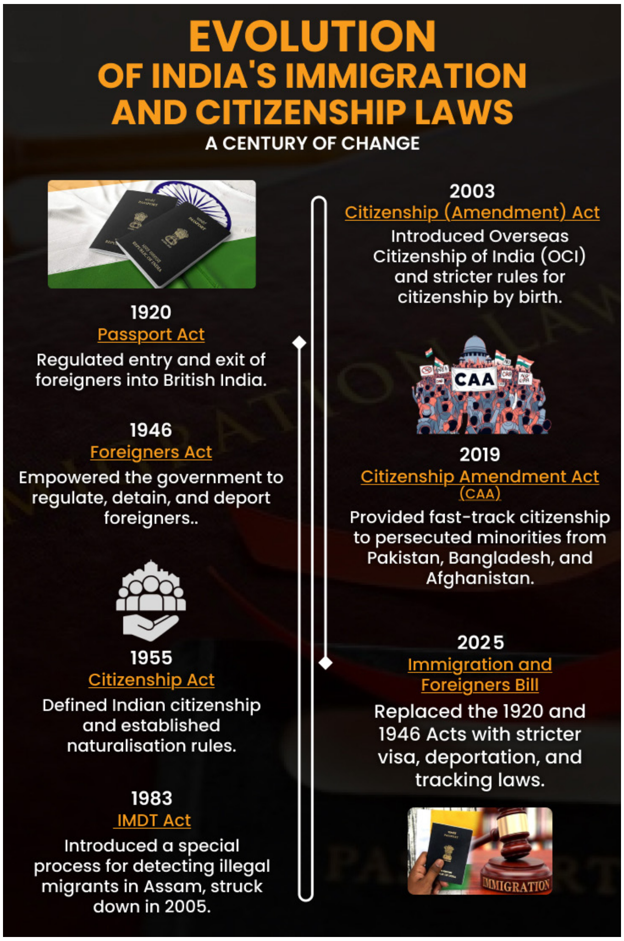

छूट प्रावधानः

- **श्रीलंकाई तमिल शरणार्थी:** 2 सितंबर 2025 की अधिसूचना के अनुसार, वे श्रीलंकाई तमिल नागरिक जिन्होंने 9 जनवरी 2015 या उससे पहले भारत में शरण ली थी, उन्हें इन मामलों में छूट दी गई है:
  - » पासपोर्ट या वीज़ा न होने पर दंड से छूट
  - » अधिनियम की धारा 3(1), 3(2), और 3(3) से संबंधित

दस्तावेज़ों की शर्तों से छूट
  - अवैध ठहराव या बिना दस्तावेज़ रहने पर मुकदमे से छूट
- **अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यक समुदाय:** इसी अधिसूचना के तहत अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के छह गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदायों "हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई" को भी छूट प्रदान की गई है, बशर्ते कि वे 31 दिसंबर 2024 या उससे पहले भारत में प्रवेश कर चुके हों।
  - **इन समुदायों को निम्नलिखित मामलों में राहत मिलेगी:**
    - बिना वैध दस्तावेज़ प्रवेश करने पर या वीज़ा की अवधि समाप्त होने के बाद भी रुकने पर दंड से छूट।
    - आप्रवासन और विदेशी नागरिक अधिनियम, 2025 के अंतर्गत मुकदमा चलाए जाने या निर्वासन (Deportation) से छूट।
- हालाँकि, यह छूट नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA), 2019 को प्रभावित नहीं करती।
    - सीएए के अनुसार, नागरिकता के लिए अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2014 ही रहेगी।
    - लेकिन यह छूट इन व्यक्तियों को भारत में बिना किसी कानूनी कार्रवाई के रहने की अनुमति देती है।

कानूनी और राजनीतिक प्रभाव:

- **नागरिकता नहीं, केवल मानवीय राहत:**
  - यह छूट केवल दंड और कानूनी कार्यवाही से राहत प्रदान करती है, नागरिकता नहीं।
  - 2014 के बाद भारत आने वाले लोग केवल नागरिकता अधिनियम, 1955 के अंतर्गत प्राकृतिककरण (Naturalisation) प्रक्रिया से ही नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए कम से कम 11 वर्षों का वैध निवास अनिवार्य है।
- **भारत की शरणार्थी नीति के अनुरूप:**
  - भारत के पास न तो कोई औपचारिक शरणार्थी कानून है और न ही वह 1951 शरणार्थी कन्वेंशन का हस्ताक्षरकर्ता है।
  - इसके बावजूद, भारत ने ऐतिहासिक रूप से कार्यकारी आदेशों और विशेष छूटों के माध्यम से संवेदनशील और उत्पीड़ित समुदायों को सुरक्षा प्रदान की है।

निष्कर्ष:

आप्रवासन और विदेशी नागरिक अधिनियम, 2025 भारत की आप्रवासन प्रणाली को सुरक्षा-केंद्रित, मानवीय दृष्टिकोण के साथ सुदृढ़ बनाने की प्रतिबद्धता को दिखाता है। जहाँ यह अधिनियम अवैध आप्रवासन को रोकने के लिए कड़े दंड और डिजिटल निगरानी लागू करता है, वहीं श्रीलंकाई तमिल शरणार्थियों और अल्पसंख्यक समुदायों के लिए जारी किए गए छूट आदेश यह स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि भारत कानून और करुणा (Compassion) के बीच संतुलन बनाए रखने का प्रयास कर रहा है।

अल्पसंख्यक संस्थानों को मिली छूट की पुनः समीक्षा

संदर्भ:

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने प्रमति एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट बनाम भारत संघ (2014) मामले में दिए गए अपने निर्णय की पुनः समीक्षा का संकेत दिया है। इस निर्णय में अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009 के कुछ प्रावधानों से छूट दी गई थी। अब न्यायालय इस बात पर विचार कर रहा है कि क्या यह छूट सार्वभौमिक, समान और समावेशी प्रारंभिक शिक्षा के उद्देश्य को बाधित करती है।

प्रमति एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट मामले (2014) के विषय में :

- 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा के अधिकार से जुड़े महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की संवैधानिक वैधता को मान्यता दी। अदालत ने अनुच्छेद 21ए (शिक्षा का अधिकार) और अनुच्छेद 15(5) (निजी संस्थानों में आरक्षण) को वैध घोषित किया। हालांकि, अदालत ने अनुच्छेद 30(1) के तहत गैर-सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थानों को शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के कुछ प्रावधानों से छूट भी प्रदान की।
- इसका परिणाम यह हुआ कि अल्पसंख्यक स्कूल आरटीई अधिनियम की धारा 12(1)(सी) के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और वंचित समूहों के लिए 25% आरक्षण लागू करने के लिए बाध्य नहीं थे।

न्यायालय के तर्क एवं निर्णय:

- **अनुच्छेद 21ए और अनुच्छेद 30(1) का सह-अस्तित्व:** शिक्षा का अधिकार (अनुच्छेद 21ए) अल्पसंख्यक संस्थानों की स्थापना

और प्रशासन (अनुच्छेद 30(1)) के संवैधानिक अधिकारों को कमजोर नहीं करता। ये दोनों एक साथ मौजूद रह सकते हैं।

- **शिक्षा का अधिकार अल्पसंख्यक स्कूलों पर भी लागू होना चाहिए:** कई अल्पसंख्यक स्कूल पहले ही अपने समुदाय के बाहर के छात्रों को प्रवेश देते हैं, जो यह दर्शाता है कि समावेशिता, अल्पसंख्यक अधिकारों के साथ विरोधाभासी नहीं है।
- **छूट से समावेशिता कमजोर होती है:** अल्पसंख्यक स्कूलों को आरटीई के प्रावधानों से छूट देना सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा के संवैधानिक लक्ष्य को कमजोर करता है।
- **निर्मित खामी:** यह छूट संस्थानों को शिक्षा के अधिकार के दायित्वों से बचने के लिए अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करती है।
- **वैकल्पिक दृष्टिकोण:** न्यायालय ने सुझाव दिया कि 25% आरक्षण की शर्त को पूरा करने के लिए अल्पसंख्यक स्कूल अपने समुदाय के वंचित बच्चों को प्रवेश दें। इससे सांस्कृतिक पहचान सुरक्षित रहेगी और साथ ही सामाजिक समावेशन को बढ़ावा मिलेगा।

भारत में अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान:

- संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक संस्थानों को संरक्षण प्राप्त है, जो धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति और भाषा को संरक्षित रखने के लिए शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उनका संचालन करने की अनुमति देता है।
  - **अनुच्छेद 30(1):** अल्पसंख्यकों को संस्थान स्थापित करने और उनका संचालन करने का अधिकार देता है।
  - **अनुच्छेद 30(2):** सहायता प्रदान करने में भेदभाव का निषेध करता है।
  - **टी.एम.ए. पाई केस (2002):** स्पष्ट किया गया कि अल्पसंख्यक का दर्जा राज्यवार है।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009:

- शिक्षा का अधिकार अधिनियम 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाकर अनुच्छेद 21A को क्रियान्वित करता है।
  - आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और वंचित बच्चों के लिए निजी स्कूलों में 25% आरक्षण।
  - कैपिटेशन शुल्क, साक्षात्कार और गैर-मान्यता प्राप्त स्कूलों पर प्रतिबंध।
  - आयु-अनुरूप प्रवेश, प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी को रोका नहीं जाएगा और न ही निष्कासित किया जाएगा।
  - स्कूलों में उचित बुनियादी ढाँचा, उचित छात्र-शिक्षक अनुपात, और प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति।
  - स्कूल न जाने वाले बच्चों को समाहित करने के लिए विशेष प्रशिक्षण और सहायता।

निष्कर्ष:

2014 के फैसले की सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पुनः समीक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि अल्पसंख्यक संस्थानों को दी गई छूट समाप्त कर दी जाती है, तो यह अल्पसंख्यक अधिकारों और शिक्षा के अधिकार के बीच संबंध को पुनःपरिभाषित कर सकता है। इस चुनौती का मूल उद्देश्य सांस्कृतिक स्वायत्तता को सार्वभौमिक, समावेशी एवं समानता आधारित शिक्षा के संवैधानिक लक्ष्यों के साथ संतुलित करना है। इस मामले के परिणाम भारत की शिक्षा व्यवस्था, विशेष रूप से वंचित वर्गों के लिए शिक्षा की उपलब्धता और समानता के संदर्भ में दीर्घकालिक प्रभाव उत्पन्न करेगा।

हैदराबाद गजट के माध्यम से मराठा आरक्षण की पहल

संदर्भ:

मराठा आरक्षण आंदोलन के समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, महाराष्ट्र सरकार ने हैदराबाद गजट को लागू करने पर सहमति दी है। हैदराबाद गजट एक औपनिवेशिक कालीन प्रशासनिक दस्तावेज़ है, जिस पर आंदोलनकारियों का दावा है कि यह मराठा समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की श्रेणी में शामिल करने का समर्थन करता है। यह पहल कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल द्वारा लंबे समय से उठाई जा रही आरक्षण मांग को सुलझाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है।

हैदराबाद गजट के विषय में:

- हैदराबाद गजट हैदराबाद के तत्कालीन निज़ाम द्वारा जारी किया गया था, जिनके शासन क्षेत्र में मराठवाड़ा भी शामिल था। यह दस्तावेज उस युग की जातिगत पहचान और व्यवसायों का सटीक विवरण प्रदान करता है, जिसमें मराठों को कुनबी, एक कृषि समुदाय के रूप में वर्गीकृत किया गया था।
- अन्य ऐतिहासिक अभिलेख, जैसे 1884 का एक अभिलेख, भी दोनों समुदायों (मराठा और कुनबी) के बीच के अंतर को अस्पष्ट करते हैं।
- आंदोलनकारियों का तर्क है कि ये दस्तावेज स्पष्ट करते हैं कि मराठों

को कभी आधिकारिक तौर पर कुनबी वर्ग में शामिल किया गया था, इसलिए वे आज के ओबीसी लाभों के लिए पात्र हैं।

निहितार्थ:

- राजपत्र को आधिकारिक रूप से स्वीकार किए जाने के बाद, मराठवाड़ा क्षेत्र के मराठा समुदाय के लोग कुनबी जाति प्रमाण पत्र प्राप्त कर ओबीसी आरक्षण का लाभ उठा सकते हैं। हालांकि, यह नीति केवल मराठवाड़ा क्षेत्र तक सीमित है और पूरे महाराष्ट्र राज्य पर लागू नहीं होती।
- विदर्भ जैसे अन्य क्षेत्रों में कुछ मराठा पहले से ही कुनबी के रूप में सूचीबद्ध हैं, जबकि पश्चिमी महाराष्ट्र में कई मराठा अगड़ी जाति के रूप में पहचाने जाते हैं।

इस नीति से जुड़े मुद्दे:

- **क्षेत्रीय असमानता:** यह निर्णय केवल मराठवाड़ा क्षेत्र के मराठा समुदाय पर लागू होता है, जबकि पश्चिमी महाराष्ट्र जैसे अन्य क्षेत्रों के मराठा इससे बाहर रह जाते हैं।
- **कानूनी चुनौतियाँ:** इस फैसले को संवैधानिक समीक्षा का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि पहले मराठा आरक्षण को 50% की आरक्षण सीमा से अधिक होने के कारण रद्द किया जा चुका है।
- **ओबीसी विरोध:** मौजूदा ओबीसी समूह नौकरियों और शिक्षा लाभों तक पहुँच कम होने के डर से मराठों को शामिल करने का विरोध कर सकते हैं।

भारत में आरक्षण कोटा आंदोलन:

- भारत में आरक्षण नीति अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) जैसे ऐतिहासिक रूप से वंचित समूहों के सामाजिक न्याय और समान प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए संवैधानिक रूप से अनिवार्य है।
- हालांकि, नए कोटा निर्धारण और संशोधनों की मांग अक्सर सार्वजनिक विरोध, कानूनी विवाद और राजनीतिक मतभेदों को जन्म देती है।

उभरती माँगें:

- **राज्य-विशिष्ट आंदोलन:** गुजरात में पाटीदार, हरियाणा में जाट, आंध्र प्रदेश में कापू और महाराष्ट्र में मराठा जैसे समुदायों ने ओबीसी या अलग आरक्षण की माँग को लेकर विरोध प्रदर्शन किए हैं।
- **कोटा के भीतर कोटा:** एससी, एसटी और ओबीसी समुदायों के हाशिए पर पड़े उप-समूह आंतरिक वर्गीकरण चाहते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि लाभ सबसे वंचित वर्गों तक पहुँचें।

आंदोलन के कारण:

- **सामाजिक समानता:** ऐतिहासिक भेदभाव समाप्त कर हाशिए के समूहों का उत्थान सुनिश्चित करना।
- **जनसंख्या अनुपात:** समुदाय अपनी जनसंख्या के अनुसार आरक्षण की मांग करते हैं।
- **प्रतिनिधित्व:** शिक्षा, रोजगार और राजनीति में उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना।
- **कानूनी सीमाएँ:** इंदिरा साहनी मामले में निर्धारित 50% की आरक्षण सीमा विवाद का प्रमुख कारण है।

निष्कर्ष:

हैदराबाद गजट का कार्यान्वयन मराठा समुदाय को ओबीसी श्रेणी में शामिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि यह क्षेत्रीय समाधान प्रदान करता है, परन्तु कानूनी बाधाएं, मौजूदा ओबीसी समूहों का विरोध एवं अन्य क्षेत्रों के मराठा समुदाय की मांगें अभी भी प्रमुख चुनौतियाँ हैं। ऐसे में सरकार को व्यापक और समग्र समाधान तैयार करना आवश्यक है।

ज्ञान भारतम पोर्टल

संदर्भ:

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ज्ञान भारतम मिशन के अंतर्गत ज्ञान भारतम पोर्टल का शुभारंभ किया। इसका उद्घाटन नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित अंतरराष्ट्रीय ज्ञान भारतम सम्मेलन के दौरान किया गया। यह पोर्टल भारत की अमूल्य पांडुलिपि धरोहर को डिजिटल स्वरूप में संरक्षित करने और आम जनता के लिए सुलभ बनाने हेतु विकसित किया गया है।

ज्ञान भारतम मिशन:

- ज्ञान भारतम मिशन भारत की पांडुलिपि धरोहर को सुरक्षित रखने, डिजिटाइज़ करने और आमजन तक पहुँचाने की एक राष्ट्रीय पहल है।
- इसका उद्देश्य पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक तकनीक से जोड़कर आने वाली पीढ़ियों के लिए इन सांस्कृतिक खजानों की रक्षा करना है। इस मिशन के लिए सरकार ने वर्ष 2024 से 2031 तक 482.85

करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

- इस मिशन में तकनीक, विशेष रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। हैंडरिटन टेक्स्ट रिकग्निशन (HTR) जैसी AI तकनीकों की मदद से प्राचीन पांडुलिपियों को अत्यधिक सटीकता के साथ डिजिटाइज़ किया जाएगा।

ज्ञान भारतम मिशन के मुख्य उद्देश्य:

यह मिशन निम्नलिखित क्षेत्रों पर केंद्रित है:

- **पहचान और प्रलेखन:** पूरे भारत में मैन्युस्क्रिप्ट रिसोर्स सेंटर (MRCs) स्थापित कर व्यवस्थित तरीके से पांडुलिपियों का दस्तावेज़ीकरण।
- **संरक्षण और पुनर्स्थापन:** मैन्युस्क्रिप्ट कंज़र्वेशन सेंटर (MCCs) को वैज्ञानिक और पारंपरिक तरीकों से मजबूत बनाना।
- **डिजिटाइजेशन:** बड़े पैमाने पर AI टूल्स (जैसे HTR) से पांडुलिपियों का डिजिटाइज़ेशन।
- **अनुसंधान और प्रकाशन:** दुर्लभ पांडुलिपियों को अनुवाद और समालोचनात्मक संस्करणों के माध्यम से पुनर्जीवित करना।
- **क्षमता निर्माण:** लिप्यंतरण, संरक्षण और पांडुलिपि अध्ययन (Manuscriptology) के विशेषज्ञों को प्रशिक्षित करना।
- **वैश्विक सहयोग:** अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पांडुलिपियों की खोज, पुनर्प्राप्ति और डिजिटाइज़ेशन में सहयोग।

पांडुलिपियों के बारे में:

- पांडुलिपि एक हस्तलिखित रचना होती है, जो कागज़, छाल, कपड़े, धातु, ताड़पत्र या अन्य किसी भी सामग्री पर लिखी जाती है और कम से कम 75 वर्ष पुरानी होती है। इसका वैज्ञानिक, ऐतिहासिक या सौंदर्यात्मक महत्व होता है। छपी हुई किताबें या लिथोग्राफ पांडुलिपि नहीं मानी जातीं। पांडुलिपियाँ सैकड़ों भाषाओं और लिपियों में पाई जाती हैं।
- कई बार एक ही भाषा अलग-अलग लिपियों में लिखी मिलती है। जैसे संस्कृत—ओड़िया लिपि, ग्रंथ लिपि, देवनागरी लिपि और कई अन्य लिपियों में।
- पांडुलिपियाँ ऐतिहासिक दस्तावेज़ों जैसे शिलालेख, फ़रमान या राजस्व अभिलेख से अलग होती हैं, क्योंकि इनमें सीधे घटनाओं का विवरण नहीं बल्कि ज्ञान-सामग्री होती है।

ज्ञान भारतम मिशन का महत्व:

- ज्ञान भारतम मिशन भारत की अमूल्य पांडुलिपि धरोहर को संरक्षित करने, डिजिटाइज़ करने और वैश्विक स्तर पर उपलब्ध कराने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। यह केवल शैक्षिणिक या सरकारी पहल नहीं, बल्कि भारत की संस्कृति, साहित्य और बौद्धिक चेतना का प्रतीक है।
- यह मिशन न केवल भारत की ज्ञान-परंपरा को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखेगा, बल्कि विश्व के ज्ञान-संसार को भी समृद्ध बनाएगा।

राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन (NMM) के बारे में:

- साल 2003 में स्थापित राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन (NMM) ने भारत की पांडुलिपि धरोहर को सुरक्षित रखने में बड़ी भूमिका निभाई है। अब तक 44 लाख से अधिक पांडुलिपियों का प्रलेखन किया गया है। ज्ञान भारतम मिशन इसी आधार पर आगे बढ़ता है, लेकिन इसमें आधुनिक AI तकनीकों का उपयोग और राष्ट्रीय डिजिटल भंडार तैयार करने पर ज़ोर है ताकि पूरी दुनिया तक इनका लाभ पहुँच सके।

निष्कर्ष:

प्रधानमंत्री मोदी द्वारा ज्ञान भारतम पोर्टल का शुभारंभ भारत की पांडुलिपि धरोहर को सुरक्षित रखने, डिजिटाइज़ करने और साझा करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। यह मिशन प्राचीन ज्ञान को तो संरक्षित करेगा ही, साथ ही युवाओं को भी इसे डिजिटल युग में समझने और नए तरीके से अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। इस तरह भारत की बौद्धिक धरोहर आने वाली पीढ़ियों को निरंतर प्रेरित करती रहेगी।

मानकी-मुंडा व्यवस्था

संदर्भ:

झारखंड के कोल्हान क्षेत्र में हो आदिवासियों द्वारा हाल ही में किए गए विरोध प्रदर्शनों ने मानकी-मुंडा व्यवस्था के भविष्य पर बहस छेड़ दी है, जो इस क्षेत्र के आदिवासी प्रशासन का एक पारंपरिक स्वशासन मॉडल है।

वर्तमान संघर्ष और विरोध:

- पश्चिमी सिंहभूम जिले में हाल ही में विरोध प्रदर्शन तब शुरू हुए जब यह अफवाह फैली कि उपायुक्त (डीसी) कुछ मुंडाओं को हटाकर मानकी-मुंडा व्यवस्था में हस्तक्षेप कर रहे हैं। जिला प्रशासन के स्पष्टीकरण के बावजूद, कई हो आदिवासियों को अपनी सांस्कृतिक स्वायत्तता और शासन संरचना खोने का डर है।

मानकी-मुंडा व्यवस्था के बारे में:

- मानकी-मुंडा व्यवस्था झारखंड के कोल्हान क्षेत्र में हो जनजाति द्वारा अपनाई जाने वाली शासन व्यवस्था का एक विकेन्द्रीकृत, समुदाय-संचालित मॉडल है।
- इस प्रणाली में, गांव का मुखिया मुंडा स्थानीय विवादों को सुलझाता है, जबकि मानकी गांवों के समूह की देखरेख करते हुए मुंडा स्तर के अनसुलझे मुद्दों को संभालता है।
- राज्य द्वारा लगाए गए करों से स्वतंत्र रूप से संचालित, इस प्रणाली ने ऐतिहासिक रूप से सामुदायिक रीति-रिवाजों के आधार पर आंतरिक व्यवस्था बनाए रखी।

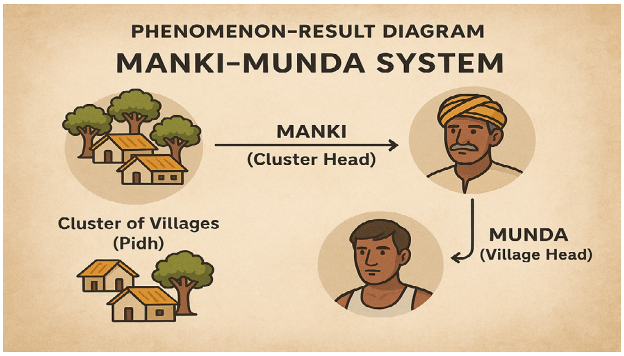

मानकी-मुंडा व्यवस्था का इतिहास:

- **ब्रिटिश काल से पहले:** हो जनजाति स्वायत्त रूप से शासन करती थी, मानकी और मुंडा बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के पारिवारिक और सामाजिक मामलों में नेतृत्व करते थे।
- **ब्रिटिश काल:** ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन ने इस व्यवस्था को बाधित कर दिया।
  - » स्थायी बंदोबस्त अधिनियम (1793) ने भूमि कर लगाया, जिसके कारण जनजातीय विद्रोह हुए। प्रतिरोध को दबाने के लिए, अंग्रेजों ने मानकी-मुंडा प्रणाली को अपनाया और स्थानीय स्वायत्तता बनाए रखते हुए क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए इसे मध्यस्थ के रूप में इस्तेमाल किया।
  - » 1833 में, कैप्टन थॉमस विल्किंसन ने विल्किंसन नियमों के साथ इस प्रणाली को औपचारिक रूप दिया, तथा इसे ब्रिटिश शासन में एकीकृत कर दिया।

स्वतंत्रता के बाद:

- भारत की स्वतंत्रता के बाद, विल्किंसन के नियम कोल्हान में आदिवासी मामलों को नियंत्रित करते रहे। हालाँकि पटना उच्च न्यायालय ने 2000 में इन नियमों को पुराना माना, फिर भी ये आज भी प्रचलन में हैं।
- राजस्व संबंधी कार्यों के लिए न्याय पंच प्रणाली 2021 में शुरू की गई थी, लेकिन मानकी-मुंडा प्रणाली अभी भी जारी है, खासकर ग्रामीण इलाकों में जहाँ पारंपरिक शासन अभी भी सामुदायिक जीवन का अभिन्न अंग है।

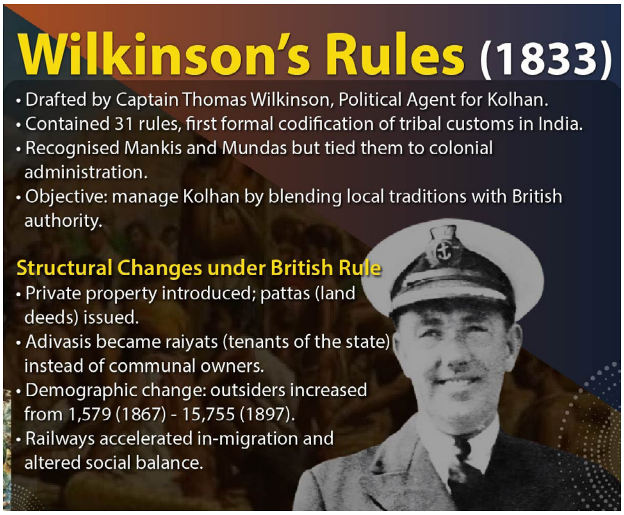

युवाओं द्वारा सुधार की माँग:

- मानकी-मुंडा प्रणाली में सुधार की माँग बढ़ रही है, खासकर युवा पीढ़ी की ओर से। कई लोगों का तर्क है कि नेतृत्व की वंशानुगत प्रकृति अब आधुनिक प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुकूल नहीं है, क्योंकि कई मानकी और मुंडा औपचारिक शिक्षा से वंचित हैं।
- रिक्त पदों को भरने और प्रणाली को सरल बनाने के प्रयास जारी हैं, लेकिन तनाव बना हुआ है क्योंकि समुदाय परंपरा और आधुनिकता के बीच संतुलन बनाने पर बहस कर रहा है।

हो जनजाति के बारे में:

- हो जनजाति एक ऑस्ट्रोएशियाटिक मुंडा जातीय समूह है जो मुख्य रूप से भारत के झारखंड के छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में निवास करता है।
- उनकी आबादी ओडिशा, पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ हिस्सों में भी फैली हुई है। इस स्वदेशी समुदाय की एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है और जिस भूमि पर वे रहते हैं, उससे उनका एक स्थायी संबंध है।

निष्कर्ष:

मानकी-मुंडा व्यवस्था आदिवासी स्वशासन का प्रतीक है, लेकिन जैसे-जैसे झारखंड आधुनिक होता जा रहा है, इस व्यवस्था पर दबाव बढ़ रहा

है। हालाँकि कुछ लोग परंपरा के संरक्षण की वकालत करते हैं, लेकिन सुधार की आवश्यकता से इनकार नहीं किया जा सकता। सांस्कृतिक विरासत और समकालीन शासन के बीच संतुलन बनाना ही इस प्राचीन व्यवस्था के भविष्य को आकार देगा।

राजनीतिक दल पॉश (POSH) अधिनियम के दायरे में नहीं: सुप्रीम कोर्ट

संदर्भ:

हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने महिला राजनीतिक कार्यकर्ताओं को POSH अधिनियम, 2013 के दायरे में शामिल करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। यह याचिका अधिवक्ता एम.जी. योगमाया द्वारा दायर की गई थी। याचिका में दलील दी गई थी कि राजनीतिक दलों को "नियोक्ता" (Employer) माना जाना चाहिए और उनके दफ़्तरों को "कार्यस्थल" (Workplace) की श्रेणी में लाया जाना चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियाँ:

- मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने राजनीतिक दलों को कानूनन "नियोक्ता" मानने की मांग पर सवाल उठाए।
- अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि राजनीतिक दलों को नियोक्ता और उनके कार्यालयों को कार्यस्थल माना गया तो यह "पैंडोरा का बॉक्स" (यानी ऐसी स्थिति जिससे कई नई और जटिल समस्याएँ उत्पन्न हो जाएँ) खोलने जैसा होगा, क्योंकि तब अनौपचारिक, बिना वेतन वाले और लगातार बदलते राजनीतिक माहौल (जैसे पार्टी कार्यालयों और चुनावी अभियानों) को भी कानूनी नियंत्रण में लाना पड़ेगा।
- अंततः पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि इस प्रकार का बदलाव न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, बल्कि यह विधायिका का कार्य है।

पॉश (POSH) अधिनियम के बारे में:

- साल 2013 में लागू किया गया POSH अधिनियम भारत का पहला ऐसा विशेष कानून है, जिसका मुख्य उद्देश्य कार्यस्थलों पर महिलाओं के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न को रोकना और उससे जुड़े मामलों का समाधान सुनिश्चित करना है। यह अधिनियम सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1997 में जारी विशाखा दिशानिर्देशों पर आधारित है।

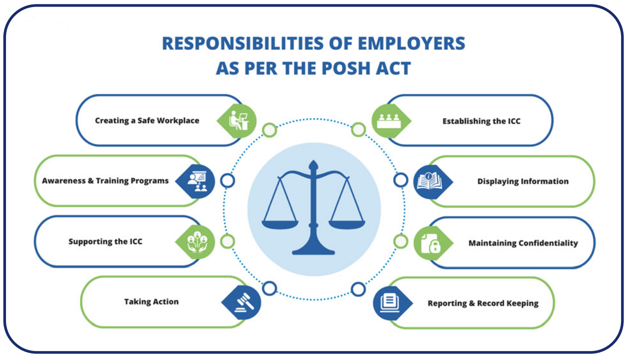

पॉश (POSH) अधिनियम की मुख्य बातें:

- **दायरा:** यह कानून सभी महिला कर्मचारियों पर लागू होता है, चाहे वे सरकारी विभागों, निजी कंपनियों, गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) या असंगठित क्षेत्रों में काम कर रही हों।
- **यौन उत्पीड़न की परिभाषा:** इसमें अवांछित शारीरिक स्पर्श, यौन प्रस्ताव, अशोभनीय या यौन संकेत वाले बयान और किसी भी प्रकार का मौखिक या अमौखिक आचरण शामिल है।
- **नियोक्ता की ज़िम्मेदारियाँ:**
  - जिन संस्थानों में 10 या उससे अधिक कर्मचारी हों, वहाँ आंतरिक शिकायत समिति (ICC) का गठन अनिवार्य है।
  - जिन कार्यस्थलों पर 10 से कम कर्मचारी हों, वहाँ शिकायतें स्थानीय शिकायत समिति (LCC) को भेजी जानी चाहिए।
  - कार्यस्थल पर नियमित रूप से जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना आवश्यक है।
  - प्रत्येक नियोक्ता का कर्तव्य है कि वह सुरक्षित और सम्मानजनक कार्य वातावरण सुनिश्चित करना चाहिए।
- **दंड:** यदि संस्थान कानून का पालन नहीं करते, तो उन पर जुर्माना लगाया जा सकता है और गंभीर मामलों में उनका व्यवसायिक लाइसेंस तक रद्द किया जा सकता है।

इस अधिनियम का मूल उद्देश्य यह है कि हर महिला को किसी भी क्षेत्र में गरिमा, सुरक्षा और समानता के साथ काम करने का अधिकार मिले।

निष्कर्ष:

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न महिलाओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है और यह संविधान में निहित समानता, गरिमा और स्वतंत्रता के सिद्धांतों के खिलाफ है। POSH अधिनियम, अंतरराष्ट्रीय समझौतों जैसे CEDAW से भी जुड़ा है और यह केवल एक कार्यस्थल नीति नहीं बल्कि संवैधानिक सुरक्षा कवच है। हालाँकि, यह हालिया फैसला दिखाता है कि राजनीति

जैसे कुछ अनौपचारिक क्षेत्र अभी भी इसके दायरे से बाहर हैं। इसलिए कानून में सुधार आवश्यक है। जैसे-जैसे अधिक महिलाएँ चुनावी राजनीति, अभियान प्रबंधन और जमीनी स्तर की गतिविधियों में शामिल हो रही हैं, उनके लिए यौन उत्पीड़न से मुक्त राजनीतिक माहौल का कानूनी प्रावधान होना बेहद ज़रूरी है।

राष्ट्रीय मखाना बोर्ड

संदर्भ:

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के पूर्णिया में राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का उद्घाटन किया। इस बोर्ड की घोषणा सबसे पहले केंद्रीय बजट 2025 में की गई थी। इसका उद्देश्य मखाना (जिसे फॉक्स नट भी कहा जाता है) के उत्पादन, प्रसंस्करण और निर्यात को बढ़ावा देना है।

राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की भूमिका और उद्देश्य:

- नवगठित राष्ट्रीय मखाना बोर्ड इस क्षेत्र के व्यापक विकास पर केंद्रित रहेगा। इसका मुख्य लक्ष्य उत्पादन मानकों को उन्नत करना, फसल कटाई के बाद प्रबंधन को सुदृढ़ बनाना, आधुनिक तकनीकों का उपयोग बढ़ाना, मूल्य संवर्धन (Value Addition) को प्रोत्साहित करना और विपणन व निर्यात नेटवर्क को मजबूत करना है।
- यह बोर्ड किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) को सहयोग प्रदान करेगा और मखाना किसानों को केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं से जोड़ने में मदद करेगा। इससे इस पारंपरिक फसल को संस्थागत समर्थन और दीर्घकालिक स्थिरता मिलेगी।

मखाने के बारे में:

- मखाना या फॉक्स नट एक जलीय पुष्पीय पौधा है, जिसका वैज्ञानिक नाम यूरियाल फेरोक्स (Euryale ferox) है। यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु में रहता है और तालाबों तथा स्थिर जलाशयों में उगता है, जिनकी गहराई लगभग 4-6 फीट होती है। मखाना को अक्सर "ब्लैक डायमंड" कहा जाता है, क्योंकि इसका बाहरी खोल गहरा काला होता है, लेकिन भुनने पर इसके बीज सफेद हो जाते हैं।
- भारत में मखाना उत्पादन का लगभग 90% हिस्सा बिहार से आता है। अन्य राज्य जैसे पश्चिम बंगाल, असम और मणिपुर भी मखाने की व्यावसायिक खेती करते हैं। भारत के अलावा नेपाल, बांग्लादेश और चीन में भी मखाना उगाया जाता है।
- इस फसल के लिए विशेष मौसम की जरूरत होती है, तापमान 20°C से 35°C के बीच, आर्द्रता 50% से 90% के बीच और चिकनी दोमट मिट्टी (loamy soil) इसकी अच्छी पैदावार के लिए उपयुक्त मानी जाती है।
- बिहार का GI टैग प्राप्त "मिथिला मखाना" पहले से ही संयुक्त अरब अमीरात (UAE), अमेरिका, कनाडा और न्यूज़ीलैंड जैसे देशों में निर्यात किया जा रहा है। सरकार की नई पहल से गुणवत्ता मानकों और विपणन में सुधार होगा और अंतरराष्ट्रीय बाजार तक बेहतर पहुँच मिलेगी।

पोषण संबंधी लाभ और पारंपरिक उत्पादन प्रक्रिया:

- भुना हुआ मखाना कम कैलोरी और कम वसा वाला होता है, लेकिन इसमें पादप आधारित प्रोटीन, आहार रेशा (dietary fiber) और मैग्नीशियम, पोटैशियम व फॉस्फोरस जैसे खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं।
- इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं, साथ ही यह ग्लूटेन-फ्री और शाकाहारी है। यही वजह है कि स्वास्थ्य के प्रति सजग उपभोक्ताओं के बीच दुनिया भर में इसकी मांग बढ़ रही है।
- मखाने की खेती और कटाई काफी परिश्रमी होती है। किसान पानी से भरे खेतों में कँटेदार फलियों को तोड़ते हैं, फिर बीजों को सुखाते हैं। इसके बाद बीजों को तेज़ आँच पर भूनकर फोड़ते हैं, जिससे सफेद दाने मिलते हैं।
- यह पारंपरिक प्रक्रिया बिहार के मिथिलांचल और सीमांचल क्षेत्र के लाखों लोगों की आजीविका का अहम हिस्सा है।

कृषि सुधार:

- मखाने का विकास, ग्रामीण कृषि को बढ़ावा देने वाली सरकार की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। हाल ही में शुरू की गई प्रमुख योजनाएँ इस प्रकार हैं:
- प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना, जो 100 जिलों में फसल विविधीकरण और सिंचाई सुधार पर केंद्रित है।
- मिशन आत्मनिर्भरता दालों में, जिसका मकसद दाल उत्पादन बढ़ाना और खरीद में सहायता देना है।
- किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की सीमा, जिसे ₹3 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख कर दिया गया है।

निष्कर्ष:

राष्ट्रीय मखाना बोर्ड के गठन से बिहार का मखाना क्षेत्र एक बड़े बदलाव की ओर अग्रसर है। यह क्षेत्रीय विशेषता अब एक वैश्विक सुपरफूड के रूप में पहचान बना सकती है और ग्रामीण समृद्धि को नई ऊँचाइयों तक पहुँचा सकती है।

आपराधिक मामलों में डीएनए साक्ष्य पर दिशानिर्देश

संदर्भ:

हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कट्टावेल्लई उर्फ़ देवकर बनाम तमिलनाडु राज्य मामले में एक ऐतिहासिक निर्णय देते हुए, आपराधिक मामलों में डीएनए साक्ष्य (DNA Evidence) के संग्रह, संरक्षण और न्यायालय में प्रस्तुति हेतु राष्ट्रीय स्तर पर समान दिशानिर्देश जारी किए हैं।

दिशानिर्देशों का महत्व:

- देवकर मामले में (जिस पर बलात्कार, हत्या और डकैती के आरोप थे) सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि जननांग से लिए गए स्वैब नमूनों को फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) भेजने में अनुचित देरी हुई और "चेन ऑफ कस्टडी" (अर्थात् सबूत की सतत निगरानी और रिकॉर्ड) का पालन नहीं किया गया। इस वजह से डीएनए साक्ष्य की विश्वसनीयता पर गंभीर संदेह उत्पन्न हुआ।
- यद्यपि कुछ राज्यों ने अपने स्तर पर आंतरिक दिशानिर्देश बनाए थे, लेकिन पूरे देश के लिए समान मानक न होने के कारण सर्वोच्च न्यायालय को हस्तक्षेप कर राष्ट्रीय दिशानिर्देश जारी करने पड़े।

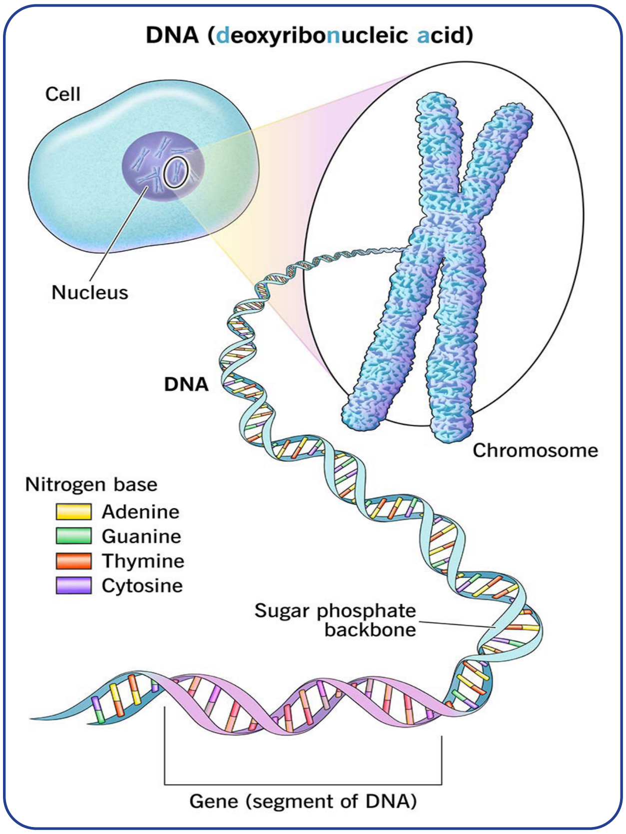

डीएनए के बारे में:

- डीएनए (डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड) सभी जीवित प्राणियों की आनुवंशिक रूपरेखा है। यह वंशानुगति (heredity), कोशिकीय कार्य और प्रोटीन संश्लेषण की मूलभूत प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी होता है।
- डीएनए माता-पिता से संतान तक वंशागत सूचनाएँ पहुँचाता है और आंखों का रंग, शारीरिक बनावट तथा रोगों की प्रवृत्ति जैसे गुणों को निर्धारित करता है।
- इसकी संरचना दो लंबी श्रृंखलाओं (polynucleotides) से मिलकर बनी होती है। प्रत्येक शृंखला न्यूक्लियोटाइड से बनी होती है, जिसमें एक शर्करा (deoxyribose), एक फॉस्फेट समूह तथा चार नाइट्रोजनस आधार (A – एडेनिन, T – थाइमिन, C – साइटोसिन, G – ग्वानिन) में से कोई एक शामिल होता है।
- आधार (bases) निश्चित जोड़ी नियम का पालन करते हैं—A हमेशा T से तथा C हमेशा G से जुड़ता है।

चार प्रमुख दिशानिर्देश:

- **संग्रह के समय उचित दस्तावेजीकरण:** डीएनए नमूना लेते समय एफआईआर नंबर, तारीख, संबंधित कानूनी धाराएँ, जाँच अधिकारी

और चिकित्सक के विवरण के साथ उसे ठीक से लेबल करना अनिवार्य होगा। इसमें सभी के हस्ताक्षर (जिनमें स्वतंत्र गवाह भी शामिल हों) दर्ज किए जाने चाहिए ताकि जवाबदेही तय हो सके।

- **समय पर FSL को भेजना:** जांच अधिकारी को 48 घंटे के भीतर डीएनए नमूना फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) भेजना होगा। यदि किसी कारण देरी होती है तो उसका कारण दर्ज करना आवश्यक होगा और नमूने को सुरक्षित रखने के इंतज़ाम किए जाने चाहिए।
- **मुकदमे तक सुरक्षित भंडारण:** जब तक मुकदमा या अपील चल रही हो, डीएनए नमूने को बिना अदालत की अनुमति के खोला, बदला या दोबारा सील नहीं किया जा सकता। इससे सबूत के साथ छेड़छाड़ की संभावना खत्म होती है।
- **चेन ऑफ कस्टडी रजिस्टर बनाए रखना:** संग्रह से लेकर केस के अंतिम नतीजे (दोषसिद्धि/बरी) तक एक विस्तृत रजिस्टर रखा जाएगा। यह ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड का हिस्सा बनेगा। किसी भी प्रक्रिया में चूक के लिए जांच अधिकारी जिम्मेदार होगा।

डीएनए पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्णय:

- अदालत ने स्पष्ट किया है कि डीएनए सबूत भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 (या 2023 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम – भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 39) के तहत राय आधारित साक्ष्य (opinion evidence) है। अर्थात यह निर्णायक नहीं है और अन्य साक्ष्यों के साथ मिलाकर परखा जाना चाहिए।
- अपराध स्थल से लिए गए डीएनए और आरोपी के डीएनए में समानता केवल यह दर्शाती है कि उनका जैविक स्रोत एक ही है, लेकिन इससे अकेले दोषसिद्धि तय नहीं होती।

प्रमुख फैसले:

- **अनिल बनाम महाराष्ट्र राज्य (2014):** डीएनए विश्वसनीय है, लेकिन तभी जब प्रयोगशाला में गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित हो।
- **मनोज बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2022):** खुले क्षेत्र से लिए गए डीएनए नमूने को अस्वीकृत किया गया क्योंकि उसके दूषित होने की संभावना थी।
- **राहुल बनाम दिल्ली राज्य (2022):** पुलिस कस्टडी में दो महीने रखे गए डीएनए नमूने को अविश्वसनीय माना गया क्योंकि उसमें छेड़छाड़ की आशंका थी।

निष्कर्ष:

सुप्रीम कोर्ट के ये दिशानिर्देश भारत की न्याय व्यवस्था में फॉरेंसिक प्रक्रियाओं को सुधारने की दिशा में अहम कदम हैं। डीएनए सबूत जाँच में बड़ी मदद कर सकता है, लेकिन इसके लिए सख्त और समान नियम ज़रूरी हैं ताकि यह अदालत में मान्य हो। दस्तावेजीकरण, समय पर जाँच, सुरक्षित भंडारण और चेन ऑफ कस्टडी की व्यवस्था से पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी। अब ये नियम सभी राज्यों पर लागू होंगे, जिससे यह संदेश जाता है कि न्याय सिर्फ वैज्ञानिक कठोरता ही नहीं बल्कि प्रक्रिया की निष्पक्षता पर भी निर्भर करता है।

आनंद विवाह अधिनियम

संदर्भ:

हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने उन 17 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों को, जिन्होंने आनंद विवाह अधिनियम, 1909 की धारा 6 के तहत नियम नहीं बनाए हैं, चार महीने के भीतर ऐसा करने का निर्देश दिया। जब तक नियम लागू नहीं हो जाते, न्यायालय ने फैसला सुनाया कि आनंद कारज विवाहों को मौजूदा विवाह कानूनों (नागरिक ढाँचे) के तहत स्वीकार और पंजीकृत किया जाना चाहिए और बिना किसी भेदभाव के व्यवहार किया जाना चाहिए।

आनंद विवाह अधिनियम के बारे में:

- आनंद विवाह अधिनियम, 1909, सिख रीति-रिवाजों के अनुसार आनंद कारज द्वारा संपन्न विवाहों की वैधता को मान्यता देता है।
- यह अधिनियम सिख विवाहों की वैधता के बारे में संदेह को दूर करने और आनंद कारज समारोह को कानूनी मान्यता प्रदान करने के लिए बनाया गया था। 2012 में, आनंद कारज विवाहों के पंजीकरण के प्रावधानों को शामिल करने के लिए अधिनियम में संशोधन किया गया था।
- हालाँकि, कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने धारा 6 को लागू करने के लिए नियमों को अधिसूचित नहीं किया, जिससे कानूनी मान्यता तक असमान पहुंच हो गई।

न्यायालय का आदेश किन मुद्दों का समाधान नहीं करता:

- **व्यापक वैवाहिक प्रावधानों का अभाव**
  - » आनंद विवाह अधिनियम, अपने संशोधन के बावजूद, आनंद कारज विवाहों के लिए तलाक, भरण-पोषण या अन्य वैवाहिक विवादों का विशेष रूप से समाधान नहीं करता है। व्यवहार में, सिखों को इन मुद्दों के लिए हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 का ही उपयोग करना चाहिए।
  - » इसका अर्थ यह है कि हालाँकि अब पंजीकरण लागू हो रहा है,

विवाह विच्छेद, संपत्ति विवाद, उत्तराधिकार आदि के मामलों में, अभी भी अन्य कानूनों पर कानूनी निर्भरता बनी हुई है जो सिख रीति-रिवाजों या अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं हो सकते हैं।

Uttarakhand	Sikkim
Karnataka	Tripura
Tamil Nadu	Arunachal
Jharkhand	Goa
UP, Assam	Manipur
Bengal	Jammu-Kashmir
Gujarat	Ladakh
Bihar	Chandigarh
Maharashtra	Lakshadweep
Telangana	Daman-Diu
Nagaland	Puducherry and
Sikkim	Andaman-Nicobar

- **पहचान और विशिष्ट समुदाय की मान्यता**
  - » आनंद विवाह अधिनियम की सीमाओं का एक कारण यह भी है कि मुसलमानों और ईसाइयों के विपरीत, सिखों को एक विशिष्ट समुदाय के रूप में मान्यता नहीं दी गई है।
  - » इसके परिणामस्वरूप सिखों को तलाक और अन्य वैवाहिक विवादों के मामलों में हिंदू विवाह अधिनियम के तहत काम करना पड़ रहा है, जिसे उनकी धार्मिक पहचान का उल्लंघन माना जा सकता है।

निष्कर्ष:

हालाँकि सिख विवाहों के पंजीकरण के लिए नियम बनाने का सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश सही दिशा में एक कदम है, लेकिन यह आनंद विवाह अधिनियम के मूल मुद्दों का समाधान नहीं करता है। तलाक और वैवाहिक विवादों पर अधिनियम की सीमाएँ और स्पष्टता का अभाव सिख समुदाय के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। इन मुद्दों को हल करने के लिए एक अधिक व्यापक विवाह अधिनियम आवश्यक हो सकता है जो सिखों को एक अलग समुदाय के रूप में मान्यता दे और उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को संबोधित करे। जब तक संसद या राज्य इन कमियों को दूर करने के लिए और कदम नहीं उठाते - जैसे, वैवाहिक विवाद समाधान को शामिल करने के लिए आनंद विवाह अधिनियम में संशोधन करना, या सिख रीति-रिवाजों का सम्मान करने वाले एक समान, विस्तृत नियम बनाना - तब तक पहचान, कानूनी समानता और सिख जोड़ों के लिए न्याय को लेकर पुरानी बहसें जारी रहेंगी।

चिनाब नदी पर सावलकोट बांध

संदर्भ:

भारत का सवालकोट डैम प्रोजेक्ट, जो चेनाब नदी पर लंबे समय तक रुका हुआ था, हाल ही में देश की जल और ऊर्जा रणनीति में एक महत्वपूर्ण परियोजना के रूप में सामने आया है। इसका मुख्य उद्देश्य चेनाब बेसिन की हाइड्रोपावर क्षमता का प्रभावी उपयोग करना है। यह कदम स्वच्छ ऊर्जा की बढ़ती मांग और अंतरराष्ट्रीय समझौतों के तहत साझा जल संसाधनों के रणनीतिक प्रबंधन की जरूरत के बीच उठाया गया है।

सवालकोट डैम के बारे में:

- सवालकोट हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट (HEP) जम्मू और कश्मीर के रामबन और उदयपुर जिलों में प्रस्तावित एक प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजना है। इसका उद्देश्य चेनाब नदी की हाइड्रोपावर क्षमता का उपयोग कर भारत की ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाना और क्षेत्रीय आर्थिक विकास में योगदान देना है।
  - » **क्षमता:** 1,856 मेगावाट (8 इकाइयाँ × 225 मेगावाट + 1 इकाई 56 मेगावाट पर्यावरणीय प्रवाह के लिए)
  - » **डैम का प्रकार:** 192.5 मीटर ऊँचा रोलर-कंपैक्टेड कंक्रीट (RCC) ग्रैविटी डैम

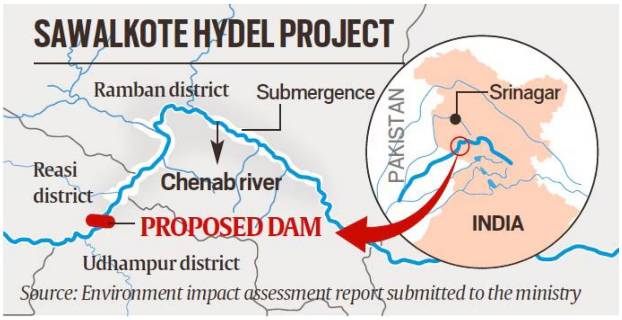

कानूनी और कूटनीतिक संदर्भ:

- चेनाब नदी (सिंधु नदी प्रणाली का हिस्सा है) जिसे भारत और पाकिस्तान के बीच बांटा गया है। इसके उपयोग को 1960 में हस्ताक्षरित इंडस वॉटर ट्रीटी (IWT) द्वारा नियंत्रित किया गया है।
- इस संधि के तहत पश्चिमी नदियाँ (सिंधु, झेलम और चेनाब) पाकिस्तान को आवंटित की गई हैं, जबकि भारत को इन नदियों का अप-खपत उपयोग (non-consumptive purposes), जैसे हाइड्रोपावर उत्पादन, करने की अनुमति है।
- हाल के भू-राजनीतिक परिवर्तनों के कारण भारत ने IWT को फिलहाल स्थगित कर दिया है, जिससे सवालकोट जैसी लंबित परियोजनाओं को पुनर्जीवित करने का मार्ग खुल गया है।

रणनीतिक महत्व:

- **ऊर्जा सुरक्षा:** सवालकोट हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जम्मू और कश्मीर का सबसे बड़ा हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट बनने जा रहा है, जो 900 मेगावाट की बगलीहर परियोजना से भी बड़ा होगा। चालू होने पर यह परियोजना क्षेत्र की ऊर्जा जरूरतों में महत्वपूर्ण योगदान देगी।
- **आर्थिक विकास:** यह परियोजना स्थानीय अर्थव्यवस्था को रोजगार सृजन, बुनियादी ढांचे के विकास और बेहतर बिजली आपूर्ति के माध्यम से मजबूत करेगी।
- **पर्यावरणीय दृष्टिकोण**: परियोजना में पर्यावरणीय प्रभाव कम करने के लिए उपाय किए गए हैं, जैसे 56 मेगावाट की सहायक इकाई का निर्माण ताकि नदी में आवश्यक पारिस्थितिक प्रवाह बना रहे।

चेनाब नदी के बारे में:

- चेनाब नदी, सिंधु नदी प्रणाली की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है, जिसका क्षेत्र की भौगोलिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति में महत्वपूर्ण योगदान है।
    - **उत्पत्ति:** चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिलों में दो धाराओं, चंद्रा और भागा के संगम से बनती है।
    - **मार्ग:** यह नदी केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है। त्रिम्मु के पास झेलम नदी में मिलने के बाद, यह अंततः सतलुज नदी में मिल जाती है।
- **मुख्य सहायक नदियाँ:** चिनाब नदी प्रणाली को अनेक सहायक नदियाँ पोषित करती हैं, जिन्हें निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है:
    - बाएं तट की सहायक नदियाँ: निरू, तवी, नीरू, लिद्दरारी
    - दाएं तट की सहायक नदियाँ: अंस, भूत नाला, बिचलेरी, कलनाई, मारुसुदार, मियार नाला
- **चिनाब नदी पर प्रमुख बांध:** भारत ने अपनी जलविद्युत क्षमता का दोहन करने के लिए चिनाब पर कई बड़े बांधों का निर्माण किया है:
    - सलाल बांध: एक चट्टान भरा बांध
    - आलाल बांध: एक कंक्रीट बांध
    - बगलिहार बांध
    - दुल बांध

निष्कर्ष:

चेनाब नदी, अपनी महत्वपूर्ण पारिस्थितिक और भू-राजनीतिक भूमिका के कारण, भारत की जल और ऊर्जा रणनीति में केंद्रीय स्थान रखती है। सवालकोट जैसी लंबित परियोजनाओं का पुनरुद्धार यह दर्शाता है कि भारत सतत विकास, स्वच्छ ऊर्जा और अंतरराष्ट्रीय ढांचे, जैसे इंडस वॉटर ट्रीटी के तहत, जलीय संसाधनों के कुशल और जिम्मेदार प्रबंधन के प्रति प्रतिबद्ध है।

जीएसटी अपीलीय अधिकरण (GSTAT)

सन्दर्भ:

24 सितम्बर 2025 को वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों की केंद्रीय मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण (GSTAT) का औपचारिक शुभारंभ किया।

जीएसटी अपीलीय अधिकरण के बारे में:

- जीएसटीएटी एक वैधानिक अधिकरण है, जिसकी स्थापना केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (सीजीएसटी अधिनियम) की धारा 109 और 110 के अंतर्गत की गई है। यह केंद्रीय जीएसटी

अधिनियम और संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश जीएसटी अधिनियमों के अंतर्गत अपीलों के लिए एक साझा मंच के रूप में कार्य करता है।

- इसकी संरचना सहकारी संघवाद को दर्शाती है—नई दिल्ली में एक प्रधान पीठ तथा 45 स्थानों पर फैली 31 राज्य पीठें।
- जीएसटीएटी में एक अध्यक्ष (हेड), एक न्यायिक सदस्य, और दो तकनीकी सदस्य (एक केंद्र का प्रतिनिधित्व करता है और दूसरा राज्य का) शामिल होंगे। प्रत्येक राज्य पीठ में दो न्यायिक सदस्य और केंद्र एवं राज्य से एक-एक तकनीकी सदस्य होंगे।
- अध्यक्ष अनिवार्य रूप से सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अथवा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे व्यक्ति होंगे।
- न्यायिक सदस्य वे होंगे जिन्होंने कम से कम 10 वर्षों तक हाई कोर्ट या जिला न्यायाधीश के रूप में सेवा दी हो।
- केंद्र और राज्यों से तकनीकी सदस्य वरिष्ठ अधिकारी होंगे जिनके पास कम से कम 25 वर्षों का अनुभव तथा जीएसटी या कर प्रशासन का ज्ञान हो।

शक्तियाँ एवं कार्य:

- जीएसटीएटी, जीएसटी संरचना में द्वितीय अपीलीय निकाय है—यह केंद्रीय और राज्य जीएसटी कानूनों के अंतर्गत अपीलीय या पुनरीक्षण प्राधिकरणों द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करेगा।
- अप्रैल 2026 से, प्रधान पीठ राष्ट्रीय अग्रिम निर्णय प्राधिकरण (AAR) के रूप में भी कार्य करेगा, जिससे इसका क्षेत्राधिकार और बढ़ेगा।
- **कार्य:**
  - » आदेश पारित करना, दंड लगाना, पंजीकरण निरस्त/रद्द करना, त्रुटियों का संशोधन करना, दस्तावेज़ तलब करना, गवाहों की जाँच करना आदि। (जीएसटी विवादों से जुड़े पहलुओं में सिविल न्यायालय जैसी शक्तियाँ)
  - » राज्यों और केंद्र के बीच जीएसटी की व्याख्या में एकरूपता सुनिश्चित करना, जिससे परस्पर विरोधी निर्णयों की स्थिति कम होगी।

अधिकरण का महत्व:

- निर्णय जटिल शब्दावली रहित होंगे और साधारण भाषा में प्रस्तुत किए जाएंगे, साथ ही सरलीकृत प्रारूप और चेकलिस्ट प्रदान की जाएगी।
- डिजिटल-फर्स्ट प्रणाली—फाइलिंग और वर्चुअल सुनवाई ऑनलाइन होंगी, साथ ही सूचीकरण, सुनवाई और निर्णय के लिए समय-सीमा निर्धारित होगी।
- 30 जून 2026 तक पुरानी अपीलों का क्रमिक दाखिला किया जाएगा ताकि मामलों की अधिकता को नियंत्रित किया जा सके।
- कानूनी अड़चनों को कम कर सरल विवाद निपटान संभव होगा, जिससे तेज़ नकदी प्रवाह और एमएसएमई व निर्यातकों के लिए विश्वास बढ़ेगा।
- एक पारदर्शी, पूर्वानुमेय और विश्वसनीय अपीलीय प्रक्रिया तैयार कर, करदाताओं के विश्वास को मजबूत किया जाएगा।

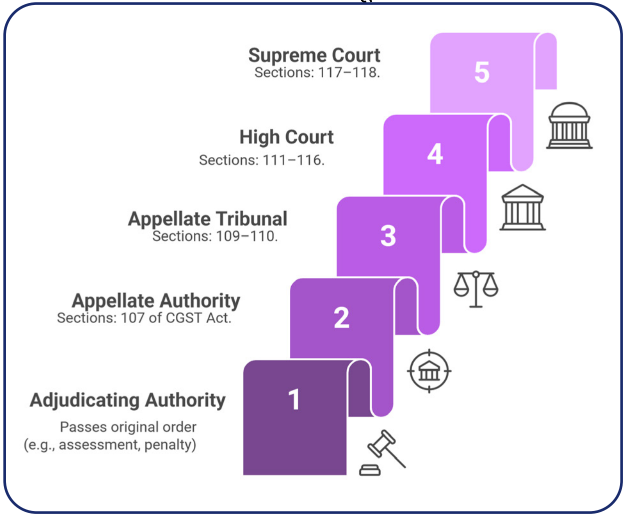

चुनौतियाँ:

- अपीलों का अनुमानित बैकलॉग (~4.8 लाख) शुरुआत से ही अधिकरण पर बोझ डालेगा।
- केंद्र–राज्य समन्वय आवश्यक होगा—पीठों में स्टाफ की नियुक्ति, प्रक्रियाओं पर सहमति और सुचारु संचालन सुनिश्चित करने के लिए।
- न्यायिक और तकनीकी सदस्यों की स्वतंत्रता, दक्षता और एकरूपता सुनिश्चित करना जरूरी होगा ताकि क्षेत्रीय असमानताओं से बचा जा सके।
- छोटे करदाताओं के लाभ हेतु डिजिटल विभाजन को पाटना (ऑनलाइन फाइलिंग और वर्चुअल सुनवाई को सुलभ बनाना) महत्वपूर्ण होगा।

निष्कर्ष:

जीएसटीएटी का शुभारंभ भारत की जीएसटी संरचना में परिपक्वता का संकेत है। यदि इसे पारदर्शिता, गति और निष्पक्षता के साथ लागू किया गया तो यह करदाताओं, व्यापार और भारत में अप्रत्यक्ष कराधान की

संस्थागत विश्वसनीयता के लिए परिवर्तनकारी सिद्ध हो सकता है।

एफसीआरए लाइसेंस

संदर्भ:

गृह मंत्रालय (MHA) ने हाल ही में लद्दाख के स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख (SECMOL) का विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 (FCRA) पंजीकरण रद्द कर दिया है। SECMOL जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक से जुड़ा एक एनजीओ है। यह रद्दीकरण एफसीआरए अधिनियम, 2010 की धारा 8(1)(a), 17, 18, 19 और 12(4) के तहत किया गया। एफसीआरए लाइसेंस रद्द होने का अर्थ है कि SECMOL अब विदेशी फंडिंग प्राप्त नहीं कर पाएगा, जिससे उसकी गतिविधियों पर गंभीर असर पड़ेगा।

एफसीआरए लाइसेंस के बारे में:

- एफसीआरए लाइसेंस (या पंजीकरण) एक वैधानिक अनुमति है जो एफसीआरए अधिनियम, 2010 के तहत भारत सरकार (गृह मंत्रालय के माध्यम से) द्वारा दी जाती है।
- इसके अंतर्गत एनजीओ, संस्थाएं, व्यक्ति आदि को विदेशी अंशदान या विदेशी आतिथ्य को कानूनी रूप से प्राप्त करने और उपयोग करने की अनुमति मिलती है।

मुख्य विशेषताएँ और आवश्यकताएँ:

- **एफसीआरए लाइसेंस की आवश्यकता**
  - भारत में कोई भी एनजीओ, ट्रस्ट, सोसाइटी या एसोसिएशन जो विदेशी फंड प्राप्त करना चाहता है, उसे एफसीआरए पंजीकरण या पूर्व अनुमति लेनी होती है।
  - पंजीकरण के बिना विदेशी अंशदान स्वीकार करना अवैध है।
- **अनुमेय उद्देश्य**
  - विदेशी अंशदान केवल सांस्कृतिक, सामाजिक, शैक्षिक, धार्मिक या आर्थिक कार्यक्रमों के लिए दिया जा सकता है।
  - फंड्स का उपयोग केवल उसी उद्देश्य के लिए होना चाहिए, जिसके लिए वे दिए गए हैं।
- **पात्रता मानदंड**
  - एनजीओ का भारतीय कानूनों (सोसाइटीज़ पंजीकरण अधिनियम, ट्रस्ट अधिनियम, कंपनी अधिनियम की धारा 8 आदि) के तहत विधिवत पंजीकरण होना चाहिए।
  - संगठन न्यूनतम अवधि (आमतौर पर 3 वर्ष) से कार्यरत होना चाहिए।
  - उसने सार्वजनिक हित में अपने क्षेत्र में वास्तविक कार्य किए हों।
  - पदाधिकारियों का आचरण स्वच्छ होना चाहिए (जैसे साम्प्रदायिक तनाव, धर्मांतरण, देशद्रोह आदि में संलिप्त न हों)।

- **वैधता और नवीनीकरण**
  - पंजीकरण मिलने के बाद यह 5 वर्ष तक मान्य होता है।
  - एनजीओ को नवीनीकरण के लिए 6 माह पहले आवेदन करना होता है।
  - समय पर नवीनीकरण न होने पर पंजीकरण समाप्त हो सकता है।
- **बैंक खाता**
  - एनजीओ को विदेशी अंशदान प्राप्त करने के लिए नामित एफसीआरए बैंक खाता खोलना अनिवार्य है।

एफसीआरए के तहत सरकार की शक्तियाँ:

- यदि एनजीओ प्रावधानों "जैसे- फंड का दुरुपयोग, आवेदन में झूठे बयान, फंड का अनुपयोग, या सार्वजनिक हित का दुरुपयोग" का उल्लंघन करता है, तो सरकार पंजीकरण रद्द कर सकती है।
- एफसीआरए लाइसेंस को जांच लंबित होने पर अधिकतम 180 दिन के लिए निलंबित भी किया जा सकता है। निलंबन के दौरान एनजीओ नए विदेशी फंड नहीं ले सकता।
- उल्लंघन की स्थिति में जुर्माना, दंड या अन्य कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

3 अन्तर्राष्ट्रीय संबंध

नेपाल का राजनीतिक संकट: जेन-ज़ी प्रदर्शन और भारत पर प्रभाव

परिचय:

नेपाल जो हाल ही में युवाओं के नेतृत्व वाले सबसे तीव्र प्रदर्शनों की लहर (लोकप्रिय रूप से जेन-ज़ी प्रदर्शन) का साक्षी रहा। इसका प्रदर्शन का तत्काल कारण सरकार द्वारा 26 प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिनमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, एक्स और यूट्यूब शामिल हैं, पर प्रतिबंध लगाना था। सरकार के इस कदम ने युवा नेपालियों के बीच जो अभिव्यक्ति, जुड़ाव और आजीविका के लिए इन प्लेटफॉर्म पर निर्भर हैं, उनमें आक्रोश भड़का दिया। कुछ ही दिनों में हजारों छात्र, काठमांडू की सड़कों पर जवाबदेही और राजनीतिक सुधार की मांग के साथ उतर आए। प्रदर्शनों के चलते राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली और सरकार के बड़े मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा और 22 से अधिक लोगों की मौत हुई और नेपाल में सेना शासन लागू हुआ, इसके बाद सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया।

यह संकट क्षेत्रीय प्रभाव से भी जुड़ा है, खासकर भारत के लिए, जिसकी नेपाल के साथ 1,751 किलोमीटर लंबी खुली सीमा है। जैसे-जैसे भारत सुरक्षा उपायों को मजबूत करता है, नेपाल की राजनीतिक अस्थिरता, शासन और बड़े पैमाने पर जेनरेशन ज़ी द्वारा संचालित इस आंदोलन की दिशा पर सवाल उठ रहे हैं।

प्रदर्शन की शुरुआत के कारण:

- तत्काल उत्प्रेरक नेपाली सरकार का निर्णय था, जिसमें उसने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक सहित 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगा दिया। अधिकारियों ने दावा किया कि ये प्लेटफॉर्म निर्धारित समयसीमा तक संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में पंजीकरण कराने में विफल रहे।
- हालांकि, नेपाल में सोशल मीडिया दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा है, जहाँ दक्षिण एशिया में प्रति व्यक्ति सबसे अधिक उपयोग दरों में से एक है। प्रतिबंध ने तुरंत रोष भड़का दिया। आलोचकों ने सरकार पर आरोप लगाया कि वह नियमन के बहाने असहमति को दबाना और ऑनलाइन गति पकड़ चुके भ्रष्टाचार विरोधी अभियानों को कमजोर करना चाहती है।
- इस निर्णय से शिक्षा भी बाधित हुई, क्योंकि कई छात्र ऑनलाइन कक्षाओं और अध्ययन संसाधनों के लिए इन प्लेटफॉर्म पर निर्भर थे। इससे यह धारणा और मजबूत हुई कि प्रतिबंध सिर्फ नियमन के बारे में नहीं था, बल्कि युवाओं की आवाज़ को चुप कराने के बारे में था। जनता के दबाव में सरकार ने कुछ ही दिनों में प्रतिबंध हटा लिया, लेकिन तब तक प्रदर्शन शुरुआती शिकायत से कहीं आगे बढ़ चुके थे।

प्रतिबंध के पीछे कारण:

- सरकार ने प्रतिबंध को अपने नियामक आदेशों का अनुपालन न करने के आधार पर जायज़ ठहराया। एक साल से अधिक समय से नेपाल वैश्विक सोशल मीडिया दिग्गजों पर दबाव बना रहा था कि वे:
  - » सरकार के साथ पंजीकरण करें,
  - » एक शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त करें, और
  - » अधिकारियों द्वारा चिह्नित सामग्री को हटाएँ।
- जब कंपनियों ने इनकार किया, तो सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के समर्थन से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया।
- जिन प्लेटफॉर्म ने अनुपालन किया, जैसे टिकटॉक, वाइबर, वीटॉक, निंबज और पॉपो लाइव, उन्हें छोड़ दिया गया। टिकटॉक, जिस पर 2023 में प्रतिबंध लगाया गया था, सरकार की शर्तें मानने के बाद फिर से शुरू हो गया।

सोशल मीडिया विनियमन:

- नेपाल का यह प्रकरण बिग टेक को विनियमित करने पर चल रही व्यापक अंतरराष्ट्रीय बहस का हिस्सा है।
- **विनियमन के पक्ष में तर्क:** सरकारों का कहना है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म गलत सूचना, घृणास्पद भाषण, साइबर अपराध और विदेशी प्रभाव अभियानों के प्रसार को सक्षम बनाते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक स्थिरता के लिए विनियमन आवश्यक माना जाता है।
- **विनियमन के विरोध में तर्क:** नागरिक समाज का कहना है कि सरकारें अक्सर इन चिंताओं का उपयोग सेंसरशिप, निगरानी और अभिव्यक्ति तथा संगठन की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों को सीमित करने के औचित्य के लिए करती हैं।

दक्षिण एशिया में समान कदम:

- » पाकिस्तान ने समय-समय पर राजनीतिक अशांति के दौरान एक्स और टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाया है।
- » श्रीलंका ने 2018 के संवैधानिक संकट के दौरान फेसबुक को प्रतिबंधित किया।
- » म्यांमार ने 2021 के तख्तापलट के बाद पूरे देश में इंटरनेट ब्लैकआउट लगाया।
- » भारत ने (2020 में चीनी ऐप्स को छोड़कर) पूर्ण प्रतिबंध का सहारा नहीं लिया है, बल्कि प्लेटफॉर्म को सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के तहत विनियमित करता है।

- नेपाल का व्यापक प्रतिबंध इसे भारत में देखी जाने वाली विनियमित व्यवस्था की तुलना में अधिक अधिनायकवादी शासन की प्रतिबंधात्मक पद्धति के करीब ले आया।

भारत–नेपाल संबंध पर प्रभाव:

- भारत ने भौगोलिक, सांस्कृतिक और खुली सीमा के माध्यम से नेपाल के साथ ऐतिहासिक रूप से घनिष्ठ संबंध बनाए रखे हैं। काठमांडू में राजनीतिक अस्थिरता इन संबंधों को कई तरह से जटिल बनाती है:
  - » **नीति अनिश्चितता:** नेतृत्व में लगातार बदलाव व्यापार, संपर्क और ऊर्जा सहयोग से जुड़ी परियोजनाओं में देरी करता है।
  - » **सुरक्षा चिंताएँ:** नेपाल में अशांति का असर खुली सीमा के पार फैल सकता है, जिससे प्रवासन और सुरक्षा पर असर पड़ सकता है।
  - » **भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा:** चीन लगातार नेपाल में बुनियादी ढांचा निवेश के माध्यम से अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अस्थिरता नेपाल को बीजिंग के और करीब धकेलने का जोखिम पैदा करती है।
- संकट का समय भी महत्वपूर्ण है। ओली हाल ही में चीन में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन से लौटे थे और सितंबर में भारत की यात्रा पर आने वाले थे।

भारत की नेपाल के साथ विकास साझेदारी:

- भारत 1950 के दशक से नेपाल का सबसे बड़ा विकास साझेदार रहा है। सहायता का लक्ष्य बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य, शिक्षा और जमीनी स्तर पर क्षमता निर्माण है।
- **भूकंप पुनर्निर्माण (2015):** भारत ने 1 अरब डॉलर का वादा किया, जिसमें 25 करोड़ डॉलर अनुदान के रूप में थे।
- **सामुदायिक विकास:** हाई-इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स (HICDPs) के तहत 300 से अधिक स्कूल भवन, अस्पताल और सड़कें बनाई गईं। 2024 तक भारत ने 1,009 एंबुलेंस और 300 स्कूल बसें दान कीं।
- **संपर्क परियोजनाएँ:**
  - » सीमा-पार सड़क और रेल लिंक, जिनमें बिराटनगर के लिए पहली ब्रॉड-गेज यात्री ट्रेन और काठमांडू के लिए मालगाड़ी शामिल है।
  - » **सीमा-पार ईंधन पाइपलाइनें:** मोतिहारी–अमलेखगंज (चरण I 2019 में चालू, चरण II जारी) और सिलीगुड़ी–झापा पाइपलाइन।
- **ऊर्जा सहयोग:** विद्युत पर संयुक्त दृष्टिकोण (2022) के तहत 2034 तक भारत द्वारा नेपाल से 10,000 मेगावाट स्वच्छ ऊर्जा आयात की परिकल्पना की गई है। परियोजनाएँ शामिल हैं:
  - » अरुण-III जलविद्युत परियोजना (900 मेगावाट)
  - » वेस्ट सेती (750 मेगावाट)
  - » फुकट कर्णाली परियोजना
- **डिजिटल और संस्थागत जुड़ाव:**
  - » नेपाल में यूपीआई मोबाइल भुगतान की शुरुआत (2024)।
  - » 2001 से 38,000 से अधिक नेपाली छात्रों को भारतीय छात्रवृत्ति मिली।
  - » सर्वोच्च न्यायालयों के बीच कानूनी सहयोग पर समझौता ज्ञापन (2025)।
  - » नेपाल में आईआईटी/आईआईएम उपग्रह परिसरों पर चर्चा।
- **सुरक्षा और रक्षा सहयोग:** खुली सीमा, जहाँ संबंधों को सुगम बनाती है, वहीं तस्करी, अपराध और विद्रोह के खिलाफ संयुक्त सुरक्षा प्रबंधन की भी आवश्यकता होती है। भारत नेपाल की सशस्त्र सेनाओं को प्रशिक्षण और उपकरण देता है, जबकि भारतीय सेना की गोरखा रेजीमेंट्स में 32,000 से अधिक नेपाली गोरखा सेवा देते हैं।
  - » **संयुक्त अभ्यास:** सूर्य किरण आपदा प्रतिक्रिया और आतंकवाद-रोधी क्षमता को मजबूत करता है।
  - » **संकट सहायता:** 2015 नेपाल भूकंप के दौरान भारत के राहत अभियान।
  - » **निकासी अभियान:** यूक्रेन में ऑपरेशन गंगा और इज़राइल–ईरान संघर्ष में ऑपरेशन सिंधु के तहत नेपाली नागरिकों को भारतीयों के साथ निकाला गया।
- भारत और नेपाल सार्क और बिम्सटेक के संस्थापक सदस्य हैं और बिम्सटेक परिवहन संपर्क मास्टर प्लान जैसी उपक्षेत्रीय पहलों पर सहयोग करते हैं। नेपाल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत की बोली का समर्थन करता है।

भारत–नेपाल संबंधों में चुनौतियाँ:

- **सीमा विवाद:** कालापानी–लिपुलेख–लिम्पियाधुरा मुद्दा समय-समय पर संबंधों में तनाव लाता है।
- **असमानता की धारणा:** नेपाल अक्सर व्यापार और सुरक्षा में भारत के प्रभुत्व को दबावपूर्ण मानता है।
- **चीनी प्रभाव:** चीन के साथ बीआरआई के तहत नेपाल की भागीदारी भारत के रणनीतिक हितों के लिए चुनौती पेश करती है।

निष्कर्ष:

नेपाल एक दोराहे पर है जिसकी शुरुआत सोशल मीडिया प्रतिबंध के खिलाफ विरोध के रूप में हुई थी, वह भ्रष्टाचार, असमानता और लोकतंत्र के अधूरे वादों के खिलाफ एक पीढ़ीगत विद्रोह में बदल गई है। के.पी. शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद और नए प्रधानमंत्री के चयन के साथ, देश अनिश्चितता का सामना कर रहा है। भारत के लिए यह संकट चुनौतियाँ और अवसर दोनों प्रस्तुत करता है। नेपाल में अस्थिरता सीमा सुरक्षा पर दबाव डाल सकती है, व्यापार बाधित कर सकती है और क्षेत्रीय भू-राजनीति को जटिल बना सकती है। साथ ही, भारत का संयमित दृष्टिकोण इसे तटस्थ बनाए रखता है और दीर्घकालिक सहयोग पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है। अंततः, ये प्रदर्शन एक सच्चाई को दर्शाते हैं कि नेपाल की युवा पीढ़ी जवाबदेही, निष्पक्षता और गरिमा की मांग कर रही है।

फ़्रांस में राजनीतिक संकट और नए प्रधानमंत्री

संदर्भः

9 सितंबर, 2025 को, फ़्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने सेबेस्टियन लेकोर्नू को फ़्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया। इससे पहले, पूर्व प्रधानमंत्री फ़्राँस्वा बायरू को संसद में विश्वास मत के ज़रिए पद से हटा दिया गया था। लेकोर्नू केवल दो वर्षों में पाँचवें प्रधानमंत्री बने हैं, जो फ़्रांस में बढ़ती राजनीतिक अस्थिरता को दर्शाता है।

सेबेस्टियन लेकोर्नू के बारे में:

- 39 वर्षीय लेकोर्नू 2017 में मैक्रों की मध्यमार्गी पुनर्जागरण पार्टी में शामिल हुए थे। वे फ़्रांस के इतिहास में सबसे कम उम्र के रक्षा मंत्री थे और उन्होंने स्थानीय सरकार और विदेशी क्षेत्रों के मंत्री के रूप में भी कार्य किया है। 2022 से, वे मैक्रों के मंत्रिमंडल में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मंत्री रहे हैं।

नियुक्ति का कारण:

- मैक्रों राजनीतिक संकट से निपटने और शासन में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए एक वफ़ादार और अनुभवी सहयोगी की तलाश में हैं।
- लेकोर्नु को व्यावहारिक, रक्षा-समर्थक और सुधार-समर्थक माना जाता है, जो मैक्रों की आर्थिक नीतियों, जिनमें मितव्ययिता के उपाय भी शामिल हैं, को आगे बढ़ाने के लिए उपयुक्त हैं।
- उनकी नियुक्ति संसदीय अराजकता के बीच स्थिरता और अनुशासन की इच्छा का संकेत देती है।

फ़्रांस के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर प्रभाव:

- **जोखिम में रणनीतिक साझेदारी:** फ़्रांस भारत का एक महत्वपूर्ण रक्षा साझेदार है, जो राफेल जेट जैसे सौदों और संयुक्त सैन्य अभ्यासों में शामिल है। राजनीतिक उथल-पुथल मौजूदा समझौतों में देरी या व्यवधान पैदा कर सकती है, जिससे भारत की रक्षा तैयारियों पर असर पड़ सकता है।
- **नीति निरंतरता में अनिश्चितता:** बार-बार नेतृत्व परिवर्तन से असंगत विदेश नीतियाँ उत्पन्न हो सकती हैं, जिससे भारत के साथ व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी सहयोग प्रभावित हो सकता है।
- **रक्षा सहयोग और हिंद-प्रशांत रणनीति:** हिंद-प्रशांत क्षेत्र में फ्रांस की भूमिका, जो भारत के हितों के अनुरूप एक स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करती है, अस्थिरता के कारण कमजोर हो सकती है, जिससे चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के संयुक्त प्रयासों की प्रभावशीलता कम हो सकती है।

भारत की बहुपक्षीय कूटनीति पर प्रभाव:

- **यूरोपीय संघ की गतिशीलता:** यूरोपीय संघ के एक प्रमुख देश के रूप में, फ्रांस की अस्थिरता भारत के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों, जैसे व्यापार समझौते (जैसे, भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता), आतंकवाद-निरोध और सतत विकास, पर यूरोपीय संघ की आम सहमति को जटिल बनाती है।
- **वैश्विक मंचों पर प्रभाव:** संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जी-7 और नाटो में फ्रांस की भूमिका प्रभावित हो सकती है, जिससे जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद और महामारी जैसी चुनौतियों पर वैश्विक सहयोग कमज़ोर हो सकता है, जहाँ भारत मज़बूत साझेदारी चाहता है।
- **जलवायु और ऊर्जा सहयोग:** परमाणु ऊर्जा और जलवायु पहलों में फ्रांस का नेतृत्व भारत के ऊर्जा परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण है। राजनीतिक अनिश्चितता इन क्षेत्रों में संयुक्त परियोजनाओं में देरी कर सकती है।

निष्कर्ष:

फ्रांस में राजनीतिक अस्थिरता भारत के लिए चुनौतियाँ और अवसर दोनों प्रस्तुत करती है। यह द्विपक्षीय संबंधों के लिए ख़तरा और बहुपक्षीय कूटनीति को जटिल बनाती है, साथ ही यह भारत को अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में विविधता लाने और रणनीतिक स्वायत्तता को मज़बूत करने

के लिए प्रोत्साहित भी करती है। वैश्विक मंच पर भारत के हितों की रक्षा के लिए रणनीतिक दूरदर्शिता और कूटनीतिक लचीलेपन के साथ इस अनिश्चितता से निपटना आवश्यक होगा।

एससीओ शिखर सम्मेलन 2025

संदर्भ:

हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) का 25वां वार्षिक शिखर सम्मेलन 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक चीन के तियानजिन शहर में आयोजित किया गया। इस शिखर सम्मेलन की मेज़बानी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने की। यह सम्मेलन संगठन के सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 25वीं बैठक थी।

बैठक के प्रमुख परिणाम:

- **तियानजिन घोषणा:** शिखर सम्मेलन के दौरान पारित यह घोषणा-पत्र एससीओ देशों की साझा राजनीतिक प्रतिबद्धता का प्रतीक है। इसमें आतंकवाद, चरमपंथ और अलगाववाद के विरुद्ध संयुक्त प्रयासों तथा क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को बनाए रखने के प्रति सदस्य देशों की प्रतिबद्धता दोहराई गई।
- **2026-2035 के लिए विकास रणनीति:** इस रणनीति में आर्थिक, सुरक्षा और सांस्कृतिक सहयोग को प्राथमिकता देते हुए एससीओ के दीर्घकालिक विकास की दिशा निर्धारित की गई।
- **सहयोग कार्यक्रम (2026-2030):** इस कार्यक्रम का उद्देश्य चरमपंथी विचारधाराओं का मुकाबला करना और क्षेत्रीय सुरक्षा व स्थिरता को सुदृढ़ करना है।
- **2030 तक ऊर्जा सहयोग हेतु रोडमैप:** इस रोडमैप में ऊर्जा सहयोग, सतत विकास और हरित औद्योगिक पहलों के लिए रणनीतिक दिशा-निर्देश तय किए गए।
- **सीआईएस में पर्यवेक्षक दर्जा:** स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रमंडल (CIS) में एससीओ को पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त हुआ, जिससे अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को बल मिला।
- **चोलपोन अता घोषणा:** किर्गिस्तान में चोलपोन अता को 2025-2026 के लिए एससीओ की पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया, जिससे सांस्कृतिक आदान-प्रदान और सहयोग को बढ़ावा मिला।

भारत के लिए एससीओ का महत्व:

- **सुरक्षा:** भारत क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा एवं स्थिरता को सतत विकास के लिए अनिवार्य मानता है। भारत के अनुसार, आतंकवाद आज भी एक गंभीर वैश्विक खतरा बना हुआ है, जिससे निपटने हेतु सदस्य देशों के बीच समन्वित और एकजुट प्रयासों की आवश्यकता है। इस संदर्भ में, एससीओ का क्षेत्रीय आतंकवाद-रोधी ढांचा (RATS) भारत के लिए आतंकवाद-निरोधक सहयोग को सुदृढ़ करने का एक प्रभावी मंच प्रदान करता है।
- **संपर्क-सुविधाएँ:** भारत, मध्य एशिया और अफगानिस्तान के साथ बहुआयामी संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के लिए चाबहार बंदरगाह, अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (INSTC) तथा अन्य क्षेत्रीय संपर्क परियोजनाओं को सक्रिय रूप से बढ़ावा देता है। ये पहल भारत की "कनेक्ट सेंट्रल एशिया नीति" को मूर्त रूप देने में सहायक हैं।
- **सहयोग के नए क्षेत्र:** भारत की 2023 की अध्यक्षता के दौरान, नवाचार, युवा सशक्तिकरण और सांस्कृतिक आदान-प्रदान जैसे नए सहयोग क्षेत्रों की शुरुआत की गई। भारत ने सभ्यतागत संवाद मंच स्थापित करने का प्रस्ताव भी दिया, जिसका उद्देश्य साझा ऐतिहासिक विरासत को उजागर करना और सदस्य देशों के बीच जनस्तर पर आपसी समझ और संबंधों को मजबूत करना है।

शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के विषय में:

- शंघाई सहयोग संगठन (SCO) एक यूरेशियन राजनीतिक, आर्थिक एवं सुरक्षा संगठन है, जिसकी स्थापना वर्ष 2001 में क़ज़ाकिस्तान, चीन, किर्गिज़स्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान द्वारा

संयुक्त रूप से की गई थी।

- वर्तमान में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के कुल 10 सदस्य देश हैं। भारत और पाकिस्तान वर्ष 2017 में पूर्ण सदस्य बने। इसके बाद ईरान को 2023 में और बेलारूस को 2024 में सदस्यता प्रदान की गई।
- संगठन का स्थायी सचिवालय बीजिंग (चीन) में स्थित है, जबकि क्षेत्रीय आतंकवाद-रोधी संरचना (RATS) का कार्यालय ताशकंद (उज़्बेकिस्तान) में कार्यरत है।
- एससीओ "शंघाई भावना" को बढ़ावा देता है और आपसी विश्वास, समानता और सांस्कृतिक विविधता के सम्मान पर केंद्रित है।

एससीओ के मुख्य उद्देश्य:

- शंघाई सहयोग संगठन (SCO) का मुख्य उद्देश्य आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद जैसे पारंपरिक तथा गैर-पारंपरिक सुरक्षा खतरों का समन्वित प्रयासों के माध्यम से मुकाबला कर क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता को सुनिश्चित करना है।
- राजनीतिक रूप से, एससीओ एक अधिक लोकतांत्रिक, न्यायसंगत और बहुध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था के पक्ष में है और आपसी विश्वास, संवाद और समावेशी कूटनीति को बढ़ावा देता है।
- इसके अतिरिक्त, एससीओ शिक्षा, पर्यटन और कला के क्षेत्र में सांस्कृतिक आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करता है।

निष्कर्ष:

एससीओ शिखर सम्मेलन 2025 ने संगठन की भूमिका को क्षेत्रीय सुरक्षा और आर्थिक सहयोग के एक प्रभावी मंच के रूप में मजबूत किया। तियानजिन घोषणा-पत्र ने आतंकवाद के विरुद्ध स्पष्ट और सशक्त संदेश दिया, जबकि वैश्विक शासन पर हुई चर्चाओं ने बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की दिशा में संगठन की सोच को रेखांकित किया। भारत के लिए यह शिखर सम्मेलन सुरक्षा हितों को उजागर करने और आर्थिक व कूटनीतिक भागीदारी को बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण अवसर रहा।

थाईलैंड में राजनीतिक संकट

संदर्भ:

हाल ही में थाईलैंड की संवैधानिक अदालत ने प्रधानमंत्री पैतोंगटार्न शिनावात्रा को आचार संहिता (Ethics Violation) के उल्लंघन के आरोप में पद से हटा दिया। अदालत का निर्णय 6-3 मतों से हुआ। फैसले में कहा गया कि पैतोंगटार्न ने राष्ट्रीय हितों के बजाय व्यक्तिगत संबंधों को प्राथमिकता दी। यह मामला उस लीक हुई फ़ोन कॉल से जुड़ा है, जिसमें वह थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा विवाद के दौरान कंबोडिया के पूर्व नेता हुन सेन से बातचीत करती सुनाई दी थीं।

पद से हटाने का कारण:

- विवाद की शुरुआत उस लीक हुई फ़ोन कॉल से हुई, जिसमें पैतोंगटार्न कंबोडिया के नेता हुन सेन से सीमा विवाद पर बातचीत कर रही थीं। इस बातचीत में उन्होंने हुन सेन के प्रति झुकाव दिखाया और एक वरिष्ठ थाई सैन्य अधिकारी की आलोचना की। अदालत ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए कहा कि पैतोंगटार्न ने राष्ट्रीय हितों से ऊपर निजी संबंधों को प्राथमिकता दी।
- उनके पद से हटने के बाद उप-प्रधानमंत्री फुमथम वेचायाचाई और वर्तमान मंत्रिमंडल कार्यवाहक सरकार के रूप में तब तक काम करेंगे, जब तक संसद नया प्रधानमंत्री नहीं चुन लेती। इस प्रक्रिया की समय-सीमा अभी स्पष्ट नहीं है और सरकार की स्थिरता इस बात पर निर्भर करेगी कि गठबंधन दल आपसी मतभेदों को दूर कर कितनी एकजुटता बनाए रखते हैं।

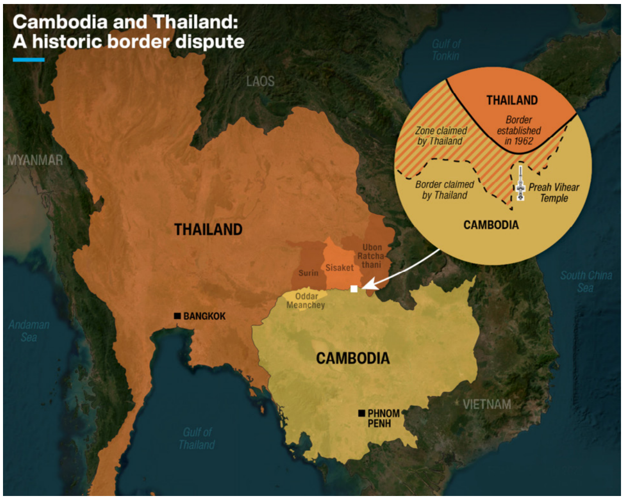

भारत पर प्रभाव:

- थाईलैंड में हालिया राजनीतिक अस्थिरता, जिसके तहत प्रधानमंत्री पैतोंगटार्न शिनावात्रा को पद से हटाया गया है, भारत पर कई स्तरों पर प्रभाव डाल सकती है।
  - » **व्यापार और संपर्क:** भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग (IMT-TH) जैसी वर्तमान और प्रस्तावित संपर्क परियोजनाएँ इस अस्थिरता से प्रभावित हो सकती हैं।

» **क्षेत्रीय स्थिरता:** भारत की एक्ट ईस्ट नीति का उद्देश्य दक्षिण-पूर्व एशिया से संबंधों को गहरा करना है, लेकिन थाईलैंड में अस्थिरता और म्यांमार की चुनौतियाँ क्षेत्रीय एकीकरण और आर्थिक विकास की गति को धीमा कर सकती हैं।

» **रणनीतिक साझेदारी:** थाईलैंड का चीन और पश्चिमी देशों के साथ संतुलित रिश्ता भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हालांकि, थाईलैंड की रूढ़िवादी शक्तियाँ चीन की ओर अपेक्षाकृत अधिक झुकाव रखती हैं।

भारत – थाईलैंड संबंध:

- भारत और थाईलैंड के बीच लंबे समय से घनिष्ठ और सौहार्दपूर्ण राजनीतिक संबंध रहे हैं, जिनकी नींव गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जुड़ाव पर आधारित है।
- 1990 के दशक में भारत की "लुक ईस्ट पॉलिसी" ने इन संबंधों को नई गति प्रदान की, जिसे 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने "एक्ट ईस्ट पॉलिसी" के रूप में और आगे बढ़ाया। इसके साथ ही थाईलैंड ने अपनी "एक्ट वेस्ट पॉलिसी" के माध्यम से दक्षिण एशिया से और गहरे संबंध बनाने की दिशा में कदम उठाए।

भारत-थाईलैंड संबंधों के मुख्य पहलू:

- **रणनीतिक साझेदारी:** अप्रैल 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और थाई प्रधानमंत्री पैतोंगटार्न शिनावात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को "रणनीतिक साझेदारी" के स्तर तक ऊँचा किया। इस साझेदारी का फोकस सुरक्षा सहयोग, व्यापार विस्तार और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समन्वय पर रहा।
- **आर्थिक सहयोग:** वित्तीय वर्ष 2023–24 में थाईलैंड भारत का 21वाँ सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा। दोनों देशों के बीच लगभग 14.94 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ। इसके अतिरिक्त, आपसी निवेश, सूक्ष्म–लघु–मध्यम उद्यम (MSME) सहयोग और संपर्क बढ़ाने के लिए भारत–म्यांमार–थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग जैसी परियोजनाओं पर कार्य जारी है।
- **क्षेत्रीय सहयोग:** भारत और थाईलैंड आसियान (ASEAN), बिम्सटेक (BIMSTEC), एडीएमएम-प्लस (ADMM-Plus) और ईस्ट एशिया समिट जैसे क्षेत्रीय मंचों में सक्रिय रूप से सहयोग करते हैं तथा बहुपक्षवाद और क्षेत्रीय स्थिरता को सुदृढ़ करने में योगदान देते हैं।

सिंगापुर प्रधानमंत्री की भारत यात्रा

संदर्भ:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के तीन दिवसीय भारत दौरे के दौरान उनके साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। यह यात्रा भारत-सिंगापुर के राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर हुई, जो द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। वार्ता के समापन पर नागरिक उड्डयन, अंतरिक्ष, कौशल विकास, डिजिटल परिसंपत्ति नवाचार तथा हरित और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर से संबंधित पाँच समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।

समझौते के प्रमुख क्षेत्र:

- **कृत्रिम बुद्धिमत्ता और अर्धचालक:**
  » दोनों देशों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता और अर्धचालक निर्माण में सहयोग को मजबूत करने का संकल्प लिया।
  » सिंगापुर, जो वैश्विक चिप्स का 10% और अर्धचालक उपकरणों का 20% उत्पादन करता है, 2025 के अंत तक भारत की पहली स्वदेशी चिप लॉन्च करने में एक प्रमुख भागीदार है।
- **बहु-क्षेत्रीय समझौता ज्ञापन और कौशल विकास पहल:**
  » सिंगापुर ने भारत में विमानन और अर्धचालकों के लिए राज्य-स्तरीय कौशल केंद्र स्थापित करने की घोषणा की।
  » चेन्नई में राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र के लिए उन्नत विनिर्माण में प्रतिभाओं को बढ़ावा देने हेतु समर्थन बढ़ाया गया।
- **व्यापार और वित्तीय एकीकरण:**
  » दोनों पक्ष व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते (CECA) और आसियान मुक्त व्यापार समझौते की समयबद्ध समीक्षा पर सहमत हुए।
  » गिफ्ट सिटी (गुजरात) को दोनों देशों के बीच वित्तीय संपर्क के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में चिन्हित किया गया।
- **हिंद-प्रशांत दृष्टिकोण और एक्ट ईस्ट नीति:**
  » सिंगापुर को भारत की एक्ट ईस्ट नीति का एक प्रमुख स्तंभ माना गया।
  » हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए आसियान केंद्रीयता और क्षेत्रीय सहयोग को महत्व दिया गया।

भारत-सिंगापुर संबंधों के विषय में:

- **ऐतिहासिक संबंध:** सिंगापुर की स्थापना 1819 में ब्रिटिश शासन

के तहत एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र के रूप में हुई थी, जिसका प्रशासन कोलकाता से संचालित होता था। भारत 1965 में सिंगापुर की स्वतंत्रता को मान्यता देने वाले पहले देशों में से एक था, जिससे दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और राजनयिक संबंधों की नींव पड़ी।

- **व्यापार और आर्थिक सहयोग:** सिंगापुर आसियान क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और वैश्विक स्तर पर भारत का छठा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार भी है। वित्त वर्ष 2023-24 में द्विपक्षीय व्यापार ₹34.26 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया। भारत एक शुद्ध आयातक बना हुआ है। कर चोरी पर अंकुश लगाने के लिए 1994 में दोहरे कर बचाव समझौते (DTAA) पर हस्ताक्षर किए गए।

- **रक्षा सहयोग:** भारत और सिंगापुर के रणनीतिक संबंध हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर में समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र तक विस्तारित हैं। दोनों देशों की सेनाओं के बीच नियमित संयुक्त सैन्य अभ्यास होते हैं, जिनमें 'अग्नि योद्धा' (सेना), 'सिम्बेक्स' (नौसेना) और 'जेएमटी' (संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण, वायु सेना) प्रमुख हैं।
- **फिनटेक और डिजिटल सहयोग:** दोनों देशों के बीच फिनटेक और डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इसके अंतर्गत सिंगापुर में भारतीय रुपे कार्ड की स्वीकृति और यूपीआई-पेनाउ डिजिटल भुगतान लिंक जैसे सहयोग शामिल हैं
- **बहुपक्षीय जुड़ाव:** भारत और सिंगापुर कई बहुपक्षीय मंचों में सक्रिय भागीदार हैं, जिनमें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, राष्ट्रमंडल, आईओआरए, और आईओएनएस शामिल हैं। इसके अलावा, सिंगापुर अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का सदस्य है। दोनों देश हिंद-प्रशांत आर्थिक ढांचे (IPEF) के भी समर्थक हैं, जो क्षेत्रीय समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है।
- **सिंगापुर में प्रवासी भारतीय:** जातीय भारतीय सिंगापुर की कुल निवासी आबादी का लगभग 9.1% हिस्सा हैं। देश में रहने वाले 16 लाख विदेशी निवासियों में से लगभग 20% भारतीय नागरिक हैं। इसके अलावा, तमिल भाषा सिंगापुर की चार आधिकारिक भाषाओं में से एक है, जो दोनों देशों के बीच मजबूत सांस्कृतिक संबंधों का प्रतीक है।

निष्कर्ष:

भारत-सिंगापुर संबंध मजबूत और बहुआयामी हैं, जो ऐतिहासिक जुड़ाव, साझा मूल्य और रणनीतिक हितों पर आधारित हैं। व्यापार, प्रौद्योगिकी, रक्षा और प्रवासी समुदायों में गहरा सहयोग मौजूद है। प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग की हालिया यात्रा के दौरान हुए समझौते दोनों देशों के बीच भविष्य की भागीदारी और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति, समृद्धि व स्थिरता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण हैं।

भारत–यूरोपीय संघ व्यापार समझौता

संदर्भ:

भारत और यूरोपीय संघ (EU) एक मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को शीघ्र अंतिम रूप देने के लिए सक्रिय रूप से प्रयासरत हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय संघ के नेताओं के बीच हुई बातचीत में इस समझौते को जल्द से जल्द निष्कर्ष तक पहुँचाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। यूरोपीय संघ के वरिष्ठ वार्ताकार, विशेषकर व्यापार और कृषि मामलों पर केंद्रित अधिकारी, निकट भविष्य में भारत का दौरा करेंगे ताकि प्रमुख लंबित मुद्दों का समाधान किया जा सके।

ईयू के साथ व्यापार वार्ता:

- प्रस्तावित समझौते के 27 अध्यायों में से लगभग 11 पर बातचीत पूरी

हो चुकी है। बाकी विवादित मुद्दों में शामिल हैं:

- » कृषि और डेयरी बाज़ार तक पहुँच
- » बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR)
- » श्रम और स्थिरता मानक
- » कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAM) – इस मुद्दे पर भारत ने अमेरिका को दिए गए छूट जैसे प्रावधान अपने लिए भी मांगे हैं।

- भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापारिक संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। वर्ष 2023-24 में दोनों पक्षों के बीच वस्तुओं का व्यापार 137.41 अरब डॉलर और सेवाओं का व्यापार 51.45 अरब डॉलर तक पहुँच गया। वहीं, अप्रैल 2000 से दिसंबर 2023 के बीच भारत में यूरोपीय संघ से 107 अरब डॉलर से अधिक का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) आया है।

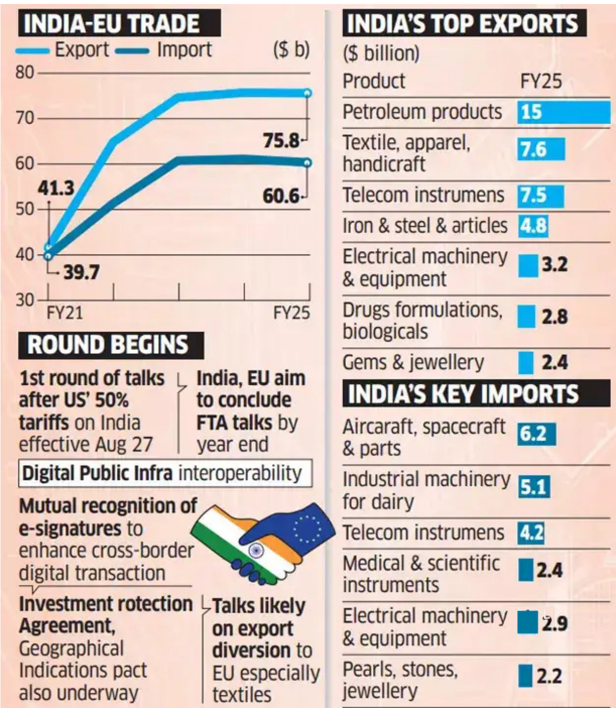

भारत–ईयू समझौते के लाभ:

- यदि यह मुक्त व्यापार समझौता सफलतापूर्वक संपन्न होता है, तो भारत को कई रणनीतिक और दीर्घकालिक लाभ प्राप्त हो सकते हैं:
  - » **बड़े बाज़ार तक पहुँच:** दुनिया के सबसे समृद्ध बाज़ारों में से एक के साथ कम टैरिफ और सरल नियामकीय प्रक्रियाओं के माध्यम से भारतीय उत्पादों को अधिक अवसर मिलेंगे।
  - » **निर्यात में बढ़ोतरी:** वस्त्र, आईटी सेवाएँ, औषधि उद्योग और मशीनरी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में भारत के निर्यात को नया प्रोत्साहन मिलेगा।
  - » **सतत विकास और नवाचार को बढ़ावा:** यह समझौता भारतीय उद्योगों को वैश्विक पर्यावरणीय और स्थिरता मानकों के अनुरूप ढलने के लिए प्रेरित करेगा, जिससे नवाचार और प्रतिस्पर्धा क्षमता बढ़ेगी।
  - » **भूराजनीतिक संदेश:** यह भारत की नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाएगा और वैश्विक स्तर पर उसकी स्थिति को और सशक्त बनाएगा।
- हालाँकि, भारत को इस प्रक्रिया में सावधानीपूर्वक आगे बढ़ना होगा और विशेषकर कृषि और डेयरी जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में अपने हितों की रक्षा करनी होगी। इस संदर्भ में हाल ही में संपन्न भारत–ब्रिटेन व्यापार समझौता भारत के लिए एक उपयोगी उदाहरण और मार्गदर्शक साबित हो सकता है।

सीबीएएम के बारे में:

- यूरोपीय संघ का कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (सीबीएएम), जो 1 जनवरी 2026 से पूरी तरह लागू होगा, जो भारतीय निर्यातकों के लिए बड़ी चिंता है। इसका उद्देश्य कार्बन-गहन उत्पादों पर शुल्क लगाकर वैश्विक जलवायु कार्रवाई को प्रोत्साहित करना है, लेकिन यह भारत जैसे देशों के लिए एक तरह की गैर-शुल्कीय बाधा बन सकता है।
- इससे प्रभावित क्षेत्र होंगे:
  - » इस्पात और एल्युमिनियम
  - » सीमेंट
  - » उर्वरक
  - » ऑटोमोबाइल के पुर्जे

अन्य उपाय जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए:

- जबकि भारत पश्चिमी देशों के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को मजबूत कर रहा है, उसे पूर्वी और दक्षिण-पूर्व एशिया में हो रहे बड़े आर्थिक बदलावों पर भी गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। वर्तमान समय में कई वैश्विक कंपनियाँ "चाइना+1" रणनीति अपना रही हैं, यानी वे चीन पर पूरी तरह निर्भर रहने के बजाय अन्य देशों में भी उत्पादन इकाइयाँ स्थापित करना चाहती हैं। यह प्रवृत्ति भारत के लिए वैश्विक उत्पादन नेटवर्क से जुड़ने और उसमें एक अहम भूमिका निभाने का सुनहरा अवसर प्रस्तुत करती है।

- **भारत को इस अवसर का लाभ उठाने के लिए निम्न कदम उठाने चाहिए:**
    - » सड़क, बंदरगाह और अन्य बुनियादी ढाँचे में सुधार ताकि व्यापार सस्ता और तेज़ हो सके।
    - » निर्यातकों के लिए कस्टम्स और कागज़ी प्रक्रियाओं को आसान बनाना।
    - » PLI (उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन) जैसी सरकारी योजनाओं से विनिर्माण को और मजबूत करना।
    - » मज़बूत व्यापार समझौते करना, जिनसे भारतीय कंपनियाँ वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं से जुड़ सकें।

निष्कर्ष:

वर्तमान समय में, जब वैश्विक व्यापार संरक्षणवाद, बढ़ती प्रतिस्पर्धा और आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है, भारत के सामने एक महत्वपूर्ण अवसर है। यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौते को आगे बढ़ाना न केवल सही दिशा में बड़ा कदम होगा, बल्कि यह भारत की वैश्विक आर्थिक स्थिति को भी सशक्त करेगा। हालाँकि, इस समझौते का पूरा लाभ उठाने के लिए भारत को CPTPP जैसे वैश्विक व्यापार नेटवर्क से जुड़ने और अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं में अपनी भागीदारी को और मजबूत करने की आवश्यकता है। सकारात्मक संकेत यह है कि भारत और यूरोपीय संघ अपने लंबे समय से लंबित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में ठोस प्रगति कर रहे हैं।

भारत हेल्थएआई वैश्विक नियामक नेटवर्क में हुआ शामिल

संदर्भ:

हाल ही में भारत आधिकारिक रूप से हेल्थएआई ग्लोबल रेगुलेटरी नेटवर्क (GRN) में शामिल हो गया है। यह कदम स्वास्थ्य क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के जिम्मेदार, सुरक्षित और प्रभावी उपयोग को बढ़ावा देने वाले वैश्विक प्रयास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

हेल्थएआई ग्लोबल रेगुलेटरी नेटवर्क (GRN) के बारे में:

- हेल्थएआई ग्लोबल रेगुलेटरी नेटवर्क जेनेवा स्थित एक स्वतंत्र गैर-लाभकारी संस्था है, जो दुनियाभर के स्वास्थ्य नियामकों को एक साथ लाती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि स्वास्थ्य क्षेत्र में एआई तकनीकों का उपयोग सुरक्षित, नैतिक और प्रभावी ढंग से हो।
- हेल्थएआई GRN जेनेवा स्थित एक स्वतंत्र, गैर-लाभकारी संगठन है। इसका उद्देश्य दुनियाभर के स्वास्थ्य नियामकों को एक साझा मंच पर लाना है, ताकि स्वास्थ्य क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तकनीकों का उपयोग सुरक्षित, नैतिक और प्रभावी रूप से किया जा सके।

GRN के प्रमुख लक्ष्य:

- एआई आधारित स्वास्थ्य नवाचारों में भरोसा और पारदर्शिता स्थापित करना।
- साझा प्रोटोकॉल और संयुक्त निगरानी के ज़रिये सुरक्षा को सुदृढ़ बनाना।
- वैश्विक सहयोग और नियमों के सामंजस्य (harmonization) से जिम्मेदार नवाचार को बढ़ावा देना।
- पंजीकृत एआई स्वास्थ्य उपकरणों की वैश्विक निर्देशिका तैयार करना।
- नई तकनीकों से जुड़े संभावित जोखिमों के बारे में समय रहते चेतावनी जारी करना।
- GRN का मूल उद्देश्य है कि एआई तकनीकों तक न्यायसंगत और सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित हो तथा डिजिटल स्वास्थ्य उपकरणों के लिए एक भरोसेमंद वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र (ecosystem) का निर्माण किया जा सके।

जीआरएन में भारत की भूमिका:

- भारत इस नेटवर्क में अपनी सर्वोत्तम प्रथाएँ (best practices), निगरानी प्रोटोकॉल और नियामक अनुभव साझा करेगा, ताकि स्वास्थ्य क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के सुशासन को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके।
- इस राष्ट्रीय सहयोग का नेतृत्व आईसीएमआर–एनआईआरडीएचडीएस (भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद – राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य एवं डेटा विज्ञान अनुसंधान संस्थान) और INDIAai द्वारा किया जाएगा।

वैश्विक और राष्ट्रीय महत्व:

- भारत की भागीदारी ऐसे समय में हो रही है, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) स्वास्थ्य सेवाओं में तीव्र गति से परिवर्तन ला रहा है, चाहे वह निदान (diagnostics) हो या उपचार योजना (treatment planning)। किंतु, एकीकृत और स्पष्ट नियमों के अभाव में डेटा गोपनीयता, एल्गोरिदमिक पक्षपात (bias) और रोगियों की सुरक्षा जैसी गंभीर चिंताएँ सामने आ रही हैं।

- हेल्थएआई जीआरएन इन चुनौतियों से सामूहिक रूप से निपटने और समन्वित समाधान तलाशने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है।
- भविष्य में जैसे-जैसे स्वास्थ्य क्षेत्र में एआई का विस्तार होगा, भारत की सक्रिय भागीदारी न केवल वैश्विक नियामक क्षमता को सुदृढ़ करेगी, बल्कि यह भी सुनिश्चित करेगी कि एआई-आधारित समाधान भारत की विशिष्ट स्वास्थ्य आवश्यकताओं और चुनौतियों के अनुरूप विकसित हों।

आईसीएमआर-एनआईआरडीएचडीएस के बारे में:

- आईसीएमआर–राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य एवं डेटा विज्ञान अनुसंधान संस्थान (NIRDHDS), भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR), नई दिल्ली की 26 स्थायी संस्थाओं में से एक है।
- इस संस्थान का नाम 10 अप्रैल 2024 को बदला गया था। इससे पहले यह राष्ट्रीय चिकित्सीय सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान (NIMS) के नाम से जाना जाता था।
- NIRDHDS डिजिटल स्वास्थ्य और डेटा विज्ञान के क्षेत्र में एक केंद्रीय भूमिका निभाता है। यह संस्थान महामारी विज्ञान, रोग निगरानी, पोषण, प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य (RCH), कैंसर तथा जनस्वास्थ्य जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान और नीतिगत सहयोग प्रदान करता है।

INDIAai के बारे में:

- INDIAai की शुरुआत 2021 में एक प्रोजेक्ट के रूप में हुई थी।
- 2023 में इसे डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन (DIC) के तहत एक स्वतंत्र व्यवसायिक प्रभाग (business division) के रूप में स्थापित किया गया।
- यह भारत का केंद्रीकृत ज्ञान केंद्र है, जहाँ आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस और उससे संबंधित क्षेत्रों की जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। यह पहल भारत में एआई को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

निष्कर्ष:

हेल्थएआई ग्लोबल रेगुलेटरी नेटवर्क (GRN) में भारत का शामिल होना, स्वास्थ्य क्षेत्र में वैश्विक एआई नेतृत्व की दिशा में एक दूरदर्शी और रणनीतिक कदम है। यह न केवल भारत की जिम्मेदार एआई नियमन के प्रति प्रतिबद्धता को स्पष्ट करता है, बल्कि सुरक्षित, समावेशी और प्रभावी डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण योगदान भी है।

पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच सामरिक पारस्परिक रक्षा समझौता

संदर्भ:

हाल ही में पाकिस्तान और सऊदी अरब ने रियाद में एक सामरिक पारस्परिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का एक प्रावधान यह है कि किसी भी देश पर आक्रमण को दोनों देशों पर आक्रमण माना जाएगा। इस समझौते का उद्देश्य रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना, संयुक्त प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करना और दोनों देशों के ऐतिहासिक साझेदारी को प्रगाढ़ करना है।

प्रमुख प्रावधान:

- **संयुक्त रक्षा दायित्व:** मुख्य धारा का अर्थ है कि किसी एक हस्ताक्षरकर्ता पर हमला होने पर दूसरे पर भी रक्षा का दायित्व स्वतः लागू होगा।
- **सभी सैन्य साधन का उपयोग:** समझौता "आवश्यक सभी रक्षात्मक सैन्य साधनों" के प्रयोग की अनुमति देता है, जो खतरे की प्रकृति पर निर्भर करेगा। इससे व्याख्या की गुंजाइश काफी बढ़ जाती है।
- **स्पष्ट शत्रु का उल्लेख नहीं:** समझौते में किसी भी देश का नाम नहीं लिया गया है कि किसका हमला इस धारा को सक्रिय करेगा। यह जानबूझकर रखी गई अस्पष्टता है, जिससे कूटनीतिक लचीलापन बना रहे।

समझौते के पीछे सामरिक कारण:

- **परिवर्तनशील क्षेत्रीय व्यवस्था में प्रतिरोधक क्षमता**
  - मध्य पूर्व में अमेरिकी सुरक्षा गारंटी पर बढ़ती अनिश्चितता। खाड़ी देश वैकल्पिक सुरक्षा साझेदारी की तलाश में हैं।
  - हाल की क्षेत्रीय तनावपूर्ण घटनाओं की प्रतिक्रिया, जैसे कतर में हमास पर इज़राइल का हमला, जिसने मुस्लिम देशों में सामूहिक सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी।
- **मौजूदा अप्रत्यक्ष संबंधों को औपचारिक रूप देना**
  - पाकिस्तान ने पहले से ही सऊदी अरब को प्रशिक्षण, परामर्श और रक्षा सहयोग प्रदान किया है, लेकिन बिना किसी औपचारिक संधि दायित्व के। यह समझौता उन अनौपचारिक व्यवस्थाओं को संधि स्तर पर स्थापित करता है।
- **अन्य शक्तियों को संदेश**

» ईरान, इज़राइल और वैश्विक शक्तियों की निगरानी में, यह समझौता संकेत देता है कि सऊदी अरब अपनी रक्षा साझेदारियों में विविधता ला रहा है।

- **धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंध**
  - » समझौते को "इस्लामी एकजुटता", साझा रणनीतिक इतिहास और परस्पर हितों के आधार पर भी प्रस्तुत किया गया है।

क्षेत्रीय सुरक्षा एवं पड़ोसी शक्तियों पर प्रभाव:

- **भारत के लिए:**
  - » भारत ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि वह अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा पर इसके प्रभावों का विश्लेषण कर रहा है।
  - » भले ही समझौते में किसी प्रत्यक्ष शत्रु का नाम नहीं है, लेकिन भारत-पाकिस्तान तनाव को देखते हुए इसका अप्रत्यक्ष असर भारत पर पड़ सकता है। भारत को अपनी कूटनीतिक और रक्षा रणनीति को पुनः संतुलित करना पड़ सकता है।
- **खाड़ी और मध्य पूर्व के लिए:**
  - » इस क्षेत्र में, जो ऐतिहासिक रूप से अमेरिकी सुरक्षा पर निर्भर रहा है, पारस्परिक रक्षा संधियों की मिसाल स्थापित करता है।
  - » एक नए सुरक्षा ढांचे को जन्म दे सकता है, जिसमें सऊदी-पाकिस्तान धुरी केंद्र में होगी।
  - » यह सवाल उठाता है कि इज़राइल, ईरान और अमेरिका के हितों के साथ यह समझौता कैसे मेल खाएगा।
- **परमाणु आयाम:**
  - » पाकिस्तान एक परमाणु-संपन्न राष्ट्र है। कुछ बयानों में यह संकेत दिया गया है कि उसकी परमाणु प्रतिरोधक क्षमता रक्षा सहयोग में भूमिका निभा सकती है।
  - » हालांकि, सार्वजनिक समझौते के पाठ में कहीं भी यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि सऊदी अरब की रक्षा के लिए परमाणु हथियारों का प्रयोग किया जाएगा। यह अब भी एक संवेदनशील अस्पष्टता बनी हुई है।

चुनौतियाँ और अस्पष्टताएँ:

- **परिधि में अस्पष्टता:** संभावित आक्रमणकारी का नाम या खतरे की सीमा स्पष्ट न होने से इस धारा को व्यापक रूप से या विवादास्पद रूप से लागू किया जा सकता है।
- **कार्यान्वयन:** संयुक्त रक्षा व्यवस्था जैसे सैनिकों की तैनाती, अड्डे, लॉजिस्टिक्स, परमाणु समन्वय आदि अभी स्पष्ट नहीं हैं।
- **अंतरराष्ट्रीय एवं कानूनी जोखिम:** यदि परमाणु प्रतिरोधक क्षमता को साझा करने का पहलू स्पष्ट रूप से सामने आया तो वैश्विक अप्रसार मानकों के उल्लंघन की आशंका रहेगी।
- **सऊदी अरब के लिए कूटनीतिक संतुलन:** सऊदी अरब भारत सहित अन्य क्षेत्रीय शक्तियों से भी मजबूत संबंध रखता है और उसे अपने वादों को संतुलित करना होगा ताकि अन्य देशों को अलग-थलग न करे।

निष्कर्ष:

पाकिस्तान-सऊदी अरब का पारस्परिक रक्षा समझौता क्षेत्रीय गठबंधनों और सुरक्षा समीकरणों के बदलते स्वरूप को रेखांकित करता है। जटिल भू-राजनीतिक परिस्थितियों के बीच यह समझौता क्षेत्रीय स्थिरता और वैश्विक सुरक्षा पर व्यापक असर डाल सकता है। भारत संतुलित रुख अपनाते हुए इन घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखेगा और अपने राष्ट्रीय सुरक्षा हितों की रक्षा सुनिश्चित करेगा।

ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025

संदर्भ:

हाल ही में वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन (WIPO) ने पोर्टुलांस

इंस्टीट्यूट के सहयोग से ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स (GII) 2025 का 18वां संस्करण प्रकाशित किया।

जीआईआई 2025 की वैश्विक मुख्य बातें:

- **शीर्ष नवप्रवर्तक और रैंकिंग में बदलाव**
  » स्विट्ज़रलैंड पहले स्थान पर बना हुआ है, इसके बाद स्वीडन, अमेरिका, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर का स्थान है।
  » महत्वपूर्ण बात यह है कि चीन पहली बार शीर्ष 10 में शामिल हुआ है और वर्तमान में 10वें स्थान पर है। जर्मनी अब शीर्ष 10 से बाहर हो गया है।
- **नवाचार में बेहतर प्रदर्शन करने वाले देश**
  » कुछ मध्यम और निम्न आय वाले देश अपनी आय के स्तर से बेहतर नवाचार प्रदर्शन कर रहे हैं। इन्हें "ओवर-परफॉर्मर" कहा जाता है। भारत और वियतनाम इस श्रेणी में शामिल हैं।
- **नवाचार निवेश की धीमी गति**
  » वैश्विक स्तर पर अनुसंधान एवं विकास (R&D) की वृद्धि दर घटकर 2024 में 2.9% हो गई, जबकि 2023-24 में यह लगभग 4.4% थी। 2025 के लिए अनुमानित वृद्धि दर 2.3% है।
  » कॉर्पोरेट R&D निवेश कमजोर है, विशेषकर आईसीटी, एआई और फार्मा सेक्टर के बाहर। विनिर्माण और उपभोक्ता वस्तुओं के क्षेत्रों ने अपने निवेश में कटौती की है।
- **वेंचर कैपिटल (VC) रुझान**
  » 2024 में वेंचर कैपिटल सौदों का कुल मूल्य लगभग 7.7% बढ़ा, मुख्य रूप से अमेरिका में बड़े सौदे और जेनरेटिव AI में निवेश के कारण।
  » हालांकि, VC सौदों की संख्या लगातार तीसरे वर्ष लगभग 4.4% घटी है।

भारत का प्रदर्शन – जीआईआई 2025:

- **रैंक और प्रवृत्ति**
  » भारत 139 अर्थव्यवस्थाओं में 38वें स्थान पर है।
  » भारत, सेंट्रल और साउदर्न एशिया में शीर्ष पर है और लोअर-मिडिल इनकम देशों में सबसे अच्छा प्रदर्शन कर रहा है।
- **ओवर-परफॉर्मर का दर्जा**
  » भारत लगातार 15 वर्षों (2011 से) से नवाचार ओवर-परफॉर्मर रहा है, यानी इसकी आय के स्तर की तुलना में नवाचार का प्रदर्शन बेहतर है।
- **भारत की प्रमुख ताकतें**
  » मजबूत आईसीटी (सूचना और संचार प्रौद्योगिकी) सेवाओं का निर्यात।
  » जीवंत स्टार्टअप इकोसिस्टम – यूनिकॉर्न कंपनियों का मूल्यांकन, लेट-स्टेज VC डील्स, अमूर्त संपत्तियों का विस्तार।
  » बेहतर ज्ञान सृजन – वैज्ञानिक प्रकाशनों और पेटेंट फाइलिंग में वृद्धि।
  » इनोवेशन क्लस्टर्स – भारत के चार क्लस्टर वैश्विक शीर्ष-100 में (बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई)।

ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स (GII) के बारे में:

- ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स हर वर्ष वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन (WIPO) द्वारा पोर्टुलांस इंस्टीट्यूट के साथ साझेदारी में प्रकाशित किया जाता है। इसकी शुरुआत 2007 में हुई थी।
- यह लगभग 139 अर्थव्यवस्थाओं के नवाचार प्रदर्शन का आकलन करता है और करीब 80 संकेतकों (इंडिकेटर्स) का उपयोग करता है।

निष्कर्ष:

भारत ने नवाचार के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। यह 2020 में 48वें स्थान से बढ़कर 2024 में 39वें और अब 2025 में 38वें स्थान पर पहुंच गया है। यह उपलब्धि अनुसंधान एवं विकास (R&D) में बढ़ते निवेश, हाई-टेक्नोलॉजी निर्यात और बौद्धिक संपदा (IP) फाइलिंग में वृद्धि की वजह

से संभव हुई है। उच्च-आय वाले देशों के साथ नवाचार के अंतर को कम करने के लिए देशों को संरचनात्मक सुधार लागू करने होंगे, अनुसंधान एवं विकास (R&D) में निवेश बढ़ाना होगा, सभी के लिए नवाचार तक समावेशी पहुंच सुनिश्चित करनी होगी और सतत (सस्टेनेबल) नवाचार को प्राथमिकता देनी होगी, जो पर्यावरणीय और आर्थिक लक्ष्यों का संतुलन बनाए।

अमेरिकी एच 1बी वीज़ा

संदर्भ:

हाल ही में अमेरिका ने नए H-1B वर्क वीज़ा के लिए शुल्क बढ़ाकर प्रति वर्ष 1 लाख डॉलर कर दिया। इससे पहले यह शुल्क 2,000 से 5,000 डॉलर के बीच था, जो नियोक्ता के अनुसार और अन्य कारकों पर निर्भर करता था।

H-1B वीज़ा फीस वृद्धि का महत्व:

- सभी अनुमोदित एच-1बी आवेदनों में 71% भारतीय हैं, जबकि चीन इसका दूसरा सबसे बड़ा समूह है।
- तकनीकी कंपनियां कुशल कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए एच-1बी वीज़ा पर अत्यधिक निर्भर हैं और अंतर्राष्ट्रीय छात्र इसे अमेरिका में अध्ययन से रोजगार में संक्रमण के लिए उपयोग करते हैं।

आईटी/तकनीकी सेवा क्षेत्र पर प्रभाव:

- भारत की कंपनियों के लिए अमेरिका में कुशल कर्मचारियों को तैनात करने की लागत बढ़ जाएगी।
- इससे व्यवसाय की निरंतरता में बाधा, परियोजनाओं में देरी या कंपनियों की तैनाती रणनीति पर पुनर्विचार हो सकता है।
- आईटी निर्यात के अनुमानित विकास पर असर: कुछ रिपोर्टों (जैसे एमके) के अनुसार, अगर यह शुल्क वृद्धि बनी रहती है, तो वित्त वर्ष 2026 में भारत का आईटी निर्यात विकास 4% से कम रह सकता है।

H-1B वीज़ा के बारे में:

- **उद्देश्य:** यह अमेरिकी कंपनियों को कुशल विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करने की अनुमति देता है, जिनके लिए विशेष ज्ञान या विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है, जैसे कि आईटी, इंजीनियरिंग या वित्त क्षेत्र में।
- **योग्यता:** आवेदक के पास कम से कम स्नातक की डिग्री होनी चाहिए और उन्हें ऐसे क्षेत्र में काम करना चाहिए, जहाँ उच्च स्तर के कौशल की जरूरत हो।
- **शुरुआत कब और क्यों हुई?**
  - H-1B प्रोग्राम 1990 में शुरू किया गया था।
  - लक्ष्य: अमेरिकी नियोक्ताओं को उन नौकरियों के लिए विदेशी पेशेवरों की अस्थायी भर्ती में मदद करना, जहाँ योग्य अमेरिकी कर्मचारियों की उपलब्धता कम हो।
- **वीज़ा की अवधि:**
  - प्रारंभ में यह 3 साल के लिए वैध होता है।
  - इसे एक बार बढ़ाया जा सकता है, जिससे अधिकतम अवधि 6 साल तक हो जाती है।
- **वार्षिक सीमा (कैप):**
  - नियमित कोटे के तहत हर साल 65,000 वीज़ा जारी किए जाते हैं।
  - अमेरिकी विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री या उससे ऊपर की डिग्री वाले उम्मीदवारों के लिए अतिरिक्त 20,000 वीज़ा निर्धारित हैं।

भारत के लिए चिंता का विषय क्यों?

हाल ही में अमेरिका द्वारा H-1B वीज़ा फीस में वृद्धि ने भारत की विकास मॉडल में गहरी संरचनात्मक कमजोरियों को उजागर किया है।

- **बाहरी कारकों पर अत्यधिक निर्भरता:** भारत कुशल नौकरियों, उच्च शिक्षा और तकनीकी अवसरों के लिए विदेशी बाजारों, खासकर अमेरिका, पर बहुत अधिक निर्भर है। ऐसे में विदेशों में किसी भी नीति परिवर्तन का सीधा असर भारत पर पड़ता है और घरेलू व्यवधानों का

कारण बनता है।

- **कमज़ोर घरेलू रोजगार व्यवस्था:** भारत में उच्च स्तरीय नौकरियों और अनुसंधान के अवसर सीमित हैं। यही कारण है कि कई पेशेवर विदेशों में करियर बनाने को मजबूर होते हैं। लेकिन जब ऐसे अवसर सिमटते हैं तो उनके पास विकल्प बहुत कम रह जाते हैं।
- **निर्यात मॉडल की जोखिमपूर्ण प्रकृति:** भारत का आईटी सेक्टर ऑनसाइट तैनाती के लिए H-1B वीज़ा पर अत्यधिक निर्भर है। बढ़ी हुई लागत से अब कंपनियों की लाभप्रदता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा दोनों खतरे में पड़ सकती हैं।
- **नीतिगत तैयारी की कमी:** अमेरिका के इस अचानक फैसले ने यह दिखा दिया कि भारत के पास न तो समय रहते चेतावनी पाने की कोई सुदृढ़ प्रणाली है और न ही पर्याप्त लचीलापन और कूटनीतिक सुरक्षा।
- **सामाजिक और रणनीतिक असर:** यह सिर्फ आर्थिक प्रभाव तक सीमित नहीं है। इसका असर भारतीय परिवारों, रेमिटेंस (विदेश से भेजी जाने वाली धनराशि) और लोगों की आकांक्षाओं पर भी पड़ता है। साथ ही, यह भारत के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के तहत रणनीतिक स्वतंत्रता को भी चुनौती देता है।

आगे की राह:

- भारत को चाहिए कि:
  - » घरेलू नवाचार और रोजगार सृजन को और मज़बूत बनाए।
  - » कूटनीतिक सहयोग और संवाद को बेहतर करे।
  - » निर्यात, मानव संसाधन (टैलेंट) और आपूर्ति श्रृंखला में अधिक लचीलापन विकसित करे।

निष्कर्ष:

H-1B वीज़ा से जुड़ा मुद्दा कोई अकेली चुनौती नहीं है, बल्कि यह भारत की गहरी रणनीतिक निर्भरताओं को उजागर करता है। यह इस बात की ओर संकेत करता है कि भारत के लिए अवसर संरचनाओं में विविधता लाना, घरेलू क्षमताओं को सुदृढ़ करना और भविष्य के लिए तैयार एक लचीला तथा टिकाऊ विकास मॉडल तैयार करना अत्यंत आवश्यक है।

भारत-मोरक्को रक्षा समझौता

संदर्भ:

22 सितंबर 2025 को भारत और मोरक्को के बीच रक्षा सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए। इसी अवसर पर, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रबात स्थित भारतीय दूतावास में एक रक्षा विंग स्थापित करने की भी घोषणा की।

समझौते की मुख्य विशेषताएँ:

विशेषता	विवरण
संस्थागत ढांचा	यह समझौता ज्ञापन रक्षा गतिविधियों के समन्वय के लिए संयुक्त तंत्रों के माध्यम से सहयोग को औपचारिक रूप देता है।
सहयोग के क्षेत्र	रक्षा उद्योग एवं सह-निर्माण, संयुक्त सैन्य अभ्यास, प्रशिक्षण, आतंकवाद से मुकाबला, समुद्री सुरक्षा, साइबर रक्षा, सैन्य चिकित्सा, शांति स्थापना अभियान आदि।
रबात में रक्षा विंग	मोरक्को में भारतीय दूतावास में एक समर्पित सेल/इकाई, जो रक्षा सहयोग का समन्वय करेगी और रणनीतिक साझेदारियों के लिए एक अग्रिम कार्यालय के रूप में काम करेगी।
निर्माण सुविधा	टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स मोरोक में व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म (WhAP 8×8) का निर्माण होगा। यह अफ्रीका में भारत का पहला रक्षा निर्माण संयंत्र है, जो औद्योगिक कूटनीति और निर्यात क्षमता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

नए रक्षा समझौते का महत्व:

- **अफ्रीका में भारत की बढ़ती भूमिका**
  - » भारत ने मोरक्को में रक्षा विंग स्थापित किया है।
  - » इससे भारत अफ्रीकी देशों के साथ सिर्फ व्यापार ही नहीं, बल्कि सुरक्षा और रक्षा के क्षेत्र में भी जुड़े रह पाएगा।
- **भारत-मोरक्को संबंध की मजबूती**
  - » यह रक्षा समझौता दोनों देशों के बीच विश्वास बढ़ाता है।
  - » अब वे संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण, तकनीक साझा करने और रक्षा उपकरण बनाने की योजनाएँ बना सकते हैं।
- **महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों तक पहुँच**
  - » मोरक्को अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर के पास स्थित है।
  - » मोरक्को की मदद से भारत नई जगहों पर नौसेना की उपस्थिति बढ़ा सकता है और समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है।

- **रक्षा क्षेत्र में 'मेक इन इंडिया' का समर्थन**
  - » भारतीय कंपनी टाटा, मोरक्को में रक्षा वाहन बना रही है।
  - » यह दर्शाता है कि भारत अब केवल आयातक नहीं, बल्कि निर्माता और निर्यातक भी बन रहा है।
- **वैश्विक सुरक्षा में सहयोग**
  - » भारत और मोरक्को आतंकवाद, साइबर खतरे और शांति स्थापना अभियानों पर मिलकर काम करेंगे।
  - » यह भारत के वैश्विक शांति और सुरक्षा प्रयासों में भागीदारी के लक्ष्य का समर्थन करता है।
- **वैश्विक राजनीति में बड़ी तस्वीर**
  - » भारत दुनिया को दिखा रहा है कि वह अफ्रीका में अपनी भूमिका बढ़ाना चाहता है, खासकर रक्षा क्षेत्र में।
  - » मोरक्को को यूरोपीय संघ और अरब देशों के अलावा एक नया रणनीतिक साथी मिला।
  - » यह समझौता अफ्रीका में चीन और अन्य शक्तियों के प्रभाव को संतुलित करने में भी मदद करता है।

भारत-मोरक्को संबंध के बारे में:

- **राजनयिक संबंध:**
  - » भारत का मोरक्को में दूतावास रबात में है।
  - » मोरक्को का दूतावास नई दिल्ली में है और मुंबई, कोलकाता में वाणिज्य दूतावास हैं, साथ ही बैंगलोर में प्रस्तावित दूतावास है।
  - » दोनों देश गुटनिरपेक्ष आंदोलन (एनएएम) के सदस्य हैं।
- **ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:**
  - » मोरक्को के खोजकर्ता इब्न बतूता ने 1300 के दशक में दिल्ली का दौरा किया और मुहम्मद बिन तुगलक के शासन में न्यायाधीश बने।
  - » भारत ने यूएन में मोरक्को की उपनिवेशवाद विरोधी गतिविधियों का समर्थन किया।
  - » भारत ने मोरक्को को 20 जून 1956 को मान्यता दी और राजनयिक संबंध 1957 में शुरू हुए।
- **व्यापार और आर्थिक संबंध:**
  - » भारत 2021 की पहली छमाही में मोरक्को का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साथी था।
  - » मुख्य आयात: फॉस्फेट और उसके उत्पाद।
  - » मोरक्को ऊर्जा, आईटी, स्वास्थ्य सेवा आदि में भारतीय निवेश चाहता है।

निष्कर्ष:

भारत-मोरक्को रक्षा समझौता और रबात में रक्षा विंग की स्थापना, दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह समझौता क्षेत्रीय सुरक्षा बढ़ाने, रक्षा सहयोग को प्रोत्साहित करने और भारत-मोरक्को के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की क्षमता रखता है।

फ़ोरम फ़ॉर इंडिया–पैसिफ़िक आइलैंड्स कोऑपरेशन (FIPIC)

सन्दर्भ:

हाल ही में विदेश मंत्री (EAM) डॉ. एस. जयशंकर ने न्यूयॉर्क में फ़ोरम फ़ॉर इंडिया–पैसिफ़िक आइलैंड्स कोऑपरेशन (FIPIC) की विदेश मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी की। यह महत्वपूर्ण संवाद 80वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के दौरान हुआ, जो भारत की पैसिफ़िक द्वीप देशों के साथ संबंधों को मज़बूत करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

बैठक की मुख्य उपलब्धियाँ:

- **12-सूत्रीय कार्य योजना पर प्रगति:** बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित 12-सूत्रीय विकास एजेंडे के तहत हुई प्रगति को स्वीकार किया गया।
- **द्विपक्षीय संबंधों को मज़बूती:** चर्चाओं का केंद्र भारत और पैसिफ़िक द्वीप देशों की साझेदारी को गहरा करना रहा, जिन्हें भारत

ने महत्त्वपूर्ण विकास साझेदार माना।

- **क्षमता निर्माण की प्रतिबद्धता:** बैठक में प्रशिक्षण और कौशल विकास के अवसर प्रदान करने के प्रयासों को रेखांकित किया गया, जिससे स्थानीय जनसंख्या सशक्त हो और क्षेत्रीय चुनौतियों का सामना करने की क्षमता बढ़े।

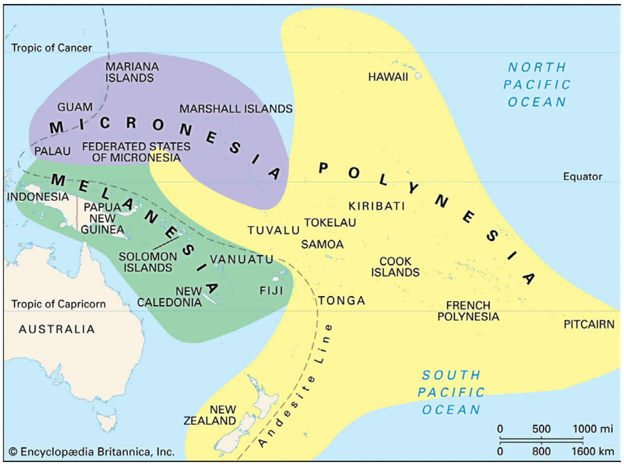

बैठक का महत्व:

- **भारत की "एक्ट ईस्ट" नीति का सुदृढ़ीकरण:** FIPIC विदेश मंत्रियों की बैठक भारत की एक्ट ईस्ट नीति से प्रेरित लगती है, जिसका उद्देश्य हिंद-प्रशांत क्षेत्र के साथ संबंधों को मज़बूत करना है। पैसिफ़िक द्वीप देशों के साथ संवाद के ज़रिए भारत इस महत्त्वपूर्ण क्षेत्र में अपना सामरिक और आर्थिक प्रभाव बढ़ाना चाहता है।
- **सतत विकास को बढ़ावा:** बैठक में साझा चुनौतियों जैसे जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाएँ और स्वास्थ्य सेवाएँ जैसे मुद्दे शामिल रहे, जिनके लिए सामूहिक समाधान की आवश्यकता पर बल दिया गया। इन क्षेत्रों में भारत का सहयोग उसके सतत विकास और क्षेत्रीय स्थिरता के प्रति समर्पण को दर्शाता है।
- **बहुपक्षीय कूटनीति का संवर्द्धन:** UNGA के दौरान FIPIC बैठक की मेज़बानी भारत की बहुपक्षीय कूटनीति में सक्रिय भूमिका को दर्शाती है। यह भारत की उस भूमिका को रेखांकित करता है, जिसमें वह विविध देशों के बीच संवाद और सहयोग का सुगमकर्ता बनता है और वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति को मज़बूत करता है।

फ़ोरम फ़ॉर इंडिया–पैसिफ़िक आइलैंड्स कोऑपरेशन के बारे में:

- फ़ोरम फ़ॉर इंडिया–पैसिफ़िक आइलैंड्स कोऑपरेशन (FIPIC) एक कूटनीतिक पहल है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2014 में फ़िजी की यात्रा के दौरान शुरू किया था।
- इसका उद्देश्य 14 पैसिफ़िक द्वीप देशों के साथ भारत की भागीदारी को मज़बूत करना है: कुक आइलैंड्स, फ़िजी, किरिबाती, मार्शल आइलैंड्स, माइक्रोनेशिया, नाउरु, नियू, पलाउ, पापुआ न्यू गिनी, सामोआ, सोलोमन आइलैंड्स, टोंगा, तुवालु और वानुआतु।
- ये देश भले ही भारत से भौगोलिक रूप से दूर हों, लेकिन इनके पास विशाल विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (EEZ) हैं और समुद्री सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा सतत विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग के बड़े अवसर प्रदान करते हैं।
- मई 2023 में पापुआ न्यू गिनी की राजधानी पोर्ट मोरेस्बी में हुए तीसरे FIPIC शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने एक व्यापक 12-सूत्रीय विकास योजना प्रस्तुत की थी। इस एजेंडे का केंद्र स्वास्थ्य सेवा, नवीकरणीय ऊर्जा, क्षमता निर्माण और सामुदायिक कल्याण रहा।

निष्कर्ष:

विदेश मंत्री जयशंकर द्वारा मेज़बानी की गई 2025 की FIPIC विदेश मंत्रियों की बैठक भारत और पैसिफ़िक द्वीप देशों के बीच संबंधों को मज़बूत करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण रही। सहयोगात्मक पहलों और सतत विकास के प्रति साझा प्रतिबद्धता के ज़रिए दोनों पक्ष 21वीं सदी की चुनौतियों का समाधान करने हेतु एक मज़बूत और दीर्घकालिक साझेदारी स्थापित करना चाहते हैं।

संयुक्त राष्ट्र द्वारा ईरान पर पुनः प्रतिबंध

संदर्भ:

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने ईरान पर कई प्रतिबंध फिर से लागू कर दिए हैं, जिनमें हथियारों के निर्यात पर रोक भी शामिल है। ये प्रतिबंध 2015 के परमाणु समझौते (JCPOA) में निहित "स्नैपबैक" तंत्र को सक्रिय करके लगाए गए हैं। इस स्नैपबैक की शुरुआत ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ("E3") ने की थी, जिन्होंने तेहरान पर परमाणु समझौते की अपनी प्रतिबद्धताओं का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था।

"स्नैपबैक" तंत्र के बारे में:

- स्नैपबैक तंत्र, संयुक्त व्यापक कार्य योजना (जेसीपीओए) और यूएनएससी संकल्प 2231 (2015) का एक प्रावधान है। इसके तहत किसी भी जेसीपीओए सहभागी देश को यह अधिकार है कि वह ईरान पर पहले से हटाए गए संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंधों को फिर से लागू

कर सकते हैं, यदि उसे लगता है कि ईरान ने समझौते के तहत अपने दायित्वों का उल्लंघन किया है।

- इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि यदि ईरान अपनी प्रतिबद्धताओं का उल्लंघन करता है, तो स्थायी सदस्य के वीटो द्वारा अवरोध उत्पन्न किए बिना, बहुपक्षीय प्रतिबंधों को शीघ्रता से बहाल करने का मार्ग उपलब्ध हो।

कौन से प्रतिबंध बहाल किए गए?

- स्नैपबैक से संयुक्त राष्ट्र की कई बाधाएं पुनः बहाल हो गई हैं, जिन्हें जेसीपीओए के तहत हटा दिया गया था, जिनमें सबसे उल्लेखनीय हैं:
  - » ईरान को पारंपरिक हथियारों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध ;
  - » बैलिस्टिक मिसाइल से संबंधित हस्तांतरण और प्रौद्योगिकी पर प्रतिबंध;
  - » ईरान के परमाणु या मिसाइल कार्यक्रमों से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं के लिए पदनाम, संपत्ति फ्रीज और यात्रा प्रतिबंध;
  - » संदिग्ध शिपमेंट के लिए निरीक्षण और अवरोधन उपायों में वृद्धि।

रणनीतिक और क्षेत्रीय प्रभाव:

- ईरान की अर्थव्यवस्था, जो पहले से ही दबाव में है और अधिक तनाव में आ सकती है, जिससे उसकी मुद्रा स्थिरता, निवेश और व्यापार प्रभावित हो सकते हैं।
- मध्य पूर्व में सुरक्षा स्थिति तनावपूर्ण हो सकती है। खाड़ी देश और इज़राइल, जो ईरान की सैन्य और परमाणु क्षमताओं को लेकर सतर्क हैं, प्रतिबंधों का स्वागत कर सकते हैं, जबकि तेहरान के सहयोगी कूटनीतिक और सामरिक उपाय अपनाकर प्रतिक्रिया दे सकते हैं।
- **परमाणु मुद्दा:** प्रतिबंधों से तेहरान की स्थिति और अधिक कठोर हो सकती है और परमाणु संबंधी प्रगति को बढ़ावा मिल सकता है। दूसरी ओर, यदि भरोसेमंद प्रोत्साहन दिए जाएँ तो ये प्रतिबंध ईरान को फिर से वार्ता के लिए तैयार कर सकते हैं।
- **वैश्विक शासन:** यह घटना बहुपक्षीय विवाद समाधान तंत्र की परीक्षा है और यह दर्शाती है कि सुरक्षा परिषद के सदस्यों के बीच भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, गैर-प्रसार नियमों के प्रभावी कार्यान्वयन को जटिल बना सकती है।

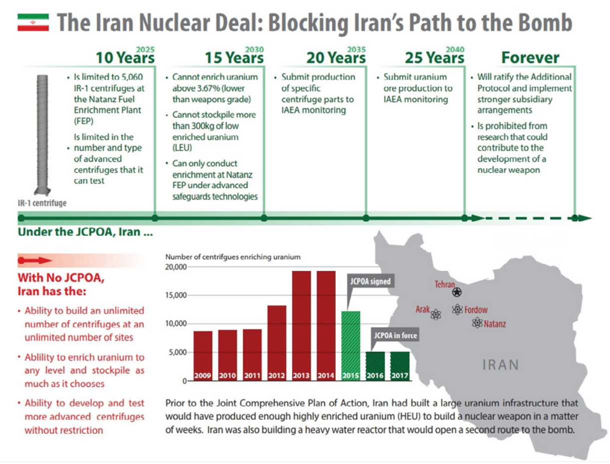

संयुक्त व्यापक कार्य योजना (जेसीपीओए) के बारे में:

- संयुक्त व्यापक कार्य योजना (जेसीपीओए) ईरान और पी5+1 देशों (चीन, फ्रांस, जर्मनी, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका) तथा यूरोपीय संघ के बीच 2015 का एक परमाणु समझौता है।
- इसका प्राथमिक उद्देश्य ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर कड़ी सीमाएं लगाकर उसे परमाणु हथियार विकसित करने से रोकना है।
- इस समझौते के तहत ईरान की प्रमुख प्रतिबद्धताओं में शामिल हैं: उसके संवर्धित यूरेनियम भंडार को 98% तक कम करना, यूरेनियम संवर्धन स्तर को 3.67% पर सीमित करना और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) को कठोर निरीक्षण करने की अनुमति देना।
- इसके परिणामस्वरूप, ईरान पर लगे आर्थिक प्रतिबंध हटा दिए गए। हालाँकि, अमेरिका 2018 में इस समझौते से बाहर निकल गया, जिसके कारण तनाव फिर से बढ़ गया और ईरान ने परमाणु संवर्धन का उच्च स्तर फिर से शुरू कर दिया।

निष्कर्ष:

संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्नैपबैक प्रतिबंधों (जिसमें हथियारों पर नया प्रतिबंध भी शामिल है) को फिर से लागू करना ईरान परमाणु मुद्दे में एक महत्वपूर्ण विकास है। यह कानूनी रूप से जटिल और राजनीतिक रूप से संवेदनशील कदम है। यह तेहरान पर दबाव डालता है, लेकिन इसके कार्यान्वयन, मानवीय प्रभाव और नई वार्ता की संभावनाओं पर सवाल भी उठता है। भविष्य में यह तय होगा कि ये प्रतिबंध ईरान को समझौते के लिए तैयार करेंगे या इसके परिणामस्वरूप बढ़ती कार्रवाई में और तनाव होगा, जिसका क्षेत्रीय स्थिरता और बहुपक्षीय गैर-प्रसार तंत्रों की विश्वसनीयता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा।

4 पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

भारत की भूतापीय ऊर्जा नीति 2025: भूमिगत ऊष्मा से सतत भविष्य की ओर

संदर्भ:

भारत ने जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध अपनी लड़ाई के हिस्से के रूप में दुनिया के सबसे महत्वाकांक्षी नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों में से कुछ तय किए हैं, जिसका स्पष्ट लक्ष्य 2070 तक नेट ज़ीरो अर्थव्यवस्था बनना है। इस यात्रा में, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जलविद्युत और बायोएनर्जी जैसे स्रोत अग्रणी रहे हैं और अब भारत के नवीकरणीय ऊर्जा मिश्रण की रीढ़ बन चुके हैं। लेकिन एक और प्राकृतिक स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है जो भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, परंतु अब तक इसका उपयोग बहुत कम हुआ है जिसे भू-तापीय ऊर्जा कहा जाता है, अर्थात पृथ्वी के भीतर गहराई में संग्रहीत ऊष्मा।

भारत की विशिष्ट भौगोलिक स्थितियों के कारण, जैसे गर्म पानी के झरने, भू-तापीय प्रांत और रिफ्ट बेसिन, के बावजूद यह ऊर्जा स्रोत अधिकांशतः अप्रयुक्त रहा है। इस कमी को पहचानते हुए, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) ने पहली बार सितंबर 2025 में राष्ट्रीय भू-तापीय ऊर्जा नीति प्रस्तुत की है। यह नई नीति भारत को इस छिपे हुए संसाधन की खोज और उपयोग में आगे बढ़ाने के लिए बनाई गई है। इसका ध्यान प्रोत्साहनों, नियामक सुधारों और वैश्विक नेताओं के साथ सहयोग पर है, ताकि ऐसे भू-तापीय प्रोजेक्ट विकसित किए जा सकें जो बिजली और हीटिंग दोनों उपलब्ध करा सकें।

यह कदम भारत की नवीकरणीय ऊर्जा यात्रा के एक नए अध्याय की शुरुआत को दर्शाता है। यह सूर्य, पवन और जल से आगे जाकर पृथ्वी की सतह के नीचे की ऊष्मा को भविष्य के लिए एक विश्वसनीय और स्वच्छ ऊर्जा स्रोत के रूप में देखता है।

भू-तापीय ऊर्जा क्या है?

- भू-तापीय ऊर्जा पृथ्वी की परत के नीचे संग्रहीत ऊष्मा है। इसे दो प्रमुख तरीकों से उपयोग किया जा सकता है:
  - उच्च-एन्थैल्पी संसाधन (जो आमतौर पर ज्वालामुखीय क्षेत्रों, गीजर और गर्म पानी के झरनों के पास पाए जाते हैं) मुख्यतः विद्युत उत्पादन के लिए उपयोग किए जाते हैं।
  - निम्न और मध्यम एन्थैल्पी संसाधन (गर्म चट्टानें, सतही परतें) प्रत्यक्ष उपयोग अनुप्रयोगों के लिए अधिक उपयुक्त हैं, जैसे जिला स्तर हीटिंग, जीएसएचपी (GSHP) द्वारा कूलिंग, ग्रीनहाउस हीटिंग, मत्स्य पालन, खाद्य सुखाना और स्थान कंडीशनिंग।
- एक सामान्य भू-तापीय प्रणाली में शामिल हैं:
  - उत्पादन और पुनःइंजेक्शन (कुएँ और पंप),
  - परिवहन (पाइपलाइन),
  - वितरण (हीट एक्सचेंजर), और
  - अंतिम उपयोग अनुप्रयोग (विद्युत, हीटिंग, कूलिंग या औद्योगिक प्रक्रियाएँ)।
- सौर या पवन के विपरीत, भू-तापीय ऊर्जा 24/7 बिजली उत्पन्न कर सकती है, जिससे यह एक विश्वसनीय बेसलोड स्रोत बनती है जो ग्रिड स्थिरता को मजबूत करती है और ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाती है, विशेष रूप से दूरस्थ क्षेत्रों में।

भारत की भू-तापीय क्षमता:

- भारत की भूवैज्ञानिक विविधता भू-तापीय अवसरों की एक श्रृंखला प्रदान करती है। 1973 से, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) ने 381 गर्म पानी के झरनों की पहचान की है, जिनका सतही तापमान

35°C से 89°C तक है। जहाँ हिमालयी क्षेत्रों में लगभग 200°C तक का जलाशय तापमान पाया जा सकता है, वहीं अधिकांश भारतीय स्थलों का तापमान मध्यम-से-निम्न एन्थैल्पी ज़ोन (100°C–180°C) में आता है, जिससे वे प्रत्यक्ष-उपयोग अनुप्रयोगों के लिए अधिक उपयुक्त हैं।

- **GSI द्वारा पहचाने गए 10 प्रमुख भू-तापीय प्रांत:**
  - हिमालयन भू-तापीय प्रांत
  - नागा-लुसाई प्रांत
  - अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
  - सोन-नर्मदा-तापी (SONATA)
  - पश्चिमी तट
  - कंबे ग्रैबेन (गुजरात)
  - अरावली प्रांत
  - महानदी प्रांत
  - गोदावरी प्रांत
  - दक्षिण भारतीय क्रेटोनिक
- **मुख्य भू-तापीय स्थल:**
  - **लद्दाख:** पगा, चुमाथांग, नुब्रा (पनामिक), डेमचोक
  - **हिमाचल प्रदेश:** मणिकरण, कसोल, तत्तापानी
  - **उत्तराखंड:** तपोवन, जोशीमठ, यमुनोत्री, गंगनानी
  - **अरुणाचल प्रदेश:** त्सेचु (तवांग), ताकशिंग
  - **गुजरात:** कैम्बे बेसिन, धोलेरा, तुलसीश्याम
  - **झारखंड और छत्तीसगढ़:** तंतलोई, सूरजकुंड, तत्तापानी
  - **महाराष्ट्र:** उंहवरे, तूरल
  - अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
- अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) ने भारत की भू-तापीय क्षमता का अनुमान 10.6 GW लगाया है, जो कि नई प्रौद्योगिकियों जैसे एन्हांस्ड भू-तापीय सिस्टम (EGS) के साथ और बढ़ सकती है।

भारत में भू-तापीय ऊर्जा का महत्व:

- **विश्वसनीय बेसलोड पावर:** सौर और पवन के विपरीत, भू-तापीय संयंत्र 80% से अधिक क्षमता उपयोग के साथ लगातार चल सकते हैं।
- **दूरस्थ क्षेत्रों के लिए लागत-प्रभावी:** उदाहरण के लिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जहाँ बिजली की लागत ₹30–32 प्रति यूनिट है, भू-तापीय इसे ₹10–11 तक कम कर सकती है।
- **ठंडे क्षेत्रों के लिए हीटिंग:** लद्दाख में भू-तापीय बिजली और स्थान हीटिंग दोनों उपलब्ध करा सकती है, जिससे महंगे डीज़ल आयात पर निर्भरता घटती है।
- **उपयोग किये हुए तेल कुओं का पुन: उपयोग:** गुजरात और राजस्थान में हजारों निष्क्रिय कुएँ भू-तापीय उपयोग के लिए अनुकूलित किए जा सकते हैं, जिससे लागत कम होगी और परिसंपत्तियों का जीवन बढ़ेगा।
- **पर्यावरणीय लाभ:** भू-तापीय संयंत्र जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली संयंत्रों की तुलना में 99% कम CO_2 उत्सर्जित करते हैं।
- **नवीकरणीय ऊर्जा का विविधीकरण:** यह भारत के नवीकरणीय ऊर्जा पोर्टफोलियो में सौर, पवन, बायोमास और जलविद्युत के अलावा एक और स्तंभ जोड़ता है।

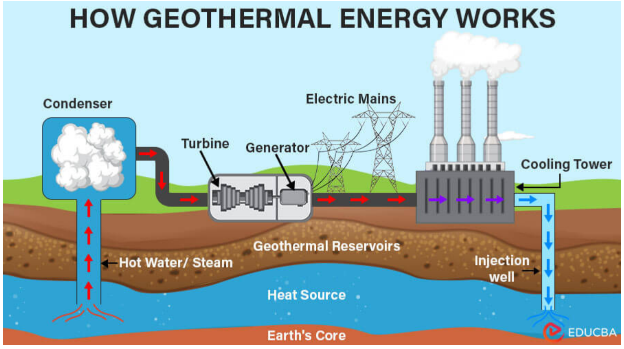

राष्ट्रीय भू-तापीय ऊर्जा नीति (2025):

- यह नीति, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) द्वारा जारी की गई, निवेश आकर्षित करने, जोखिम घटाने और सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है।
- **नीति की प्रमुख विशेषताएँ:**
  - **दायरा और हितधारक:** केंद्र/राज्य सरकारें, सार्वजनिक/निजी डेवलपर्स, शैक्षणिक संस्थान, स्टार्टअप और भू-तापीय खोज में शामिल एजेंसियाँ।
  - **परियोजना अवधि:** भू-तापीय परियोजनाओं को 30 वर्षों तक समर्थन, संसाधन उपलब्धता के आधार पर बढ़ाई जा सकती है।
  - **निजी और विदेशी निवेश:** भू-तापीय परियोजनाओं में 100% एफडीआई की अनुमति।
  - **राजकोषीय प्रोत्साहन:** टैक्स हॉलिडे, आयात शुल्क छूट और व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (VGF)।
  - **वित्तपोषण:** IREDA और अन्य संस्थानों द्वारा सॉफ्ट लोन।
  - **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:** आइसलैंड, नॉर्वे, अमेरिका और

इंडोनेशिया के साथ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और आरएंडडी साझेदारी।

- **आरएंडडी फोकस:** MNRE की RE-R&D योजना के तहत पायलट प्रोजेक्ट, तकनीकी समर्थन और प्रशिक्षण के लिए उत्कृष्टता केंद्र (CoEs) की स्थापना।
- **डेटा रिपॉजिटरी:** GSI, CSIR-NGRI, DGH और CGWB के साथ राष्ट्रीय भू-तापीय डेटाबेस का निर्माण।
- **नीति समीक्षा:** हितधारकों की प्रतिक्रिया के आधार पर समय-समय पर दिशानिर्देशों को अपडेट किया जाएगा।

भू-तापीय विकास में चुनौतियाँ:

- **उच्च प्रारंभिक लागत:** लगभग ₹36 करोड़ प्रति मेगावाट क्षमता सौर या पवन की तुलना में काफी अधिक।
- **खोज जोखिम:** व्यवहार्य भू-तापीय जलाशय का पता लगाने के लिए व्यापक सर्वेक्षण और ड्रिलिंग की आवश्यकता होती है, जिनके परिणाम अनिश्चित हो सकते हैं।
- **नियामक ओवरलैप:** कई कानून लागू होते हैं, जैसे खनिज और खनिज अधिनियम (1957), विद्युत अधिनियम (2003), पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (1986) और वन एवं वन्यजीव नियम।
- **भारत में सीमित अनुभव:** सौर और पवन की तुलना में, भू-तापीय तकनीक और विशेषज्ञता भारत में अभी शुरुआती अवस्था में है।

वैश्विक अनुभव और भारत के लिए सबक:

- वैश्विक स्तर पर भू-तापीय बिजली क्षमता 2024 में 15.4 GW थी, जिसमें अमेरिका, इंडोनेशिया और फिलीपींस अग्रणी हैं। आइसलैंड और नॉर्वे जैसे देशों ने उन्नत भू-तापीय प्रणालियों और प्रत्यक्ष उपयोग अनुप्रयोगों जैसे जिला हीटिंग और मत्स्य पालन में अग्रणी भूमिका निभाई है।
  - **संयुक्त राज्य अमेरिका:** बिजली और हीटिंग दोनों में भू-तापीय का उपयोग, प्रौद्योगिकी कंपनियों द्वारा डेटा केंद्रों को चलाने में बढ़ती रुचि।
  - **इंडोनेशिया:** ज्वालामुखीय भूगोल के कारण तेजी से भू-तापीय क्षमता का विस्तार।
  - **जर्मनी:** जिला हीटिंग नेटवर्क में भू-तापीय का एकीकरण।
  - **आइसलैंड:** लगभग सभी घर भू-तापीय से गर्म किए जाते हैं, प्रत्यक्ष उपयोग की क्षमता दर्शाते हुए।

भारत में हाल के विकास:

- **वेदांता और IIT मद्रास परियोजना राजस्थान में:** बाड़मेर में त्यक्त तेल कुओं को पुनः अनुकूलित कर 450 kWh बिजली उत्पन्न करना।
- **रिलायंस इंडस्ट्रीज:** अपनी तेल और गैस व्यवसाय के माध्यम से भू-तापीय में विस्तार की योजना की घोषणा।
- **पायलट अध्ययन:** नॉर्वे और आइसलैंड की कंपनियाँ कंबे की खाड़ी (गुजरात), अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड में परियोजनाओं का अन्वेषण कर रही हैं।
- **अमेरिकी व्यापार प्रशासन (2024):** लद्दाख में पगा और चुमाथांग को संभावित स्थलों के रूप में पहचाना।

व्यापक प्रभाव:

- **ऊर्जा सुरक्षा:** जीवाश्म ईंधन आयात पर निर्भरता कम करता है।
- **विकेन्द्रित विद्युत:** दूरस्थ, पहाड़ी और द्वीपीय क्षेत्रों में स्थानीय ऊर्जा जरूरतों का समर्थन।
- **औद्योगिक अनुप्रयोग:** कोल्ड स्टोरेज, विलवणीकरण, ग्रीनहाउस खेती और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को सक्षम बनाना।
- **जियो-पर्यटन:** गर्म पानी के झरनों के आसपास स्पा, रिसॉर्ट और वेलनेस-आधारित पर्यटन की संभावना।
- **जलवायु कार्रवाई:** भारत की नवीकरणीय ऊर्जा टोकरी में एक निम्न-कार्बन विकल्प जोड़ना।

निष्कर्ष:

भू-तापीय ऊर्जा भारत की नवीकरणीय ऊर्जा रणनीति का एक बड़ा पैमाने पर अप्रयुक्त स्तंभ है। राष्ट्रीय भू-तापीय ऊर्जा नीति (2025) एक समयोचित कदम है जो सरकारी समर्थन, अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों और निजी क्षेत्र की रुचि को एक साथ लाता है। हालाँकि उच्च लागत और खोज जोखिम बाधाएँ बने हुए हैं, लेकिन खाली तेल कुओं का पुन: उपयोग और एन्हांस्ड भू-तापीय सिस्टम जैसी नवाचार इसे व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य बना सकते हैं। भारत के लिए अब चुनौती यह है कि पायलट परियोजनाओं से आगे बढ़कर ऐसे स्केलेबल मॉडल विकसित किए जाएँ जो राष्ट्रीय ऊर्जा संक्रमण में भू-तापीय को एकीकृत करें। यदि प्रभावी ढंग से लागू किया गया, तो भू-तापीय ऊर्जा भारत की नेट ज़ीरो महत्वाकांक्षाओं को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है और देश के सबसे चुनौतीपूर्ण इलाकों में विद्युत और ऊष्मा के लिए सतत समाधान प्रदान कर सकती है।

संक्षिप्त मुद्दे

वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक (AQLI) 2025 रिपोर्ट

संदर्भः

हाल ही में शिकागो विश्वविद्यालय के ऊर्जा नीति संस्थान (EPIC) द्वारा जारी वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक (AQLI) 2025 रिपोर्ट ने भारत में वायु प्रदूषण के कारण होने वाले गंभीर स्वास्थ्य प्रभावों की ओर ध्यान आकर्षित किया है।

वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांकः

- शिकागो विश्वविद्यालय के ऊर्जा नीति संस्थान (EPIC) द्वारा विकसित वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक (AQLI) PM2.5 वायु प्रदूषण के जीवन प्रत्याशा पर पड़ने वाले प्रभाव को मापता है।
- यह वायु प्रदूषण के संपर्क को संभावित जीवन हानि में रूपांतरित करता है, जिससे प्रदूषित हवा की सार्वजनिक स्वास्थ्य लागत को समझने में सहायता मिलती है।
- वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक का 2025 संस्करण वर्ष 2023 के वैश्विक प्रदूषण आंकड़ों पर आधारित है।

मुख्य निष्कर्षः

- रिपोर्ट में वायु प्रदूषण को भारत के लिए सबसे गंभीर स्वास्थ्य खतरा बताया गया है, जिससे औसत जीवन प्रत्याशा 3.5 वर्ष कम हो जाती है।
- रिपोर्ट के अनुसार, भारत की पूरी 1.4 अरब जनसंख्या ऐसे क्षेत्रों में रहती है जहाँ PM2.5 प्रदूषण का स्तर विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के 5 $\mu g/m^3$ के मानक से अधिक है। भारत के अपेक्षाकृत उदार 40 $\mu g/m^3$ मानक के अनुसार भी, लगभग 46% लोग अब भी अस्वस्थ वायु गुणवत्ता के संपर्क में हैं।
- सिंधु-गंगा का मैदान देश का सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र बना हुआ है, जहाँ लगभग 544.4 मिलियन लोग अत्यधिक प्रदूषित वायु परिस्थितियों में निवास कर रहे हैं।
- दिल्ली-एनसीआर सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है, जहाँ प्रदूषण की वर्तमान स्थिति बनी रहने पर औसत जीवन प्रत्याशा में 8.2 वर्षों की कमी आंकी गई है। बिहार (5.6 वर्ष), हरियाणा (5.3 वर्ष) और उत्तर प्रदेश (5 वर्ष) जैसे राज्य भी जीवन प्रत्याशा में उल्लेखनीय गिरावट दर्शाते हैं।

स्वास्थ्य और नीतिगत निहितार्थः

- AQLI 2025 रिपोर्ट के अनुसार, वायु प्रदूषण कुपोषण, असुरक्षित जल और अपर्याप्त स्वच्छता जैसे कारकों की तुलना में अधिक गंभीर स्वास्थ्य हानि पहुंचाता है। रिपोर्ट तत्काल नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता पर बल देती है।
- भारत यदि अपने PM2.5 प्रदूषण मानकों को पूरी तरह लागू कर ले, तो औसत जीवन प्रत्याशा में लगभग 1.5 वर्ष की वृद्धि संभव है।
- यदि वायु प्रदूषण को विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के मानकों तक सीमित किया जाए, तो अपेक्षाकृत स्वच्छ क्षेत्रों में भी जीवन प्रत्याशा में 9.4 महीने तक की वृद्धि हो सकती है।

क्षेत्रीय और वैश्विक रुझानः

- दक्षिण एशिया वर्ष 2023 में PM2.5 स्तर में 2.8% वृद्धि के साथ विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित क्षेत्र बना रहा।
- चीन ने आक्रामक प्रदूषण नियंत्रण नीतियों के माध्यम से उल्लेखनीय प्रगति की है, भारत और बांग्लादेश अब भी वायु प्रदूषण से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
- वैश्विक स्तर पर PM2.5 वायु प्रदूषण अब मानव जीवन प्रत्याशा के लिए सबसे बड़ा बाहरी जोखिम बन गया है, जो धूम्रपान, कुपोषण और संक्रामक रोगों से भी अधिक नुकसानदेह है।

निष्कर्षः

वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक 2025 के निष्कर्ष एक गंभीर चेतावनी हैं। चूंकि लगभग आधी आबादी भारतीय मानकों के अनुसार भी असुरक्षित वायु में सांस ले रही है, इसलिए वायु गुणवत्ता में सुधार अब विकल्प नहीं, बल्कि अत्यावश्यक बन चुका है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) को सशक्त करना, स्वच्छ ऊर्जा में निवेश बढ़ाना, तथा निगरानी और प्रवर्तन तंत्र को मजबूत बनाना सार्वजनिक स्वास्थ्य और आर्थिक उत्पादकता की रक्षा के लिए राष्ट्रीय प्राथमिकता होनी चाहिए।

केरल में मानव-वन्यजीव संघर्ष

संदर्भः

केरल सरकार ने 16 सितंबर से 45-दिन की एक विशेष योजना की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और वन-सीमावर्ती इलाकों में बढ़ते मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करना है। यह पहल वन विभाग के नेतृत्व में तीन चरणों में लागू की जाएगी। योजना का मुख्य लक्ष्य संघर्ष की मूल वजहों की पहचान कर उनका समाधान करना और प्रभावित समुदायों

को त्वरित राहत प्रदान करना है।

45 दिवसीय शमन कार्यक्रम के बारे में:

- 45 दिवसीय शमन कार्यक्रम तीन चरणों में लागू होगा—पहले चरण में रेंज कार्यालयों पर हेल्प डेस्क से शिकायतों का त्वरित समाधान, दूसरे चरण में जिला स्तर की समिति द्वारा जटिल मामलों का निपटारा, और तीसरे चरण में राज्य सरकार दीर्घकालिक नीतियाँ बनाकर स्थायी समाधान सुनिश्चित करेगी।

मानव-वन्यजीव संघर्ष के बारे में:

- मानव-वन्यजीव संघर्ष उस स्थिति को कहते हैं जब मानव गतिविधियाँ सीधे वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास से टकराती हैं। इसके परिणामस्वरूप संपत्ति का नुकसान, आजीविका पर असर और कई बार मानव जीवन की हानि भी हो जाती है। यह समस्या आज एक वैश्विक चुनौती के रूप में सामने है, जो सतत विकास, खाद्य सुरक्षा और संरक्षण प्रयासों को प्रभावित करती है।
- संयुक्त राष्ट्र की जैव विविधता संधि ने भी अपनी 2020 के बाद की वैश्विक जैव विविधता रूपरेखा में मानव-वन्यजीव संघर्ष को गंभीर चिंता का विषय माना है।

मानव-वन्यजीव संघर्ष के कारण:

- **जनसंख्या दबाव और अतिक्रमण:** बढ़ती आबादी के कारण बस्तियाँ संरक्षित क्षेत्रों में फैलने लगी हैं, जिससे संघर्ष बढ़ रहा है।
- **आवास का नुकसान और विखंडन:** जैसे काजीरंगा में बुनियादी ढाँचे के विकास से वन्यजीव गलियारे टूट गए हैं, जिससे संघर्ष बढ़ा।
- **आवास की गुणवत्ता में गिरावट:** वनों में नीलगिरी और अकासिया जैसी व्यावसायिक पौधरोपण ने प्राकृतिक आवास को कमजोर किया है।
- **कृषि पद्धतियों में बदलाव:** आधुनिक खेती के तौर-तरीकों ने वन्यजीवों भोजन की तलाश में जंगल से बाहर आये।

मानव-वन्यजीव संघर्ष के परिणाम:

- **मानव पर असर:** 2021 से 2025 के बीच केरल में वन्यजीव घटनाओं के कारण 344 लोगों की जान गई।
- **आर्थिक नुकसान:** हाथियों और जंगली सूअरों जैसे जानवरों के कारण किसानों को वार्षिक फसल का 10-15% नुकसान होता है।
- **वन्यजीवों के लिए खतरा:** संघर्ष के दौरान जानवर अक्सर प्रतिशोध या दुर्घटनाओं का शिकार बनते हैं, जिससे संरक्षण प्रयासों पर असर पड़ता है।
- **वित्तीय बोझ:** केरल ने पिछले 6 सालों में मुआवज़े और सुरक्षा उपायों पर 79.3 करोड़ रुपये खर्च किए।

मानव-वन्यजीव संघर्ष को रोकने के लिए सरकारी पहल:

- **राष्ट्रीय मानव-वन्यजीव संघर्ष शमन रणनीति:** यह रणनीति समय रहते चेतावनी देने, निवारक उपाय अपनाने और संबंधित संस्थाओं की क्षमता बढ़ाने पर केंद्रित है।
- **कैम्पा निधि (CAMPA):** इसके माध्यम से वनीकरण, प्राकृतिक आवास का सुधार और जलस्रोतों का निर्माण किया जाता है।
- **केंद्रीय प्रायोजित योजनाएँ:** जैसे प्रोजेक्ट टाइगर, जो वन्यजीव संरक्षण के लिए वित्तीय सहयोग प्रदान करती है।
- **पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्र:** संरक्षित क्षेत्रों के आसपास बनाए गए बफर ज़ोन, जो मानवीय गतिविधियों को नियंत्रित कर वन्यजीवों की रक्षा सुनिश्चित करते हैं।

आगे की राह:

- **आवास संपर्क को मज़बूत करना:** वन्यजीव गलियारों का पुनर्निर्माण करना और स्थानीय समुदायों को सह-अस्तित्व के महत्व के बारे में जागरूक करना।
- **सह-अस्तित्व को बढ़ावा देना:** मानव-वन्यजीव संघर्ष के समाधान को ग्रामीण विकास और शहरी नियोजन में भी शामिल करना।
- **सुरक्षा बाधाएँ स्थापित करना:** सौर ऊर्जा से चलने वाली बाड़ और जैविक बाड़ का उपयोग कर वन्यजीवों को बस्तियों और खेती की ज़मीनों से दूर रखना।
- **समय पर चेतावनी प्रणाली विकसित करना:** उपग्रह-आधारित ट्रैकिंग, गति संवेदक और अन्य तकनीकी साधनों के माध्यम से समुदायों को वन्यजीवों की गतिविधियों के बारे में पहले से सूचना देना।

निष्कर्ष:

केरल की यह तीन-चरणीय शमन योजना मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने की दिशा में एक अहम कदम है। इसमें स्थानीय समुदायों, सरकारी अधिकारियों और संरक्षणवादियों की भागीदारी है। उम्मीद है कि इस पहल से एक व्यापक और प्रभावी व्यवस्था बनेगी, जो उन अन्य राज्यों (जहाँ इसी तरह की समस्याएँ सामने आती हैं) के लिए भी योजना आदर्श साबित हो सकती है।

सिकाडा (Cicada) की पुनर्वापसी

संदर्भः

हाल ही में केरल के साइलेंट वैली नेशनल पार्क में लंबे समय बाद फिर से सिकाडा (Cicada) दिखाई दिए हैं। काफी समय से इस क्षेत्र में इस कीट की उपस्थिति नहीं मिल रही थी। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (Botanical Survey of India) के विशेषज्ञों का कहना है कि इनकी वापसी पर्यावरण में हो रहे बदलाव और उससे जुड़ी पारिस्थितिक गतिविधियों का नतीजा है।

सिकाडा (Cicada) के बारे में:

- सिकाडा अर्धपंखी (Hemipteran) कीट होते हैं, जो अपनी ऊँची, जटिल और प्रजाति-विशिष्ट ध्वनियों के लिए जाने जाते हैं। ये ध्वनियाँ अपने पेट पर स्थित झिल्लियों (Membranes) को कंपन करके निकालते हैं।
- सिकाडा का जीवन चक्र बेहद अनोखा होता है, वे अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा जमीन के नीचे निम्फ (Nymph) अवस्था में बिताते हैं। सिकाडा ज़्यादातर ऊँचे और परिपक्व पेड़ों वाली प्राकृतिक वनों की छतरी (Canopy) में रहते हैं।
- ये गर्म और आर्द्र जलवायु पसंद करते हैं और दुनिया के उष्णकटिबंधीय व समशीतोष्ण वनों में पाए जाते हैं।
- इन कीटों ने अपने आवास के अनुसार कई अनूठे व्यवहार विकसित किए हैं, जो उन्हें जीवित रहने में मदद करते हैं।

सिकाडा के प्रकार:

- सिकाडा को उनके बाहर निकलने के पैटर्न के आधार पर दो प्रमुख श्रेणियों वार्षिक (Annual) और आवधिक (Periodical) में बाँटा गया है।
  - » **वार्षिक सिकाडा (Annual Cicadas):** ये सिकाडा गर्मियों के अलग-अलग समय पर जमीन से बाहर निकलते हैं। इनका रंग आमतौर पर गहरा होता है और उन पर हरे रंग के निशान पाए जाते हैं। शिकारी पक्षियों और छछूंदरों से बचने के लिए ये पेड़ों में घुलमिल कर छिप जाते हैं (Camouflage) और उड़ान भरकर खुद को सुरक्षित करते हैं।
  - » **आवधिक सिकाडा (Periodical Cicadas):** ये बहुत दुर्लभ होते हैं। इनकी विशेषता यह है कि ये बड़ी संख्या में एक साथ 13 या 17 साल के अंतराल पर जमीन से निकलते हैं। इस श्रेणी में केवल 7 प्रजातियाँ आती हैं।

पारिस्थितिक महत्व:

- वन पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को बनाए रखने में सिकाडा (Cicadas) की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे ही वे जमीन से बाहर निकलते हैं, वे परिपक्व पेड़ों की स्वाभाविक छंटाई में मदद करते हैं, जिससे सूर्य का प्रकाश आसानी से नीचे तक पहुँचकर युवा पौधों की वृद्धि को प्रोत्साहित करता है। उनकी बिल बनाने और मिट्टी खोदने की प्रक्रिया मिट्टी को हवादार बनाती है, उसकी संरचना में सुधार करती है और पौधों की जड़ों तक पानी व पोषक तत्वों के बेहतर अवशोषण को बढ़ावा देती है।
- जब सिकाडा मरते हैं, तो उनके शरीर विघटित होकर मिट्टी में नाइट्रोजन मिलाते हैं। इससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है, जो आसपास के पेड़ों और पौधों की वृद्धि के लिए लाभकारी होती है। इस प्रकार, सिकाडा पोषक चक्रण (Nutrient Cycling) को बनाए रखते हैं और जंगल की निरंतर सेहत व संतुलन को सुनिश्चित करते हैं।

साइलेंट वैली नेशनल पार्क के बारे में:

- **स्थान:** यह राष्ट्रीय उद्यान केरल के नीलगिरि पर्वतों में स्थित है। इसका मूल क्षेत्र 89.52 वर्ग किमी है और यह नीलगिरि बायोस्फीयर रिज़र्व का हिस्सा है।
- **इतिहास:** 1914 में इसे आरक्षित वन घोषित किया गया। 1984 में यह राष्ट्रीय उद्यान बना और 1986 में नीलगिरि बायोस्फीयर रिज़र्व का कोर क्षेत्र घोषित किया गया।
- **वन्यजीव:** यहाँ 41 प्रकार के स्तनधारी, 211 पक्षी प्रजातियाँ, 49 सरीसृप और 47 उभयचर प्रजातियाँ पाई जाती हैं। इनमें शेरमुख बंदर (Lion-tailed Macaque) प्रमुख हैं।
- **नदियाँ:** भवानी, कुंथीपुझा और कडालुंडी नदियाँ यहीं से निकलती हैं।
- **आदिवासी समुदाय:** यहाँ इरुला, कुरुबा, मुदुगा और कटनायक्कर जैसी जनजातियाँ निवास करती हैं।
- **आसपास के संरक्षित क्षेत्र:** इसमें करिमपुझा अभयारण्य और मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान शामिल हैं।

एस्परगिलस सेक्शन निगरी की दो नई प्रजातियाँ की खोज

संदर्भ:

हाल ही में, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्थान, पुणे स्थित एमएसीएस-अघारकर अनुसंधान संस्थान (एआरआई) के भारतीय वैज्ञानिकों ने एस्परगिलस सेक्शन निगरी, जिसे आमतौर पर ब्लैक एस्परगिली के नाम से जाना जाता है, से दो नई कवक प्रजातियों की खोज की है। इन प्रजातियों, एस्परगिलस ढाकेफाल्करी और एस्परगिलस पेट्रीसियाविल्टशायरी, की पहचान पारिस्थितिक रूप से समृद्ध पश्चिमी घाट में एकत्रित मिट्टी के नमूनों से की गई थी।

एस्परगिलस वंश के बारे में:

- एस्परगिलस तंतुमय कवकों का एक बड़ा, व्यापक वंश है जो अपनी अलैंगिक बीजाणु-उत्पादक संरचनाओं के लिए जाना जाता है जो पवित्र जल छिड़काव (एस्परगिलम) जैसी होती हैं।
- मिट्टी और सड़ती हुई वनस्पतियों सहित विविध वातावरणों में पाई जाने वाली एस्परगिलस प्रजातियाँ महत्वपूर्ण अपघटक हैं, लेकिन अवसरवादी रोगजनकों के रूप में भी कार्य कर सकती हैं, जिससे प्रतिरक्षाविहीन व्यक्तियों में एस्परगिलोसिस जैसी बीमारियाँ हो सकती हैं।
- एस्परगिलस वंश को विश्व स्तर पर इसके औद्योगिक, चिकित्सीय और पारिस्थितिक महत्व के लिए मान्यता प्राप्त है।
- निगरी खंड की प्रजातियों का व्यापक रूप से उपयोग निम्नलिखित में किया जाता है:
  - साइट्रिक अम्ल उत्पादन
  - किण्वन
  - खाद्य कवक विज्ञान
  - कृषि, जिसमें फॉस्फेट घुलनशीलता भी शामिल है

नई प्रजाति के बारे में:

- **एस्परगिलस ढाकेफाल्करी:**
  - तीव्र वृद्धि, चिकनी दीवारों वाले, दीर्घवृत्ताकार कोनिडिया
  - पीले-सफेद से नारंगी रंग के स्क्लेरोटिया
  - 2-3 स्तंभों में शाखाओं वाले एकसमान कोनिडियोफोर
  - ए. सैक्रोलिटिकस से निकट संबंधी
- **एस्परगिलस पेट्रीसियाविल्टशायरी:**
  - प्रचुर स्क्लेरोटिया वाली तेज़ी से बढ़ने वाली कॉलोनियाँ
  - इचिनुलेट कोनिडिया
  - 5+ स्तंभों में शाखाओं वाले कोनिडियोफोर
  - ए. इंडोलोजेनस, ए. जैपोनिकस, ए. यूवरम से संबंधित

खोज का महत्व:

- **जैव विविधता संरक्षण:**
  - पश्चिमी घाट की वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में स्थिति को पुष्ट करता है।
  - ऐसे संवेदनशील पारिस्थितिक तंत्रों में निरंतर कवकीय सर्वेक्षण और पारिस्थितिक अनुसंधान की आवश्यकता पर बल देता है।
- **वैज्ञानिक योगदान:**
  - कवक वर्गीकरण, पारिस्थितिकी और जीनोमिक्स में भारत की भूमिका को बढ़ाता है।
  - आधुनिक बहु-चरणीय वर्गीकरण (आनुवंशिक और आकारिकी उपकरणों का संयोजन) के सफल उपयोग को प्रदर्शित करता है।

निष्कर्ष:

एस्परगिलस खंड निगरी में दो नई प्रजातियों की पहचान और दो और प्रजातियों का पहला भारतीय अभिलेख भारतीय कवक जैव विविधता अनुसंधान में एक मील का पत्थर है। यह पश्चिमी घाट की समृद्ध, फिर भी कम अन्वेषित कवक विविधता को उजागर करता है और आगे के जैव-प्रौद्योगिकी और पारिस्थितिक अध्ययनों के लिए संभावना भी पैदा करता है। भारत के पारिस्थितिक तंत्रों की छिपी हुई सूक्ष्मजीव संपदा के संरक्षण, उपयोग और समझ के लिए निरंतर अन्वेषण और दस्तावेज़ीकरण आवश्यक है।

अपतटीय जलभृत

संदर्भ:

9 सितंबर, 2025 को, अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों ने अटलांटिक महासागर के नीचे एक विशाल अपतटीय जलभृत की उपस्थिति की पुष्टि की, जो न्यू जर्सी से लेकर अमेरिका के मेन तक फैला हुआ है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया, चीन, दक्षिण अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका के पास इसी तरह के समुद्र के नीचे मीठे पानी के निकायों की खोज हुई थी, लेकिन यह समुद्र के नीचे मीठे पानी की व्यवस्थित रूप से खुदाई करने वाला पहला वैश्विक अभियान है।

अपतटीय जलभृतों के बारे में:

- भूमि-आधारित जलभृतों की तरह, अपतटीय जलभृत भी मीठे पानी से संतृप्त छिद्रयुक्त चट्टानें या तलछट होते हैं।
- **मुख्य अंतर:**
  - वे समुद्र तल के नीचे स्थित होते हैं, कभी-कभी तट से 90 किमी दूर तक।
  - 2021 के एक अध्ययन में अनुमान लगाया गया है कि इन जलभृतों में वैश्विक स्तर पर 10 लाख घन किमी मीठा पानी संग्रहीत है - जो सभी भूमि-आधारित भूजल का लगभग 10% है।

अपतटीय जलभृतों का महत्व:

- **वैश्विक जल संकट:** संयुक्त राष्ट्र (2023) का अनुमान है कि 2030 तक पानी की माँग और आपूर्ति में 40% का अंतर होगा। अपतटीय जलभृत एक प्रमुख बैकअप स्रोत बन सकते हैं।
- **जलवायु परिवर्तन का प्रभाव:** ग्लोबल वार्मिंग वर्षा के पैटर्न को बदल रही है, नदियाँ और झीलें सूख रही हैं। अपतटीय जलभृत तटीय शहरों को जल संकट से बचा सकते हैं।
- **शहरी सहायता:** नए खोजे गए अमेरिकी जलभृत अकेले ही न्यूयॉर्क शहर की 800 वर्षों तक की ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं।

निष्कर्षण में चुनौतियाँ:

- **उच्च लागत:**
  - ड्रिलिंग और निष्कर्षण तकनीकी रूप से जटिल और महंगे हैं।
  - उदाहरण: हाल ही में हुए अमेरिकी अभियान की लागत 25 मिलियन डॉलर थी।
- **पर्यावरणीय चिंताएँ:**
  - समुद्री पारिस्थितिक तंत्र और तटीय भूविज्ञान को संभावित नुकसान।
  - पम्पिंग के दौरान खारे पानी के प्रवेश का खतरा।
- **स्वामित्व और शासन:**
  - स्वामित्व और जवाबदेही के लिए स्पष्ट कानूनी ढांचे और समान वितरण की आवश्यकता।
- **स्थायित्व:**
  - यदि जल गैर-नवीकरणीय है (हिमयुग से), तो अंधाधुंध दोहन इसे स्थायी रूप से समाप्त कर सकता है।

निष्कर्ष:

अपतटीय जलभृत एक बड़े पैमाने पर अप्रयुक्त मीठे पानी के संसाधन का प्रतिनिधित्व करते हैं जो भविष्य में जल संकट से निपटने में, विशेष रूप से तटीय महानगरों में, महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। हालाँकि, इनका दोहन करने के लिए वैश्विक सहयोग, स्थायी योजना और पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों की आवश्यकता है। भारत और अन्य जल-संकटग्रस्त देशों के लिए, ये खोजें 21वीं सदी में जल सुरक्षा के बारे में हमारी सोच को नया रूप दे सकती हैं।

ब्लू ड्रैगन

संदर्भ:

हाल ही में स्पेन के कुछ समुद्र तटों को 'ब्लू सी ड्रैगन' (Glaucus atlanticus) नामक समुद्री जीव की अप्रत्याशित उपस्थिति के कारण अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा। यह एक दुर्लभ और आकर्षक समुद्री स्लग प्रजाति है, जो अपने विषैले डंक के लिए जानी जाती है। इसका बार-बार देखा जाना, जन सुरक्षा को लेकर चिंता उत्पन्न करता है, जिसके चलते स्थानीय प्रशासन ने सतर्कता संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए।

ब्लू ड्रैगन्स के बारे में:

- ब्लू सी ड्रैगन (ग्लौकस अटलांटिकस) एक छोटा, विषैला समुद्री स्लग है जो समुद्र की सतह पर उल्टा तैरता है और तैरने के लिए गैस से भरी थैली का उपयोग करता है।
- ये अटलांटिक, प्रशांत और हिंद महासागरों के उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण जल में रहते हैं। कई अन्य समुद्री जीवों के विपरीत, ये सक्रिय रूप से तैरते नहीं हैं, बल्कि लहरों के साथ बहते हैं। ये उभयलिंगी होते हैं, जिनमें नर और मादा दोनों प्रजनन अंग होते हैं।
- ये जीव विषैले साइफ़ोनोफ़ोर्स, विशेष रूप से पुर्तगाली मैन-ओ-वार और ब्लूबॉटल जेलीफ़िश खाते हैं।
- विष से कोई नुकसान उठाए बिना, नीला ड्रैगन अपने शिकार से डंक मारने वाली कोशिकाएं (नेमाटोसिस्ट) इकट्ठा करता है और उन्हें अपने शरीर के सेराटा नामक विशेष संरचनाओं में संग्रहीत करता है।
- यह उन्हें शिकारियों के लिए अत्यधिक विषैला बनाता है, भले ही वे स्वयं विषैले न हों।

उपस्थिति का कारण:

- ब्लू ड्रैगन सामान्यतः उष्णकटिबंधीय जल में पाया जाता है, लेकिन स्पेन में इसके दृश्य बढ़ रहे हैं, जो संभवतः भूमध्य सागर में समुद्री तापमान में वृद्धि के कारण है।

- गर्म पानी जेलीफ़िश जैसे इनके शिकार को तट के करीब आकर्षित करता है, जिससे ब्लू ड्रैगन भी उनके साथ तट पर आता है।
- भूमध्य सागर विश्व के सबसे तेजी से गर्म हो रहे जल निकायों में से एक है, जहाँ हाल ही में तापमान 28 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया है, जो कुछ क्षेत्रों में सामान्य से लगभग 5 डिग्री सेल्सियस अधिक है।

समुद्री स्लग (न्यूडिब्रांच) के विषय में:

- समुद्री स्लग, जिन्हें सामान्यतः न्यूडिब्रांच के नाम से जाना जाता है, नरम शरीर वाले समुद्री मोलस्क हैं जो दुनिया के सभी महासागरों में पाए जाते हैं — उथले पानी से लेकर गहरे समुद्र तक। ये मोलस्का संघ और गैस्ट्रोपोडा वर्ग से संबंधित होते हैं। इनके शरीर पर बाहरी कवच नहीं होता, जिससे ये नग्न घोंघों जैसे दिखाई देते हैं।

पारिस्थितिकी तंत्र में आवास और भूमिका:

- समुद्री स्लग आमतौर पर प्रवाल भित्तियों के वातावरण में पाए जाते हैं, जहाँ ये भित्तियों के स्वास्थ्य के संकेतक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनकी उपस्थिति अक्सर प्रवाल पारिस्थितिकी तंत्र की मजबूती को दर्शाती है। ये धीमी गति से चलने वाले ये जीव शैवाल, स्पंज और छोटे अकशेरुकी जीवों का सेवन करते हैं और इनके आहार की विविधता होती है।

रक्षा और विषाक्तता:

- मुद्री स्लग अपने चमकीले रंग और विशेष पैटर्न से शिकारियों को चेतावनी देते हैं। इनकी विषाक्तता अक्सर उनके द्वारा खाए जाने वाले शिकार से आती है—कुछ तो आत्मरक्षा के लिए जेलीफ़िश की डंक मारने वाली कोशिकाओं को भी बनाए रख सकते हैं।

अद्वितीय जैविक लक्षण:

- समुद्री स्लग कई अनूठे अनुकूलन प्रदर्शित करते हैं, जैसे:
  - » कुछ प्रजातियाँ सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर भोजन उत्पन्न करने के लिए प्रकाश संश्लेषण कर सकती हैं।
  - » वे खोए हुए अंगों को पुनर्जीवित करने में सक्षम होती हैं।
  - » कुछ प्रजातियाँ शिकार के जीन चुराकर उन्हें अपने डीएनए में समाहित कर लेती हैं, जो पशुओं में दुर्लभ गुण माना जाता है।
- अधिकांश समुद्री स्लग दिन में सक्रिय होते हैं, जबकि कुछ प्रजातियाँ रात्रि में सक्रिय होती हैं।

निष्कर्ष:

स्पेन के तटों पर नीले ड्रैगन (ग्लौकस अटलांटिकस) की उपस्थिति, जहाँ ये सामान्यतः नहीं पाए जाते, समुद्री पारिस्थितिकी में बदलाव का गंभीर संकेत है। ये जीव मुख्यतः गर्म उष्णकटिबंधीय जल में रहते हैं, लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ते समुद्री तापमान के चलते अब भूमध्य सागर में भी देखे जा रहे हैं। इसका प्रभाव स्थानीय प्रजातियों पर नकारात्मक हो सकता है और यह समुद्री पर्यावरण पर ग्लोबल वार्मिंग के व्यापक परिणामों को दर्शाता है।

क्रोकोथेमिस एरिथ्राया (Crocothemis Erythraea)

संदर्भ:

क्रोकोथेमिस एरिथ्राया एक दुर्लभ ड्रैगनफ्लाई प्रजाति है, जिसे पहले पश्चिमी घाट से अनुपस्थित माना जाता था। हाल ही में यह प्रजाति पश्चिमी घाट के ऊँचाई वाले क्षेत्रों में पुनः देखी गई है। माना जाता है कि इसने प्लाइस्टोसीन हिम युग (Pleistocene Ice Age) के दौरान यहाँ निवास स्थापित किया था।

पुनः खोज का महत्व:

- इस प्रजाति की पुनः खोज जैव विविधता के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। यह दर्शाता है कि पश्चिमी घाट अब भी उन जीवों के लिए सुरक्षित शरणस्थल हैं, जो ठंडे और अलग वातावरण, जैसे शोलाज (Sholas) और पर्वतीय घासभूमियाँ, में लंबे समय से जीवित हैं। वर्तमान समय में ये आवास जलवायु परिवर्तन के कारण गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं।
- यह प्रजाति अपने सामान्य मैदानी प्रजाति क्रोकोथेमिस सर्विलिया (Crocothemis servilia) से भिन्न है, क्योंकि यह 550 मीटर से अधिक ऊँचाई वाले क्षेत्रों में पाई जाती है।

क्रोकोथेमिस एरिथ्राया के बारे में:

- क्रोकोथेमिस एरिथ्राया, जिसे "ब्रॉड स्कारलेट" या "स्कारलेट डार्टर" भी कहा जाता है, ड्रैगनफ्लाई की एक प्रजाति है। ड्रैगनफ्लाई को जैव-सूचक प्रजाति माना जाता है। यह प्रजाति लिबेलुलिडी (Libellulidae) परिवार से संबंधित है।
- भारत में क्रोकोथेमिस वंश की दो ज्ञात प्रजातियाँ "सी. सर्विलिया और सी. एरिथ्राय पाई जाती हैं। सी. सर्विलिया मैदानी और निचले क्षेत्रों में पाई जाती है। सी. एरिथ्राया ऊँचाई वाले ठंडे इलाकों जैसे हिमालय और यूरोप–एशिया के कुछ हिस्से में पाई जाती है।
  - **निवास:** सी. एरिथ्राया सामान्यतः 550 मीटर से ऊपर के ऊँचाई वाले, ठंडे और पर्वतीय क्षेत्रों (शोलाज व घासभूमियों) में पाई जाती है। इसके विपरीत, सी. सर्विलिया 600 मीटर से नीचे के मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है।
  - **वितरण (Distribution):** यह प्रजाति यूरोप और एशिया के कई हिस्सों में पाई जाती है, जिनमें हिमालय और पश्चिमी घाट शामिल हैं।
  - **उपनिवेशीकरण:** शोधकर्ताओं का मानना है कि सी. एरिथ्राया ने दक्षिण भारत में प्लाइस्टोसीन हिम युग के दौरान उपनिवेश स्थापित किया। उस समय ठंडे मौसम के कारण समशीतोष्ण क्षेत्रों की प्रजातियाँ दक्षिण की ओर फैल गईं। बाद में जब जलवायु गर्म हुई, तो ये आबादियाँ ऊँचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों तक सीमित होकर अलग रह गईं।

अन्य विशेषताएँ:

- **परजीविता (Parasitism):** सी. एरिथ्राया पर फॉर्सिपोमिया पैलुडिस (Forcipomyia paludis) नामक मच्छर-जैसे कीट परजीवी पाए जाते हैं।
- **संरक्षण स्थिति (Conservation Status):** आईयूसीएन (IUCN) के अनुसार, यूरोप में सी. एरिथ्राया को कम चिंता वाली श्रेणी (Least Concern) में रखा गया है।
- **लैंगिक द्विरूपता (Sexual Dimorphism):** इसकी नर प्रजाति चमकीले लाल रंग के शरीर और पंखों के साथ दिखाई देते हैं और मादा प्रजाति पीली होती हैं, जिनका रंग उम्र बढ़ने के साथ गहरा हो जाता है। कुछ मादाओं में "एंड्रोक्रोम" (androchrome) लक्षण पाए जाते हैं, जिसमें वे नर जैसी रंगत दिखाती हैं।
- **असामान्य अंडे देना (Unusual Oviposition):** मादाओं को असामान्य स्थानों, जैसे समुद्र में भी अंडे देते हुए देखा गया है।

अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन (AMOC) का अध्ययन

संदर्भ:

एनवायर्नमेंटल रिसर्च लेटर्स में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन के अनुसार, अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन (AMOC) — जो एक प्रमुख महासागरीय धाराप्रणाली है — का भविष्य में पतन हो सकता है। इस प्रणाली में गल्फ स्ट्रीम जैसी धाराएँ शामिल हैं, जो वैश्विक स्तर पर गर्म समुद्री जल के प्रवाह में सहायक होती हैं। यह विशेष रूप से यूरोप और उत्तर अमेरिका की जलवायु को स्थिर और संतुलित बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन के बारे में:

- अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन (AMOC) अटलांटिक महासागर में महासागरीय धाराओं की एक प्रमुख प्रणाली है।
- यह एक विशाल "कन्वेयर बेल्ट" की भांति कार्य करती है, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से गर्म जल को उत्तर की ओर ले जाती है और ठंडे जल को समुद्र की गहराई में दक्षिण की ओर वापस प्रवाहित करती है।
- यह प्रणाली मुख्यतः जल के तापमान और लवणता के अंतर के कारण संचालित होती है।
- अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन वैश्विक स्तर पर गर्मी, पोषक तत्वों और कार्बन के वितरण में सहायक है, जिससे यह वैश्विक जलवायु को संतुलित बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, विशेष रूप से यूरोप और उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र में।
- इसके अलावा, यह समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र और समुद्री जीवन के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।

एएमओसी के कमज़ोर पड़ने के प्रभाव:

- विभिन्न शोधों के अनुसार,एएमओसी के पतन से वैश्विक जलवायु पर गंभीर प्रभाव पड़ सकते हैं। मुख्य संभावित परिणाम इस प्रकार हैं:
  - » उत्तरी यूरोप और पूर्वी उत्तरी अमेरिका में अत्यधिक ठंड में वृद्धि।
  - » उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र में समुद्री बर्फ का विस्तार।
  - » अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के कुछ भागों में लंबे समय तक सूखा।
  - » दक्षिण एशिया सहित एशियाई क्षेत्रों में मानसून चक्र में गंभीर व्यवधान।
  - » अल नीनो घटनाओं की तीव्रता और आवृत्ति में वृद्धि।
- साइंस एडवांसेज़ (2016) में प्रकाशित एक अध्ययन में चेतावनी दी गई थी कि एएमओसी के पतन से वैश्विक स्तर पर "भिन्न-भिन्न जलवायु प्रतिक्रियाएँ" उत्पन्न हो सकती हैं, जिनमें विशेष रूप से उष्णकटिबंधीय वर्षा पट्टियों का दक्षिण की ओर स्थानांतरित होना शामिल है।

एएमओसी की गति धीमी क्यों हो रही है?

- **ग्रीनलैंड और आर्कटिक क्षेत्र की बर्फ का तेज़ी से पिघलना:** इससे उत्तरी अटलांटिक महासागर में भारी मात्रा में ताज़ा जल प्रवेश कर रहा है। चूंकि ताज़ा पानी नमकीन पानी की तुलना में कम घनत्व वाला होता है, यह उस "थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन" को बाधित करता है, जोकि AMOC के संचालन के लिए आवश्यक है।
- **हिंद महासागर का गर्म होना:** इससे वर्षा के वैश्विक पैटर्न में बदलाव आ रहा है। 2019 के एक अध्ययन के अनुसार, हिंद महासागर में वर्षा में वृद्धि और अटलांटिक क्षेत्र में वर्षा में कमी से अटलांटिक में लवणता में वृद्धि होती है। यह स्थिति अस्थायी रूप से AMOC को मज़बूत कर सकती है, किंतु जैसे ही यह असंतुलन चरम पर पहुँचता है, प्रणाली के अस्थिर होने की संभावना बढ़ जाती है।

निष्कर्ष:

यह अध्ययन वैश्विक जलवायु कार्रवाई की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। हालाँकि एएमओसी का वास्तविक पतन अभी कई दशकों दूर हो सकता है, लेकिन इसके लिए ज़िम्मेदार प्रक्रियाओं को बहुत पहले ही पहचाना जा सकता है। वैश्विक मौसम, समुद्र के स्तर, कृषि और जैव विविधता पर संभावित विनाशकारी परिणामों को देखते हुए, वैज्ञानिकों का तर्क है कि जलवायु परिवर्तन को कम करना एक सर्वोच्च वैश्विक प्राथमिकता बनी रहनी चाहिए।

स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार और आर्द्रभूमि शहर मान्यता

संदर्भ:

हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार तथा आर्द्रभूमि शहर मान्यता समारोह 2025 के अंतर्गत विभिन्न शहरों को सम्मानित किया।

राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) पुरस्कार:

- एनसीएपी पुरस्कार उन शहरों को दिए गए जिन्होंने स्वच्छ वायु के मिशन को आगे बढ़ाने में उत्कृष्ट प्रतिबद्धता और नवाचार का प्रदर्शन किया। ये पुरस्कार जनसंख्या के आधार पर तीन श्रेणियों में प्रदान किए गए:
  - » **श्रेणी 1 (10 लाख से अधिक जनसंख्या):** इंदौर ने 200 में से 200 अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान प्राप्त किया, उसके बाद जबलपुर (दूसरा स्थान) तथा आगरा और सूरत (तीसरा स्थान) रहे।
  - » **श्रेणी 2 (3 से 10 लाख के बीच की जनसंख्या):** अमरावती ने 200 में से 200 अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान प्राप्त किया, उसके बाद झांसी और मुरादाबाद (द्वितीय स्थान) तथा अलवर (तृतीय स्थान) रहे।
  - » **श्रेणी 3 (3 लाख से कम जनसंख्या):** देवास ने 200 में से 193 अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान प्राप्त किया, उसके बाद परवाणू (दूसरा स्थान) तथा अंगुल (तीसरा स्थान) का स्थान रहा।

रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी मान्यता:

- **मान्यता प्राप्त शहर:** इंदौर और उदयपुर को रामसर कन्वेंशन

सचिवालय द्वारा वेटलैंड सिटी का दर्जा दिया गया।

- वर्तमान समय में 2014 में केवल 25 से बढ़कर भारत में अब कुल 91 रामसर स्थल हैं। यह संख्या एशिया में सबसे अधिक तथा विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर है।

राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) के बारे में:

- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जनवरी 2019 में शुरू किए गए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) का लक्ष्य 131 चिन्हित शहरों में 2025-26 तक पार्टिकुलेट मैटर (पीएम) के स्तर को 40% तक कम करना है।
- यह एक बहु-क्षेत्रीय एवं सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाता है, जिसके तहत शहरों को परिवहन, उद्योग, कृषि और अपशिष्ट से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कार्ययोजनाएँ लागू करनी होती हैं।
- एनसीएपी का उद्देश्य राष्ट्रीय परिवेश वायु गुणवत्ता (NAAQ) निगरानी नेटवर्क का विस्तार, जन-जागरूकता बढ़ाने तथा विभिन्न एजेंसियों, सरकारी योजनाओं और राज्य-स्तरीय प्रयासों के साथ समन्वय के माध्यम से संसाधनों का प्रभावी उपयोग करना है।
- यह कार्यक्रम पूरे भारत में स्वच्छ शहरी वायु के लिए डेटा-आधारित व टिकाऊ समाधानों को बढ़ावा देता है।

एनसीएपी के अंतर्गत प्रमुख उपलब्धियां:

- **वायु गुणवत्ता में सुधार:**
  - 130 एनसीएपी शहरों में से 103 में पीएम10 के स्तर में सुधार हुआ
  - 64 शहरों में 20% की कमी (2017-18 से 2024-25)
  - 25 शहरों में PM10 में 40% की कमी आई

आर्द्रभूमि संरक्षण हेतु योजनाएँ:

- **मिशन अमृत सरोवर:**
  - जिलों में जलाशयों का पुनर्जीवन।
- **मिशन लाइफ़ (Lifestyle for Environment):**
  - पर्यावरण-अनुकूल जीवनशैली अपनाने के लिए जन आंदोलन।
  - इसके प्रमुख विषयों में से एक: जल संरक्षण।

झीलों की भूमिका:

- झीलें भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 4.7% हिस्सा घेरती हैं, जिनमें से दो-तिहाई क्षेत्र वन क्षेत्रों के बाहर स्थित है।
- ये बाढ़ नियंत्रण, सांस्कृतिक महत्व और जैव विविधता संरक्षण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।
- इन्हें पर्यावरण की "किडनी" भी कहा जाता है, क्योंकि ये प्रदूषकों को छानकर पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित बनाए रखती हैं।

निष्कर्ष:

स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार और आर्द्रभूमि शहर मान्यता उन शहरों के प्रयासों की सराहना करते हैं जिन्होंने वायु गुणवत्ता सुधार और आर्द्रभूमि संरक्षण में उल्लेखनीय प्रगति की है। सरकार की पहलें और NCAP की उपलब्धियाँ यह स्पष्ट करती हैं कि देश प्रत्येक नागरिक के लिए स्वच्छ हवा और सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

ऑस्ट्रेलिया ने कोआला के लिए टीके को मंजूरी दी

संदर्भ:

ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में दुनिया के पहले टीके को मंजूरी दी है जिसका उद्देश्य कोआला को क्लैमाइडिया से बचाना है। क्लैमाइडिया एक जीवाणु जनित रोग है जिसने उनकी आबादी को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। इस टीके का उद्देश्य जंगली कोआला आबादी में प्रतिरक्षा में सुधार करके इस रोग के प्रभाव को कम करना है, जिससे संक्रमण के कारण होने वाली आबादी में गिरावट को रोका जा सके।

कोआला के बारे में:

- कोआला (फास्कोलार्क्टोस सिनेरियस), जिसे अक्सर बोलचाल की भाषा में "कोआला भालू" कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया का एक वृक्षवासी शाकाहारी धानी प्राणी है।
- यह फास्कोलार्क्टिडे परिवार का एकमात्र जीवित सदस्य है और वॉम्बैट के साथ इसका घनिष्ठ विकासवादी संबंध है। कोआला मुख्यतः एकान्तवासी प्राणी हैं, जो केवल प्रजनन काल के दौरान ही एक साथ आते हैं।
- वृक्षों पर रहने वाली जीवनशैली के अनुकूल, कोआला अपना अधिकांश समय यूकेलिप्टस के पेड़ों पर आराम करने और भोजन करने में बिताते हैं।
- उनके पंजे अनोखे ढंग से दो विपरीत अंगूठों से सुसज्जित होते हैं, जो एक विकासवादी विशेषता है जो पेड़ों के तनों को कुशलतापूर्वक पकड़ने और चढ़ने की उनकी क्षमता को बढ़ाती है।
- **वितरण और आवास:**

» कोआला ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी हिस्सों में रहते हैं, जिनमें क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया और दक्षिण-पूर्वी दक्षिण ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं।
» उनके पसंदीदा आवास खुले जंगलों से लेकर वनों तक, उष्णकटिबंधीय से लेकर ठंडे समशीतोष्ण क्षेत्रों तक विविध जलवायु क्षेत्रों में फैले हुए हैं।

- **आहार और पारिस्थितिकी:**
  » कोआला पत्तेदार होते हैं, जो पोषण के लिए लगभग पूरी तरह से नीलगिरी के पत्तों पर निर्भर करते हैं। यह विशिष्ट आहार कैलोरी में कम होता है और कोआला को दिन में 18-22 घंटे तक सोकर ऊर्जा संरक्षित करने की आवश्यकता होती है।

संरक्षण स्थिति और खतरे:

- अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) के अनुसार, कोआला को वर्तमान में संवेदनशील श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। खतरों के संयोजन के कारण उनकी आबादी में भारी गिरावट आई है:
  » **आवास की हानि:** शहरीकरण, वनों की कटाई और भूमि की सफाई ने उपयुक्त आवासों को काफी कम कर दिया है।
  » **जलवायु परिवर्तन:** सूखे और जंगल की आग की बढ़ती आवृत्ति भोजन की उपलब्धता और अस्तित्व को प्रभावित करती है।
  » **सड़क दुर्घटनाएँ: वा**हनों से टक्कर मृत्यु का एक महत्वपूर्ण कारण है।
  » **रोग:** सबसे खतरनाक खतरा क्लैमाइडिया न्यूमोनिया और क्लैमाइडिया पेकोरम बैक्टीरिया के कारण होने वाले क्लैमाइडियल संक्रमण से है।

क्लैमाइडिया के बारे में:

- क्लैमाइडिया कोआलाओं में एक व्यापक बीमारी है, जो संभोग, संक्रमित स्राव और जन्म के समय माँ से जोईं में फैलती है।
- इसके लक्षणों में आँखों के संक्रमण से लेकर अंधेपन का कारण बनने वाले मूत्र मार्ग की समस्याएँ और बांझपन शामिल हैं।
- संक्रमित कोआला अक्सर कमजोर और निर्जलित हो जाते हैं, जिससे वे शिकारियों और झाड़ियों में आग लगने जैसी पर्यावरणीय समस्याओं के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं।

निष्कर्ष:

कोआला ऑस्ट्रेलिया की अनूठी जैव विविधता की एक प्रतीकात्मक प्रजाति है, लेकिन कई मानवजनित और प्राकृतिक खतरों के कारण यह अभी भी असुरक्षित है। क्लैमाइडिया वैक्सीन की शुरुआत आशा की किरण है, लेकिन इसके साथ ही आवास संरक्षण, मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने और जलवायु लचीलेपन पर केंद्रित व्यापक संरक्षण प्रयासों को भी शामिल किया जाना चाहिए।

पाक खाड़ी (Palk Bay) में भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व

संदर्भ:

अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) ने वर्ल्ड कंज़र्वेशन कांग्रेस 2025 में प्रस्ताव को औपचारिक रूप से अपनाया, जिसमें तमिलनाडु के पाक खाड़ी (Palk Bay) में भारत के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व को समुद्री जैव विविधता संरक्षण के मॉडल के रूप में मान्यता दी गई।

डुगोंग संरक्षण रिज़र्व की मुख्य विशेषताएँ:

पहलू	विवरण
कानूनी आधार / अधिसूचना	डुगोंग संरक्षण रिज़र्व को सितंबर 2022 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत अधिसूचित किया गया।
स्थान और क्षेत्रफल	यह रिज़र्व उत्तरी पाक खाड़ी में 448.34 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करता है। यह तमिलनाडु के तंजावुर और पुडुकोट्टई ज़िलों के तटीय क्षेत्र में फैला है।
आवास (हैबिटैट)	यहाँ 12,250 हेक्टेयर से अधिक सीग्रास (समुद्री घास) के मैदान हैं, जो डुगोंग (डुगोंग डुगोन) के लिए महत्वपूर्ण भोजन स्थल हैं।

मुख्य प्रजाति	डुगोंग डुगोन (आम तौर पर डुगोंग या "सी काउ" कहा जाता है), जिसे आईयूसीएन रेड लिस्ट में असुरक्षित (Vulnerable) श्रेणी में रखा गया है।

आईयूसीएन मान्यता का महत्व:

- **वैश्विक समर्थन:** यह रिज़र्व अब वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त मॉडल बन गया है। इससे अंतरराष्ट्रीय ध्यान, फंडिंग और तकनीकी सहयोग मिल सकता है।
- **संरक्षण को बढ़ावा:** यह डुगोंग के लिए खतरों (आवास नष्ट होना, मछली पकड़ने के जाल, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन) को उजागर करेगा और तत्काल कार्रवाई की ज़रूरत को रेखांकित करेगा।
- **पुनरुत्पादक मॉडल:** यह पहल भारत और हिंद महासागर क्षेत्र में अन्य समुद्री संरक्षण प्रयासों को प्रेरित करती है। आईयूसीएन के प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से इस मॉडल को अपनाने की सिफारिश की गई है।

भारत में डुगोंग (Dugong):

- डुगोंग जिन्हें "सी काउ" भी कहा जाता है, समुद्री स्तनधारी हैं। ये उथले (shallow) तटीय जल में रहते हैं और सीग्रास खाते हैं। भारत में इनकी कम संख्या मौजूद है, इसके साथ ही इनकी संख्या लगातार घट रही है। इस गिरावट को रोकने के लिए कई संरक्षण उपाय किए जा रहे हैं।
- **संरक्षण स्थिति और कानूनी सुरक्षा:**

सूची / कानून	इसका अर्थ
आईयूसीएन रेड लिस्ट: असुरक्षित	डुगोंग वैश्विक स्तर पर संकटग्रस्त हैं और इनकी आबादी घट रही है।
CITES: परिशिष्ट I	सबसे उच्च सुरक्षा; डुगोंग या इनके अंगों का अंतरराष्ट्रीय व्यापार लगभग पूरी तरह प्रतिबंधित।
भारत का वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972: अनुसूची I	भारत में सबसे सख्त कानूनी सुरक्षा; डुगोंग का शिकार या नुकसान पहुँचाना पूरी तरह से प्रतिबंधित।

चुनौतियाँ:

- सीग्रास के मैदानों का नष्ट होना या क्षति पहुँचना डुगोंग के लिए सबसे बड़ा खतरा है।
- असुरक्षित मछली पकड़ने के तरीके (जाल में फँसना और उलझना) गंभीर जोखिम हैं।
- समुद्री प्रदूषण, तलछट जमना, और जलवायु परिवर्तन (समुद्र तापमान बढ़ना, समुद्र स्तर बढ़ना) डुगोंग और सीग्रास दोनों के लिए ख़तरनाक हैं।
- डुगोंग की प्रजनन दर बहुत कम है, जिससे इनकी संख्या तेजी से नहीं बढ़ पाती।

निष्कर्ष:

आईयूसीएन द्वारा तमिलनाडु के पाक खाड़ी डुगोंग संरक्षण रिजर्व को मान्यता मिलना भारत के समुद्री संरक्षण इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह दर्शाता है कि सही तरीके से बनाए गए और स्थानीय लोगों को शामिल करने वाले संरक्षण प्रयास वैश्विक स्तर पर पहचान हासिल कर सकते हैं। यह मॉडल न केवल डुगोंग बल्कि अन्य समुद्री प्रजातियों और संकटग्रस्त आवासों के लिए भी उदाहरण बन सकता है। जैसे-जैसे मानव गतिविधियाँ, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय दबाव बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे संरक्षण रिज़र्व प्रजातियों की सुरक्षा, पारिस्थितिकी तंत्र की संतुलन और स्थानीय समुदायों की आजीविका के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाते हैं।

भारत ने दो नए रामसर स्थलों को किया नामित

संदर्भ:

हाल ही में भारत सरकार ने बिहार के बक्सर ज़िले में स्थित गोकुल जलाशय और पश्चिम चंपारण ज़िले में स्थित उदयपुर झील को आधिकारिक रूप से रामसर स्थल घोषित किया है। इन दोनों स्थलों के जुड़ने के साथ भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या बढ़कर 93 हो गई है।

स्थलों के बारे में:

विशेषता	विवरण
गोकुल जलाशय	बक्सर ज़िले में स्थित यह आर्द्रभूमि लगभग 448 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली है। यह गंगा नदी की एक ऑक्सबो झील (या "डेड आर्म") है। यहाँ 50 से अधिक पक्षी प्रजातियाँ विशेषकर मानसून-पूर्व दलदली क्षेत्रों और झाड़ीदार वनस्पतियों के बीच पाई जाती हैं। स्थानीय समुदाय इस जलाशय पर कृषि, मत्स्य पालन और सिंचाई के लिए निर्भर रहते हैं।
उदयपुर झील	पश्चिम चंपारण ज़िले में स्थित यह झील लगभग 319 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली है। यह गंडक नदी और उसकी सहायक नदी के बाढ़ मैदान में बनी एक ऑक्सबो झील है जो उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य का हिस्सा है। यह स्थल प्रवासी और स्थानीय जलपक्षियों का महत्वपूर्ण आवास है। साथ ही, यहाँ दलदली वन और नदी तट पर खैर तथा शीशम के वृक्ष भी पाए जाते हैं।

रामसर स्थल और आर्द्रभूमि संरक्षण के बारे में:

- रामसर स्थल वे आर्द्रभूमियाँ हैं जिन्हें अंतरराष्ट्रीय महत्व का माना गया है। इन्हें रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स के अंतर्गत मान्यता दी जाती है। यह एक अंतर-सरकारी संधि है, जिस पर वर्ष 1971 में हस्ताक्षर किए गए थे। इसका मुख्य उद्देश्य आर्द्रभूमियों का संरक्षण और उनका सतत एवं विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना है।
- इन स्थलों को विशेष संरक्षण और अंतरराष्ट्रीय पहचान मिलती है क्योंकि ये वैश्विक जैव विविधता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। साथ ही, ये आर्द्रभूमियाँ मानव जीवन को जल शुद्धिकरण, बाढ़ नियंत्रण और जलवायु संतुलन जैसी महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी सेवाएँ प्रदान करती हैं।
- भारत ने वर्ष 1982 में इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। सबसे पहले चिल्का झील (ओडिशा) और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान (राजस्थान) को रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया था। वर्तमान में भारत में कुल 93 रामसर स्थल हैं, जो 13 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में फैले हुए हैं।

भारत की आर्द्रभूमि संरक्षण नीतियाँ:

- **वेटलैंड (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017:** इन नियमों के तहत राज्य-स्तरीय वेटलैंड प्राधिकरण का गठन किया गया है और आर्द्रभूमि संरक्षण में स्थानीय समुदाय की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की गई है।
- **राष्ट्रीय जलीय पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण योजना (NPCA), 2015:** यह योजना, राष्ट्रीय वेटलैंड संरक्षण कार्यक्रम (NWCP) और राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना (NLCP) को मिलाकर बनाई गई है। इसका उद्देश्य आर्द्रभूमियों और झीलों दोनों की समग्र सुरक्षा और प्रबंधन करना है।
- **मिशन सहभागिता:** यह नागरिकों की भागीदारी पर आधारित कार्यक्रम है। इसके तहत चलाए गए सेव वेटलैंड्स अभियान में 20 लाख से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। अब तक 1.7 लाख आर्द्रभूमियों का जमीनी सत्यापन और 1 लाख आर्द्रभूमियों की सीमा-रेखा का निर्धारण किया जा चुका है।
- **अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना, 2023:** इस योजना के अंतर्गत सरकारी अधिकारियों, संरक्षण विशेषज्ञों और स्थानीय समुदायों को आर्द्रभूमि प्रबंधन की ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें सतत प्रबंधन तकनीकों और पारंपरिक ज्ञान दोनों का उपयोग करने पर ज़ोर दिया गया है।
- **मिशन अमृत सरोवर:** इस मिशन का लक्ष्य प्रत्येक ज़िले में 75 जलाशयों का निर्माण और पुनर्जीवन करना है, जिससे जल सुरक्षा सुनिश्चित हो सके और स्थानीय स्तर पर रोज़गार के अवसर भी बढ़ें।

निष्कर्ष:

गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर स्थल का दर्जा मिलने से न केवल भारत की आर्द्रभूमि संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता सुदृढ़ हुई है, बल्कि बिहार के पारिस्थितिकी तंत्र की स्थायित्व और मजबूती में भी वृद्धि हुई है। ये स्थल अपनी समृद्ध जैव विविधता, जल विज्ञान संबंधी महत्व और स्थानीय समुदाय की जीवन-निर्भरता के कारण विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं।

यूनेस्को विश्व जैवमंडल अभयारण्य नेटवर्क

सन्दर्भ:

हिमाचल प्रदेश के कोल्ड डेज़र्ट बायोस्फीयर रिज़र्व (स्पीति घाटी, लाहौल-स्पीति ज़िला) को औपचारिक रूप से यूनेस्को के विश्व जैवमंडल अभयारण्य नेटवर्क (WNBR) में सम्मिलित किया गया है। यह नामांकन मानव और जैवमंडल (MAB) कार्यक्रम के अंतर्गत किया गया। यह औपचारिक घोषणा 26–28 सितम्बर 2025 को चीन के हांगझोऊ में आयोजित विश्व जैवमंडल अभयारण्य कांग्रेस के दौरान हुई 37वीं MAB अंतरराष्ट्रीय समन्वय परिषद (ICC) बैठक में की गई। इसके साथ ही हिमाचल का शीत

मरुस्थलीय क्षेत्र भारत का 13वाँ ऐसा जैवमंडल अभयारण्य बन गया है जिसे यूनेस्को वैश्विक नेटवर्क में स्थान प्राप्त हुआ।

महत्त्व:

- **वैश्विक संरक्षण की मान्यता:** हिमाचल के शीत मरुस्थल को यूनेस्को के नेटवर्क में सम्मिलित किए जाने से इसे एक संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त होती है, जिसे संरक्षण एवं सतत प्रबंधन की आवश्यकता है।
- **संरक्षण और सतत विकास:** जैवमंडल का कोर–बफर–ट्रांजिशन मॉडल पारिस्थितिक अखंडता को बनाए रखने के साथ-साथ मानव गतिविधियों को बफर व संक्रमण क्षेत्रों में सतत रूप से जारी रखने की अनुमति देता है।
- **जलवायु सहनशीलता (क्लाइमेट रेज़िलियंस):** उच्च हिमालयी शीत मरुस्थल जलवायु परिवर्तन के प्रति अत्यंत संवेदनशील हैं—हिमनदों का पीछे हटना, वर्षा-पैटर्न में परिवर्तन, तापमान की चरम स्थितियाँ। यूनेस्को जैवमंडल अभयारण्य का दर्जा मिलने से अनुसंधान, निगरानी और अनुकूलन रणनीतियों को प्रोत्साहन मिलेगा।
- **जैव विविधता संरक्षण:** दुर्लभ प्रजातियों (जैसे हिम तेंदुआ) के लिए आवास संरक्षण, औषधीय पौधों का संरक्षण तथा मृदा अपरदन, अतिक्रमण चराई आदि से पारिस्थितिक क्षरण को रोकना सुनिश्चित होगा।

कोल्ड डेज़र्ट बायोस्फीयर रिज़र्व के बारे में:

- यह जैवमंडल अभयारण्य पश्चिमी हिमालय में हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत स्थित है। इसे अगस्त 2009 में आधिकारिक रूप से स्थापित किया गया था।
- **मुख्य विशेषताएँ एवं भौगोलिक विस्तार:**
  - » **क्षेत्रफल:** लगभग 7,770 वर्ग किलोमीटर।
  - » **ऊँचाई:** 3,300 मीटर से लेकर लगभग 6,600 मीटर तक (ट्रांस-हिमालयी क्षेत्र)।
  - » **प्रमुख पारिस्थितिक क्षेत्र:** पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान, किब्बर वन्यजीव अभयारण्य, चंद्रताल आर्द्रभूमि तथा सरचू मैदान।
  - » **वनस्पति:** इस क्षेत्र में सैकड़ों पौधों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं—650 से अधिक औषधीय जड़ी-बूटियाँ, लगभग 40 झाड़ी प्रजातियाँ और 17 वृक्ष प्रजातियाँ। यह क्षेत्र पारंपरिक चिकित्सा पद्धति सोवा-रिग्पा/अम्ची के लिए भी महत्त्वपूर्ण है।
  - » **जीव-जंतु:** प्रमुख प्रजातियों में हिम तेंदुआ, नीलगाय (भरल—शिकार आधार), हिमालयी आइबेक्स, तिब्बती भेड़िया, लाल लोमड़ी तथा स्वर्ण गरुड़, हिमालयी स्नोकॉक जैसे पक्षी सम्मिलित हैं।

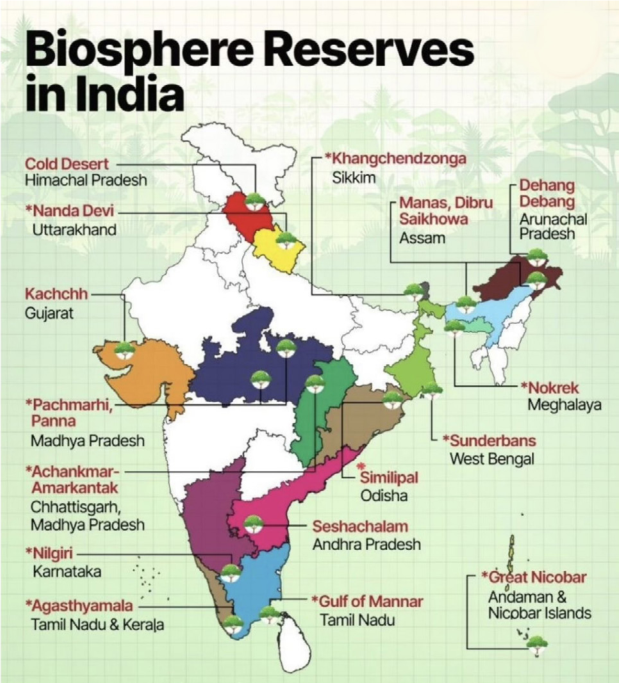

यूनेस्को का मानव एवं जैवमंडल (MAB) कार्यक्रम:

- यूनेस्को ने 1971 में मानव एवं जैवमंडल (MAB) कार्यक्रम के अंतर्गत विश्व जैवमंडल अभयारण्य नेटवर्क (WNBR) की स्थापना की। इसका उद्देश्य जैव विविधता संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देना है।
- इसमें राष्ट्रीय सरकारें स्थल नामित करती हैं और MAB की अंतरराष्ट्रीय समन्वय परिषद (ICC) इन प्रस्तावों को स्वीकार कर वैश्विक नेटवर्क में सम्मिलित करती है।
- इससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता, ज्ञान-साझाकरण और क्षमता निर्माण संभव होता है।

निष्कर्ष:

हिमाचल के शीत मरुस्थल (स्पीति क्षेत्र/उच्च हिमालयी शीत मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र) का यूनेस्को विश्व जैवमंडल अभयारण्य नेटवर्क में सम्मिलन भारत के पर्यावरण एवं संरक्षण क्षेत्र में एक मील का पत्थर है। यह कदम न केवल नाज़ुक पारिस्थितिक तंत्रों और जलवायु सहनशीलता के संरक्षण की दिशा में प्रतिबद्धता को दर्शाता है, बल्कि चरम भौगोलिक परिस्थितियों में सतत आजीविकाओं के समर्थन को भी बल प्रदान करता है।

5 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

आत्मनिर्भर भारत से वैश्विक नेतृत्व तक: सेमीकंडक्टर क्रांति की ओर

परिचय:

सेमीकंडक्टर आधुनिक डिजिटल अर्थव्यवस्था की नींव हैं। ये मोबाइल फोन और लैपटॉप से लेकर इलेक्ट्रिक वाहनों, रक्षा प्रणालियों, उपग्रहों और चिकित्सा उपकरणों तक सब कुछ संचालित करते हैं। सेमीकंडक्टर के बिना डिजिटलीकरण, स्वचालन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता संभव नहीं है। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में निर्णायक रूप से कदम उठाए हैं ताकि वह वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में एक विश्वसनीय और नवोन्मेषी खिलाड़ी के रूप में अपनी पहचान स्थापित कर सके।

2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) की शुरुआत और ₹76,000 करोड़ के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा के साथ भारत ने वैश्विक सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र में औपचारिक प्रवेश किया। मात्र चार वर्षों में, भारत चिप्स का उपभोक्ता भर होने से आगे बढ़कर अपने स्वदेशी डिज़ाइन, पैकेजिंग सुविधाओं और विनिर्माण क्षमताओं का विकास कर चुका है। हाल ही में आयोजित सेमिकॉन इंडिया 2025 सम्मेलन ने इन उपलब्धियों को प्रदर्शित किया और भारत की यह महत्वाकांक्षा स्पष्ट की कि वह एक वैश्विक सेमीकंडक्टर महाशक्ति बने।

इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM):

- इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) देश में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले संबंधी योजनाओं को लागू करने वाली नोडल एजेंसी है। इसका उद्देश्य भारत को सेमीकंडक्टर डिज़ाइन, विनिर्माण और नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाना है, जिसके लिए यह कदम उठाए जा रहे हैं:
  - » फैब्रिकेशन प्लांट (फैब्स), पैकेजिंग और टेस्टिंग इकाइयों की स्थापना।
  - » चिप डिज़ाइन में स्टार्ट-अप्स का समर्थन।
  - » कच्चे माल, रसायन, गैसों और उपकरणों की विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला का विकास।
  - » स्वदेशी बौद्धिक संपदा सृजन को बढ़ावा।
  - » कुशल कार्यबल और उत्कृष्टता केंद्रों का निर्माण।
  - » वैश्विक कंपनियों, अनुसंधान संस्थानों और विश्वविद्यालयों के साथ साझेदारी को प्रोत्साहन।
- अब तक भारत ने छह राज्यों में 10 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को मंज़ूरी दी है, जिनमें ₹1.6 लाख करोड़ का निवेश हो रहा है। ये परियोजनाएं वाणिज्यिक सिलिकॉन कार्बाइड फैब्स, उन्नत पैकेजिंग सुविधाओं और आउटसोर्स्ड असेम्बली एंड टेस्टिंग प्लांट्स (OSAT) को कवर करती हैं।

वित्तीय प्रोत्साहन और नीतिगत बढ़ावा:

सेमीकंडक्टर विनिर्माण और डिज़ाइन को समर्थन देने के लिए सरकार ने दो प्रमुख प्रोत्साहन योजनाएं बनाई हैं:

- **उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना**
  - » ₹76,000 करोड़ आवंटित।
  - » लगभग ₹65,000 करोड़ पहले ही प्रतिबद्ध।
  - » वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करने और पैमाने की अर्थव्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन।
- **डिज़ाइन आधारित प्रोत्साहन (DLI) योजना**
  - » सेमीकंडक्टर स्टार्ट-अप्स और नवोन्मेषकों को वित्तीय सहायता।
  - » अब तक 23 चिप डिज़ाइन परियोजनाओं को मंज़ूरी।

» वर्वसेमी माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स जैसी कंपनियाँ एयरोस्पेस, रक्षा और ईवी के लिए उन्नत चिप्स डिज़ाइन कर रही हैं।
» यह द्विपक्षीय दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि भारत केवल चिप्स असेंबल ही नहीं कर रहा बल्कि वैश्विक बाज़ार के लिए स्वदेशी डिज़ाइन भी तैयार कर रहा है।

भारत की सेमीकंडक्टर यात्रा के प्रमुख उपलब्धि:

- **स्वदेशी माइक्रोप्रोसेसर – विक्रम का शुभारंभ**
  » सेमिकॉन इंडिया 2025 सम्मेलन में केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विक्रम, भारत का पहला पूर्णत: स्वदेशी 32-बिट माइक्रोप्रोसेसर लॉन्च किया।
  » यह उपलब्धि रक्षा, स्वास्थ्य सेवा और संचार जैसे क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण चिप्स डिज़ाइन करने की भारत की क्षमता को दर्शाती है।
- **आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेम्बली एंड टेस्ट (OSAT) सुविधाएँ**
  » 28 अगस्त 2025 को गुजरात के साणंद में भारत ने अपना पहला एंड-टू-एंड OSAT पायलट लाइन प्लांट सीजी सेमी द्वारा विकसित कर उद्घाटित किया।
  » यह सुविधा चिप असेंबली, परीक्षण और पैकेजिंग में अहम भूमिका निभाएगी। यह संयंत्र 2026 में पहला 'मेड इन इंडिया' चिप लॉन्च करने की संभावना रखता है।
- **उन्नत सेमीकंडक्टर डिज़ाइन केंद्र**
  » मई 2025 में भारत ने नोएडा और बेंगलुरु में अपनी पहली 3-नैनोमीटर चिप डिज़ाइन सुविधाओं की शुरुआत की। ये केंद्र पहले के 5nm और 7nm डिज़ाइनों से एक छलांग हैं और भारत को वैश्विक स्तर पर अत्याधुनिक चिप डिज़ाइन में स्थापित करते हैं।
- **वैश्विक सहयोग और निवेश**
  » माइक्रोन टेक्नोलॉजी गुजरात में ₹22,500 करोड़ का निवेश कर रही है।
  » टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और ताइवान की PSMC धोलेरा में ₹91,000 करोड़ के करीब निवेश कर रहे हैं।
  » फॉक्सकॉन, एएमडी, रेनिसास और अप्लाइड मैटेरियल्स ने भी भारत में निवेश की घोषणा की है।

सेमीकंडक्टर का सामरिक महत्व:

- सेमीकंडक्टर केवल आर्थिक संसाधन नहीं हैं; ये सामरिक संपत्ति भी हैं। कोविड-19 महामारी और यूक्रेन युद्ध के दौरान वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान ने इस बात को स्पष्ट किया कि कुछ भौगोलिक क्षेत्रों (जैसे ताइवान, जो दुनिया के 60% चिप्स और 90% उन्नत चिप्स का उत्पादन करता है) पर अत्यधिक निर्भरता कितनी जोखिमपूर्ण है।

सेमीकंडक्टर क्या हैं?

- सेमीकंडक्टर वह पदार्थ है जिसकी विद्युत चालकता कंडक्टर (जैसे तांबा) और इंसुलेटर (जैसे कांच) के बीच होती है। इसकी चालकता को डोपिंग, तापमान या विद्युत क्षेत्र से नियंत्रित किया जा सकता है।
- ये करंट को सटीक रूप से नियंत्रित करने में सक्षम होते हैं, जो इन्हें ट्रांजिस्टर और इंटीग्रेटेड सर्किट के लिए उपयुक्त बनाता है।
- **सामान्य सामग्री:** सिलिकॉन (सबसे व्यापक रूप से प्रयुक्त), गैलियम नाइट्राइड (GaN) और सिलिकॉन कार्बाइड (SiC)।
- चिप को एक सूक्ष्म नगरी के रूप में समझा जा सकता है, जहाँ अरबों छोटे-छोटे स्विच (ट्रांजिस्टर) एक साथ काम करते हैं। जितने छोटे और घने ये ट्रांजिस्टर होते हैं (नैनोमीटर में मापा जाता है — 7nm, 5nm, 3nm), चिप उतना ही अधिक शक्तिशाली और दक्ष होता है।

- **सेमीकंडक्टर चिप्स के प्रकार:**
  - » **लॉजिक चिप्स:** CPU, GPU, माइक्रोकंट्रोलर, जो गणनाएँ करते हैं और अनुप्रयोग चलाते हैं।
  - » **मेमोरी चिप्स:** DRAM, SRAM, NAND फ्लैश, जो डेटा संग्रहीत करते हैं।
  - » **एनालॉग चिप्स:** वास्तविक दुनिया के संकेतों (ध्वनि, तापमान, दबाव) को डिजिटल संकेतों में बदलते हैं।
  - » **डिस्क्रीट डिवाइस:** सरल पावर और रेडियो-फ्रीक्वेंसी अवयव।

भारत के लिए सेमीकंडक्टर का महत्व:

- **आर्थिक सुरक्षा:** इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, दूरसंचार और ऊर्जा जैसी उद्योगों को समर्थन।
- **सामरिक स्वायत्तता:** रक्षा और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के लिए आयात पर निर्भरता कम करना।
- **प्रौद्योगिकीय नेतृत्व:** एआई, बिग डेटा और IoT में वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं का हिस्सा बनना।
- **रोज़गार सृजन:** हजारों उच्च-कुशल रोजगार के अवसर उत्पन्न करना।

भारत की सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र में ताकतें:

- भारत की प्रगति तीन मजबूत स्तंभों पर आधारित है:
  - » **सामग्री:** भारत चिप निर्माण के लिए आवश्यक खनिजों, गैसों और रसायनों से समृद्ध है।
  - » **उपकरण और एमएसएमई:** मज़बूत एमएसएमई आधार सेमीकंडक्टर उपकरणों के लिए अवयव बना सकता है।
  - » **सेवाएँ और प्रतिभा:** भारत आईटी, एआई और क्लाउड कंप्यूटिंग में वैश्विक बढ़त रखता है और यहाँ इंजीनियरिंग प्रतिभा की विशाल पूल उपलब्ध है।
- यह संयोजन भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर श्रृंखला में डिज़ाइन, विनिर्माण और सेवाओं के सभी खंडों में एकीकृत करने में सक्षम बनाता है।

अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों की ओर संक्रमण:

- भारत स्वयं को केवल पारंपरिक सिलिकॉन चिप्स तक सीमित नहीं रख रहा है। यह:
  - » सिलिकॉन कार्बाइड (SiC) सेमीकंडक्टर की ओर बढ़ रहा है, जो अधिक ऊष्मा और वोल्टेज सहन कर सकते हैं, और रक्षा, ईवी तथा अंतरिक्ष के लिए अहम हैं।
  - » 3D ग्लास पैकेजिंग तकनीक का अन्वेषण कर रहा है, जो दक्षता और प्रदर्शन को बढ़ाती है।
  - » उन्नत पैकेजिंग और यौगिक सेमीकंडक्टर की सुविधाओं की स्थापना कर रहा है, जिससे भारत वैश्विक नेताओं के समकक्ष खड़ा हो रहा है।

कौशल विकास और अकादमिक-उद्योग संबंध:

- 60,000 से अधिक छात्र पहले ही सेमीकंडक्टर केंद्रित प्रशिक्षण कार्यक्रमों से लाभान्वित हो चुके हैं। ISM ने शैक्षणिक संस्थानों के साथ मिलकर:
  - » प्रमाणन और व्यावहारिक प्रशिक्षण।
  - » स्टार्ट-अप्स के लिए परामर्श।
  - » अत्याधुनिक अनुसंधान के लिए उत्कृष्टता केंद्र।
- इन उपायों का उद्देश्य 2030 तक उद्योग की एक मिलियन अतिरिक्त कुशल कर्मियों की मांग पूरी करने के लिए एक विविध और भविष्य-तैयार कार्यबल का निर्माण करना है।

निष्कर्ष:

भारत की सेमीकंडक्टर यात्रा ने रिकॉर्ड समय में दृष्टि से क्रियान्वयन तक का सफ़र तय किया है। नीतिगत समर्थन, विशाल निवेश, स्वदेशी डिज़ाइन क्षमताओं और वैश्विक सहयोगों के साथ देश आत्मनिर्भर और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र की नींव रख रहा है। सेमिकॉन इंडिया 2025 महत्वाकांक्षा और प्रगति की इस भावना को दर्शाता है। भारत अब केवल चिप्स का बाज़ार नहीं है, बल्कि उत्पादक, नवोन्मेषक और वैश्विक प्रौद्योगिकी के भविष्य को आकार देने वाला एक सामरिक भागीदार बन रहा है। डिज़ाइन, पैकेजिंग, विनिर्माण, कौशल विकास और सततता पर ध्यान केंद्रित करके भारत वैश्विक नेताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने की तैयारी कर रहा है। आने वाला दशक निर्णायक होगा। यदि वर्तमान गति जारी रहती है, तो भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्भर होने से निकलकर उनका एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन सकता है — उद्योगों को शक्ति देते हुए, आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए और विश्व के डिजिटल भविष्य को आकार देते हुए।

चंद्रयान-5 मिशन

संदर्भ:

हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) और जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी (JAXA) ने चंद्रयान-5 मिशन के लिए एक कार्यान्वयन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह दोनों देशों का एक संयुक्त चंद्र अन्वेषण अभियान है, जिसका मुख्य उद्देश्य चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्रों, विशेषकर दक्षिणी ध्रुव, का वैज्ञानिक अध्ययन और अन्वेषण करना है।

चंद्रयान-5 मिशन के बारे में:

- चंद्रयान-5 मिशन, जिसे लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन (LUPEX) भी कहा जाता है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) और जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी (JAXA) का एक संयुक्त चंद्र अभियान है।

मिशन के उद्देश्य:

- **चंद्रमा के वाष्प तत्वों का अध्ययन:** चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित स्थायी रूप से छाया वाले क्षेत्रों (PSR) में वाष्पशील पदार्थों, विशेषकर पानी की उपस्थिति और प्रकृति का पता लगाना।
- **सटीक और सुरक्षित लैंडिंग:** नई तकनीकों का प्रदर्शन करना, जिनसे चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित व सटीक लैंडिंग संभव हो सके। इसमें चंद्र रात्रि के दौरान अन्वेषण करने की क्षमता का परीक्षण शामिल है।
- **पानी की खोज और विश्लेषण:** चंद्रमा की मिट्टी (Regolith) में मौजूद पानी की मात्रा, गुणवत्ता और रासायनिक संरचना का अध्ययन करना, ताकि भविष्य में मानव मिशनों और टिकाऊ चंद्र अन्वेषण के लिए आधार तैयार किया जा सके।

अंतरिक्ष यान के घटक:

- **लैंडर:** इसे इसरो विकसित करेगा। इसकी पेलोड क्षमता कम से कम 350 किलोग्राम होगी।
- **रोवर:** इसे JAXA तैयार करेगा। इसका भार लगभग 350 किलोग्राम होगा। इसमें ISRO और JAXA दोनों के वैज्ञानिक उपकरण लगाए जाएंगे। साथ ही इसमें एक ड्रिलिंग प्रणाली होगी, जिसके माध्यम से चंद्र सतह के नीचे से नमूने एकत्र किए जाएंगे।
- **लॉन्च व्हीकल:** इस पूरे मिशन को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने के लिए JAXA का H3-24L रॉकेट इस्तेमाल किया जाएगा।

पेलोड (उपकरण):

- **रेवा (REIWA):** ड्रिल से निकाले गए नमूनों में पानी की मात्रा और विभिन्न रासायनिक तत्वों का विस्तृत अध्ययन करेगा।
- **एलटीजीए (LTGA):** ड्रिल किए गए नमूनों की ऊष्मा-गुरुत्वमितीय जाँच करेगा, जिससे उनमें मौजूद पानी की सटीक मात्रा का पता लगाया जा सकेगा।
- **ट्राइटन (TRITON):** नमूनों में मौजूद वाष्पशील (आसानी से उड़ जाने वाले) घटकों की पहचान और उनका अध्ययन करेगा।
- **आईसैप (ISAP):** ड्रिल किए गए नमूनों की खनिजीय (खनिज संबंधी) और तत्त्वीय (तत्वों से जुड़ी) संरचना का मापन करेगा।

साझेदारी का महत्व:

- ISRO और JAXA की यह साझेदारी न केवल अंतरिक्ष अनुसंधान को मजबूत बनाएगी, बल्कि उद्योगों और स्टार्टअप्स में नवाचार को भी बढ़ावा देगी। इसके साथ ही यह भारत की चंद्र अन्वेषण क्षमताओं को नई ऊँचाइयों तक ले जाएगी।
- यह मिशन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर मौजूद स्थायी छाया वाले क्षेत्रों की गहन जानकारी उपलब्ध कराएगा और अंतरिक्ष विज्ञान की सीमाओं को और आगे बढ़ाएगा।
- चंद्रयान-5 भारत के दीर्घकालिक चंद्र अभियान रोडमैप का एक अहम मील का पत्थर है। इस रोडमैप के अंतर्गत भारत का लक्ष्य है कि वर्ष 2040 तक भारतीय अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की सतह पर उतरें।

चंद्रयान मिशनों के बारे में:

- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) अपने चंद्रयान कार्यक्रम के तहत लगातार चंद्र अन्वेषण में सक्रिय भूमिका निभा रहा है।

- **चंद्रयान-1 (2008):** इस मिशन ने चंद्रमा की सतह पर जल के अणुओं और हाइड्रॉक्सिल की खोज कर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की।
- **चंद्रयान-2 (2019):** इसका उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग और रोवर का संचालन था। ऑर्बिटर सफल रहा, लेकिन लैंडर और रोवर लैंडिंग के प्रयास के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गए।
- **चंद्रयान-3 (2023):** इसका लक्ष्य सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग करना तथा चंद्रमा की सतह पर रोवर संचालित करना था। इसने सफलतापूर्वक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग की, जिससे भारत ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया।
  - **विन्यास:** एक लैंडर (विक्रम) और एक रोवर (प्रज्ञान)।
- **चंद्रयान-4 (नियोजित):**
  - **उद्देश्य:**
    - चंद्र सतह पर सुरक्षित लैंडिंग
    - चंद्रमा से नमूना एकत्र करना
    - चंद्र सतह से प्रस्थान (Ascent)
    - चंद्र कक्षा में डॉकिंग
    - नमूनों को पृथ्वी पर वापस लाना
    - अपेक्षित प्रक्षेपण: वर्ष 2027

निष्कर्ष:

चंद्रयान-5 मिशन भारत और जापान के बीच मजबूत होती अंतरिक्ष साझेदारी का सशक्त प्रमाण है। यह मिशन तकनीकी और वैज्ञानिक दोनों ही दृष्टियों से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके सफल होने से न केवल चंद्रमा के रहस्यों को समझने में मदद मिलेगी, बल्कि यह भविष्य में मानव-केन्द्रित अंतरिक्ष अन्वेषण और दीर्घकालिक चंद्र अभियानों की दिशा में भी दूरगामी प्रभाव डालेगा।

सेरेबो (CEREBO)

संदर्भ:

हाल ही में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) ने 'सेरेबो' नामक एक पोर्टेबल निदान उपकरण लॉन्च किया है, जिसे दर्दनाक मस्तिष्क चोटों (TBI) की त्वरित पहचान के लिए विकसित किया गया है।

पृष्ठभूमि:

- भारत में सिर की चोटों की दर विश्व में सबसे अधिक है, जहाँ प्रति वर्ष 1,00,000 से अधिक मृत्यु एवं दस लाख से अधिक गंभीर चोटों के मामले दर्ज किए जाते हैं।
- इन मामलों में दर्दनाक मस्तिष्क चोटें (TBI) प्रमुख भूमिका निभाती हैं, जिनमें लगभग 50% मौतें चोट लगने के पहले दो घंटों के भीतर होती हैं।
- इसके बावजूद, देश के अनेक ग्रामीण क्षेत्रों और आपातकालीन स्थितियों में सीटी स्कैन एवं एमआरआई जैसे उन्नत नैदानिक उपकरणों की उपलब्धता सीमित है।

सेरेबो के बारे में:

- भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR), चिकित्सा उपकरण एवं निदान मिशन सचिवालय (MDMS), एम्स भोपाल, निमहांस बेंगलुरु और बायोस्कैन रिसर्च के सहयोग से विकसित यह नवोन्मेषी उपकरण विशेष रूप से ग्रामीण और आपातकालीन स्थितियों में मस्तिष्क चोटों के त्वरित, सुलभ और किफायती निदान की आवश्यकता को पूरा करता है।
- यह उपकरण मशीन लर्निंग एल्गोरिद्म द्वारा संचालित अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी (Near-Infrared Spectroscopy) तकनीक का उपयोग करता है, जो एक मिनट से भी कम समय में अंतःकपालीय रक्तस्राव (Intracranial Hemorrhage) एवं मस्तिष्क सूजन का पता लगाने में सक्षम है।
- इस उपकरण को नैदानिक सत्यापन, बहु-केंद्रीय परीक्षणों तथा नियामक अनुमोदनों की प्रक्रिया से गुजरना पड़ा है, जिससे न केवल भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में इसका व्यापक उपयोग संभव हुआ है, बल्कि आपदा प्रबंधन एवं सैन्य चिकित्सा के क्षेत्र में इसके संभावित वैश्विक उपयोग का मार्ग भी प्रशस्त हुआ है।

प्रमुख विशेषताएँ:

- यह विकिरण-मुक्त है, जिससे यह शिशुओं और गर्भवती महिलाओं

के लिए सुरक्षित रहता है।

- पैरामेडिक्स या अकुशल उपयोगकर्ताओं को इसे संचालित करने के लिए केवल 30 मिनट का न्यूनतम प्रशिक्षण आवश्यक होता है।
- त्वरित प्राथमिकता निर्धारण और निर्णय लेने में सहायता के लिए रंग-कोडित परिणाम (Color-coded results) प्रदान करता है।
- यह बिजली या बड़े बुनियादी ढांचे पर निर्भर नहीं करता, जिससे दूर-दराज़ और संसाधनहीन क्षेत्रों में भी इसका उपयोग संभव है।
- इसे एम्बुलेंस, ट्रॉमा सेंटर, ग्रामीण क्लीनिक और आपदा प्रभावित क्षेत्रों में तैनात किया जा सकता है।
- यह उपकरण उन स्थानों पर निदान के अंतर को प्रभावी रूप से कम करता है, जहाँ सीटी स्कैन और एमआरआई जैसे उन्नत साधन उपलब्ध नहीं हैं या महंगे हैं।

सेरेबो के लाभ:

- **त्वरित और शीघ्र निदान:**
  - » मस्तिष्क रक्तस्राव जैसी जानलेवा स्थितियों का शीघ्र पता लगाने में सहायक, जिससे रोगी की जान बचाई जा सकती है।
  - » "गोल्डन आवर" के दौरान यह उपकरण महत्वपूर्ण होता है, जब समय पर त्वरित चिकित्सीय हस्तक्षेप अत्यंत आवश्यक होता है।
- **दूरस्थ क्षेत्रों में पहुँच:**
  - » ग्रामीण भारत के लिए आदर्श, जहाँ इमेजिंग बुनियादी ढाँचा सीमित या न के बराबर है।
  - » तृतीयक देखभाल केंद्र तक मरीजों के परिवहन के दौरान एम्बुलेंस कर्मियों द्वारा भी इसे आसानी से संचालित किया जा सकता है।
- **लागत-कुशलता:**
  - » सीटी/एमआरआई स्कैन की तुलना में काफ़ी सस्ता।
  - » बड़े अस्पतालों और महंगे बुनियादी ढाँचे पर निर्भरता कम करता है।
- **आपातकालीन कक्षों में ट्राइएज सहायता:**
  - » डॉक्टरों को रोगियों की प्राथमिकता निर्धारण में मदद करता है, जिससे भीड़भाड़ वाले ट्रॉमा सेंटरों में निदान का बोझ कम होता है।

निष्कर्ष:

सेरेबो (CEREBO) दर्दनाक मस्तिष्क चोटों के निदान और उपचार में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह पोर्टेबल उपकरण इंट्राक्रैनील रक्तस्राव और सूजन का त्वरित, सुरक्षित और विकिरण-मुक्त पता लगाने में सक्षम है। इससे आपातकालीन देखभाल और ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा की पहुँच बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

भारत का पहला स्वदेशी बहु-चरणीय मलेरिया टीका

सन्दर्भ:

भारत ने अपने पहले स्वदेशी बहु-चरणीय मलेरिया टीके एडफाल्सीवैक्स (AdFalciVax) को पाँच घरेलू दवा कंपनियों को लाइसेंस कर दिया है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) और उसके वैज्ञानिक साझेदारों द्वारा विकसित यह टीका प्लास्मोडियम फाल्सीपेरम (Plasmodium falciparum) परजीवी को मानव रक्तप्रवाह में प्रवेश करने से पहले ही रोकने का लक्ष्य रखता है, ताकि मलेरिया संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ा जा सके।

औद्योगिक सहयोग:

- व्यवसायीकरण और व्यापक वितरण को सक्षम बनाने के लिए, इस टीके के उत्पादन अधिकार निम्नलिखित कंपनियों को हस्तांतरित किए गए हैं:
  - » इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड
  - » टेकइन्वेंशन लाइफकेयर प्राइवेट लिमिटेड
  - » पैनासिया बायोटेक लिमिटेड
  - » बायोलॉजिकल ई लिमिटेड
  - » ज़ाइडस लाइफसाइंसेज़
- यह सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल बड़े पैमाने पर उत्पादन और त्वरित विस्तार के लिए महत्वपूर्ण है।

एडफाल्सीवैक्स (AdFalciVax) की प्रमुख विशेषताएँ:

- **बहु-चरणीय लक्ष्यीकरण:** पारंपरिक टीकों के विपरीत, जो

परजीवी के जीवनचक्र के केवल एक चरण पर हमला करते हैं,

- एडफाल्सीवैक्स, प्लास्मोडियम फाल्सीपेरम को कई चरणों पर रोकता है। इससे संक्रमण नियंत्रण और समुदायों में इसके फैलाव को रोकने में अधिक प्रभावकारिता मिल सकती है।
- **सुलभ और विस्तार योग्य:** बड़े पैमाने पर उपयोग के लिए डिज़ाइन किया गया यह टीका किफायती और विस्तार योग्य है, जिससे सीमित संसाधन वाले क्षेत्रों में भी पहुँच सुनिश्चित हो सके।
- **ताप-स्थायित्व:** एडफाल्सीवैक्स, सामान्य तापमान पर नौ माह से अधिक तक प्रभावी रहता है। यह भारत के ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के लिए अत्यंत आवश्यक है, जहाँ शीत-श्रृंखला अवसंरचना (cold-chain infrastructure) अपर्याप्त है।

सार्वजनिक स्वास्थ्य महत्व:

- **भारत में मलेरिया का बोझ**
  - भारत में वैश्विक मलेरिया मामलों का 1.4% और वैश्विक मलेरिया मृत्यु का 0.9% हिस्सा है।
  - भारत की 95% जनसंख्या मलेरिया-स्थानिक (endemic) क्षेत्रों में रहती है, जिनमें से जनजातीय और दुर्गम क्षेत्र 80% मामलों का योगदान करते हैं।
- **रोग नियंत्रण की संभावना**
  - एडफाल्सीवैक्स से यह संभावनाएँ हैं:
    - संक्रमण श्रृंखला को तोड़ना
    - रोग-प्रसार और मृत्यु-दर को कम करना
    - राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम (NMEP) को समर्थन देना

मलेरिया के बारे में:

- मलेरिया प्लास्मोडियम परजीवियों से होने वाली जानलेवा बीमारी है, जो संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छरों के काटने से मनुष्यों में फैलती है। यह रोकी जा सकती है, ठीक की जा सकती है और मुख्यतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है।
- **कारक जीव (Causative Agents):**
  - मनुष्यों को पाँच प्लास्मोडियम प्रजातियाँ संक्रमित करती हैं:
  - पी. फाल्सीपेरम (सबसे घातक, अफ्रीका में आम)
  - पी. विवैक्स (भारत और एशिया में प्रमुख)
  - पी. मलेरिया, पी. ओवले, पी. नोलेसी (कम सामान्य)
- **रोग का वैश्विक बोझ (2023):**
  - 26.3 करोड़ मामले, 5.97 लाख मौतें विश्व स्तर पर
  - डब्ल्यूएचओ अफ्रीकी क्षेत्र: 94% मामले, 95% मौतें
  - भारत: ~1.4% वैश्विक मामले; अधिकांश मामले जनजातीय और दुर्गम क्षेत्रों से
- **टीके:**
  - RTS,S/AS01 (2021 से) और R21/Matrix-M (2023 से) डब्ल्यूएचओ द्वारा अनुशंसित।

डब्ल्यूएचओ वैश्विक रणनीति (2016–2030):

- **2030 तक के लक्ष्य:**
  - मलेरिया मामलों और मौतों में 90% की कमी
  - ≥35 देशों में मलेरिया उन्मूलन
  - मलेरिया-मुक्त देशों में पुनरुत्थान की रोकथाम

निष्कर्ष:

एडफाल्सीवैक्स का विकास और लाइसेंसिंग भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य नवाचार में ऐतिहासिक उपलब्धि है। यह टीका भारत की वैक्सीन विकास और जैव-प्रौद्योगिकी अनुसंधान में बढ़ती आत्मनिर्भरता को दर्शाता है। यदि सही ढंग से लागू किया जाए, तो एडफाल्सीवैक्स भारत के मलेरिया उन्मूलन लक्ष्यों को तेज कर सकता है, संवेदनशील क्षेत्रों में रोग बोझ को कम कर सकता है और भारत को उष्णकटिबंधीय रोग नियंत्रण में वैश्विक अग्रणी के रूप में स्थापित कर सकता है।

रेड आइवी पौधे से घाव-भरने वाला पैड विकसित

सन्दर्भ:

केरल के पालोड स्थित जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बॉटैनिक गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट (JNTBGRI) के शोधकर्ताओं ने रेड आइवी पौधे (Strobilanthes alternata), जिसे स्थानीय भाषा में मुरिकूटी पाचा कहा जाता है, से प्राप्त अर्क का उपयोग करके एक अभिनव बहु-कार्यात्मक घाव-भरने वाला पैड विकसित किया है। यह खोज परंपरागत वनस्पति ज्ञान को आधुनिक नैनो-प्रौद्योगिकी के साथ जोड़ती है और किफायती स्वास्थ्य सेवाओं में एक महत्वपूर्ण प्रगति मानी जा रही है।

पौधे और अणु के बारे में:

- स्ट्रोबिलैन्थेस अल्टरनेटा (रेड आइवी) जो एकेंथेसी (Acanthaceae) कुल का पौधा है। स्ट्रोबिलैन्थेस (Strobilanthes) प्रजातियां अपने विशेष सामूहिक पुष्पन (mass flowering) के लिए जानी जाती हैं, जैसे नीलकुरिंजी, जो पश्चिमी घाट में हर 12 वर्ष में एक बार खिलता

है।

- यह पौधा उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों, जिनमें भारत भी शामिल है, में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और लोक-चिकित्सा में घाव व कटने-फटने की चिकित्सा में लंबे समय से उपयोग किया जाता रहा है।
- शोधकर्ताओं ने इस पौधे से एक्टियोसाइड (Acteoside) नामक प्राकृतिक जैवसक्रिय यौगिक की पहचान और पृथक्करण किया। यह यौगिक पहले से ही अपने एंटीऑक्सीडेंट, सूजनरोधी (anti-inflammatory) और रोगाणुरोधी (antimicrobial) गुणों के लिए जाना जाता है।
- यह पहली बार है कि एक्टियोसाइड को सीधे रेड आइवी पौधे से जोड़ा गया है, जो पौधों-आधारित घाव-प्रबंधन की नई संभावनाओं को खोलता है।

घाव-भरने वाले पैड की प्रमुख विशेषताएं:

यह पैड पौधे से प्राप्त अणुओं और अभियांत्रिक (engineered) जैव-पदार्थों को जोड़कर एक बहु-स्तरीय संरचना के रूप में बनाया गया है:

- **इलेक्ट्रो-स्पन नैनोफाइबर परत**
  - » जैव-अपघटनीय और विष-रहित पॉलीमर से बनी।
  - » इसमें 0.2% की कम सांद्रता पर भी प्रभावी एक्टियोसाइड तथा एंटीबायोटिक नियोमाइसिन सल्फेट शामिल है।
  - » यह गैस विनिमय को सुगम बनाता है, जीवाणु वृद्धि को रोकता है और उपचार को तेज करता है।
- **सुपर एब्जॉर्बेंट स्पंज परत**
  - » यह सोडियम एलगिनेट (एक प्राकृतिक पॉलीसैकराइड) से बनी है।
  - » यह घाव से निकलने वाले तरल (exudate) को प्रभावी ढंग से सोख लेती है।
- **सक्रिय कार्बन परत**
  - » विशेषकर पुराने घावों से आने वाली दुर्गंध को नियंत्रित और निष्क्रिय करती है।
- इन परतों का सम्मिलित प्रभाव संक्रमण से बचाव, ऊतक मरम्मत को बढ़ावा और आराम सुनिश्चित करते हुए एक संपूर्ण उपचार वातावरण प्रदान करता है।
- पशु-परीक्षणों में यह सिद्ध हुआ कि यह पैड घाव भरने की गति को तेज करता है।
- सुरक्षा परीक्षणों में यह भी पाया गया कि इसमें जीन-क्षति (genotoxicity), एलर्जी, त्वचा-जलन या सूजन का कोई खतरा नहीं है।

इस नवाचार का महत्व:

- वर्तमान में भारत में इस तरह का कोई बहु-कार्यात्मक घाव-ड्रेसिंग उपलब्ध नहीं है।
- इसमें प्रयुक्त घटक (पॉलीमर, सोडियम एलगिनेट, सक्रिय कार्बन) सस्ते और आसानी से उपलब्ध हैं, जिससे इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन किफायती बनता है।
- यह उत्पाद स्थानीय पारंपरिक ज्ञान और उन्नत जैव-प्रौद्योगिकी का संगम है, जो न केवल सार्वजनिक स्वास्थ्य को सहारा देता है बल्कि घरेलू नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को भी मजबूत करता है।

निष्कर्ष:

रेड आइवी आधारित घाव-भरने वाले पैड का विकास किफायती और सुलभ स्वास्थ्य-प्रौद्योगिकी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह परंपरागत औषधीय ज्ञान को अत्याधुनिक नैनोविज्ञान से जोड़ता है और वैश्विक सुरक्षा मानकों को पूरा करता है। ऐसे नवाचार न केवल भारत की वैज्ञानिक क्षमता को बढ़ाते हैं बल्कि बायोमेडिकल अनुसंधान और स्वदेशी तकनीकी विकास में आत्मनिर्भरता के एजेंडा को भी मजबूत करते हैं।

एमपॉक्स वैश्विक आपातकाल नहीं -WHO

परिचय:

हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने आधिकारिक रूप से घोषणा की है कि Mpox (जिसे पहले मंकीपॉक्स कहा जाता था) अब अंतरराष्ट्रीय महत्व की सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति (PHEIC) नहीं है। यह निर्णय एमपॉक्स (Mpox) मामलों और मौतों में वैश्विक स्तर पर लगातार गिरावट के बाद लिया गया है, जो प्रकोप को नियंत्रित करने और

सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया की सफलता का संकेत देता है।

एमपॉक्स (Mpox) के बारे में:

- Mpox एक विषाणुजनित जूनोटिक रोग है, जो मंकीपॉक्स वायरस (MPXV) के कारण होता है। यह ऑर्थोपॉक्सवायरस (Orthopoxvirus) जीनस से संबंधित है।
- पहली बार 1958 में बंदरों में और 1970 में मानवों में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (DRC) में पहचाना गया।
- इसका प्राकृतिक स्रोत अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन चूहे और बंदरों जैसे छोटे स्तनधारी संभावित वाहक माने जाते हैं।

Mpox के उपप्रकार (क्लेड्स)

- **क्लेड I**
  - मध्य अफ्रीका में स्थानिक (एंडेमिक)।
  - अधिक गंभीर बीमारी और ऊँची मृत्यु दर से जुड़ा।
  - हालांकि, हाल के प्रकोप अपेक्षाकृत कम घातक रहे हैं।
- **क्लेड II**
  - पूर्वी अफ्रीका में स्थानिक।
  - 2022 से वैश्विक Mpox प्रकोप से संबंधित।
  - सामान्यतः क्लेड I की तुलना में कम घातक।

लक्षण और प्रसार

- **प्रारंभिक लक्षण:** बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, पीठ दर्द, सूजी हुई लिम्फ नोड्स।
- **प्रगति:** दाने चेहरे/जननांगों पर शुरू होकर पूरे शरीर में फैल जाते हैं; घाव पपड़ी में बदल जाते हैं।

- **संचरण:**
  - **मानव से मानव:** नज़दीकी संपर्क (त्वचा-से-त्वचा, श्वसन बूंदें, संक्रमित वस्तुओं से)।
  - **पशु से मानव:** काटने, खरोंचने, या संक्रमित जानवरों के संपर्क से।
- अधिकांश मरीज कुछ हफ्तों में ठीक हो जाते हैं, लेकिन छोटे बच्चे, एचआईवी संक्रमित व्यक्ति और कमजोर प्रतिरक्षा वाले लोग गंभीर बीमारी के अधिक जोखिम में होते हैं।

उपचार और रोकथाम:

- वैश्विक स्तर पर कोई विशिष्ट एंटीवायरल उपचार स्वीकृत नहीं है।
- प्राथमिक देखभाल सहायक है: हाइड्रेशन, पोषण, दर्द से राहत और संक्रमण नियंत्रण।
- गंभीर मामलों में प्रायोगिक एंटीवायरल (जैसे टेकॉविरिमैट) का उपयोग किया गया है।

WHO ने वैश्विक आपातकाल क्यों समाप्त किया?

- मामलों और मौतों में तेज़ गिरावट।
- बेहतर समझ विकसित होना:
  - संचरण के मार्ग
  - जोखिम कारक
  - क्षेत्रीय रोग-गतिशीलता
- अधिकांश प्रभावित देशों ने स्थायी प्रतिक्रिया क्षमता विकसित कर ली है।

निष्कर्ष:

Mpox से जुड़ा वैश्विक आपातकाल हटाने का WHO का निर्णय अंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया में एक मील का पत्थर है। हालांकि, अफ्रीका की स्थिति वैश्विक स्वास्थ्य असमानताओं की गंभीर याद दिलाती है। रोग निगरानी, स्वास्थ्य ढांचे और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को सुदृढ़ करना आवश्यक है ताकि स्थानीय प्रकोप वैश्विक खतरे में न बदलें।

प्रोटीन लैंग्वेज मॉडल्स

संदर्भ:

मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT) के शोधकर्ताओं की एक टीम ने प्रोटीन लैंग्वेज मॉडल (pLM) की कार्यप्रणाली को समझने में एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। ये एआई-आधारित मॉडल यह

अनुमान लगाने में मदद करते हैं कि प्रोटीन किस प्रकार मुड़ते (fold) हैं और किस तरह कार्य करते हैं, जो नई दवाओं और टीकों की डिज़ाइन के लिए बेहद आवश्यक जानकारी है। अब तक ये मॉडल एक "ब्लैक बॉक्स" की तरह माने जाते थे, अर्थात ये सटीक परिणाम तो देते थे, लेकिन उनकी कार्यप्रणाली को स्पष्ट रूप से समझ पाना मुश्किल था। इस चुनौती को हल करने के लिए MIT टीम ने स्पार्स ऑटोएन्कोडर्स नामक तकनीक का उपयोग किया, जिसकी मदद से इन मॉडलों की आंतरिक प्रक्रियाओं को समझने और उनके पीछे छिपे पैटर्न को उजागर करने में मदद मिली।

प्रोटीन लैंग्वेज मॉडल्स के बारे में:

- प्रोटीन 20 प्रकार के अमीनो एसिड्स से बने होते हैं, जो एक निश्चित क्रम (sequence) में जुड़े रहते हैं। यही क्रम प्रोटीन को जटिल त्रिआयामी (3D) संरचना में मोड़ देता है और वही संरचना उसके कार्य (function) को निर्धारित करती है।
- प्रोटीन लैंग्वेज मॉडल्स (pLMs) को लाखों प्रोटीन अनुक्रमों पर प्रशिक्षित किया जाता है। इनका काम भाषा मॉडलों (जैसे ChatGPT) की तरह होता है, लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि जहाँ भाषा मॉडल अगला शब्द अनुमानित करते हैं, वहीं pLMs अगला अमीनो एसिड पूर्वानुमान करते हैं।
- अनुक्रमों के पैटर्न सीखकर pLMs ये कार्य कर सकते हैं:
  - » प्रोटीन की संरचना का पूर्वानुमान लगाना
  - » प्रोटीन के कार्य का सुझाव देना
  - » नई दवाओं और टीकों के डिज़ाइन में सहायता करना
- लेकिन चुनौती यह रही कि इनके भीतर काम करने की प्रक्रिया को समझना बहुत कठिन था। न्यूरल नेटवर्क की संरचना इतनी जटिल है जिससे यह निर्धारित करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा न्यूरॉन विशिष्ट पैटर्न को पहचानने या पूर्वानुमान लगाने के लिए ज़िम्मेदार है।

नवाचारपूर्ण समाधान:

- इस जटिल समस्या को हल करने के लिए MIT के शोधकर्ताओं ने स्पार्स ऑटोएन्कोडर्स नामक तकनीक का उपयोग किया। ये अपेक्षाकृत छोटे न्यूरल नेटवर्क होते हैं, जिन्हें प्रोटीन लैंग्वेज मॉडल्स की आंतरिक गतिविधियों पर प्रशिक्षित किया गया। इनकी विशेषता यह है कि ये जटिल डेटा से अलग-अलग पैटर्न को अलग करके स्पष्ट रूप से सामने लाते हैं।
- इस प्रक्रिया से वैज्ञानिक यह समझ पाते हैं कि मॉडल ने कौन-सी जानकारी सीखी है और प्रत्येक फीचर वास्तव में क्या दर्शाता है। इन विशेषताओं का गहराई से विश्लेषण करने पर मॉडल की भविष्यवाणियों को अधिक स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। परिणामस्वरूप दवाओं और टीकों की डिज़ाइन में इन मॉडलों का इस्तेमाल अधिक भरोसे और सटीकता के साथ किया जा सकता है।

शोध के लाभ:

- **दवा की खोज:** प्रोटीन के महत्वपूर्ण हिस्सों की पहचान करके डिज़ाइन को तेज़ करना।
- **वैक्सीन डिज़ाइन:** लक्षित प्रोटीन पर और अधिक सटीकता से काम करना।
- **एआई पारदर्शिता:** वैज्ञानिक अनुसंधान में एआई मॉडलों को अधिक समझने योग्य और भरोसेमंद बनाना।

निष्कर्ष:

यह नवीन तकनीक प्रोटीन अनुसंधान में क्रांति ला सकती है। इससे वैज्ञानिकों को जटिल जैविक डेटा को बेहतर तरीके से समझने और अधिक प्रभावी उपचार विकसित करने में मदद मिलेगी। प्रोटीन लैंग्वेज मॉडल्स की कार्यप्रणाली को उजागर करके शोधकर्ता नए जैविक दृष्टिकोण खोज सकते हैं और चिकित्सा तथा बायोटेक्नोलॉजी में बड़े नवाचारों का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं।

ओवर-द-काउंटर (OTC) दवाइओं से बढ़ती चुनौतियां

संदर्भ:

ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया द्वारा किए गए हालिया अध्ययन में यह पाया गया है कि दर्द, बुखार और सूजन के इलाज में सामान्यतः इस्तेमाल होने वाली ओवर-द-काउंटर (बिना पर्ची की दवाइयाँ), जैसे इबुप्रोफेन और पैरासिटामोल, अनदेखे स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर सकती हैं। शोध से स्पष्ट हुआ कि ये दवाइयाँ न केवल अपने-आप में एंटीबायोटिक प्रतिरोध (Antibiotic Resistance) को बढ़ावा देती हैं, बल्कि जब इन्हें साथ में लिया जाता है तो यह और अधिक गंभीर हो जाती है।

मुख्य निष्कर्ष:

- **बैक्टीरिया में तेज़ म्यूटेशन:** इबुप्रोफेन और पैरासिटामोल के उपयोग से बैक्टीरिया में आनुवंशिक बदलाव (म्यूटेशन) तेज़ी से बढ़ जाते हैं। इसके कारण ई. कोलाई बैक्टीरिया एंटीबायोटिक सिप्रोफ्लॉक्सासिन के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी हो जाता है।

- **कई एंटीबायोटिक दवाओं पर असर:** यह प्रतिरोध केवल सिप्रोफ्लॉक्सासिन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि बैक्टीरिया अन्य कई श्रेणियों की एंटीबायोटिक दवाओं के खिलाफ भी प्रतिरोध विकसित कर लेते हैं।
- **बैक्टीरिया पर दबाव और अनुकूलन:** ये दवाइयाँ बैक्टीरिया पर अतिरिक्त दबाव डालती हैं। इसके चलते बैक्टीरिया अपने "जीवित रहने के तंत्र" (Survival Mechanisms) सक्रिय कर लेते हैं और समय के साथ एंटीबायोटिक के असर से बच निकलने में सक्षम हो जाते हैं।

प्रभाव:

- **बुजुर्गों की देखभाल में बढ़ती चिंता:** अध्ययन से पता चलता है कि एक साथ कई दवाओं का प्रयोग अत्यधिक जोखिमपूर्ण हो सकता है। यह स्थिति विशेष रूप से वृद्धाश्रमों और बुजुर्गों की देखभाल में गंभीर है, जहाँ लंबे समय तक विभिन्न दवाएँ लगातार दी जाती हैं।
- **वैश्विक स्वास्थ्य संकट:** विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) पहले ही एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध (AMR) को वैश्विक स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा घोषित कर चुका है। केवल वर्ष 2019 में ही इसके कारण विश्वभर में लगभग 12.7 लाख लोगों की मृत्यु दर्ज की गई थी।

बिना पर्ची वाली दवाइयाँ (OTC Medicines) क्या हैं?

- बिना पर्ची वाली दवाइयाँ (OTC Medicines) वे दवाइयाँ हैं जिन्हें बिना डॉक्टर की पर्ची के भी खरीदा जा सकता है। इन्हें साधारण और रोज़मर्रा की स्वास्थ्य समस्याओं के इलाज के लिए बनाया जाता है, जैसे दर्द, एलर्जी, ज़ुकाम-जुकाम जैसे लक्षण, पाचन संबंधी परेशानी और त्वचा की समस्याएँ।
- आम उदाहरणों में दर्द के लिए एसिटामिनोफेन (टाइलेनॉल) और आइबुप्रोफेन (मोट्रिन), एलर्जी के लिए डाइफेनहाइड्रामाइन (बेनाड्रिल), और अपच के लिए एंटासिड शामिल हैं। ये दवाइयाँ फार्मेसियों में आसानी से उपलब्ध हैं और निर्देशानुसार उपयोग करने पर सुरक्षित मानी जाती हैं।

एंटीबायोटिक प्रतिरोध के बारे में:

- एंटीबायोटिक प्रतिरोध (Antibiotic Resistance) का अर्थ है कि बैक्टीरिया और अन्य जीवाणु उन दवाओं के बावजूद जीवित रह जाते हैं और बढ़ते रहते हैं, जिनका उद्देश्य उन्हें नष्ट करना होता है।
- यह प्रतिरोध समय के साथ स्वाभाविक रूप से विकसित हो सकता है, क्योंकि बैक्टीरिया में लगातार आनुवंशिक (जेनेटिक) बदलाव होते रहते हैं।
- इस स्थिति में खतरनाक बैक्टीरिया तेज़ी से बढ़ते हैं और संक्रमण ऐसे स्तर तक पहुँच सकता है, जिसका इलाज करना अत्यंत कठिन और कभी-कभी असंभव हो जाता है।
- नतीजतन, साधारण बीमारियाँ भी घातक साबित हो सकती हैं और आधुनिक चिकित्सा प्रणाली की बुनियाद हिल सकती है।

यह कैसे होता है?

- जेनेटिक म्यूटेशन (आनुवंशिक बदलाव) के कारण या फिर अन्य सूक्ष्मजीवों से प्रतिरोधी जीन प्राप्त करके जो बैक्टीरिया प्रतिरोधी बन जाते हैं। वे एंटीबायोटिक दवाओं को बेअसर करने के लिए कई तरीके अपनाते हैं:
  - » दवा की संरचना बदल देना
  - » उस जगह को ब्लॉक करना जहाँ दवा असर करती है
  - » वैकल्पिक एंजाइम या रास्ते (pathways) बनाना
- ऐसे बैक्टीरिया मजबूत दवाओं से भी बच जाते हैं, तेज़ी से फैलते हैं और ऐसी बीमारियाँ पैदा करते हैं जिनका कोई इलाज नहीं बचता।

निष्कर्ष:

यह अध्ययन इस तथ्य पर ज़ोर देता है कि दवाओं का जिम्मेदारी और सावधानी से इस्तेमाल करना बेहद आवश्यक है। साथ ही, यह भी स्पष्ट

करता है कि आगे और शोध की आवश्यकता है, ताकि यह समझा जा सके कि बिना पर्ची मिलने वाली साधारण दवाइयाँ एंटीबायोटिक प्रतिरोध को किस स्तर तक प्रभावित कर सकती हैं और इसके दीर्घकालिक परिणाम क्या हो सकते हैं।

डब्ल्यूएचओ की आवश्यक दवाओं की सूची में जीएलपी-1 दवाएँ शामिल

संदर्भ:

हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने अपनी आवश्यक दवाओं की मॉडल सूची (Essential Medicines List - EML) को अपडेट करते हुए जीएलपी-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट (GLP-1 receptor agonist) वर्ग की दवाओं को शामिल किया है। इस निर्णय से इन दवाओं की वैश्विक पहुँच, किफायती उपलब्धता और निरंतर आपूर्ति को बढ़ावा मिलने की संभावना है।

जीएलपी-1 दवाएँ क्या हैं?

- जीएलपी-1 दवाएँ, जैसे सेमाग्लूटाइड (Ozempic/Wegovy) और टिर्ज़ेपाटाइड (Mounjaro/Zepbound), शरीर में प्राकृतिक जीएलपी-1 हार्मोन की तरह काम करती हैं।
- यह हार्मोन ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है, इंसुलिन की प्रतिक्रिया को सुधारता है और भूख को नियंत्रित करता है। इन दवाओं का प्रयोग मोटापा नियंत्रित करने और मेटाबॉलिक स्वास्थ्य सुधारने में सहायक साबित हुआ है।

जीएलपी-1 दवाओं के फायदे:

- **इंसुलिन स्राव में सुधार:** जीएलपी-1 दवाएँ अग्न्याशय (pancreas) से ग्लूकोज़ रिलीज़ को प्रोत्साहित करती हैं और जिगर में ग्लूकोज़ बनने की प्रक्रिया को कम करती हैं।
- **हृदय और गुर्दे के लिए लाभकारी:** शोध से साबित हुआ है कि ये दवाएँ हृदय संबंधी जोखिम कम करती हैं और वजन घटाने में मदद करती हैं।
- **वजन कम करने में सहायक:** जीएलपी-1 दवाएँ भूख को दबाती हैं और पाचन की गति को धीमा करती हैं, जिससे काफी हद तक वजन कम हो सकता है।

डब्ल्यूएचओ के निर्णय का प्रभाव:

- **पहुँच में बढ़ोतरी:** डब्ल्यूएचओ का यह कदम इन दवाओं तक बेहतर पहुँच सुनिश्चित कर सकता है, खासकर कम संसाधनों वाले देशों में।
- **सस्ती जेनेरिक दवाओं का विकास:** इस सूची में शामिल होने से फार्मा कंपनियों को सस्ती जेनेरिक दवाएँ बनाने की प्रेरणा मिलेगी।
- **वैश्विक मान्यता:** मोटापा और मधुमेह को गंभीर चिकित्सीय स्थितियों के रूप में मान्यता दी गई है, जिनके लिए चिकित्सीय समाधान की आवश्यकता।

आवश्यक दवाओं की WHO मॉडल सूची के बारे में:

- डब्ल्यूएचओ की यह सूची उन दवाओं का वैश्विक रजिस्टर है, जो हर स्वास्थ्य-प्रणाली की न्यूनतम जरूरतें पूरी करती हैं।
- इसे हर दो साल में एक्सपर्ट कमेटी द्वारा अपडेट किया जाता है।
- यह देशों को यह तय करने में मदद करती है कि कौन सी दवाएँ सुरक्षित, असरदार और किफायती हैं और उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं में प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

ईएमएल का इतिहास:

- सबसे पहला राष्ट्रीय आवश्यक दवाओं की मॉडल सूची (ईएमएल) 1970 में तंज़ानिया ने तैयार किया।
- 1975 में विश्व स्वास्थ्य सभा (World Health Assembly) ने डब्ल्यूएचओ से सदस्य देशों को आवश्यक दवाएँ पहचानने और उन्हें सस्ते दामों पर उपलब्ध कराने में मदद करने का अनुरोध किया।
- 1977 में डब्ल्यूएचओ ने पहली आवश्यक दवाओं की सूची प्रकाशित की, जिसमें 186 दवाएँ शामिल थीं।

- आज 150 से अधिक देशों ने अपनी राष्ट्रीय आवश्यक दवाओं की सूची बनाई है, जो डब्ल्यूएचओ की मॉडल सूची से प्रेरित है।

आवश्यक दवाओं के बारे में:

- ये दवाएँ जनसंख्या की प्राथमिक स्वास्थ्य ज़रूरतों को पूरा करती हैं।
- इनका चयन बीमारी की व्यापकता, असरकारिता (efficacy), सुरक्षा और लागत-प्रभावशीलता (cost-effectiveness) के आधार पर किया जाता है।
- ये दवाएँ पर्याप्त मात्रा में, किफायती दाम पर और गुणवत्ता की गारंटी के साथ उपलब्ध होनी चाहिए।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के बारे में:

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषीकृत एजेंसी है, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करती है।
- इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में स्थित है।
- संगठन का मुख्य उद्देश्य है कि दुनिया के सभी लोगों को सर्वोच्च संभव स्वास्थ्य स्तर प्रदान किया जा सके।
- डब्ल्यूएचओ स्वास्थ्य को इस प्रकार परिभाषित करता है: "स्वास्थ्य केवल रोग या दुर्बलता की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि यह शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूर्णतः कुशल एवं संतुलित स्थिति है।"

निष्कर्ष:

डब्ल्यूएचओ द्वारा जीएलपी-1 दवाओं को आवश्यक दवाओं की सूची में शामिल करना एक महत्वपूर्ण कदम है। यह दिखाता है कि मोटापा और डायबिटीज़ को अब गंभीर स्वास्थ्य समस्या मानकर चिकित्सकीय हस्तक्षेप की जरूरत समझी जा रही है। भले ही चुनौतियाँ बनी हुई हैं, लेकिन यह निर्णय इन दवाओं की बेहतर उपलब्धता, किफायती कीमत और वैश्विक मान्यता की दिशा में बड़ा बदलाव लाएगा।

पृथ्वी को एक नया छोटा "अर्ध-चंद्रमा" 2025 PN7 मिला

संदर्भ:

हाल ही में, 2025 PN7 नामक एक नया अर्ध-उपग्रह, पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए खोजा गया है। लगभग 19 मीटर व्यास वाला यह क्षुद्रग्रह, पृथ्वी जैसी कक्षाओं का अनुसरण करने वाले क्षुद्रग्रहों के अर्जुन समूह का हिस्सा है। यह खोज 2 अगस्त, 2025 को हवाई स्थित पैन-स्टार्स 1 दूरबीन द्वारा की गई थी, और अभिलेखीय आंकड़ों से संकेत मिलता है कि यह लगभग 60 वर्षों से अर्ध-उपग्रह की स्थिति में रहा होगा।

अर्ध-चंद्रमा के बारे में:

- अर्ध-उपग्रह वे पिंड होते हैं जो किसी ग्रह के साथ एक विशिष्ट प्रकार के सह-कक्षीय विन्यास (co-orbital configuration) में होते हैं, जहाँ वे कई परिक्रमा अवधियों में ग्रह के निकट रहते हैं। वास्तविक उपग्रहों के विपरीत, अर्ध-उपग्रह ग्रह से गुरुत्वाकर्षण द्वारा बंधे नहीं होते हैं तथा उनकी कक्षाएँ अधिक विलक्षण हो सकती हैं। वे प्रायः ग्रह के साथ 1:1 कक्षीय अनुनाद में पाए जाते हैं, जिसका अर्थ है कि वे सूर्य की परिक्रमा करने में उतना ही समय लेते हैं जितना ग्रह।

अर्जुन वर्ग के बारे में:

- 2025 PN7 एक अर्जुन क्षुद्रग्रह के रूप में योग्य है - पृथ्वी के निकट पिंडों (NEO) का एक उपसमूह, जिसकी विशेषताएँ हैं:
  - पृथ्वी के समान कक्षाएँ (अर्थात कम उत्केन्द्रता, कम झुकाव),
  - पृथ्वी के साथ धीमा सापेक्ष वेग,
  - अनुनाद कक्षाओं या क्षणिक उपग्रह कैप्चर से गुजरने की क्षमता।

वैज्ञानिक महत्व:

- **कक्षीय गतिकी एवं अनुनाद अध्ययन:** 2025 PN7 यह समझने के लिए एक प्राकृतिक प्रयोगशाला है कि कैसे छोटे पिंड सौर और स्थलीय गुरुत्वाकर्षण के प्रतिस्पर्धी प्रभावों के तहत अर्ध-स्थिर कक्षाएँ बनाए रख सकते हैं। इसका अंतिम संक्रमण (संभवतः एक घोड़े की नाल के आकार की कक्षा में) कक्षीय विकास के मॉडल को परिष्कृत करने में मदद कर सकता है।
- **ग्रहीय रक्षा और निकट पृथ्वी वस्तु (NEO) निगरानी:** यद्यपि 2025 PN7 से कोई तात्कालिक खतरा नहीं है, फिर भी ऐसे निकट पृथ्वी उपग्रहों पर नज़र रखने से पूर्वानुमान एल्गोरिदम, प्रभाव जोखिम आकलन में सुधार होता है, और पृथ्वी के निकट अंतरिक्ष मलबे को सूचीबद्ध करने में मदद मिलती है।
- **अंतरिक्ष मिशन लक्ष्य:** इसकी निकटता और अपेक्षाकृत कम Δv (ऊर्जा लागत) इसे भविष्य के अंतरिक्ष यान मिशनों के लिए एक दिलचस्प लक्ष्य बना सकता है - फ्लाईबाई अध्ययन, नमूना वापसी, या क्षुद्रग्रह-पुनर्निर्देशन तकनीकों के परीक्षण के लिए।

निष्कर्ष:

2025 PN7 की खोज इस बात पर ज़ोर देती है कि हमारे निकट पृथ्वी के वातावरण में भी, अभी भी छोटे उपग्रह खोजे जाने की प्रतीक्षा में हैं। हालाँकि यह एक वास्तविक चंद्रमा नहीं है, यह पृथ्वी और सूर्य के साथ एक नाजुक नृत्य में बंधा एक अर्ध-उपग्रह है। इसका अध्ययन कक्षीय यांत्रिकी में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, पृथ्वी के निकट अंतरिक्ष का सर्वेक्षण करने की हमारी क्षमता को मजबूत करता है, और भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों के लिए संभावनाएँ खोलता है।

बंद ईंधन चक्र परमाणु परियोजना

सन्दर्भ:

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में घोषणा की है कि रूस वर्ष 2030 तक दुनिया की पहली बंद ईंधन चक्र परमाणु ऊर्जा प्रणाली शुरू करेगा। यह प्रणाली टॉम्स्क क्षेत्र में होगी और इसमें प्रयुक्त परमाणु ईंधन का लगभग 95% बार-बार पुनः उपयोग किया जा सकेगा। इससे रेडियोधर्मी कचरे का संचय बहुत कम होगा और ताज़ा यूरेनियम की मांग में भारी कमी आएगी।

बंद ईंधन चक्र के बारे में:

- एक बंद परमाणु ईंधन चक्र में, रिएक्टर से निकले हुए प्रयुक्त ईंधन को दोबारा संसाधित (reprocess) किया जाता है ताकि उसमें मौजूद उपयोगी विखंडनीय पदार्थ (जैसे- यूरेनियम, प्लूटोनियम) निकाले जा सकें। इन्हें फिर से नए ईंधन के रूप में बनाया जाता है। इस प्रकार यह चक्र "बंद" कहलाता है।
- इस प्रणाली में, ईंधन को एक बार उपयोग के बाद अपशिष्ट के रूप में त्यागने के बजाय, इसे कई चक्रों में पुन: उपयोग किया जाता है। यह पारंपरिक "खुला चक्र" (open cycle) से भिन्न है, जिसमें ईंधन एक बार उपयोग कर लिया जाता है और फिर उसे भंडारित या नष्ट कर दिया जाता है, जिसमें पुनः प्रयोग बहुत कम या नगण्य होता है।

बंद ईंधन चक्र के उद्देश्य:

- ईंधन को बार-बार उपयोग करने से यह प्रणाली:
  - उच्च-स्तरीय रेडियोधर्मी कचरे की मात्रा को कम करती है, जिसे दीर्घकालीन भंडारण की आवश्यकता होती है।
  - नए यूरेनियम की मांग घटाती है, जिससे यूरेनियम खनन और आपूर्ति पर दबाव कम होता है।
  - परमाणु ऊर्जा की स्थिरता और संसाधन दक्षता को बढ़ाती है।

प्रभाव:

- प्रयुक्त ईंधन को पुनः संसाधित कर पुनः प्रयोग करने से, रूस रेडियोधर्मी कचरे के संचय को काफी हद तक कम करना चाहता है, जिससे दीर्घकालीन कचरा निपटान का बोझ हल्का होगा। इससे परमाणु ऊर्जा दीर्घकाल में अधिक टिकाऊ और संसाधन-कुशल विकल्प बनेगी।
- यदि 95% तक पुनः उपयोग हासिल हो गया, तो नए यूरेनियम के खनन और संवर्धन की मांग में भारी कमी आएगी। जिन देशों या क्षेत्रों को यूरेनियम आयात या अस्थिर वस्तु बाज़ारों पर निर्भरता कम करनी है, उनके लिए यह ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से रणनीतिक लाभकारी सिद्ध हो सकता है।
- यदि रूस इसमें सफल होता है, तो वह व्यावसायिक स्तर पर पूर्ण बंद ईंधन चक्र लागू करने वाला पहला देश होगा। इससे रूस अगली पीढ़ी की परमाणु तकनीकों में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित हो सकता है और परमाणु कूटनीति व बाजारों में उसका प्रभाव बढ़ेगा।

चुनौतियाँ और जोखिम:

- **तकनीकी जटिलता और सामग्री विज्ञान:** प्रयुक्त ईंधन का सुरक्षित पुनःचक्रण करने के लिए उन्नत पृथक्करण विधियों, सूक्ष्म ऐक्टिनाइड्स (minor actinides) के प्रबंधन, क्षय ऊष्मा (decay heat) नियंत्रण, ईंधन निर्माण और सामग्री संबंधी गंभीर बाधाओं से निपटना पड़ता है।
- **प्रसार और सुरक्षा:** पुनःप्रसंस्करण और प्लूटोनियम पृथक्करण में स्वाभाविक रूप से अप्रसार (non-proliferation) जोखिम होते हैं। रूस को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) की सख्त निगरानी और पारदर्शिता सुनिश्चित करनी होगी ताकि वैश्विक विश्वास अर्जित किया जा सके।
- **आर्थिक व्यवहार्यता:** उन्नत पुनःप्रसंस्करण, ईंधन निर्माण, रिएक्टर संशोधन और सुरक्षा प्रणालियों की लागत बहुत अधिक होती है। इसकी अर्थव्यवस्था को सरल खुले चक्र रिएक्टरों से प्रतिस्पर्धा करनी होगी, विशेषकर तब जब यूरेनियम की कीमतें मध्यम स्तर पर हों।

निष्कर्ष:

रूस की बंद ईंधन चक्र परमाणु परियोजना परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में क्रांति लाने की क्षमता रखती है। यह स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देगी। जैसे-जैसे दुनिया इस महत्वाकांक्षी परियोजना को देख रही है, इसकी सफलता परमाणु ऊर्जा के भविष्य के लिए दूरगामी प्रभाव डाल सकती है।

जीएसटी 2.0: भारत के परोक्ष कर सुधारों के निहितार्थ

परिचय:

भारत ने 2017 में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की शुरुआत के बाद से अपने परोक्ष कर प्रणाली में सबसे बड़े सुधारों में से एक को लागू किया। 22 सितंबर 2025 से प्रभावी हुए इस सुधार पैकेज को लोकप्रिय रूप से जीएसटी 2.0 कहा जा रहा है, जिसमें जीएसटी स्लैब का व्यापक पुनर्गठन, दरों का तार्किकीकरण और अनुपालन प्रक्रियाओं का सरलीकरण शामिल है।

सरकार ने इस कदम को "जीएसटी बचत उत्सव" नाम दिया है। इसका उद्देश्य कर संरचना को सरल बनाना, खपत को बढ़ावा देना, उल्टे शुल्क संरचना (इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर) की समस्या को कम करना और नागरिकों के हाथों में अधिक व्यय योग्य आय देना है। 375 से अधिक वस्तुओं पर दरें घटाकर सरकार को उम्मीद है कि घरेलू खपत बढ़ेगी, जिससे निजी निवेश आकर्षित होगा और कर कटौती से हुए राजस्व घाटे की भरपाई हो सकेगी।

जीएसटी की शुरुआत:

- जीएसटी जुलाई 2017 में लागू किया गया था, जिसने 17 अलग-अलग परोक्ष करों और 13 उपकरों को एकीकृत उपभोग-आधारित कर में समाहित कर दिया। इसे "एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार" की दिशा में बड़ा कदम बताया गया, लेकिन व्यवहार में यह कई दरों, बार-बार छूटों और वस्तुओं व सेवाओं के वर्गीकरण पर विवादों के कारण जटिल हो गया।
- पिछले आठ वर्षों में दर संशोधनों के एक दर्जन से अधिक दौर हो चुके हैं। हालांकि, जीएसटी 2.0 सबसे महत्वाकांक्षी पुनर्गठन है, क्योंकि यह जटिल चार-स्तरीय प्रणाली से हटकर एक सरल दो-स्तरीय डिजाइन की ओर बढ़ता है, जिसमें कीमती पत्थरों और अपवर्जित वस्तुओं (demerit goods) के लिए विशेष दरें रखी गई हैं।

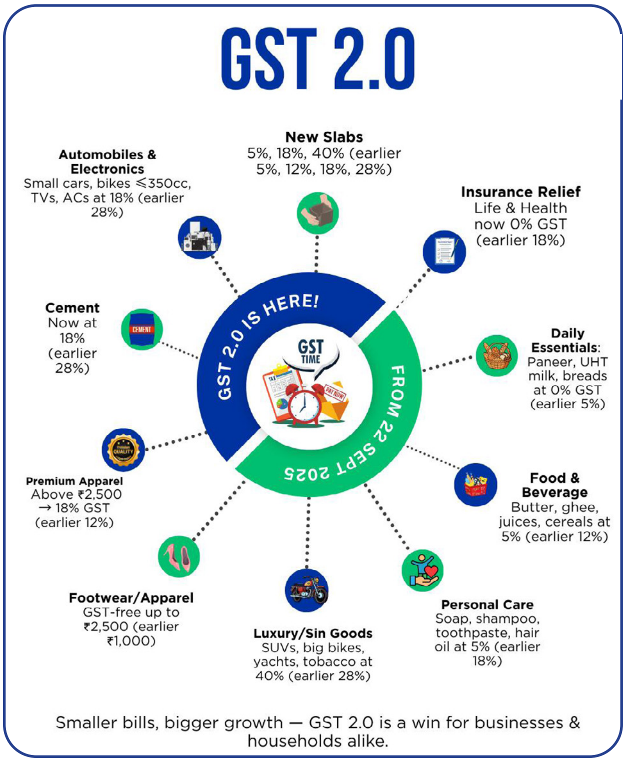

जीएसटी 2.0 की मुख्य विशेषताएं:

- **सरलीकृत दर संरचना:** पहले जीएसटी चार प्रमुख स्लैब पर काम करता था: 5%, 12%, 18% और 28%, साथ ही कई विशेष दरें भी

थीं। जीएसटी 2.0 इसे दो-स्तरीय संरचना में बदल देता है:

» **5% (मेरिट दर):** 516 वस्तुएं और सेवाएं, मुख्य रूप से खाद्य पदार्थ, कृषि मशीनरी और कुछ चिकित्सीय उपकरण।

» **18% (मानक दर):** 640 श्रेणियां, मुख्य रूप से औद्योगिक उत्पाद जैसे रसायन, पेंट, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, बॉयलर, छोटी कारें और दोपहिया वाहन।

- **विशेष दरें:**
  - » **0.25%:** अपरिष्कृत हीरे, अर्ध-कीमती पत्थर।
  - » **1.5%:** कटे और पॉलिश किए गए हीरे।
  - » **3%:** कीमती धातुएं जैसे सोना, चांदी और मोती।
  - » **40% (अपवर्जित दर):** विलासिता और पापकर (Sin-tax) वस्तुएं जैसे पान मसाला, शीतल पेय, बड़ी कारें, नौकाएं और निजी विमान।
  - » **तंबाकू उत्पाद:** पूर्व प्रणाली (28% जीएसटी + क्षतिपूर्ति उपकर) के अंतर्गत रहेंगे, साथ ही एक अतिरिक्त अधिभार भी लगाया जाएगा।
- **12% स्लैब का हटाया जाना:**
  - » 12% स्लैब को अधिकांश वस्तुओं से हटा दिया गया है। केवल ईंटें इस श्रेणी में बनी रहेंगी, जिन्हें विशेष कंपोज़िशन योजना (6% बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट और 12% इनपुट टैक्स क्रेडिट के साथ) के अंतर्गत रखा गया है।
- **सेवा क्षेत्र सुधार:**
  - » व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा – जीएसटी से मुक्त (पहले 18% कर)।
  - » ₹7,500/दिन तक के होटल – 5% कर (बिना आईटीसी), पहले 12% (आईटीसी सहित)।
  - » सैलून, स्पा और वेलनेस सेवाएं – जीएसटी 18% से घटाकर 5%।

जीएसटी 2.0 के पीछे आर्थिक तर्क:

- **घरेलू खपत को बढ़ावा देना:** सरकार को उम्मीद है कि कम जीएसटी दरों से व्यय योग्य आय बढ़ेगी, जिससे वस्तुओं और सेवाओं की मांग में वृद्धि होगी। यह खपत निवेश, रोजगार सृजन और अंततः अधिक कर राजस्व उत्पन्न करेगी, जिससे 375 से अधिक वस्तुओं पर दर कटौती से हुए तत्काल राजस्व घाटे की भरपाई हो सकेगी।
- **इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर (IDS) को ठीक करना:** पहले की जीएसटी प्रणाली में एक बड़ी समस्या IDS थी, जिसमें इनपुट पर अंतिम उत्पाद की तुलना में अधिक कर लगता था। इससे कार्यशील पूंजी फंस जाती थी क्योंकि व्यवसायों को रिफंड पाने में कठिनाई होती थी।
  - » **उदाहरण:** स्टील पर 18% जीएसटी लगता है जबकि साइकिल पर केवल 5%।
  - » जीएसटी 2.0 ने इनपुट और आउटपुट को एक ही स्लैब में लाकर ऐसे असंतुलनों को कम करने की कोशिश की है।
- **सरलीकरण और पारदर्शिता:** चार प्रमुख स्लैब को दो में मिलाकर, जीएसटी 2.0 वर्गीकरण विवादों की संभावना को कम करता है। पहले जैसे रोटी और ब्रेड पर अलग-अलग कर लगे जो अब कम होंगे, क्योंकि समान वस्तुओं को एक समान श्रेणियों में रखा गया है।

उपभोक्ताओं तक लाभ पहुँचाना

- यह सुनिश्चित करने के लिए कि कंपनियां कर बचत का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाएं, वित्त मंत्रालय ने फील्ड अधिकारियों को छह महीने तक 54 सामान्य वस्तुओं की प्री- और पोस्ट-जीएसटी कीमतों की मासिक रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया है। इनमें खाद्य उत्पाद (दूध, मक्खन, सूखे मेवे, बिस्किट, चॉकलेट), व्यक्तिगत देखभाल वस्तुएं (टूथपेस्ट, शैम्पू, शेविंग क्रीम) और शैक्षिक सामग्री (कॉपियां, पेंसिल, क्रेयॉन) शामिल हैं।
- हालांकि सख्त एंटी-प्रॉफिटियरिंग कानून फिलहाल मौजूद नहीं है, सरकार को उम्मीद है कि नियमित निगरानी से कीमतें नियंत्रण में रहेंगी और घरेलू बजट सीधे लाभान्वित होगा।

कार्यान्वयन और अनुपालन सुधार:

- **पंजीकरण:** पंजीकरण प्रक्रिया को अधिक तकनीक-आधारित और समयबद्ध बनाया जा रहा है, ताकि छोटे व्यवसायों और स्टार्ट-अप्स के लिए देरी और कागजी कार्रवाई कम हो।
- **रिटर्न फाइलिंग:** जीएसटी 2.0 में प्री-फिल्ड रिटर्न की व्यवस्था होगी, जिससे मानवीय त्रुटियां, असंगतियां और अनुपालन बोझ कम होगा।
- **रिफंड तंत्र:** निर्यातकों और आईडीएस झेल रहे व्यवसायों के लिए रिफंड स्वचालित और तेज़ होंगे। सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 54(6) में संशोधन को मंजूरी दी गई है, जिसके तहत आईडीएस मामलों में 90% अंतरिम रिफंड मिल सकेगा, जैसा कि शून्य-रेटेड निर्यातों के लिए पहले से उपलब्ध है।
  - » औपचारिक संशोधनों से पहले, सीबीआईसी को निर्देश दिया

गया है कि 1 नवंबर 2025 (संभवतः अक्टूबर से ही) से अंतरिम रिफंड की अनुमति दी जाए।

आगे की चुनौतियां:

- **राजस्व संबंधी चिंताएं:** 375 से अधिक वस्तुओं पर दर कटौती से केंद्र और राज्यों दोनों के लिए अल्पकालिक राजस्व हानि होगी। सरकार इस अंतर को खपत-आधारित सुधार से पूरा करने पर निर्भर है।
- **स्थायी IDS समस्याएं:** प्रयासों के बावजूद, आईडीएस पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। साइकिल, ट्रैक्टर, उर्वरक, वस्त्र और गत्ता डिब्बे जैसे क्षेत्रों में अभी भी इनपुट-आउटपुट दर असमानता बनी हुई है।
- **प्रवर्तन की कमी:** भारत में कंपनियों को कर लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए मजबूत कानूनी तंत्र नहीं है। केवल निगरानी पर निर्भरता पर्याप्त नहीं हो सकती।
- **राज्य वित्त:** जीएसटी क्षतिपूर्ति पर निर्भर राज्यों को अगर राजस्व और घटता है, तो दबाव झेलना पड़ सकता है। जीएसटी क्रियान्वयन में सहकारी संघवाद सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती रहेगा।

आगे की राह:

- **एंटी-प्रॉफिटियरिंग उपाय मजबूत करना:** ऐसा कानूनी ढांचा बनाएं जिससे कर कटौती पूरी तरह खुदरा कीमतों में परिलक्षित हो।
- **शेष IDS समस्याओं का समाधान करना:** उन क्षेत्रों पर ध्यान दें जहां अभी भी इनपुट-आउटपुट असमानताएं हैं।
- **अनुपालन की डिजिटल निगरानी:** पंजीकरण, रिटर्न और रिफंड को ट्रैक करने के लिए वास्तविक समय डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करना।
- **स्लैब की समय-समय पर समीक्षा:** कारोबारी सुगमता और राजस्व आवश्यकताओं के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए संरचना का निरंतर मूल्यांकन करना।
- **राज्य वित्त को मजबूत करना:** राज्य राजस्व को स्थिर करने के लिए तंत्र बनाएं, ताकि जीएसटी व्यवसायों के लिए आकर्षक बना रहे।
- **विश्वास-आधारित अनुपालन बनाना:** सरल प्रक्रियाओं, कम कागजी काम और पूर्वानुमेय नीतियों के जरिए स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देना।

निष्कर्ष:

जीएसटी 2.0 भारत की कर यात्रा में एक ऐतिहासिक सुधार है। स्लैबों को सरल बनाकर, दरों का तार्किकीकरण कर और अनुपालन प्रक्रियाओं को बेहतर बनाकर यह उन कई समस्याओं को संबोधित करता है जो जीएसटी के पहले चरण में सामने आई थीं। हालांकि, राजस्व घाटे, शेष उल्टे शुल्क संरचनाओं और कमजोर प्रवर्तन तंत्र जैसी चुनौतियों से सक्रिय रूप से निपटना होगा। जीएसटी 2.0 की दीर्घकालिक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि इन मुद्दों को कितनी प्रभावी ढंग से संबोधित किया जाता है और यह सुधार वास्तविक आर्थिक वृद्धि और नागरिकों के लिए समावेशी लाभों में कितना परिवर्तित होता है।

संक्षिप्त मुद्दे

स्टेबलकॉइन्स

संदर्भ:

स्टेबलकॉइन्स डिजिटल मुद्राओं का एक प्रकार हैं, जो फिएट मुद्राओं, जैसे अमेरिकी डॉलर, के मूल्य से जुड़ी होती हैं। इनका तेजी से बढ़ना और वैश्विक वित्तीय प्रणाली पर संभावित प्रभाव दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गया है। वर्तमान में इनका बाजार पूंजीकरण लगभग 280 बिलियन डॉलर है, जो 18 महीने पहले की तुलना में दोगुना है और अगले तीन वर्षों में इसके 2 ट्रिलियन डॉलर तक पहुँचने का अनुमान है। इनकी बढ़ती लोकप्रियता अमेरिकी डॉलर की वैश्विक प्रमुखता और अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली की स्थिरता पर महत्वपूर्ण सवाल उठाती है।

स्टेबलकॉइन्स के बारे में:

- स्टेबलकॉइन्स ऐसे क्रिप्टोकरेंसी हैं जो स्थिर संपत्तियों, आमतौर पर अमेरिकी डॉलर, से जुड़ी होती हैं ताकि उनका मूल्य स्थिर रहे। ये क्रिप्टोकरेंसी की दक्षता और वैश्विक पहुंच प्रदान करती हैं, साथ ही उनकी अस्थिरता को कम करती हैं।
- प्रमुख उदाहरण हैं Tether (USDT) और USD Coin (USDC), जो अमेरिकी ट्रेजरी बिल और नकद द्वारा समर्थित हैं।

- हालांकि इन्हें ज्यादातर अमेरिका के बाहर उपयोग किया जाता है, 99% से अधिक स्टेबलकॉइन्स डॉलर-समर्थित हैं।
- वैश्विक मांग अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिकी डॉलर की स्थिति को विश्व मुद्रा के रूप में मजबूत करती है और इसे "अत्यधिक विशेषाधिकार" प्रदान करती है।

अमेरिकी डॉलर के 'अत्यधिक विशेषाधिकार' के बारे में:

- अर्थशास्त्री वालरी गिस्कार ड'एस्टेंग ने यह शब्द दिया है, जो अमेरिका की उस क्षमता को दर्शाता है जिसके चलते यह लगातार घाटा चला सकता है और डॉलर के वैश्विक रिज़र्व मुद्रा होने के कारण कम ब्याज दर पर उधार ले सकता है।
- स्टेबलकॉइन्स अब इस विशेषाधिकार को डिजिटल रूप से और बढ़ा रहे हैं। जब दुनिया भर के निवेशक स्टेबलकॉइन्स रखते हैं, तो वे अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिकी ट्रेजरी में निवेश कर रहे होते हैं, जिससे अमेरिकी ऋण की मांग बढ़ती है।
- उदाहरण के तौर पर, Tether और Circle की ट्रेजरी होल्डिंग्स कुछ मध्य आकार के देशों जैसे सऊदी अरब के सार्वजनिक ऋण से भी अधिक हैं। यह अमेरिका की तरलता बढ़ाने और उधार लेने की लागत कम करने में मदद करता है।

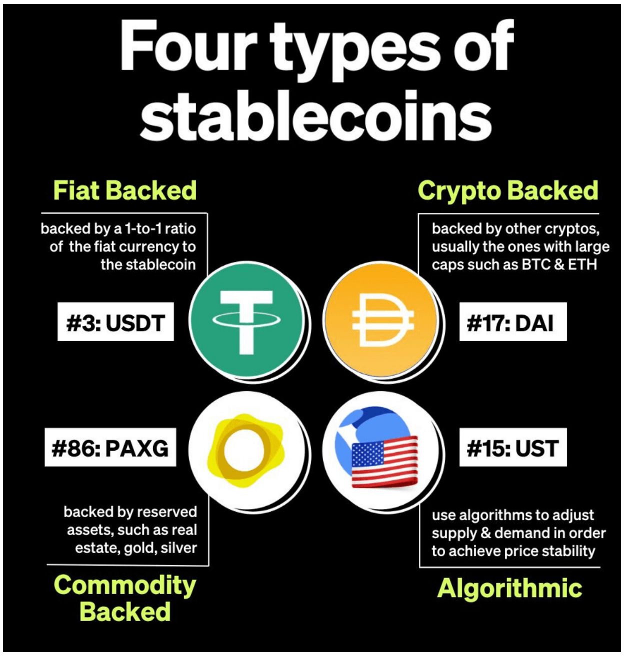

स्टेबलकॉइन्स के संभावित खतरे:

- हालांकि स्टेबलकॉइन्स तेज़ सीमा-पार भुगतान और कम लेन-देन लागत जैसी सुविधाएँ प्रदान करते हैं, इसके कई संभावित जोखिम भी हैं:
  - » निजी नियंत्रण और नियमन की कमी पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली को कमजोर कर सकती है।
  - » कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में ये राष्ट्रीय मुद्राओं की जगह ले सकती हैं, जिससे डॉलराइज़ेशन और वित्तीय अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है।
  - » विभिन्न निजी भुगतान नेटवर्क के कारण वैश्विक वित्तीय ढांचे में विभाजन और अस्थिरता आ सकती है।
  - » यदि स्टेबलकॉइन्स घरेलू लेन-देन में प्रमुख हो जाएँ, तो सरकारें मुद्रा से होने वाली आय और नीतिगत नियंत्रण खो सकती हैं।
- चीन अब युआन-समर्थित स्टेबलकॉइन्स पर काम कर रहा है, जबकि यूरोपीय संघ अमेरिकी स्टेबलकॉइन की वैश्विक प्रमुखता के जवाब में डिजिटल यूरो कानून को आगे बढ़ा रहा है।

निष्कर्ष:

स्टेबलकॉइन्स निश्चित रूप से परिवर्तनकारी हैं, लेकिन ये संप्रभु मुद्राओं या सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्राओं (CBDCs) की पूरी तरह जगह नहीं ले सकते। सरकारें इन्हें नियंत्रित करने और संतुलित करने के लिए कदम उठा रही हैं। स्टेबलकॉइन्स का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि इन्हें नियामक ढांचे में कितनी प्रभावी ढंग से समाहित किया जा सके और सरकारें वित्तीय संप्रभुता बनाए रखते हुए नवाचार को कितनी कुशलता से अपनाती हैं।

महत्वपूर्ण खनिजों के पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने हेतु प्रोत्साहन योजना

संदर्भ:

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (NCMM) के अंतर्गत ₹1,500 करोड़ (लगभग 170.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर) की प्रोत्साहन योजना को मंज़ूरी दी है। इसका उद्देश्य लिथियम, कोबाल्ट और निकल जैसे महत्वपूर्ण खनिजों के निष्कर्षण के लिए ई-कचरे और बैटरी कचरे के पुनर्चक्रण को बढ़ावा देना है। यह योजना वित्त वर्ष 2025-26 से 2030-31 तक लागू रहेगी।

योजना के मुख्य उद्देश्य:

- 270 किलोटन प्रति वर्ष की पुनर्चक्रण क्षमता विकसित की जाएगी।
- इससे लगभग 40 किलोटन प्रति वर्ष महत्वपूर्ण खनिजों का निष्कर्षण किया जा सकेगा।

- योजना के तहत लगभग ₹8,000 करोड़ का निजी निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य है।
- इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 70,000 रोज़गार के अवसर सृजित होंगे।

योजना का केंद्रबिंदु:

- यह योजना निम्नलिखित वस्तुओं के पुनर्चक्रण को बढ़ावा देती है:
  - » ई-कचरा
  - » लिथियम-आयन बैटरी (LIB) स्क्रैप
  - » पुराने वाहनों से उत्प्रेरक कनवर्टर
- इसका उद्देश्य आयात निर्भरता कम करना और स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखलाओं को समर्थन देने के लिए लिथियम, कोबाल्ट, और निकल जैसे महत्वपूर्ण खनिजों का निष्कर्षण करना है।
- इस योजना में स्टार्ट-अप समेत छोटे और बड़े पुनर्चक्रणकर्ता दोनों पात्र हैं, और कुल धनराशि का एक-तिहाई हिस्सा छोटे तथा नए लोगो के लिए आरक्षित रखा गया है।

वित्तीय सहायता:

- दो प्रकार की सब्सिडी प्रदान की जाएगी:
  - » **पूंजीगत व्यय:** उत्पादन के समयसीमा के अनुसार मशीनरी पर 20% सब्सिडी दी जाएगी; यदि उत्पादन में देरी होती है तो सब्सिडी कम होगी।
  - » **परिचालन व्यय:** यह वित्त वर्ष 2025-26 में वृद्धिशील बिक्री के आधार पर दो चरणों में दिया जाएगा- 40% वित्त वर्ष 2026-27 में और शेष 60% वित्त वर्ष 2030-31 में।
- **प्रोत्साहन की सीमाएँ:**
  - » **बड़ी इकाइयाँ:** अधिकतम ₹50 करोड़ तक, जिसमें परिचालन व्यय के लिए ₹10 करोड़ की सीमा है।
  - » **छोटी इकाइयाँ:** अधिकतम ₹25 करोड़ तक, जिसमें परिचालन व्यय के लिए ₹5 करोड़ की सीमा है।

महत्वपूर्ण खनिजों के बारे में:

- महत्वपूर्ण खनिज ऐसे गैर-ईंधन खनिज होते हैं जो आधुनिक तकनीकों, आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक हैं। इनकी आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान की संभावना अधिक होती है, इसलिए उनका आर्थिक महत्व और आपूर्ति जोखिम उन्हें महत्वपूर्ण बनाते हैं।
- **प्रमुख महत्वपूर्ण खनिज और उनके उपयोग:**
  - » **लिथियम:** इलेक्ट्रिक वाहनों, लैपटॉप और मोबाइल फोन की रिचार्जेबल बैटरियों में उपयोगी। मुख्य स्रोत ब्राइन और पेग्माटाइट।
  - » **कोबाल्ट:** इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरियों, मिश्र धातुओं और एयरोस्पेस पुर्जों में उपयोग होता है। प्रमुख आपूर्ति स्रोत कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है।
  - » **ग्रेफाइट:** बैटरी के एनोड के लिए आवश्यक, साथ ही स्नेहक और उच्च तापमान वाले अनुप्रयोगों में भी इस्तेमाल।
  - » **दुर्लभ मृदा तत्व (REE):** ईवी मोटर, पवन टरबाइन और इलेक्ट्रॉनिक्स में महत्वपूर्ण। चीन वैश्विक प्रसंस्करण में अग्रणी है।
  - » **तांबा:** विद्युत तारों, सौर पैनलों और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए आवश्यक, जो ऊर्जा अवसंरचना का मूल है।
  - » **नियोबियम और टैंटलम:** एयरोस्पेस मिश्र धातु, इलेक्ट्रॉनिक्स और चिकित्सा उपकरणों में प्रयुक्त।

राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन:

- 2025 में शुरू, यह भारत सरकार की एक रणनीतिक पहल है जो स्वच्छ ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और रक्षा के लिए आवश्यक खनिजों की दीर्घकालिक उपलब्धता सुनिश्चित करती है।
- मिशन का कुल बजट ₹34,300 करोड़ है, जिसमें सरकार का योगदान ₹16,300 करोड़ और सार्वजनिक व निजी क्षेत्र का ₹18,000 करोड़ शामिल है।
- यह योजना 2025-31 तक सात वर्षों के लिए है और इसका उद्देश्य चीन जैसे देशों पर भारत की आयात निर्भरता को कम करना है।

निष्कर्ष:

यह पहल इलेक्ट्रिक वाहनों, बैटरियों और नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों के लिए स्थायी आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करके भारत की हरित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देती है। यह घरेलू नवाचार को प्रोत्साहित करती है, अपशिष्ट को कम करती है और महत्वपूर्ण तकनीकों की आपूर्ति सुरक्षा सुनिश्चित करती है।

भारती पहल

संदर्भ:

हाल ही में कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) ने 'भारती' पहल की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में नवाचार को प्रोत्साहित करना और 100 कृषि-खाद्य एवं एग्री-टेक स्टार्टअप्स को सशक्त बनाना है। यह पहल 2030 तक भारत के कृषि निर्यात को 50 अरब डॉलर तक पहुँचाने के लक्ष्य के साथ प्रारंभ की गई है।

भारती पहल के विषय में:

- भारती पहल (भारत का कृषि प्रौद्योगिकी, लचीलापन, उन्नति और निर्यात सक्षमता हेतु इनक्यूबेशन केंद्र) एक कार्यक्रम है, जिसे कृषि-खाद्य और कृषि-तकनीक स्टार्टअप्स को सशक्त बनाने के लिए विकसित किया गया है।
- इसका मुख्य उद्देश्य युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित कर उनकी प्रगति को तीव्र करना, नवाचार को बढ़ावा देना और नए निर्यात अवसर उत्पन्न करना है, जिससे भारत के कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात को मजबूती मिले।

एपीडा के विषय में:

- कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) एक वैधानिक निकाय है, जिसकी स्थापना भारत सरकार ने 1985 के APEDA अधिनियम के अंतर्गत 1986 में की थी।
- यह भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।
- APEDA की क्षेत्रीय उपस्थिति व्यापक है और यह देशभर के निर्यातकों को समर्थन देने के लिए विभिन्न शहरों में अपने कार्यालय संचालित करता है।

मुख्य उद्देश्य और कार्य:

- **निर्यात को बढ़ावा देना:** एपीडा का मुख्य उद्देश्य भारत से कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात को विकसित और बढ़ावा देना है।
- **पंजीकरण:** यह अनुसूचित उत्पादों के निर्यातकों का पंजीकरण करता है तथा गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों के पालन को सुनिश्चित करता है।
- **मानक और गुणवत्ता:** एपीडा कृषि उत्पादों के गुणवत्ता मानक निर्धारित करता है, निरीक्षण करता है और पैकेजिंग एवं विपणन में सुधार के लिए कार्य करता है।
- **वित्तीय एवं तकनीकी सहायता:** भारतीय कृषि उत्पादों की गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने हेतु वित्तीय सहायता और तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करता है।

भारत का कृषि निर्यात:

- वित्त वर्ष 2024 में भारत का कृषि निर्यात लगभग 48.8 बिलियन डॉलर रहा, जो वित्त वर्ष 2023 के 53.2 बिलियन डॉलर से थोड़ा कम है।
- प्रमुख निर्यात में समुद्री उत्पाद (7.37 बिलियन डॉलर), चावल, मसाले (4.25 बिलियन डॉलर) और भैंस का मांस शामिल हैं।
- भारत विश्व के कृषि व्यापार में 2.5% हिस्सेदारी के साथ 8वें स्थान पर है।
- घरेलू खाद्य सुरक्षा नीतियाँ और रसद संबंधी चुनौतियाँ निर्यात पर प्रभाव डाल सकती हैं।

निष्कर्ष:

भारती पहल भारत के कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास है। स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित कर और नवाचार को बढ़ावा देकर, यह पहल निर्यात वृद्धि को गति देने और भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने में सहायक होगी। उन्नत तकनीकों और उच्च-मूल्य वर्ग के निर्यात पर ध्यान केंद्रित करते हुए, भारती भारत के कृषि निर्यात परिदृश्य को बदलने तथा आर्थिक विकास में योगदान देने की क्षमता रखती है।

दाल उत्पादन के प्रोत्साहन हेतु नीति आयोग की रणनीति

सन्दर्भ:

4 सितंबर, 2025 को नीति आयोग ने आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की ओर दाल उत्पादन में तीव्र वृद्धि हेतु रणनीतियाँ और मार्ग (Strategies and Pathways for Accelerating Growth in Pulses towards the Goal of Atmanirbharta) शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में भारत के दलहन क्षेत्र को आत्मनिर्भर, टिकाऊ और उच्च प्रदर्शनकारी कृषि क्षेत्र में परिवर्तित करने हेतु विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत की गई है।

दालों का महत्व:

- भारत विश्व का सबसे बड़ा दाल उत्पादक और उपभोक्ता देश है। दालें महत्त्वपूर्ण हैं क्योंकि:
  - **पोषण सुरक्षा:** ये भारत की मुख्यतः शाकाहारी जनसंख्या के लिए प्रोटीन का प्रमुख स्रोत हैं।
  - **सतत कृषि:** दालें नाइट्रोजन निर्धारित कर मिट्टी की उर्वरता बढ़ाती हैं और तुलनात्मक रूप से कम पानी की आवश्यकता रखती हैं।
  - **आजिविका:** 5 करोड़ से अधिक किसान और उनके परिवार, जिनमें अधिकांश वर्षा-आश्रित क्षेत्रों से आते हैं, दाल उत्पादन पर निर्भर हैं।

वर्तमान चुनौतियाँ और प्रगति:

- इस क्षेत्र ने उल्लेखनीय प्रगति की है:
  - 2015–16 में दाल उत्पादन घटकर 16.35 मिलियन टन (एमटी) रह गया था, जिसके चलते 6 एमटी आयात करना पड़ा।
  - 2022–23 तक उत्पादन 59.4% बढ़कर 26.06 एमटी हो गया। उत्पादकता में 38% की वृद्धि से आयात निर्भरता 29% से घटकर 10.4% रह गई।
- फिर भी चुनौतियाँ मौजूद हैं:
  - 2023–24 में उत्पादन 242.46 लाख मीट्रिक टन (LMT) तक पहुंचा, परंतु 50.04 LMT की कमी के कारण 47.39 LMT आयात करना पड़ा।
  - उत्पादन विशेष रूप से केंद्रित है: मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान मिलकर 55% का योगदान करते हैं, जबकि शीर्ष 10 राज्य कुल उत्पादन का 90% से अधिक भाग देते हैं।

रिपोर्ट की परिकल्पित रणनीति:

- केंद्रीय बजट 2025–26 में घोषित 'दालों में आत्मनिर्भरता हेतु मिशन' छह वर्षीय पहल है, जिसमें मुख्य ध्यान निम्न फसलों पर है:
  - अरहर (Pigeonpea / Tur)
  - उड़द (Black gram / Urad)
  - मसूर (Lentil / Masoor)
- यह मिशन मूल्य स्थिरीकरण कोष (Price Stabilisation Fund - PSF) द्वारा समर्थित है, जिसके तहत अप्रैल 2025 तक 15.7 लाख मीट्रिक टन का बफर स्टॉक उपलब्ध है। इसका उद्देश्य मूल्य स्थिरता, उपलब्धता सुनिश्चित करना और आयात को कम करना है।

रणनीतिक ढांचा

- **क्षैतिज विस्तार (Horizontal Expansion)**
  - धान की परती भूमि (rice fallows) का उपयोग
  - अंत:फसल (intercropping) को बढ़ावा
  - दाल-योग्य क्षेत्रों में अनुपयोगी भूमि का दोहन
- **ऊर्ध्वाधर विस्तार (Vertical Expansion)**
  - उच्च उत्पादक किस्मों एवं संकर बीजों का प्रचार
  - वैज्ञानिक बुवाई एवं कीट प्रबंधन
  - बीज उपचार एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करना
  - पोषक तत्व, खरपतवार तथा सिंचाई का समन्वित प्रबंधन

प्रमुख सिफारिशें:

- **फसल-वार क्लस्टरिंग:** विशिष्ट दालों के लिए लक्षित क्लस्टर तैयार किए जाएँ ताकि क्षेत्र स्थिर रहे और विविधीकरण को बढ़ावा मिले।
- **कृषि-पर्यावरणीय अनुकूलन:** स्थान-विशिष्ट प्रौद्योगिकियों का उपयोग कर उत्पादकता एवं लचीलेपन को बढ़ाया जाए।
- **बीज आपूर्ति सुधार:**

- 111 उच्च क्षमता वाले जिलों, जो कुल उत्पादन का 75% योगदान देते हैं, में उच्च गुणवत्ता वाले बीज वितरित किए जाएँ।
- वन ब्लॉक–वन सीड विलेज मॉडल को किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) के सहयोग से लागू किया जाए।

- **जलवायु लचीलापन:**
  - जलवायु-अनुकूल कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना।
  - जलवायु जोखिम कम करने हेतु डेटा-आधारित निगरानी प्रणाली में निवेश करना।
- **जिला-वार चतुर्भुज दृष्टिकोण (Quadrant Approach):**
  - उत्पादन क्षमता, जलवायु जोखिम, और अवसंरचनात्मक अंतरालों के आधार पर जिला क्लस्टरों की पहचान एवं प्रबंधन करना।
- **अनुमानित परिणाम**
  - घरेलू उत्पादन में लगभग 20.10 एमटी की वृद्धि।
  - 2030 तक 48.44 एमटी एवं 2047 तक 63.64 एमटी के आपूर्ति लक्ष्य को प्राप्त करना।
  - आयात निर्भरता में महत्त्वपूर्ण कमी और निर्यात क्षमता का संवर्धन।

निष्कर्ष:

नीति आयोग की यह रणनीतिक कार्ययोजना दाल क्षेत्र को पुनर्जीवित करने हेतु एक व्यापक एवं साक्ष्य-आधारित खाका प्रस्तुत करती है। क्षेत्रीय शक्तियों, प्रौद्योगिकी एकीकरण, जलवायु लचीलापन तथा किसान-केंद्रित मॉडल पर ध्यान केंद्रित करके भारत दाल उत्पादन में आत्मनिर्भरता (Atmanirbharta) की दिशा में निर्णायक कदम बढ़ा सकता है।

भारत की विदेशी मुद्रा भंडार रणनीति में रणनीतिक बदलाव

सन्दर्भ:

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने पिछले वर्ष से अमेरिकी ट्रेज़री बिलों (T-bills) में अपने निवेश को धीरे-धीरे कम किया है, जो उसकी विदेशी मुद्रा भंडार रणनीति में एक सतर्क बदलाव का संकेत देता है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय आयात पर 50% शुल्क लगाने का निर्णय लिया है, जिससे भारत के अमेरिकी प्रतिभूतियों में बड़े पैमाने पर निवेश को लेकर संभावित खतरों की आशंका बढ़ गई है।

अमेरिकी ट्रेज़री होल्डिंग्स में क्रमिक कमी:

- भारत के पास अमेरिकी ट्रेज़री प्रतिभूतियों का शिखर निवेश सितंबर 2024 में 247.2 अरब डॉलर था, जो दिसंबर 2024 तक घटकर 219.1 अरब डॉलर रह गया।
- जून 2025 तक, भारत के पास 227 अरब डॉलर की होल्डिंग्स थीं, जो शिखर स्तर से 20 अरब डॉलर की कमी दर्शाती हैं। यह RBI की अमेरिकी संपत्तियों में जोखिम घटाने की एक सोच-समझकर उठाई गई पहल है। वर्तमान में भारत अमेरिकी ट्रेज़री बिलों में 10वाँ सबसे बड़ा निवेशक है।
- इस बदलाव के बावजूद, अगस्त 2025 के अंत तक भारत का कुल विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 694.23 अरब डॉलर हो गया। मार्च 2025 तक वैश्विक विदेशी मुद्रा संपत्तियों की हिस्सेदारी 485.35 अरब डॉलर थी, जो सितंबर 2024 के 515.24 अरब डॉलर से कम थी। RBI का प्रबंधन अब भी सुरक्षा, तरलता और प्रतिफल पर केंद्रित है।

इस बदलाव के पीछे कारण:

- यह बदलाव इस डर के बीच आया है कि भू-राजनीतिक तनाव विदेशी भंडार की सुरक्षा को खतरे में डाल सकते हैं। इसका एक उल्लेखनीय उदाहरण तब मिला जब अमेरिका और उसके सहयोगियों ने यूक्रेन पर आक्रमण के बाद रूस के विदेशी भंडार को फ्रीज़ कर दिया था।
- यद्यपि ऐसे कदम दुर्लभ हैं, लेकिन वे इस सैद्धांतिक जोखिम को उजागर करते हैं कि अमेरिका चरम स्थितियों में विदेशी निवेशकों की ट्रेज़री बिलों तक पहुँच सीमित कर सकता है। संभव है कि इस संभावना ने RBI को अमेरिकी निवेश धीरे-धीरे घटाने के लिए प्रेरित किया हो।

आरबीआई ने क्या किया:

- अमेरिकी संपत्तियों को कम करने के साथ-साथ आरबीआई ने घरेलू स्वर्ण भंडार बढ़ाया है। मार्च 2024 में विदेशों में रखे गए स्वर्ण भंडार 387.26 टन से घटकर मार्च 2025 में 348.62 टन रह गए, जबकि इसी अवधि में घरेलू भंडार 408.10 टन से बढ़कर 511.99 टन हो गए। यह पुनर्संतुलन RBI की विविधीकरण और तरलता की दोहरी रणनीति को दर्शाता है।
- इसके अलावा, RBI के पास जापान, जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों के सरकारी बॉन्ड भी हैं, साथ ही IMF, ADB और विश्व बैंक जैसी संस्थाओं की प्रतिभूतियाँ भी हैं।

विदेशी मुद्रा भंडार के बारे में:

- विदेशी मुद्रा (फॉरेक्स) भंडार किसी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा विदेशी मुद्राओं, सोने और अन्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय उपकरणों के रूप में रखी गई आधिकारिक संपत्तियाँ हैं। इनका उपयोग देश की मुद्रा, अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दायित्वों को समर्थन देने के लिए किया जाता है।

फॉरेक्स भंडार के घटक:

- **विदेशी मुद्रा संपत्तियाँ (FCA):**
  - » ये मुख्य रूप से अमेरिकी डॉलर, यूरो, जापानी येन और ब्रिटिश पाउंड जैसी प्रमुख मुद्राओं में रखी जाती हैं।
  - » इनमें सरकारी प्रतिभूतियाँ, जमा और अन्य बाज़ार उपकरण शामिल होते हैं।
- **स्वर्ण भंडार:**
  - » केंद्रीय बैंक द्वारा मूल्य भंडार और महँगाई से बचाव के लिए रखा गया भौतिक सोना।
- **विशेष आहरण अधिकार (SDRs):**
  - » IMF द्वारा निर्मित एक अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति।
  - » इसका मूल्य पाँच प्रमुख मुद्राओं—अमेरिकी डॉलर, यूरो, रेनमिन्बी (RMB), येन और पाउंड स्टर्लिंग—की टोकरी पर आधारित होता है।
- **आईएमएफ रिज़र्व पोज़िशन:**
  - » यह IMF को देश के कोटा योगदान और सामान्य परिस्थितियों में उपलब्ध आहरण अधिकारों को दर्शाता है।

निष्कर्ष:

भारत की विकसित होती भंडार रणनीति वैश्विक वित्तीय जोखिमों के प्रति बढ़ती जागरूकता को दर्शाती है। अमेरिकी ट्रेज़री बिलों पर निर्भरता कम करके, स्वर्ण भंडार बढ़ाकर और विभिन्न परिसंपत्तियों व न्यायक्षेत्रों में विविधीकरण करके आरबीआई यह सुनिश्चित कर रहा है कि भारत की वित्तीय स्थिरता बढ़ती अनिश्चितताओं वाली दुनिया में सुरक्षित बनी रहे।

यूपीआई–यूपीयू एकीकरण

सन्दर्भ:

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने 9 सितंबर, 2025 को दुबई में आयोजित 28वें यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस में यूपीआई–यूपीयू एकीकरण परियोजना की शुरुआत की। इस पहल का उद्देश्य भारत की डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और वैश्विक डाक नेटवर्क का उपयोग करके वैश्विक प्रेषण (रेमिटेंस) को तेज, सुरक्षित और किफायती बनाना है।

यूपीआई–यूपीयू एकीकरण के बारे में:

- **एक संयुक्त पहल:**
  - » भारत का डाक विभाग (DoP)
  - » एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (NIPL)
  - » यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन (UPU)
- **उद्देश्य:** भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) को यूपीयू इंटरकनेक्शन प्लेटफॉर्म (IP) से जोड़ना—जिससे डाक सेवाओं के माध्यम से सीमा-पार डिजिटल भुगतान संभव हो सके।
- **महत्व:** यह पहल डाक नेटवर्क की वैश्विक पहुँच को यूपीआई की गति और किफायतीपन के साथ जोड़ती है और कम लागत वाले अंतरराष्ट्रीय प्रेषणों के लिए एक स्केलेबल समाधान प्रदान करती है।

एकीकरण के निहितार्थ:

- **वैश्विक वित्तीय समावेशन के लिए:**
  - » विकासशील देशों में सीमाओं के पार रहने वाले लाखों परिवारों को सस्ते और तेज़ मनी ट्रांसफर का लाभ मिलेगा।
  - » प्रवासी मजदूरों, लघु एवं मध्यम उद्यमों (SMEs) तथा दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वालों के लिए यह एक क्रांतिकारी कदम होगा, जहाँ बैंकों तक पहुँच सीमित है।
- **भारत की डिजिटल कूटनीति के लिए:**
  - » यह कदम डिजिटल इंडिया मिशन के अंतर्गत भारत के वैश्विक डिजिटल नेतृत्व के अनुरूप है और विकसित भारत की परिकल्पना को समर्थन देता है।
  - » यह दर्शाता है कि नागरिक-केंद्रित डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना को वैश्विक हित में कैसे उपयोग में लाया जा सकता है।

यूपीयू कांग्रेस में भारत की प्रतिबद्धता:

- **वैश्विक डाक नवाचार के लिए 10 मिलियन डॉलर की प्रतिबद्धता:** भारत ने 1 करोड़ डॉलर (10 मिलियन USD) देने का संकल्प लिया, जिसका उपयोग किया जाएगा:
  - » ई-कॉमर्स एकीकरण
  - » डिजिटल भुगतान
  - » विकासशील देशों में डाक अवसंरचना के आधुनिकीकरण के लिए
- **नेतृत्व के लिए भारत की दावेदारी:** भारत ने यूपीयू की दो प्रमुख संस्थाओं के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की:

» प्रशासन परिषद (Council of Administration)
» डाक संचालन परिषद (Postal Operations Council)

- इसका उद्देश्य वैश्विक डाक प्रणाली के सुधार और डिजिटलीकरण में नेतृत्वकारी भूमिका निभाना है।

यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन (UPU) के बारे में:

- यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन (UPU), जिसकी स्थापना 1874 में हुई थी, संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषीकृत एजेंसी है, जो सदस्य देशों के बीच अंतरराष्ट्रीय डाक सेवाओं और नीतियों का समन्वय करती है।
  » इसका मुख्यालय बर्न, स्विट्जरलैंड में स्थित है।
  » यूपीयू डाक विनिमय के लिए वैश्विक मानक तय करने, डाक लॉजिस्टिक्स को बेहतर बनाने और डाक वित्तीय सेवाओं के विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
  » यह विकासशील देशों में आधुनिकीकरण और क्षमता निर्माण को समर्थन देने के लिए तकनीकी सहायता भी प्रदान करता है।
  » अंतरराष्ट्रीय डाक सहयोग के मुख्य मंच के रूप में, यूपीयू एकीकृत वैश्विक डाक प्रणाली सुनिश्चित करता है, सीमा-पार संचार को सुगम बनाता है और डाक क्षेत्र में दक्षता, सुरक्षा और ग्राहक सेवा को सुधारने के लिए कार्य करता है।

निष्कर्ष:

यूपीआई–यूपीयू एकीकरण परियोजना अंतरराष्ट्रीय प्रेषणों के विकास में एक ऐतिहासिक मोड़ है, जहाँ भारत स्वयं को एक वैश्विक डिजिटल नेता के रूप में स्थापित कर रहा है। यह दर्शाता है कि भारत विश्व को इंटरऑपरेबल, समावेशी और कम लागत वाले डिजिटल समाधान उपलब्ध कराने में सक्षम है।

एकीकृत रेरा पोर्टल

सन्दर्भ:

केंद्र सरकार ने हाल ही में एकीकृत रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (RERA) पोर्टल लॉन्च किया है, जो भारत भर में रियल एस्टेट उद्योग को परिवर्तित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण सुधार है।

पृष्ठभूमि:

- रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 को रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता लाने के लिए लागू किया गया था। यह क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से देरी, सूचना की कमी और उपभोक्ता शिकायतों से ग्रस्त रहा है।
- हालांकि, रियल एस्टेट राज्य स्तर पर विनियमित होता है, जिसके कारण राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसके कार्यान्वयन और सूचना तक पहुँच में भिन्नताएँ थीं।

एकीकृत रेरा पोर्टल के बारे में:

- नया पोर्टल सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से डेटा को एकीकृत करता है, जिससे वे सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा कर सकें, परियोजनाओं की प्रगति की वास्तविक समय में निगरानी कर सकें और खरीदारों व नियामकों के लिए एक केंद्रीकृत मंच उपलब्ध करा सकें।
- यह रियल एस्टेट परियोजनाओं की ट्रैकिंग, शिकायतों का पंजीकरण और समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने में मदद करता है, जिससे घर खरीदारों के हितों की रक्षा होती है।

पोर्टल के लाभ:

- **डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा:** यह पोर्टल डिजिटल इंडिया पहल के अनुरूप है, जो तकनीक का उपयोग करके पारदर्शिता और नागरिक सेवाओं को बेहतर बनाता है।
- **उपभोक्ता संरक्षण को सुदृढ़ करना:** शिकायतों के कुशल समाधान के माध्यम से यह घर खरीदारों के अधिकारों को मजबूत करता है।
- **नियामक ढांचे में सुधार:** यह रेरा के समान रूप से कार्यान्वयन को बढ़ावा देता है और राज्यवार भिन्नताओं से जुड़ी चुनौतियों को दूर करता है।
- **आर्थिक विकास को गति:** पारदर्शी रियल एस्टेट क्षेत्र निवेश आकर्षित करता है, रोजगार सृजन को बढ़ावा देता है और शहरी विकास में योगदान देता है।

रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 के बारे में:

- रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (RERA) भारत के रियल एस्टेट क्षेत्र को पारदर्शिता, दक्षता और उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए विनियमित करता है।
- यह सभी रियल एस्टेट परियोजनाओं का राज्य रेरा प्राधिकरणों में बिक्री शुरू होने से पहले पंजीकरण अनिवार्य करता है और यह सुनिश्चित करता है कि एकत्रित धनराशि का कम से कम 70% विशेष रूप से परियोजना खर्चों पर ही उपयोग हो।

- अधिनियम शीघ्र विवाद निवारण तंत्र और एक अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना करता है।
- यह आवासीय और वाणिज्यिक दोनों प्रकार की संपत्तियों पर लागू होता है। रेरा धोखाधड़ी और परियोजना में देरी को कम करता है, जवाबदेही को बढ़ावा देता है और घर खरीदारों के हितों की रक्षा करता है।
- प्रत्येक राज्य का अपना रेरा प्राधिकरण होता है जो कानून को लागू करता है, जबकि कुछ नवीनीकरण या पुनर्विकास परियोजनाएँ इससे मुक्त होती हैं।

रियल एस्टेट क्षेत्र के बारे में:

- रियल एस्टेट क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जो 2025 तक GDP में लगभग 13% योगदान देगा और 2030 तक 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुँचने की उम्मीद है।
- यह सबसे बड़े रोजगार उत्पन्न करने वाले क्षेत्रों में से एक है, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सीमेंट और स्टील जैसे 200 से अधिक सहायक उद्योगों के माध्यम से लाखों लोगों को समर्थन देता है।
- यह क्षेत्र शहरीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और भारत की शहरी आबादी की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करता है, जो 2030 तक 60 करोड़ तक पहुँचने का अनुमान है।
- रियल एस्टेट निवेश का गुणक प्रभाव होता है, जो उद्योगों और नौकरियों में मांग को बढ़ाता है।
- इसके अतिरिक्त, यह सरकार के राजस्व का प्रमुख स्रोत है और सहायक नीतियों के माध्यम से पर्याप्त प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) आकर्षित करता है।

निष्कर्ष:

एकीकृत रेरा पोर्टल का शुभारंभ भारत के रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सभी हितधारकों के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय मंच प्रदान करके, यह पोर्टल घर खरीदारों को सशक्त बनाने, सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देने और नीति निर्माण में सहयोग देने का लक्ष्य रखता है।

नीलगिरी चाय

संदर्भ:

नीलगिरी चाय उद्योग इस समय लगातार लागत–मूल्य संकट से जूझ रहा है। अच्छी पैदावार होने के बावजूद छोटे चाय उत्पादकों को हरी पत्तियों की लगातार गिरती कीमतों के कारण गंभीर आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

नीलगिरी चाय के सामने चुनौतियाँ:

- **हरी पत्तियों (GTL) की कम कीमतें:** अक्सर उत्पादन लागत से भी कम दाम मिलते हैं।
- **अधिक कारखाने:** सीमित और मौसमी पैदावार के लिए बहुत ज़्यादा फैक्ट्रियाँ प्रतिस्पर्धा कर रही हैं।
- **नीलामी में समस्याएँ:** सही दाम तय नहीं हो पाता, धांधली और अग्रिम अनुबंधों का दबाव रहता है।
- **निर्यात पर निर्भरता:** रूस/सोवियत संघ पर ज़्यादा भरोसा, नए बाज़ारों में विविधता की कमी।
- **गुणवत्ता की दिक्कतें:** मिलावट और असमान गुणवत्ता से ब्रांड की साख गिरती है।
- **बढ़ती लागत:** मज़दूरी और इनपुट महंगे होने से छोटे किसानों पर बोझ बढ़ता है।

समाधान:

- खेती और प्रोसेसिंग में नई तकनीक और नवाचार अपनाना।
- नए बाज़ार और उत्पादों में विविधता लाना।
- नीतिगत सुधार, सब्सिडी और संस्थागत सहयोग को मज़बूत करना।
- ये कार्यवाहियां निम्नलिखित के लिए आवश्यक हैं:
    - लगातार लागत-मूल्य संकट पर काबू पाना।
    - नीलगिरी चाय उद्योग की दीर्घकालिक स्थिरता और विकास सुनिश्चित करना।
    - नीलगिरी चाय की एक प्रीमियम वैश्विक उत्पाद के रूप में प्रतिष्ठा को पुनर्जीवित करना।

नीलगिरी चाय के बारे में:

- नीलगिरी चाय मुख्य रूप से तमिलनाडु के नीलगिरी ज़िले में उगाई जाती है। यह अपनी तेज़, सुगंधित और भरपूर स्वाद वाली चाय के लिए मशहूर है। इसमें ऑर्थोडॉक्स और CTC (क्रश-टीयर-करल) दोनों किस्में शामिल हैं। यह विशेष रूप से आइस्ड टी ब्लेंड्स के लिए दुनिया भर में पसंद की जाती है।
- नीलगिरी का भौगोलिक वातावरण चाय के लिए उपयुक्त है, इसकी ऊँचाई (1,000–2,500 मीटर), वर्ष में दो मानसून और अच्छी जलनिकासी वाली लेटेराइट मिट्टी इसकी विशेषताएँ हैं।
- इस क्षेत्र की चाय उद्योग में लगभग 46,000 छोटे किसान, करीब 34,000 हेक्टेयर भूमि पर खेती करते हैं।

- नीलगिरी चाय को भौगोलिक संकेत (GI) दर्जा वर्ष 2008 में प्राप्त हुआ।

भारत का चाय उद्योग:

- भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक है। यहाँ की चाय अपनी उच्च गुणवत्ता, भौगोलिक संकेतों, आधुनिक प्रसंस्करण तकनीकों, नवाचार और रणनीतिक मार्केटिंग के लिए प्रसिद्ध है।
- वर्ष 2022 में भारत में कुल 6.19 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में चाय की खेती की गई।
- वित्त वर्ष 2024 में चाय का उत्पादन लगभग 1,382 मिलियन किलोग्राम तक पहुँचा।
- भारत दुनिया का सबसे बड़ा चाय उपभोक्ता देश भी है, जहाँ लगभग 80% उत्पादन घरेलू खपत में इस्तेमाल होता है।

प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र:

- **असम:** असम घाटी और कछार क्षेत्र
- **पश्चिम बंगाल:** दार्जिलिंग, डुआर्स, तराई
- **दक्षिण भारत:** तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक (कुल राष्ट्रीय उत्पादन का लगभग 17%)

निर्यात प्रवृत्तियाँ:

- भारत दुनिया के शीर्ष 5 चाय निर्यातकों में शामिल है , जो कुल वैश्विक निर्यात में लगभग 10% का योगदान देता है । काली चाय (96%) निर्यात में सबसे आगे है, उसके बाद नियमित और हरी चाय का स्थान है।
- भारत 25 से अधिक देशों को चाय का निर्यात करता है, जिनमें संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका, इराक, ब्रिटेन और रूस जैसे शीर्ष खरीदार शामिल हैं, जो सामूहिक रूप से निर्यात का 50% से अधिक हिस्सा हैं।

सरकारी सहयोग:

- भारत सरकार ने 1953 में चाय बोर्ड की स्थापना की थी, जो चाय उद्योग को नियंत्रित और बढ़ावा देता है। इसके प्रमुख कार्यक्रम:
  - **भारतीय मूल की पैकेज्ड चाय का प्रचार-प्रसार:** मार्केटिंग और ट्रेड फेयर में मदद।
  - **चाय विकास और संवर्धन योजना (2021-26):** उत्पादकता, गुणवत्ता सुधार, छोटे किसानों और मज़दूरों का कल्याण, अनुसंधान एवं बाज़ार विस्तार पर फोकस।

निष्कर्ष:

नीलगिरि चाय, जो कभी एक बहुमूल्य वैश्विक निर्यात थी, अब संरचनात्मक और आर्थिक खतरों का सामना कर रही है। नीलामी प्रणालियों में सुधार, गुणवत्ता नियंत्रण में सुधार और बाज़ार पहुँच को बढ़ाना, इसकी विरासत और इससे जुड़ी आजीविका को बनाए रखने के लिए आवश्यक है।

ओईसीडी आर्थिक दृष्टिकोण

संदर्भ:

आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) ने अपनी अंतरिम आर्थिक समीक्षा में भारत के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 की GDP वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर 6.7% कर दिया है, जो पहले जून में 6.3% था। वहीं, मुद्रास्फीति का अनुमान घटाकर 2.9% किया गया है, जो पहले लगभग 4.1% था। 2026 में, ओईसीडी के अनुसार वृद्धि थोड़ी धीमी होकर 6.2% रहने की संभावना है, जबकि मुद्रास्फीति लगभग 3% के करीब बनी रहेगी।

पूर्वानुमान बढ़ने के कारण:

- **मजबूत घरेलू मांग:** उपभोग लगातार मजबूत बना हुआ है, जिसका आधार आय में वृद्धि, अनुकूल मानसून प्रभाव, कर प्रोत्साहन और नीतिगत समर्थन है।
- **GST सुधार और कर उपाय:** ओईसीडी के अनुसार, वस्तु एवं सेवा कर (GST) में सुधार, जिसमें कई वस्तुओं के लिए दो-स्तरीय संरचना (5% और 18%) शामिल है, तथा अन्य वित्तीय प्रोत्साहन, उपभोग को बढ़ावा देंगे और मुद्रास्फीति पर दबाव कम करेंगे।
- **खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति में कमी:** खाद्य मुद्रास्फीति में अपेक्षा से तेज़ गिरावट (अच्छी आपूर्ति और कुछ मामलों में निर्यात प्रतिबंधों के कारण) प्रमुख मुद्रास्फीति को कम करने में मदद कर रही है।
- **मौद्रिक और वित्तीय समर्थन:** ओईसीडी के अनुसार, जैसे-जैसे मुद्रास्फीति घटती है, और सार्वजनिक निवेश जारी रहता है, आर्थिक वृद्धि को समर्थन मिलेगा।
- **बाहरी जोखिमों के बावजूद स्थिरता:** हालांकि भारत उच्च अमेरिकी आयात शुल्क जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है, बड़ा घरेलू बाजार और विकास के कारक इसे सहारा देते हैं।

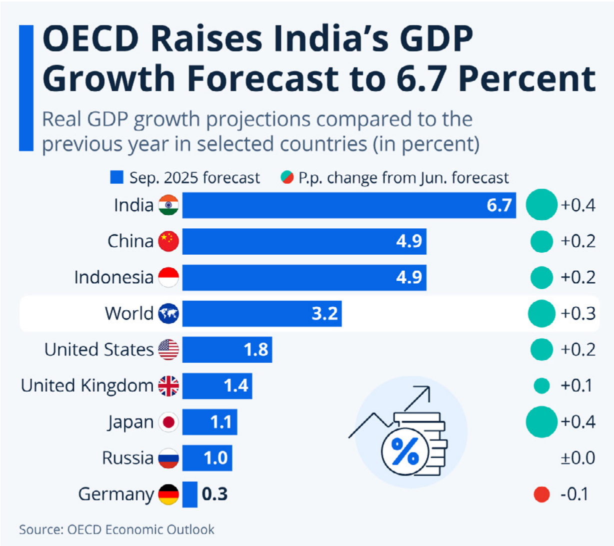

वैश्विक वृद्धि और आर्थिक गति:

- अमेरिका द्वारा शुल्क बढ़ोतरी से पहले वस्तु उत्पादन और व्यापार में तेजी के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था 2025 की पहली छमाही में अपेक्षा से अधिक स्थिर रही।
- वैश्विक GDP वृद्धि 2024 में 3.3% से घटकर 2025 में 3.2% और 2026 में 2.9% रहने की संभावना है।
- उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (G20) में वृद्धि धीमी होने की उम्मीद है, क्योंकि उच्च शुल्क, नीति अस्थिरता और घटती मांग निवेश और व्यापार पर दबाव डाल रही हैं।

क्षेत्रीय मुख्य बिंदु:

- **संयुक्त राज्य अमेरिका:** 2024 में ~2.8% से घटकर 2025 में 1.8% और 2026 में 1.5% वृद्धि की संभावना है। रिपोर्ट के अनुसार, उच्च प्रभावी आयात शुल्क, शुद्ध आव्रजन में कमी और नीति अस्थिरता मुख्य बाधक हैं।
- **यूरो क्षेत्र:** 2025 में 1.2% और 2026 में 1.0% वृद्धि की उम्मीद है। व्यापारिक विवाद और भू-राजनीतिक जोखिम यहां की मुख्य चुनौतियाँ हैं।
- **चीन:** 2025 में ~4.9% और 2026 में ~4.4% वृद्धि का अनुमान है। इसके पीछे कारण हैं पूर्व में किए गए उत्पादन लाभ का कम होना, वित्तीय प्रोत्साहन में कमी और निर्यात दबाव में बढ़ोतरी।

ओईसीडी के बारे में:

- आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) 38 सदस्य देशों का अंतर-सरकारी संगठन है।
- इसकी स्थापना 1961 में हुई थी, इसके पूर्ववर्ती संगठन यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन (OEEC) था।
- इसका उद्देश्य ऐसी नीतियाँ बढ़ावा देना है, जो दुनिया भर में आर्थिक और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा दें।

निष्कर्ष:

ओईसीडी का संशोधित पूर्वानुमान भारत की मजबूत आर्थिक नींव और वृद्धि की क्षमता को दर्शाता है। जबकि वैश्विक व्यापार अस्थिरता और अमेरिकी शुल्क जैसी चुनौतियाँ बनी हुई हैं, भारत की घरेलू मांग और नीतिगत सुधार आर्थिक वृद्धि को जारी रखने में सहायक होंगे।

पीएम मित्र पार्क

संदर्भ:

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के धार ज़िले में देश के पहले पीएम मित्र (मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल) पार्क का शिलान्यास किया। यह पहल भारत को वैश्विक स्तर पर वस्त्र निर्माण का अग्रणी केंद्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

पीएम मित्र योजना की विशेषताएँ:

- मध्य प्रदेश के धार में स्थापित पीएम मित्र पार्क कुल 2,158 एकड़ क्षेत्र में फैला है। इसमें शामिल हैं:
  - » **20 एमएलडी एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट:** पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ संचालन सुनिश्चित करने के लिए।
  - » **10 एमवीए सौर ऊर्जा संयंत्र:** नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहित करने और कार्बन उत्सर्जन घटाने के लिए।
  - » **81 प्लग-एंड-प्ले इकाइयाँ:** जिससे उद्योगों को आसानी से अपनी उत्पादन इकाइयाँ स्थापित और संचालित करने की सुविधा मिले।
  - » **आधुनिक सड़कें तथा निरंतर जल और विद्युत आपूर्ति:** औद्योगिक गतिविधियों के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करने हेतु।
  - » **आवास एवं सामाजिक सुविधाएँ (विशेष रूप से महिलाओं के लिए):** समावेशी विकास को बढ़ावा देने और महिलाओं की रोजगार भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए।

पीएम मित्र पार्क के बारे में:

- पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल (पीएम मित्र) योजना को वर्ष 2021 में वस्त्र मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य वस्त्र उद्योग की पूरी वैल्यू चेन को फाइबर से फैशन तक एक जगह जोड़ना, लॉजिस्टिक लागत घटाना, निवेश आकर्षित करना और रोज़गार के अवसर पैदा करना है।
- भारत सरकार ने देशभर में सात पीएम मित्र पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है:
  - » तमिलनाडु: विरुद्धनगर
  - » तेलंगाना: वारंगल
  - » गुजरात: नवसारी
  - » कर्नाटक: कलबुर्गी
  - » मध्य प्रदेश: धार
  - » उत्तर प्रदेश: लखनऊ
  - » महाराष्ट्र: अमरावती
- प्रत्येक पार्क को विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) के ज़रिए लागू किया जाएगा, जो केंद्र और राज्य सरकार की संयुक्त भागीदारी के साथ पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल पर काम करेगा।

वित्तीय सहायता:

- प्रत्येक पार्क के लिए केंद्र सरकार द्वारा एसपीवी को 500 करोड़ रुपये तक की डेवलपमेंट कैपिटल सपोर्ट दी जाएगी।
- निर्माण इकाइयों को 300 करोड़ रुपये तक की कॉम्पिटिटिव इंसेंटिव सपोर्ट (CIS) उपलब्ध कराई जाएगी।
- इसके अलावा, अन्य केंद्रीय योजनाओं के साथ मिलाकर डेवलपर्स और निवेशकों को अतिरिक्त लाभ दिए जाएंगे।
- प्रत्येक पार्क में इन्क्यूबेशन सेंटर, प्रोसेसिंग सुविधाएँ, कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (CETP), डिजाइन और टेस्टिंग सेंटर शामिल होंगे, जिससे वस्त्र निर्माण के लिए सम्पूर्ण अवसंरचना तैयार होगी।

आर्थिक और सामाजिक प्रभाव:

- पीएम मित्र योजना से देशभर के सातों पार्कों में लगभग 70,000 करोड़ रुपये का निवेश आने और करीब 20 लाख रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है।
- अकेले धार पार्क को ही अब तक 23,146 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।
- इन पार्कों का मुख्य उद्देश्य है वस्त्र उद्योग की पूरी वैल्यू चेन को एकीकृत करना, लॉजिस्टिक लागत को कम करना और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ाना।
- इसके साथ ही, ये पार्क ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करेंगे, महिलाओं के लिए नए रोजगार अवसर प्रदान करेंगे और वस्त्र उद्योग में टिकाऊ तथा पर्यावरण-अनुकूल प्रथाओं को बढ़ावा देंगे।

निष्कर्ष:

मध्य प्रदेश का नया पीएम मित्र पार्क भारत को वैश्विक स्तर पर वस्त्र निर्माण और निर्यात का केंद्र बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह पार्क विश्वस्तरीय अवसंरचना, एकीकृत वस्त्र वैल्यू चेन और टिकाऊ प्रथाओं के साथ, निवेश आकर्षित करेगा, रोज़गार पैदा करेगा और आर्थिक विकास को तेज़ करेगा। भारत को वस्त्र उद्योग में अग्रणी बनाने के लिए पीएम मित्र पार्क एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

एकीकृत पेंशन योजना (UPS)

सन्दर्भ:

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के अंतर्गत केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रस्तुत एकीकृत पेंशन योजना (UPS) 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी हो गई है। हाल ही में इसके विकल्प के रूप में आवेदन करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 30 सितंबर 2025 कर दिया गया है।

पृष्ठभूमि:

- **पुरानी पेंशन योजना (OPS):** 1 जनवरी 2004 से पूर्व लागू इस व्यवस्था के अंतर्गत अंतिम आहरित वेतन का 50% तथा महंगाई भत्ता एक निश्चित पेंशन के रूप में मिलता था। कर्मचारियों से किसी प्रकार का योगदान अपेक्षित नहीं था।
- **राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS):** वर्ष 2004 में लागू की गई इस योजना ने पेंशन को बाज़ार-आधारित बना दिया, जिसमें कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का योगदान आवश्यक था। हालांकि, इसमें निश्चित पेंशन का आश्वासन नहीं है।
- **एकीकृत पेंशन योजना (UPS):** 2023 में गठित सोमनाथन समिति की सिफारिशों के बाद 2024 में इसकी घोषणा की गई। UPS का उद्देश्य OPS की निश्चित पेंशन और NPS की निधि-आधारित संरचना के बीच संतुलन स्थापित करना है। इसका विनियमन पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा किया जाता है।

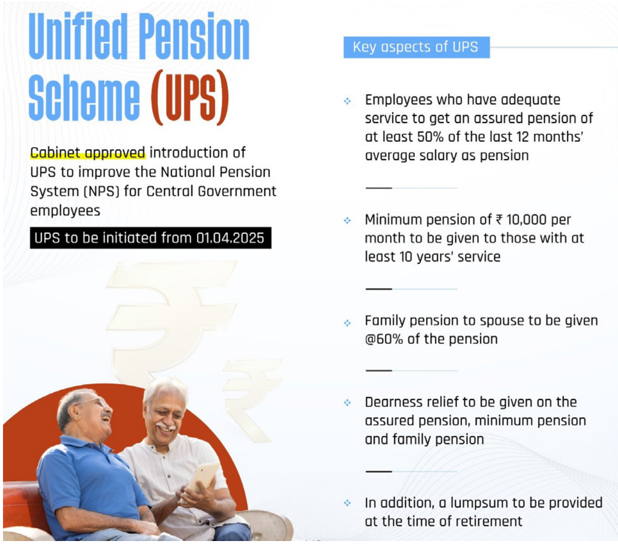

एकीकृत पेंशन योजना (UPS) की मुख्य विशेषताएँ:

- **पात्रता:**
  - 1 अप्रैल 2025 को NPS के अंतर्गत आने वाले सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी इस योजना के लिए पात्र होंगे।
  - 1 अप्रैल 2025 के बाद नियुक्त होने वाले नए कर्मचारी भी शामिल होंगे।
  - 31 मार्च 2025 से पूर्व सेवानिवृत्त अथवा स्वैच्छिक सेवानिवृत्त कर्मचारी तथा उनकी विधिवत विवाहित जीवनसाथी (यदि कर्मचारी ने विकल्प से पूर्व ही मृत्यु प्राप्त की हो) भी इसके दायरे में आएंगे।
- **योगदान:**
  - **कर्मचारी:** मूल वेतन + महंगाई भत्ते का 10%।
  - **नियोक्ता (सरकार):** मूल वेतन + महंगाई भत्ते का 10%।
  - अतिरिक्त सरकारी अंशदान: मूल वेतन + महंगाई भत्ते का 8.5% एक सामूहिक कोष में, जिससे निश्चित पेंशन भुगतान सुनिश्चित हो सके।
- **निश्चित लाभ:**
  - यदि कर्मचारी ने 25 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो, तो सेवानिवृत्ति से पूर्व अंतिम 12 माह के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में।
  - **न्यूनतम निश्चित पेंशन:** कम-से-कम 10 वर्ष की सेवा पर ₹10,000 प्रति माह।
  - **10 से 25 वर्ष की सेवा के बीच:** अनुपातिक पेंशन।
  - **पारिवारिक पेंशन:** पेंशनधारी की मृत्यु पर जीवनसाथी को निश्चित पेंशन का 60%।
  - **महंगाई राहत (DR):** सरकार द्वारा अधिसूचित अनुसार देय।
- **अन्य प्रावधान:**
  - **UPS से पुनः** NPS में लौटने का एकमात्र विकल्प उपलब्ध है, किंतु यह केवल सेवानिवृत्ति अथवा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से पूर्व संभव होगा।
  - **UPS में आंशिक निकासी की अनुमति:** प्रत्येक पूर्ण छह माह की सेवा पर अंतिम मूल वेतन + महंगाई भत्ते का 1/10वाँ भाग एकमुश्त निकाला जा सकता है।
  - सेवा से बर्खास्त कर्मचारियों को निश्चित पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा।

कम अपनाए जाने के कारण:

- UPS की स्वीकार्यता सीमित रही है, कुल 23.94 लाख कर्मचारियों में से केवल लगभग 40,000 ने अब तक इसे अपनाया है।
- यद्यपि UPS, NPS की तुलना में अधिक सुरक्षा प्रदान करता है, फिर भी कई कर्मचारी संगठन संतुष्ट नहीं हैं।
- संगठन OPS की बहाली की मांग पर अड़े हैं, क्योंकि उसमें कर्मचारी का कोई योगदान नहीं था और पेंशन की उच्चतर निश्चितता थी।
- UPS में कर्मचारी अंशदान की बाध्यता, OPS की तुलना में इसे कम आकर्षक बनाती है।
- जटिल नियमों तथा निर्णय हेतु अल्पावधि की समयसीमा ने भी इसे अपनाने की गति को धीमा किया है।

निष्कर्ष:

एकीकृत पेंशन योजना भारत के पेंशन सुधारों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद स्थिरता प्रदान करने का प्रयास करती है, साथ ही राजकोषीय जोखिमों को नियंत्रित करने का भी प्रयास है। यह राज्य की उस सोच को प्रतिबिंबित करती है, जिसमें कर्मचारी कल्याण और आर्थिक विवेक के बीच संतुलन साधने का प्रयास निहित है। तथापि, यह व्यापक रूप से स्वीकार की जाएगी या OPS की बहाली की मांगों के बीच दबकर रह जाएगी—यह आने वाले वर्षों में ही स्पष्ट होगा।

भारत और एफएओ ने मिलकर विश्वस्तरीय ब्लू पोर्ट बनाने का किया समझौता

संदर्भ:

हाल ही में मत्स्य पालन मंत्रालय के अंतर्गत भारत के मत्स्य पालन विभाग ने पीएमएमएसवाई पहल के तहत ब्लू पोर्ट अवसंरचना विकसित करने के लिए एफएओ के साथ एक तकनीकी सहयोग कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य मत्स्य पालन को आधुनिक बनाना, कटाई के बाद की दक्षता बढ़ाना और टिकाऊ, तकनीक-संचालित तटीय अवसंरचना को बढ़ावा देना है।

- यह कार्यक्रम वनकबारा (दीव), जखाऊ (गुजरात) बंदरगाहों में पायलट अपग्रेड का समर्थन करता है और टिकाऊ मत्स्य पालन बंदरगाह प्रबंधन के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम भी संचालित करता है।

ब्लू पोर्ट के बारे में:

- ब्लू पोर्ट्स इनिशिएटिव एफएओ का एक कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य मछली पकड़ने वाले बंदरगाहों को सतत विकास के केंद्र में बदलना है, जो आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय लक्ष्यों को पूरा करें।

मुख्य स्तंभ:

- » **पर्यावरण संरक्षण:** कचरा प्रबंधन, समुद्री कचरा हटाना, नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग, प्रदूषण नियंत्रण और जलवायु प्रतिरोधकता।
- » **बाजार उन्मुख नवाचार:** ट्रेसबिलिटी सुनिश्चित करना, मूल्य श्रृंखला में सुधार, व्यापार मानकों का उन्नयन और डिजिटल प्रणालियों का उपयोग।
- » **सामाजिक कल्याण:** सभी हितधारकों की भागीदारी, सुरक्षा सुनिश्चित करना, महिलाओं को शामिल करना और मछुआरों के लिए स्थायी आजीविका के अवसर प्रदान करना।

भारत के ब्लू पोर्ट फ्रेमवर्क की मुख्य विशेषताएँ:

- **पायलट बंदरगाह:** तीन मछली पकड़ने वाले बंदरगाहों को पायलट के रूप में चुना गया है: वनकबारा (दीव), जखाऊ (गुजरात) और कराईकल (पुडुचेरी)। इन पर कुल निवेश लगभग ₹369.8 करोड़ है।
- **उन्नत प्रौद्योगिकियां:** वास्तविक समय निगरानी, ट्रेसबिलिटी और कुशल संचालन सुनिश्चित करने के लिए AI, 5G, IoT, सेंसर नेटवर्क, उपग्रह संचार और डिजिटल प्लेटफॉर्म का एकीकरण।
- **पर्यावरण-अनुकूल अवसंरचना:** वर्षा जल संचयन, ऊर्जा-कुशल प्रकाश व्यवस्था, विद्युत उपकरण, अपशिष्ट प्रबंधन, सीवेज उपचार और समुद्री मलबे की सफाई जैसी सुविधाएँ।
- **जलवायु लचीलापन और स्थिरता:** समुद्र स्तर में वृद्धि और चरम मौसम की घटनाओं का सामना करने के लिए डिजाइन; संचालन को लचीला बनाना और पारिस्थितिकी पर न्यूनतम प्रभाव सुनिश्चित करना।

भारत के लिए महत्व:

- **मत्स्य पालन क्षेत्र और नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा:** यह पहल पीएमएमएसवाई और FIDF के तहत भारत के मत्स्य पालन को आधुनिक बनाने के लक्ष्यों के अनुरूप है। बेहतर बुनियादी ढांचे से कटाई के बाद होने वाले नुकसान कम होते हैं, निर्यात-उन्मुख उत्पादन बढ़ता है और मछुआरों की आय में सुधार होता है।
- **पर्यावरण संरक्षण और स्थिरता:** यह प्रदूषण, समुद्री मलबे और अतिदोहन से निपटने में मदद करता है और SDG 14 (जल के नीचे जीवन) के लक्ष्यों में योगदान देता है।
- **तकनीकी उन्नति:** उभरती प्रौद्योगिकियों का एकीकरण वैश्विक समुद्री खाद्य बाजार में उत्पादकता, ट्रेसबिलिटी और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने में सहायक है।
- **समावेशी विकास:** सुरक्षित, स्वच्छ और सभी हितधारकों को शामिल करने वाले बुनियादी ढांचे से छोटे मछुआरों, महिलाओं और तटीय समुदायों तक लाभ पहुँचता है।
- **वैश्विक संरेखण और सर्वोत्तम प्रथाएँ:** FAO के वैश्विक अनुभव (जैसे पोर्ट ऑफ विगो) से सीखना और अंतरराष्ट्रीय मानकों को अपनाना।

एफएओ के तकनीकी सहयोग कार्यक्रम (TCP) के बारे में:

- एफएओ द्वारा स्थापित तकनीकी सहयोग कार्यक्रम (TCP) सदस्य देशों को मांग पर तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करता है।
- **उद्देश्य:**
    - » देशों को खाद्य सुरक्षा बढ़ाने और गरीबी कम करने में मदद करना।
    - » फसल उत्पादन, पशुपालन, मत्स्य पालन, एक्वाकल्चर, वन, पोषण, खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों में तकनीकी समाधान प्रदान करना।
    - » राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार प्रतिक्रिया देना, जैसा कि कंट्री प्रोग्रामिंग फ्रेमवर्क (CPF) में परिभाषित है।

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में:

- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) 2020 में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख योजना

है।

- यह पाँच वर्षों (2020–21 से 2024–25) की योजना है, जिसमें कुल निवेश ₹20,050 करोड़ है। योजना को वित्तीय वर्ष 2025-26 तक बढ़ाया गया है।
    - » **उद्देश्य:** मछली उत्पादन बढ़ाना, मत्स्य उद्योग की मूल्य श्रृंखला को आधुनिक बनाना, मछुआरों के कल्याण को सुनिश्चित करना और क्षेत्र में स्थिरता को बढ़ावा देना।

निष्कर्ष:

भारत और एफएओ के बीच यह साझेदारी विश्वस्तरीय ब्लू पोर्ट्स के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। स्मार्ट तकनीक और पर्यावरण-अनुकूल इन्फ्रास्ट्रक्चर को अपनाकर भारत मत्स्य उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ा सकता है, जबकि पर्यावरणीय स्थिरता और सामाजिक न्याय को भी सुनिश्चित कर सकता है।

वर्ल्ड फूड इंडिया 2025

संदर्भ:

वर्ल्ड फूड इंडिया (WFI) का चौथा संस्करण 25 से 28 सितंबर 2025 तक भारत मंडपम, नई दिल्ली में आयोजित हुआ। यह अंतरराष्ट्रीय खाद्य महोत्सव निवेश को आकर्षित करने, नवीन तकनीकों को प्रदर्शित करने और भारत की खाद्य प्रसंस्करण क्षमता को वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत करने के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है।

उद्देश्य:

- **भारत को वैश्विक खाद्य केंद्र बनाना:** कृषि संसाधनों और विविधता की ताकत का उपयोग कर खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में वैश्विक निवेश और व्यापार को आकर्षित करना।
- **एमएसएमई और सूक्ष्म उद्यमियों को सशक्त करना:** उनकी प्रौद्योगिकी, ऋण और बाजार तक पहुंच को बेहतर बनाना।
- **नवाचार और स्थिरता को प्रोत्साहित करना:** खाद्य प्रौद्योगिकी, पर्यावरण-अनुकूल पैकेजिंग, कोल्ड चेन समाधान और खाद्य अपशिष्ट कम करने की रणनीतियों को बढ़ावा देना।
- **पूरे खाद्य पारिस्थितिकी तंत्र को जोड़ना:** किसानों से लेकर निर्यातकों और प्रसंस्करणकर्ताओं से लेकर नवप्रवर्तकों तक, सभी हितधारकों को एक मंच पर लाना।
- **विनियामक मानकों को सुदृढ़ करना:** वैश्विक नियामक संवाद को बढ़ावा देकर खाद्य सुरक्षा और निर्यात तैयारियों में सुधार करना।

भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के बारे में:

- खाद्य प्रसंस्करण वह प्रक्रिया है, जिसमें कच्चे पौधों और पशु उत्पादों को साफ़ करने, ग्रेडिंग, मिलिंग, संरक्षण और पैकेजिंग जैसी विधियों के माध्यम से खाने योग्य और बाजार में बिकने योग्य खाद्य पदार्थों में बदला जाता है।
- **भारत की स्थिति और प्रमुख योगदान:**
    - » भारत का खाद्य प्रसंस्करण उद्योग दुनिया का छठा सबसे बड़ा उद्योग है।
    - » भारत फलों और सब्जियों के उत्पादन में दूसरे स्थान पर तथा डेयरी उत्पादन में पहले स्थान पर है।
    - » यह क्षेत्र कृषि के सकल मूल्य संवर्धन (GVA) में लगभग 9% और भारत के कृषि निर्यात में लगभग 23% का योगदान करता है।
    - » यह उद्योग मूल्य श्रृंखला में 70 लाख से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध कराता है।

भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए सहायक कारक:

- **जीवनशैली और जनसांख्यिकी में बदलाव:** लगभग 65% भारतीय 35 वर्ष से कम उम्र के हैं। बढ़ती आय, शहरीकरण और व्यस्त जीवनशैली के कारण प्रसंस्कृत और तैयार खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ रही है।
- **प्रचुर मात्रा में कच्चा माल आधार:** भारत दूध, केला, आम, अदरक में अग्रणी है और चावल, गेहूं, फल और सब्जियों में शीर्ष उत्पादक देशों में शामिल है, जिससे साल भर कच्चा माल उपलब्ध रहता है।
- **तकनीकी उन्नति और डिजिटलाइज़ेशन:** एआई, आईओटी, उपग्रह निगरानी, स्मार्ट आपूर्ति श्रृंखलाओं का उपयोग अपशिष्ट को कम करता है, ट्रेसबिलिटी में सुधार करता है, और खेत से कांटे तक एकीकरण को सुव्यवस्थित करता है।
- **लॉजिस्टिक्स और बाजार तक पहुंच:** व्यवस्थित रिटेल, ई-कॉमर्स, कोल्ड चेन नेटवर्क और कुशल अंतिम-मील डिलीवरी घरेलू बाजारों का विस्तार करती हैं। प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का निर्यात लगभग 11.74% चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ रहा है, जो लगभग $16.2 बिलियन तक पहुंच गया है।
- **नीति और निवेश प्रोत्साहन:** उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) जैसी योजनाएं और 100% ऑटोमेटिक रूट के तहत FDI वैश्विक कंपनियों को निवेश के लिए आकर्षित करती हैं।

प्रमुख चुनौतियाँ:

- **विखंडित आपूर्ति श्रृंखला:**
  - लगभग 86% किसान छोटे या सीमांत हैं, जिससे उत्पादन का समुचित संग्रहण और एकीकरण कठिन हो जाता है।
  - किसानों को अंतिम मूल्य का केवल 30–35% ही मिलता है, जबकि विकसित देशों में यह हिस्सा 65–70% तक होता है।
- **बुनियादी ढांचे की कमी और खाद्य हानि:**
  - पर्याप्त कोल्ड चेन और भंडारण सुविधाएँ न होने के कारण भारत को हर साल लगभग ₹92,651 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ता है।
  - कटाई के बाद 25–30% फल और सब्जियाँ खराब हो जाती हैं।
- **जटिल नियामक ढांचा:**
  - कई नियामक संस्थाओं और सिंगल-विंडो क्लीयरेंस की कमी के कारण, विशेष रूप से MSME क्षेत्र को देरी और अधिक अनुपालन लागत का सामना करना पड़ता है।
- **कौशल और गुणवत्ता की सीमाएँ**
  - खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के केवल 3% कार्यबल को ही औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त है।
  - मानकों में असंगति के चलते निर्यात में बाधा आती है। उदाहरणस्वरूप, 2020 से 2024 के बीच यूरोपीय संघ ने भारत की 527 प्रसंस्कृत खाद्य वस्तुओं को निर्यात से रोक दिया।

सरकारी पहल और सुधार:

- **पीएम किसान सम्पदा योजना:** खाद्य प्रसंस्करण के लिए बुनियादी ढांचा मजबूत करना, अपशिष्ट को कम करना और निर्यात को प्रोत्साहन देना।
- **पीएम-एफएमई योजना:** माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इकाइयों और स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को औपचारिक ढांचे में लाकर उन्हें बेहतर अवसर प्रदान करना।
- **विशेष खाद्य प्रसंस्करण निधि:** नाबार्ड के माध्यम से लगभग ₹2,000 करोड़ की सहायता, जिसका उपयोग बुनियादी ढांचे और सप्लाई चेन परियोजनाओं में किया जा रहा है।
- **पीएलआई योजना (फूड प्रोसेसिंग के लिए):** खाद्य प्रसंस्करण और कोल्ड चेन इन्फ्रास्ट्रक्चर में निवेश को आकर्षित और बढ़ावा देना।
- **मेगा फूड पार्क योजना:** एकीकृत प्रसंस्करण और भंडारण केंद्र विकसित करना, ताकि उत्पादन, प्रसंस्करण और वितरण की कड़ी को मजबूत किया जा सके।
- **राष्ट्रीय मखाना बोर्ड:** भारतीय सुपरफूड्स, विशेष रूप से मखाना, को वैश्विक स्तर पर पहचान और बढ़ावा देना।

निष्कर्ष:

वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 भारत को वैश्विक खाद्य प्रसंस्करण शक्ति के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसकी व्यापक नीति संरचना, अंतरराष्ट्रीय साझेदारियां, और सततता व नवाचार पर ध्यान केंद्रित करने से यह कार्यक्रम भारत के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाने में मदद करेगा। सहयोग, निवेश और ज्ञान आदान-प्रदान को बढ़ावा देकर वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 भारत के खाद्य भविष्य को आकार देने और देश के विकसित, समावेशी और वैश्विक प्रतिस्पर्धी बनने के विज़न में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

जहाज निर्माण, समुद्री क्षेत्र में वित्तपोषण पहल

संदर्भ:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्र सरकार की बैठक में भारत के जहाज़ निर्माण को सशक्त बनाने और विदेशी जहाज़ों पर निर्भरता कम करने के लिए ₹69,725 करोड़ के व्यापक पैकेज को मंजूरी दी गई। यह कदम भारत को एक मजबूत समुद्री शक्ति को पुनः स्थापित करने की सरकार की योजना का हिस्सा है।

पैकेज के मुख्य घटक:

यह पैकेज चार मुख्य स्तंभों पर आधारित है:

जहाज निर्माण वित्तीय सहायता योजना	31 मार्च 2036 तक सहायता प्रदान करना; शिपयार्डों को प्रोत्साहित करना; क्रेडिट नोट के माध्यम से पुराने जहाजों के पुनर्चक्रण को बढ़ावा देना; राष्ट्रीय जहाज निर्माण मिशन के माध्यम से निगरानी करना।	कुल निधि ₹24,736 करोड़; इसमें शिपब्रेकिंग क्रेडिट नोट के लिए ₹4,001 करोड़ शामिल हैं; इसमें राष्ट्रीय जहाज निर्माण मिशन के लिए छोटी राशि (₹181 करोड़) शामिल है।

समुद्री विकास निधि	समुद्री परियोजनाओं को बैंक योग्य बनाने के लिए दीर्घकालिक वित्तपोषण (इक्विटी + ऋण) प्रदान करना, ब्याज प्रोत्साहन के माध्यम से ऋण लागत को कम करना।	₹25,000 करोड़ का कोष: ₹20,000 करोड़ समुद्री निवेश निधि के रूप में (49% सरकारी भागीदारी), ₹5,000 करोड़ ब्याज प्रोत्साहन निधि के रूप में।
जहाज निर्माण विकास योजना	घरेलू जहाज निर्माण क्षमता का विस्तार और सुदृढ़ीकरण; क्लस्टर विकसित करना; जोखिम कवर और बीमा प्रदान करना; बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी को बढ़ाना; ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड यार्ड को बढ़ावा देना।	₹19,989 करोड़ का परिव्यय: इसमें शामिल हैं ~ ग्रीनफील्ड क्लस्टरों के लिए ₹9,930 करोड़, ब्राउनफील्ड विस्तार के लिए ₹8,261 करोड़, इंडिया शिप टेक्नोलॉजी सेंटर के लिए ₹305 करोड़, जोखिम संबंधी ऋण कवर के लिए ₹1,443 करोड़। क्षमता लक्ष्य: ~ 4.5 मिलियन सकल टन भार (जीटी) प्रतिवर्ष।
कानूनी, कराधान और नीति सुधार	सक्षम वातावरण में सुधार: बड़े जहाजों को बुनियादी ढांचे का दर्जा प्रदान करना; जहाज पंजीकरण और एमआरओ सेवाएं, जीएसटी संबंधी विचार; नियामक सरलीकरण; संस्थानों को मजबूत करना।	अवसंरचना का दर्जा निम्नलिखित पर लागू होगा: 10,000 जीटी या इससे अधिक क्षमता वाले वाणिज्यिक जहाज जो भारतीय स्वामित्व वाले और ध्वज वाले हों; तथा भारत में निर्मित 1,500 जीटी या इससे अधिक क्षमता वाले जहाज जो भारतीय स्वामित्व वाले/ध्वजांक वाले हों।

पैकेज के पीछे तर्क:

- भारत का समुद्री क्षेत्र अपने व्यापार का लगभग 95% मात्रा और 70% मूल्य संभालता है।
- ऐतिहासिक रूप से, भारतीय जहाज़ निर्माण यार्ड का वैश्विक जहाज़ निर्माण में हिस्सा बहुत कम (~0.07%) रहा है और देश विदेशी जहाज़ों पर काफी निर्भर रहा है।
- ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा और रक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में रणनीतिक, आर्थिक और आपूर्ति श्रृंखला की स्थिरता सुनिश्चित करने की जरूरत के कारण सरकार ने यह साहसिक कदम उठाया।

अपेक्षित परिणाम और लक्ष्य:

- 4.5 मिलियन ग्रॉस टन (GT) की जहाज़ निर्माण क्षमता का सृजन।
- समय के साथ लगभग 30 लाख (3 मिलियन) रोजगार के अवसर।
- भारत के समुद्री क्षेत्र में लगभग ₹4.5 लाख करोड़ का निवेश आकर्षित करना।
- योजना अवधि में 2,500 से अधिक जहाज़ों का निर्माण।

रणनीतिक महत्व:

- भारत के "मेक इन इंडिया" अभियान को मजबूत करना और महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों के लिए विदेशी जहाज़ यार्डों तथा विदेशी फ्लैग/विदेशी जहाज़ों पर निर्भरता कम करना।
- राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता को बढ़ाना, और जहाज़ निर्माण में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करना।
- **आर्थिक बहुप्रभाव उत्पन्न करना:** अपस्ट्रीम उद्योग (जैसे स्टील, इंजन, इलेक्ट्रॉनिक्स), डाउनस्ट्रीम सेवाएँ (जैसे मरम्मत और रखरखाव), और क्षेत्रीय विकास को प्रोत्साहित करना।

निष्कर्ष:

₹69,725 करोड़ का यह पैकेज भारत को वैश्विक जहाज़ निर्माण शक्ति बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण नीति प्रदान करता है। यदि इसे प्रभावी ढंग से लागू किया गया, तो यह आर्थिक, रणनीतिक और रोजगार संबंधी महत्वपूर्ण लाभ दे सकता है। इसकी सफलता मुख्य रूप से इसके कार्यान्वयन, सुधारों की संगति और मांग उत्पन्न करने की क्षमता पर निर्भर करेगी।

भारतीय रुपया का अवमूल्यन

संदर्भ:

हाल के समय में भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले नए निचले स्तर पर पहुँच गया है, जो बाह्य एवं आंतरिक दोनों प्रकार की परिस्थितियों के दबाव को प्रतिबिंबित करता है। 23 सितम्बर को रुपया लगभग ₹88.62 प्रति डॉलर तक गिर गया, जो अब तक का सबसे कमजोर स्तर है।

USD/INR विनिमय दर का निर्धारित:

- विनिमय दर मुख्यतः विदेशी मुद्रा बाजार में अमेरिकी डॉलर एवं भारतीय रुपये की आपूर्ति तथा मांग से निर्धारित होती है:
  - » **डॉलर की आपूर्ति (Supply of USD):** निर्यात आय, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) एवं पोर्टफोलियो निवेश, प्रवासी भारतीयों द्वारा प्रेषण (remittances), तथा भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा डॉलर की बिक्री।
  - » **डॉलर की मांग (Demand for USD):** आयात भुगतान, विदेशी निवेशकों द्वारा पूंजी की निकासी, ऋण अदायगी, तथा व्यापार अथवा निवेश के लिए डॉलर धारण करना।
- यदि डॉलर की मांग, आपूर्ति से अधिक हो जाती है, तो रुपया अवमूल्यित (कमज़ोर) होता है। वहीं यदि आपूर्ति अधिक हो, तो रुपया पुनर्मूल्यित (मजबूत) होता है।

रुपये की कमजोरी के प्रमुख कारण:

- **व्यापार असंतुलन एवं चालू खाता घाटा (CAD):**
  - » **आयात पर निर्भरता (विशेषतः तेल एवं कच्चा माल):** भारत कच्चे तेल का अधिकांश भाग आयात करता है और उर्वरक, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा पूंजीगत वस्तुओं के लिए भी बड़े पैमाने पर आयात पर निर्भर है। उच्च आयात बिल विदेशी मुद्रा की मांग को बढ़ाते हैं।
  - » **निर्यात वृद्धि की सुस्ती एवं बाहरी झटके:** वैश्विक मांग कमजोर पड़ी है तथा संरक्षणवादी व्यापार नीतियाँ (जैसे अमेरिकी शुल्क) अतिरिक्त बाधाएँ उत्पन्न कर रही हैं। ऐसे परिदृश्य में निर्यात वृद्धि आयात बिलों की गति के अनुरूप नहीं हो पाती।
  - » **चालू खाते पर दबाव:** आयात-निर्यात के अंतर के कारण भारत प्रायः चालू खाते के घाटे का सामना करता है। जब CAD बढ़ता है, तो विदेशी मुद्रा की शुद्ध मांग, प्रवाह से अधिक हो जाती है, जिससे रुपये पर अवमूल्यन का दबाव पड़ता है।
- **पूंजी/निवेश प्रवाह की सुस्ती:**
  - » **विदेशी पोर्टफोलियो निवेश का बहिर्वाह:** 2025 में विदेशी संस्थागत निवेशक (FIIs) भारतीय शेयर एवं बांड बाजारों में शुद्ध विक्रेता रहे, जिससे रुपये का अवमूल्यन हुआ क्योंकि वे रुपये में निवेशित परिसंपत्तियों को डॉलर में परिवर्तित कर निकालते हैं।
  - » **जोखिम से बचाव एवं प्रतिफल अंतर (Yield Differentials):** वैश्विक जोखिम प्रवृत्ति जब सुरक्षित परिसंपत्तियों (जैसे अमेरिकी ट्रेज़री बॉन्ड) की ओर झुकती है, तो पूंजी उभरते बाजारों से बाहर चली जाती है। साथ ही, अमेरिकी फेडरल रिज़र्व की कड़ी मौद्रिक नीति ने डॉलर आधारित परिसंपत्तियों को अधिक आकर्षक बनाया, जिससे पूंजी का पलायन हुआ।

प्रभाव:

- कमजोर रुपया आयात को अधिक महँगा बना देता है। ऊर्जा एवं कच्चे माल पर अत्यधिक निर्भर अर्थव्यवस्था के लिए यह मुद्रास्फीति को और बढ़ा सकता है।
- रुपये को स्थिर करने अथवा समर्थन देने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक को भंडार का उपयोग करना पड़ सकता है या विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप करना पड़ सकता है, जिसके अपने जोखिम और लागत होते हैं।
- मुद्रा के कमजोर होने से बाहरी ऋण (यदि वह विदेशी मुद्रा में हो) का भुगतान रुपये की शर्तों में अधिक महँगा हो जाता है।

निष्कर्ष:

रुपये का हालिया अवमूल्यन मात्र अल्पकालिक उतार-चढ़ाव नहीं है, बल्कि यह संरचनात्मक असंतुलनों और बाहरी दबावों का परिणाम है। स्थायी व्यापार घाटा, कमजोर पूंजी प्रवाह, और कठोर वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में प्रमुखता प्राप्त डॉलर—ये सभी रुपये के लिए चुनौतीपूर्ण वातावरण तैयार करते हैं। मुद्रा को स्थिर रखने के लिए बहुआयामी रणनीति आवश्यक होगी: निर्यात को पुनर्जीवित करना, स्थिर निवेश आकर्षित करना, केंद्रीय बैंक का सावधानीपूर्ण प्रबंधन तथा ऐसे संरचनात्मक सुधार जिनसे संवेदनशील आयात पर निर्भरता कम हो। यदि इन दबावों का समाधान नहीं किया गया, तो रुपया लगातार दबाव में रह सकता है, जिसका असर मुद्रास्फीति, बाहरी स्थिरता और आर्थिक विकास पर पड़ेगा।

7 आंतरिक सुरक्षा

ग्रेट निकोबार परियोजना: राष्ट्रीय सुरक्षा और सतत विकास की चुनौती

परिचय:

ग्रेट निकोबार परियोजना भारत की सबसे चर्चित विकास पहलों में से एक है। इसे समुद्री सुरक्षा, क्षेत्रीय संपर्क और आर्थिक विकास को मज़बूत करने की दिशा में एक साहसिक कदम के रूप में देखा जा रहा है। साथ ही, इसके पारिस्थितिक, भूकंपीय और सामाजिक प्रभावों को लेकर भी चिंताएँ जताई गई हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सबसे दक्षिणी भाग, ग्रेट निकोबार द्वीप समूह के लिए प्रस्तावित इस परियोजना में एक प्रमुख कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, एक ग्रीनफ़ील्ड दोहरे उपयोग वाला हवाई अड्डा, टाउनशिप विकास और आधुनिक बुनियादी ढाँचा शामिल है।

जहाँ सरकार मलक्का जलडमरूमध्य के निकट इसके सामरिक महत्व पर ज़ोर दे रही है, वहीं आलोचकों ने गंभीर पर्यावरणीय और सामाजिक चिंताएँ जताई हैं। उन्होंने इस परियोजना को एक "सुनियोजित दुस्साहस" बताया है और 2004 की सुनामी के बाद वापस लौटने की उम्मीद कर रहे निकोबारी समुदायों के संभावित स्थायी विस्थापन की चेतावनी दी है और बड़े पैमाने पर वनों की कटाई के जोखिमों पर प्रकाश डाला है, जिससे 8.5 लाख से 58 लाख पेड़ों के नष्ट होने का अनुमान है। इस प्रकार यह परियोजना भारत के सामने रणनीतिक और आर्थिक उद्देश्यों को आगे बढ़ाने तथा पारिस्थितिक अखंडता, भूकंपीय सुरक्षा और विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के अधिकारों की रक्षा करने के बीच नाजुक संतुलन को दर्शाती है।

ग्रेट निकोबार परियोजना के बारे में:

- यह परियोजना ग्रेट निकोबार द्वीप समूह के लिए अरबों रुपये की एकीकृत विकास योजना है, जिसकी अनुमानित लागत ₹81,000 करोड़ है। इसे नीति आयोग के मार्गदर्शन में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एकीकृत विकास निगम (ANIIDCO) द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। 2022 में कुछ शर्तों के साथ पर्यावरण और वन मंज़ूरी प्रदान की गई। इस परियोजना को 30 वर्षों (2025-2047) के चरणबद्ध विकास के रूप में नियोजित किया गया है।

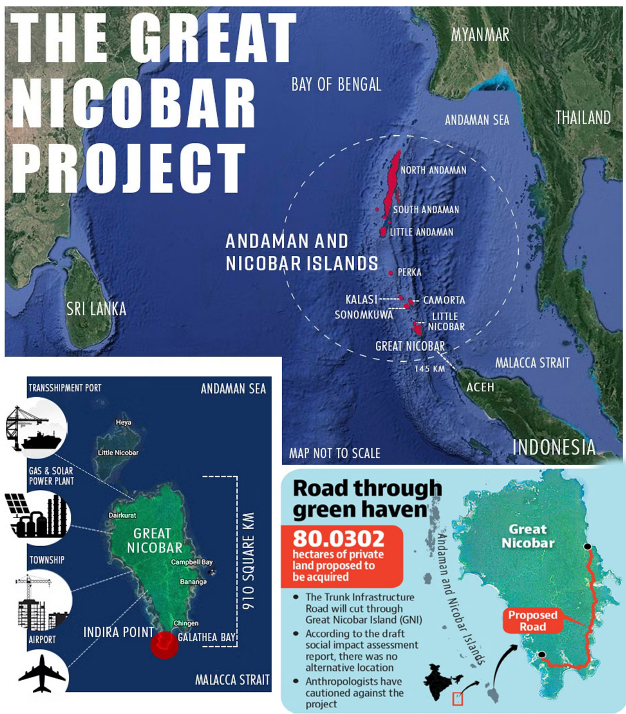

प्रमुख घटक:

- **अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल (ICTT)**
  - » स्थान: गैलाथिया खाड़ी।
  - » क्षमता: ~16 मिलियन टी.ई.यू.
  - » उद्देश्य: भारत को वैश्विक शिपिंग केंद्र के रूप में स्थापित करके कोलंबो और सिंगापुर जैसे विदेशी बंदरगाहों पर निर्भरता कम

करना।

- **ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा**
  - नागरिक-सैन्य दोहरे उपयोग वाला डिज़ाइन।
  - यात्री क्षमता: 2050 तक लगभग 4,000 प्रति घंटा।
  - अंडमान और निकोबार कमान की रसद और रक्षा तैयारी को बढ़ाता है।
- **टाउनशिप विकास**
  - नियोजित जनसंख्या: 3-4 लाख।
  - आवासीय, वाणिज्यिक और संस्थागत क्षेत्र शामिल हैं।
- **बिजली और बुनियादी ढाँचा**
  - 450 MVA गैस और सौर-आधारित विद्युत संयंत्र।
  - नए सड़क नेटवर्क, जल आपूर्ति और संचार सुविधाएँ।

सामरिक महत्व:

- **स्थल लाभ**
  - **सिक्स डिग्री चैनल:** ग्रेट निकोबार के निकट, मलक्का जलडमरूमध्य से सटा एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग, जिसके माध्यम से वैश्विक व्यापार का 30-40% और चीन का अधिकांश ऊर्जा आयात होता है।
  - **निकटता:** इंडोनेशिया से केवल 150 किमी की दूरी पर, जिससे भारत को दक्षिण पूर्व एशिया तक बेहतर पहुँच मिलती है।
- **राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा**
  - बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर में भारत की निगरानी और परिचालन क्षमता का विस्तार।
  - चीन की "मोतियों की माला" जैसे बाहरी रणनीतिक प्रभावों के प्रति संतुलन प्रदान करता है।
  - समुद्री क्षेत्र जागरूकता (एमडीए) को मज़बूत करता है और क्वाड सुरक्षा उद्देश्यों के साथ संरेखित करता है।
- **क्षेत्रीय संपर्क और एचएडीआर**
  - आसियान देशों के साथ संबंधों को बढ़ाकर भारत की एक्ट ईस्ट नीति को आगे बढ़ाता है।
  - दक्षिण-पूर्व एशिया में मानवीय सहायता और आपदा राहत (एचएडीआर) के लिए तैयारी को बढ़ाता है, जो अक्सर प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्र है।

पारिस्थितिक चिंताएँ:

- **वनों की कटाई**
  - सरकारी अनुमान: लगभग 8.5 लाख पेड़ काटे जाएँगे।
  - स्वतंत्र अनुमान: 32-58 लाख पेड़ों के बीच।
  - आलोचना: पुराने उष्णकटिबंधीय वनों को प्रतिपूरक वनरोपण के माध्यम से पुनः निर्मित नहीं किया जा सकता।
- **जैव विविधता जोखिम**
  - निकोबार मेगापोड, लेदरबैक कछुआ, निकोबार मैकाक और प्रवाल भित्ति पारिस्थितिकी तंत्र जैसी स्थानिक और लुप्तप्राय प्रजातियों के लिए खतरा।
  - प्रस्तावित बुनियादी ढाँचे के कछुओं के घोंसले के मैदानों और नाज़ुक तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों के साथ ओवरलैप होने की चिंता।
- **भूकंपीय भेद्यता**
  - 2004 के हिंद महासागर सुनामी के दौरान द्वीप लगभग 15 फीट नीचे धँस गया था।
  - उच्च जोखिम वाले भूकंपीय और सुनामी-प्रवण क्षेत्र होने के कारण, बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे को आपदा लचीलेपन के सवालों का सामना करना पड़ता है।

जनजातीय और कानूनी चिंताएँ:

- **स्वदेशी समुदाय**
  - निकोबारी और शॉम्पेन का घर, दोनों को विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTGs) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
  - कुछ समुदाय 2004 की सुनामी से विस्थापित हुए थे और अपने पुश्तैनी भूमि पर लौटने की योजना बना रहे थे, जिससे पारंपरिक स्थानों और आजीविका के स्थायी नुकसान की आशंका है।
- **वनाधिकार अधिनियम, 2006**
  - अनुसूचित जनजातियों के सामुदायिक और व्यक्तिगत अधिकारों की मान्यता का प्रावधान।
  - आलोचकों का कहना है कि परियोजना की स्वीकृतियाँ व्यापक परामर्श के बिना दी गईं।
- **सरकार की स्थिति**
  - किसी भी जनजातीय विस्थापन की योजना नहीं है।
  - 166.10 वर्ग किमी परियोजना क्षेत्र में से 73.07 वर्ग किमी जनजातीय आरक्षित भूमि को डीनोटिफाई किया जाएगा, जबकि 76.98 वर्ग किमी को पुनः अधिसूचित किया जाएगा, जिससे 3.91 वर्ग किमी की शुद्ध वृद्धि होगी।
  - जनजातीय परिषदों और भारतीय मानवशास्त्रीय सर्वेक्षण जैसी संस्थाओं से परामर्श किया गया है।

» शॉम्पेन और निकोबारी समुदायों के कल्याण के लिए समर्पित समितियाँ स्थापित की गई हैं।

पर्यावरणीय सुरक्षा उपाय और सरकारी प्रतिक्रिया:

- **क्षतिपूरक वनीकरण:** द्वीपों में उपलब्ध भूमि की कमी के कारण हरियाणा में किया जाएगा।
- **जैव विविधता संरक्षण:** जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ZSI), बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया (BSI), SACON और WII जैसी वैज्ञानिक संस्थाओं को ₹81 करोड़ से अधिक आवंटित।
- **अवसंरचना डिज़ाइन:** वन्यजीव गलियारे, पुल और वृक्ष-निवासी तथा तटीय प्रजातियों के लिए शमन उपाय शामिल।
- **ऊर्जा मिश्रण:** कार्बन फुटप्रिंट को सीमित करने के लिए सौर और गैस-आधारित बिजली पर निर्भरता।
- **नियामक निगरानी:** पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) और पर्यावरण प्रबंधन योजना (EMP) को EIA अधिसूचना, 2006 के तहत स्वीकृत किया गया।
- आलोचक वनों की कटाई, भूकंपीय संवेदनशीलता और जनजातीय सुरक्षा उपायों के उल्लंघन के जोखिमों पर जोर देते हैं और स्वतंत्र समीक्षा की मांग करते हैं। सरकार इस परियोजना का बचाव एक्ट ईस्ट नीति के आधारस्तंभ के रूप में करती है, यह तर्क देते हुए कि क्षतिपूरक उपाय और चरणबद्ध योजना आर्थिक, पारिस्थितिक और सामाजिक आयामों में संतुलन बनाते हैं।

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के बारे में:

- लगभग 572 द्वीपों वाला केंद्रशासित प्रदेश, जिनमें से ~38 बसे हुए हैं।
- ग्रेट निकोबार: सबसे बड़ा द्वीप, ~910 वर्ग किमी।
- निकोबारी, शॉम्पेन, ओंगे और जारवा जैसी जनजातियों का घर।
- **कानूनी सुरक्षा:**
  - » अनुच्छेद 338A: राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रावधान, जिसे एसटी से संबंधित नीतियों पर परामर्श किया जाना चाहिए।
  - » तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ) नियम: पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील तटीय क्षेत्रों की रक्षा करते हैं।
  - » वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980: वन भूमि को गैर-वन प्रयोजनों में बदलने पर रोक।

निष्कर्ष:

ग्रेट निकोबार परियोजना भारत की विकास दुविधा को समेटती है: पारिस्थितिक रूप से नाज़ुक और सामाजिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में रणनीतिक और आर्थिक लक्ष्यों को आगे बढ़ाना। इसका मलक्का जलडमरूमध्य के पास स्थित होना भारत को अद्वितीय समुद्री लाभ देता है, जिससे यह इंडो-पैसिफिक में व्यापार, सुरक्षा और आपदा प्रतिक्रिया का संभावित केंद्र बन सकता है। साथ ही, लाखों पुराने वनों की कटाई, भूकंपीय गतिविधियों की संवेदनशीलता और विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समुदायों के संभावित विस्थापन जैसी पर्यावरणीय लागतें दीर्घकालिक स्थिरता पर प्रश्नचिह्न लगाती हैं। जबकि सरकार ने सुरक्षा उपायों, जैव विविधता प्रबंधन योजनाओं और क्षतिपूरक रणनीतियों का विवरण दिया है, इन उपायों की प्रभावशीलता कठोर निगरानी, पारदर्शी परामर्श और अनुकूली शासन पर निर्भर करेगी।

संक्षिप्त मुद्दे

रक्षा खरीद मैनुअल 2025

संदर्भ:

हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने रक्षा खरीद मैनुअल 2025 को मंजूरी दी है। यह 2009 में जारी मैनुअल का एक व्यापक और संशोधित संस्करण है। इसका मुख्य उद्देश्य सशस्त्र बलों के लिए खरीद प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सरल, त्वरित और किफायती बनाना है, ताकि आवश्यक संसाधनों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।

रक्षा खरीद मैनुअल 2025 के मुख्य उद्देश्य:

- खरीद प्रक्रिया को सरल और व्यवस्थित बनाना ताकि सशस्त्र बलों की बदलती आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।
- आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देना और घरेलू उद्योगों, खासकर एमएसएमई और स्टार्ट-अप को रक्षा उत्पादन में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना।

- खरीद प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाना, ताकि समय पर उपयुक्त लागत पर संसाधन मिल सकें।
- थलसेना, नौसेना और वायुसेना के बीच संयुक्तता को प्रोत्साहित करना, जिससे सैन्य तैयारी मजबूत हो।

रक्षा खरीद मैनुअल 2025 की मुख्य विशेषताएँ:

- **विकास अनुबंधों में छूट:**
  - » विकास चरण के दौरान तरलता क्षति (एलडी) नहीं लगाई जाएगी।
  - » प्रोटोटाइप बनने के बाद न्यूनतम LD (0.1%) लगाया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा 5% होगी। गंभीर देरी की स्थिति में यह 10% तक हो सकती है।
- **सुनिश्चित ऑर्डर और सहयोग:**
  - » उद्योगों को पाँच साल तक गारंटीकृत ऑर्डर दिए जाएंगे, जो विशेष परिस्थितियों में बढ़ाए भी जा सकते हैं।
  - » सेवाओं द्वारा तकनीकी जानकारी और मौजूदा उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि विकास प्रक्रिया सफल हो सके।
- **सक्षम वित्तीय प्राधिकरणों (सीएफए) को अधिकार:**
  - » सीएफए को क्षेत्रीय स्तर पर निर्णय लेने का अधिकार होगा, जिससे मामलों को ऊपरी स्तर पर भेजने की ज़रूरत नहीं होगी।
  - » इससे डिलीवरी बढ़ाने या बिड की तारीख बदलने जैसे मामलों में निर्णय लेने की गति बढ़ेगी और देरी कम होगी।
- **मरम्मत/रिफिट गतिविधियों के लिए सहयोग:**
  - » हवाई और नौसैनिक प्लेटफॉर्म की मरम्मत, रिफिट और रखरखाव गतिविधियों के लिए 15% की अतिरिक्त वृद्धि की सुविधा दी जाएगी, ताकि डाउनटाइम कम से कम हो।
- **सीमित निविदा और स्वामित्व वाली वस्तुएं:**
  - » विशेष वस्तुओं की सीमित निविदा 50 लाख रुपये तक की जा सकेगी और इससे अधिक केवल विशेष परिस्थितियों में संभव होगी।
  - » स्वामित्व वाली वस्तुओं को स्वामित्व लेख प्रमाणपत्र के साथ खरीदा जा सकता है, किन्तु इसके साथ यह भी आवश्यक होगा कि बाज़ार में उपलब्ध संभावित विकल्पों की जाँच अवश्य की जाए।
- **सरकार-से-सरकार समझौते:**
  - » उच्च मूल्य वाली खरीद के लिए ऐसी डील्स को लेकर एक सरल और स्पष्ट प्रक्रिया अपनाई गई है।
- **समान अवसर और प्रतिस्पर्धी बोली:**
  - » खुली बोली के लिए अब डीपीएसयू से अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।
  - » प्रतिभागियों के बीच समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए निविदाएं पूर्णतः प्रतिस्पर्धी आधार पर प्रदान की जाएंगी।

रक्षा उद्योग पर प्रभाव:

- रक्षा खरीद मैनुअल 2025 भारत की रक्षा खरीद प्रणाली में व्यापक परिवर्तन लाएगा। यह न केवल प्रक्रियाओं को सरल और पारदर्शी बनाएगा, बल्कि निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी को भी बढ़ावा देगा।
- स्पष्ट और व्यवस्थित दिशानिर्देशों के माध्यम से भारतीय उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि होगी। परिणामस्वरूप, सशस्त्र बलों को उच्च गुणवत्ता वाले उपकरण और संसाधन समय पर उपलब्ध होंगे तथा देश की रक्षा क्षमता और आत्मनिर्भरता दोनों सुदृढ़ होंगी।

रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) के बारे में:

- भारत में रक्षा खरीद से संबंधित निर्णय लेने वाला सर्वोच्च निकाय रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) है। इसे 2001 में कारगिल युद्ध के बाद स्थापित किया गया था।
- परिषद का मुख्य कार्य निर्धारित बजट और समयसीमा के भीतर रक्षा संसाधनों की शीघ्र, प्रभावी और पारदर्शी खरीद सुनिश्चित करना है। इसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री करते हैं, जबकि इसमें प्रमुख रक्षा और वित्तीय अधिकारी सदस्य के रूप में शामिल होते हैं।

निष्कर्ष:

रक्षा खरीद मैनुअल 2025 की मंजूरी भारत के रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह नवाचार को बढ़ावा देगा, खरीद प्रक्रिया को आसान बनाएगा और घरेलू उद्योगों को सहयोग देगा। इससे भारत एक आत्मनिर्भर और प्रतिस्पर्धी रक्षा उद्योग बनाने की ओर बढ़ेगा, जो भविष्य में सैन्य तैयारी और तकनीकी प्रगति सुनिश्चित करेगा।

डिफाई (DeFi) और राष्ट्रीय सुरक्षा

संदर्भ:

डिसेंट्रलाइज़्ड फाइनेंस, यानी डिफाई (DeFi), हाल के समय में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर विषय बन गया है। इसका कारण यह है कि इसका इस्तेमाल आतंकवाद की फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी अवैध गतिविधियों में किया जा सकता है। वर्तमान में अरबों डॉलर की संपत्तियाँ डिफाई

प्रोजेक्ट्स में निवेशित हैं और इस क्षेत्र की तेज़ी से बढ़ती लोकप्रियता ने विशेषज्ञों और नियामक संस्थाओं की चिंता बढ़ा दी है।

डिफाई क्या है?

- डिफाई ब्लॉकचेन-आधारित वित्तीय व्यवस्था है, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और विकेंद्रीकृत एप्स (DApps) के ज़रिए पीयर-टू-पीयर वित्तीय सेवाएँ उपलब्ध कराती है।
- इसमें किसी केंद्रीय संस्था या पहचान सत्यापन (Identity Verification) की ज़रूरत नहीं होती।
- यूज़र कई क्रिप्टो वॉलेट्स का इस्तेमाल करके बिना "नो योर कस्टमर" (KYC) अनुपालन के गुमनाम तरीके से लेन-देन कर सकते हैं।

तेज़ी से बढ़ता विस्तार:

- 2025 के मध्य तक दुनियाभर में 1.42 करोड़ सक्रिय डिफाई वॉलेट्स थे।
- वैश्विक डिफाई बाज़ार 2024 में 30.07 अरब डॉलर से 43% की वार्षिक दर से बढ़कर 2029 तक 178.63 अरब डॉलर तक पहुँचने का अनुमान है।
- चेनालिसिस 2024 रिपोर्ट के अनुसार,डिफाई के उपयोग में भारत, दुनिया में तीसरे स्थान पर है।

प्रमुख सुरक्षा चिंताएँ:

- **आतंकवाद का वित्तपोषण:**
    - डिफाई के माध्यम से आतंकवादी संगठन दुनिया भर से गुमनाम रूप से धन जुटा और स्थानांतरित कर सकते हैं।
    - यह औपचारिक वित्तीय निगरानी तंत्र से आसानी से बच निकलता है।
    - लेन-देन का पता लगाना बेहद कठिन होता है, यहाँ तक कि प्राप्तकर्ता भी प्रेषक की पहचान नहीं जान पाता।
- **गुमनामी और नियमन की कमी:**
    - अधिकांश डिफाई प्लेटफ़ॉर्म्स पर उपयोगकर्ताओं की पहचान की पुष्टि नहीं की जाती, जिससे इनका दुरुपयोग आसान हो जाता है।
    - क्रिप्टो मिक्सर्स, गुमनामी बढ़ाने वाले टूल्स और क्रॉस-चेन लेन-देन अवैध धन के निशान को और अधिक छिपा देते हैं।
- **स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की कमजोरियाँ:**
    - डिफाई का संचालन स्वचालित कोड पर आधारित है, जिसे हैक या शोषित किया जा सकता है।
    - विकेंद्रीकृत स्वायत्त संगठन (DAO) के माध्यम से होने वाला शासन जवाबदेही और ठोस नियामक निगरानी से वंचित है।

अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया:

- **अमेरिकी ट्रेज़री (2023):** डिफाई सेवाओं को मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक (AML) और आतंकवाद वित्तपोषण रोकथाम (CFT) नियमों का पालन करना अनिवार्य किया गया।
- **यूरोपीय संघ (2025):** डिफाई में मनी लॉन्ड्रिंग का गंभीर खतरा बताया और इस क्षेत्र में सख़्त निगरानी की आवश्यकता पर जोर दिया।
- **यूके (2025) और FATF (2025):** डिफाई को आतंकवाद फंडिंग के लिहाज़ से असुरक्षित बताया और वैश्विक मानक स्थापित करने की ज़रूरत पर बल दिया।

भारत की तैयारी: कमियाँ और चुनौतियाँ:

- भारत का आख़िरी राष्ट्रीय जोखिम मूल्यांकन (NRA) 2022 में हुआ था, जिसमें डिफाई पर कोई विशेष आकलन शामिल नहीं था।
- भारत ने "जाम ट्रिनिटी"और UPI जैसी योजनाओं के माध्यम से मजबूत वित्तीय समावेशन हासिल किया है, लेकिन डिफाई का अतिरिक्त लाभ इसके संभावित जोखिमों की तुलना में बहुत कम है।
- डिफाई-विशेष जोखिम विश्लेषण की अनुपस्थिति ने भारत में नियामक कमजोरियाँ उत्पन्न की हैं, जबकि देश लगातार आतंकवाद के ख़तरे का सामना कर रहा है।

आगे की राह:

- **क्षेत्रीय जोखिम मूल्यांकन:** डिफाई के लिए एक अलग राष्ट्रीय जोखिम मूल्यांकन (NRA) तैयार किया जाना चाहिए, जो FATF मानकों और वैश्विक सर्वोत्तम तरीकों के अनुरूप हो।
- **रेगटेक (RegTech) का उपयोग:** आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन एनालिटिक्स के माध्यम से डिफाई लेन-देन की वास्तविक समय निगरानी सुनिश्चित की जाए।
- **जन-जागरूकता और सहयोग:** डिफाई डेवलपर्स, उपयोगकर्ताओं और प्लेटफ़ॉर्म्स को राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों के बारे में जागरूक किया जाए।
- **वैश्विक समन्वय:** अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहयोग करके उन कमज़ोरियों और खामियों को दूर किया जाए जिनका फायदा सीमा-पार अपराधी उठा सकते हैं।

निष्कर्ष:

डिफाई वित्तीय नवाचार का प्रतीक है, लेकिन इसका अनियंत्रित विस्तार राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक स्पष्ट और तत्काल खतरा बनता जा रहा है, विशेष रूप से भारत जैसे देश में जहाँ आतंकवाद का खतरा हमेशा मौजूद है। डिफाई पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना न तो व्यावहारिक है और न ही रणनीतिक। हालाँकि, समझदारीपूर्ण, जोखिम-आधारित नियमन (Risk-Based Regulation) बेहद आवश्यक है। भारत को तुरंत अपने राष्ट्रीय जोखिम मूल्यांकन को अपडेट करना चाहिए, तकनीक-आधारित अनुपालन उपकरण अपनाने चाहिए और वैश्विक संस्थाओं के साथ सहयोग बढ़ाना चाहिए ताकि डिफाई जिम्मेदारी और सुरक्षा के साथ विकसित हो सके। यदि इसे अनदेखा किया गया, तो वॉरेन बफे के अनुसार डिफाई "वित्तीय जनसंहार का हथियार" बन सकता है।

आईएनएस एंड्रोथ (INS 'Androth')

संदर्भ:

भारतीय नौसेना 6 अक्टूबर 2025 को विशाखापत्तनम के नेवल डॉकयार्ड में आईएनएस एंड्रोथ को कमीशन करेगी। यह अर्नाला क्लास का दूसरा स्वदेशी एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट (ASW SWC) है। इसे कोलकाता की गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE) द्वारा निर्मित किया गया है और यह ASW-SWC श्रृंखला का दूसरा जहाज है।

तकनीकी और डिजाइन विशेषताएँ:

- **स्वदेशी निर्माण:** आईएनएस एंड्रोथ का 80% से अधिक हिस्सा स्वदेशी सामग्री से तैयार किया गया है, जो 'आत्मनिर्भर भारत' और 'मेक इन इंडिया' की दिशा में भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- **आकार और ड्राफ्ट:** एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट कोरवेट्स लगभग 77 मीटर लंबाई और लगभग 2.7 मीटर की कम गहराई के साथ बनाए गए हैं, जिससे ये तटीय और उथले पानी में आसानी से संचालित हो सकते हैं।
- **प्रणोदन और संचालन क्षमता:** जहाज मरीन डीज़ल इंजन और तीन वाटर जेट द्वारा संचालित होता है, जो उथले पानी में उच्च गति और बेहतर मोड़ने की क्षमता प्रदान करता है।

सेंसर और हथियार प्रणाली:

- **सोनार और एएसडब्ल्यू उपकरण:** पनडुब्बियों का पता लगाने के लिए जहाज हुल माउंटेड और वैरिएबल डेप्थ सोनार सूट्स से लैस है।
- **टॉरपीडो और एएसडब्ल्यू रॉकेट:** जहाज हल्के टॉरपीडो और एंटी सबमरीन वारफेयर रॉकेट से सुसज्जित है।
- **स्वदेशी 30 मिमी नेवल सरफेस गन (NSG):** एंड्रोथ इस क्लास के जहाजों में से एक है जिसमें यह स्वदेशी गन लगाई गई है।
- **क्रू और ऑटोमेशन:** जहाज लगभग 57 कर्मियों और 7 अधिकारियों के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- **मल्टीरोल क्षमता:** एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट के अलावा एंड्रोथ समुद्री निगरानी, खोज एवं बचाव, तटीय रक्षा और कम-तीव्रता वाली समुद्री गतिविधियों (LIMO) में भी कार्य कर सकता है।

ASW SWC परियोजना के बारे में:

- एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट कार्यक्रम का उद्देश्य पुराने अभय क्लास कोरवेट्स को बदलना है, जो तटीय एंटी सबमरीन और लिटोरल भूमिका में सेवा दे रहे हैं।
- इस कार्यक्रम के तहत कुल 16 एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट जहाज बनाए जाएंगे, जिनमें से 8 को गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE), कोलकाता द्वारा और 8 को कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड (CSL) द्वारा निर्मित किया जाएगा।
- अप्रैल 2019 में प्रतियोगी बोलियों के बाद यह अनुबंध हस्ताक्षरित किया गया, जिसमें GRSE और कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड को चुना गया।
- इस क्लास का पहला जहाज, आईएनएस अर्नाला, 8 मई 2025 को GRSE द्वारा कत्तुपल्ली से कमीशन किया गया।
- अर्नाला को 18 जून 2025 को विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना में आधिकारिक रूप से कमीशन किया गया, जिसमें वरिष्ठ रक्षा और नौसेना नेतृत्व उपस्थित थे।

रणनीतिक महत्व:

- **लिटोरल ASW क्षमता में वृद्धि:** पनडुब्बियाँ भारतीय महासागर क्षेत्र में विशेष रूप से तटीय क्षेत्रों में प्रमुख असममित खतरा हैं। ASW SWC श्रृंखला भारत को इन खतरों का पता लगाने और उन्हें तट के पास निष्क्रिय करने की क्षमता प्रदान करती है।
- **तटीय रक्षा और समुद्री क्षेत्र की जागरूकता:** बढ़ती समुद्री चुनौतियों जैसे घुसपैठ, समुद्री मार्गों की सुरक्षा और ऑफशोर संपत्तियों की रक्षा के लिए एंड्रोथ जैसे जहाज तटीय जल में सतर्क और सक्रिय उपस्थिति बनाए रखते हैं।
- **स्वदेशी रक्षा निर्माण और आत्मनिर्भरता:** उच्च स्वदेशी सामग्री से निर्मित जहाज भारतीय शिपबिल्डिंग और रक्षा तकनीक में बढ़ते

आत्मविश्वास को दर्शाते हैं। यह विदेशी आपूर्ति पर निर्भरता को कम करता है और भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को मजबूत बनाता है।

निष्कर्ष:

आईएनएस एंड्रोथ का कमीशन भारतीय नौसेना के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह भारत की समुद्री सुरक्षा और रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अपने उन्नत फीचर्स और स्वदेशी डिज़ाइन के साथ, आईएनएस एंड्रोथ भारत के समुद्री हितों की रक्षा और देश की बढ़ती रक्षा निर्माण क्षमता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है।

झारखंड में नक्सल विरोधी अभियान

संदर्भ:

15 सितंबर 2025 को झारखंड के हजारीबाग ज़िले में चलाए गए नक्सल विरोधी अभियान में तीन माओवादी उग्रवादी मारे गए। इन पर कुल ₹1.35 करोड़ का इनाम घोषित था। यह अभियान सीआरपीएफ की विशेष कोबरा (CoBRA) बटालियन और झारखंड पुलिस के संयुक्त प्रयास से सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। विशेषज्ञों के अनुसार, यह कार्रवाई राज्य में नक्सल उग्रवाद के खिलाफ चल रही लड़ाई में एक महत्वपूर्ण और निर्णायक उपलब्धि मानी जा रही है।

नक्सलवाद के बारे में:

- नक्सलवाद, जिसे वामपंथी उग्रवाद (Left-Wing Extremism – LWE) भी कहा जाता है, 1967 से भारत की सबसे बड़ी आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में से एक रहा है।
- इसकी शुरुआत पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गाँव से हुई, जब किसानों ने ज़मीन के बंटवारे, सामाजिक-आर्थिक असमानता और आदिवासी अधिकारों की मांगों को लेकर विद्रोह किया। इस आंदोलन का नेतृत्व भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी – CPI-ML) ने किया।
- यह उग्रवाद मुख्य रूप से "रेड कॉरिडोर" कहे जाने वाले इलाके में सक्रिय रहा है, जो छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में फैला है।
- इस आंदोलन को अक्सर गरीब और वंचित तबकों, विशेषकर आदिवासी समुदायों का समर्थन मिला, जिनकी समस्याएँ गरीबी, पिछड़ापन, विकास की कमी और सरकारी उपेक्षा से जुड़ी रही हैं।

नक्सलवाद को खत्म करने की भारत की रणनीति:

भारत ने नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए बहुआयामी रणनीति अपनाई है, जिसमें सुरक्षा उपायों के साथ-साथ सामाजिक-आर्थिक विकास और समुदायों को सशक्त बनाने की पहल भी शामिल है।

- **विकास संबंधी पहलें:**
  - » प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY-II): दूर-दराज़ के आदिवासी इलाकों तक सड़क पहुँचाकर विकास और सुरक्षा बलों की आवाजाही आसान करना।
  - » एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय: आदिवासी बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराना, ताकि सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को कम किया जा सके।
  - » मोबाइल कनेक्टिविटी (USOF/डिजिटल भारत निधि): आदिवासी क्षेत्रों में मोबाइल और इंटरनेट पहुँचाकर अलगाव को कम करना और शासन को सशक्त बनाना।
- **सुरक्षा अभियान:**

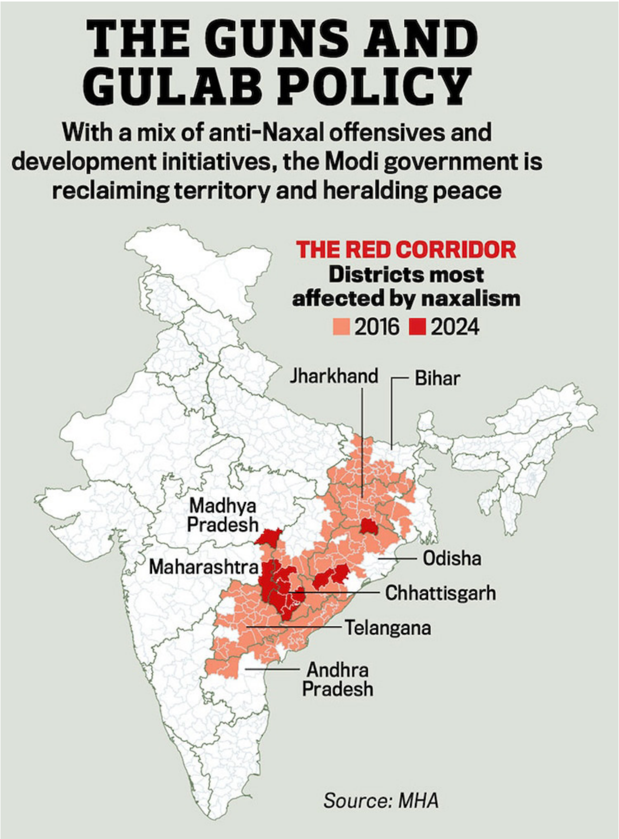

  - » **ऑपरेशन ग्रीन हंट:** एक बड़े पैमाने पर चलाया गया अर्धसैनिक अभियान, जिसका उद्देश्य नक्सल गढ़ों को ख़त्म

करना था।

» **ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट:** यह अभियान 21 अप्रैल 2025 को शुरू हुआ, जिसमें छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा से लगे जंगलों में सक्रिय नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षाबलों ने कार्रवाई की।

» **विशेष बलों की तैनाती:** सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन और ग्रेहाउंड्स जैसे विशेष बलों को जंगल युद्ध और गुरिल्ला रणनीति में प्रशिक्षित किया गया है। इनकी तैनाती से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बलों को सामरिक बढ़त मिलती है।

- **कानूनी और प्रशासनिक ढांचा:**
  - » **गैर-कानूनी गतिविधियाँ (निवारण) अधिनियम – UAPA:** यह अधिनियम सरकार को नक्सली संगठनों पर प्रतिबंध लगाने और उनके सदस्यों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार देता है।
  - » **वनाधिकार अधिनियम (2006):** इस कानून के तहत आदिवासी समुदायों के पारंपरिक वन अधिकारों को मान्यता दी गई है, ताकि उन्हें मुख्यधारा से जोड़ा जा सके और उनके अलगाव की भावना को कम किया जा सके।
  - » **पेसा अधिनियम (1996):** यह अधिनियम अनुसूचित क्षेत्रों की ग्राम सभाओं को विशेष अधिकार देकर उन्हें सशक्त बनाता है, ताकि वे स्थानीय संसाधनों और शासन पर अधिक नियंत्रण रख सकें।

अब तक की प्रगति:

- गृह मंत्रालय और सीआरपीएफ के हाल के आँकड़े नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में सकारात्मक नतीजे दिखाते हैं:
  - » नक्सल प्रभावित ज़िलों की संख्या 2014 में 126 से घटकर 2025 में सिर्फ 18 रह गई है।
  - » सबसे अधिक प्रभावित ज़िलों की संख्या 2014 में 35 से घटकर अब केवल 6 हो गई है।
  - » हिंसक घटनाएँ 2014 में 1,080 से घटकर 2024 में सिर्फ 374 रह गईं।
  - » सुरक्षा बलों की शहादत 2014 में 287 से घटकर 2024 में केवल 19 रह गई।

निष्कर्ष:

इन कुख्यात माओवादी नेताओं के मारे जाने से नक्सली आंदोलन की संगठनात्मक क्षमता और गतिविधियों पर गहरा असर पड़ेगा। हालाँकि, वर्तमान में देश के 18 ज़िले अब भी नक्सली हिंसा से प्रभावित हैं। सरकार ने स्पष्ट लक्ष्य रखा है कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद का पूर्णत: उन्मूलन किया जा सके और इसके लिए सुरक्षा अभियान, विकास योजनाएँ तथा प्रशासनिक सुधार एक साथ आगे बढ़ाए जा रहे हैं।

ड्रोन से तस्करी में वृद्धि

संदर्भ:

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, भारत-पाकिस्तान सीमा (विशेषकर पंजाब में) ड्रोन के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी में तेज़ी से वृद्धि हो रही है। पाकिस्तान से भौगोलिक निकटता और पहले से सक्रिय तस्करी नेटवर्क के कारण यह क्षेत्र इस नई तस्करी पद्धति का प्रमुख केंद्र बन गया है।

मुख्य तथ्य:

- **ड्रोन से तस्करी में बढ़ोतरी:** 2021 में जहाँ केवल 3 मामले सामने आए थे, वहीं 2024 में यह संख्या बढ़कर 179 तक पहुँच गई।
- **हेरोइन और अफीम का सबसे अधिक प्रयोग:** अधिकांश मामलों में हेरोइन और अफीम की तस्करी हुई। वर्ष 2024 में कुल 236 किलो नशीले पदार्थ बरामद किए गए।
- **पंजाब सबसे अधिक प्रभावित:** 179 में से 163 मामले पंजाब में दर्ज हुए। अमृतसर, तरनतारन, फ़िरोज़पुर और गुरदासपुर जैसे सीमावर्ती ज़िलों में ड्रोन गतिविधियों और बरामदगी में तेज़ी से वृद्धि हुई।
- **कानून-व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती:** ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल कर तस्कर पारंपरिक सुरक्षा व्यवस्था को आसानी से दरकिनार कर रहे हैं, जिससे नशे की खेप का पता लगाना और उन्हें रोकना और भी मुश्किल हो गया है।

एनसीबी के प्रयास:

- 2024 में 96,930 नशे से जुड़े मामले दर्ज किए गए।
- 1.22 लाख से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिनमें 660 विदेशी नागरिक भी शामिल हैं।
- तकनीक, राडार और ड्रोन-पकड़ने वाली प्रणालियों का इस्तेमाल बढ़ाया गया।
- NCORD पोर्टल के ज़रिए विभिन्न एजेंसियों में तालमेल बढ़ाया गया।
- पंजाब जैसे राज्यों में विशेष एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स को मज़बूत किया गया।

- एनसीबी डार्कनेट लेन-देन और क्रिप्टोकरेंसी के ज़रिए हो रही नशे की तस्करी पर भी नज़र रख रहा है। 2020 से 2024 के बीच ऐसे 96 मामले दर्ज किए गए।

भारत में नशीली दवाओं के खतरे के बारे में:

- **वास्तविकताओं से पलायन:** संयुक्त परिवार प्रणाली और नैतिक मूल्यों के पतन के कारण कई लोग नशे में सांत्वना ढूंढने लगे हैं।
- **सामाजिक नियंत्रण में कमी:** सामाजिक एकजुटता के कमजोर होने से व्यक्ति नशीली दवाओं के दुरुपयोग के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है।
- **साथियों का दबाव:** युवा, विशेषकर शैक्षणिक संस्थानों में, अक्सर साथियों द्वारा नशीली दवाओं के सेवन के लिए प्रभावित होते हैं।
- **आसान उपलब्धता:** 'गोल्डन क्रीसेंट' और 'गोल्डन ट्रायंगल' जैसे नशीली दवाओं के उत्पादक क्षेत्रों के निकट भारत का स्थान नशीली दवाओं की तस्करी को सुविधाजनक बनाता है।
- **आर्थिक समृद्धि:** पंजाब जैसे राज्यों में बढ़ती प्रयोज्य आय ने दवाओं को अधिक सुलभ बना दिया है।

भारत का कानूनी ढांचा:

- **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 47:** राज्य को यह निर्देश देता है कि वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीली दवाओं और मादक पदार्थों के सेवन पर रोक लगाए।
- **अंतरराष्ट्रीय अभिसमय:** भारत कई अंतरराष्ट्रीय औषधि-नियंत्रण समझौतों का पक्षकार है, जैसे1961 का स्वापक औषधियों पर एकल अभिसमय (1972 में संशोधित), 1971 का मनःप्रभावी पदार्थों पर अभिसमय और 1988 का स्वापक औषधियों व मनःप्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय।
- **मौजूदा कानून:** प्रमुख कानूनों में स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 तथा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 शामिल हैं।
- **प्रमुख संस्थान:** नशीली दवाओं के दुरुपयोग से निपटने में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) अहम भूमिका निभाता है, जो स्वास्थ्य मंत्रालय और सामाजिक न्याय मंत्रालय के साथ मिलकर काम करता है।
- **तकनीकी पहल:** एनसीओआरडी पोर्टल और मानस हेल्पलाइन के ज़रिए समन्वय, निगरानी और नशा मुक्ति के लिए सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

निष्कर्ष:

भारत-पाकिस्तान सीमा पर ड्रोन के ज़रिए नशे की तस्करी एक बड़ी और बढ़ती हुई सुरक्षा चुनौती है। नशे की तस्करी, सामाजिक-आर्थिक कारणों और तस्करों की बदलती चालों का मेल इस समस्या को और गंभीर बना रहा है। भारत का कानूनी ढांचा और बहु-एजेंसी प्रयास ज़रूरी हैं, लेकिन नशे की जड़ पर प्रहार करने के लिए समाज को भी लगातार और सामूहिक प्रयास करने होंगे।

अफस्पा की अवधि का विस्तार

संदर्भ:

हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) अधिनियम (AFSPA) को 6 महीने के लिए बढ़ाने की घोषणा की है। यह विस्तार 1 अक्टूबर 2025 से लागू होगा। इसका उद्देश्य कानून-व्यवस्था बनाए रखना और चल रही उग्रवादी गतिविधियों से निपटना है।

विस्तार का अर्थ:

- मणिपुर के अधिकांश हिस्सों को धारा 3 के तहत "अशांत क्षेत्र" घोषित किया गया है। हालांकि, पाँच जिलों "इंफाल पश्चिम, इंफाल पूर्व, थौबल, विष्णुपुर और काकचिंग" के कुछ पुलिस थाना क्षेत्रों को इसमें शामिल नहीं किया गया है।
- नागालैंड में आठ जिले पूर्ण रूप से तथा पाँच अन्य जिलों के कुल 21 पुलिस थाना क्षेत्र "अशांत क्षेत्र" घोषित किए गए हैं।
- अरुणाचल प्रदेश में तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिले, साथ ही नामसाई जिले के कुछ पुलिस थाना क्षेत्र "अशांत क्षेत्र" की श्रेणी में रखे गए हैं।

इसके प्रभाव:

- सुरक्षा बल कुछ परिस्थितियों में बिना वारंट तलाशी और गिरफ्तारी कर सकते हैं।
- ज़रूरत पड़ने पर (सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने या आतंकवाद विरोधी अभियानों में) घातक बल का प्रयोग किया जा सकता है।
- सुरक्षा बलों को कानूनी संरक्षण / प्रक्रियात्मक छूट मिलती है, यानी उनके खिलाफ कार्रवाई करने से पहले केंद्र सरकार की अनुमति ज़रूरी होती है।

AFSPA क्या है?

AFSPA यानी आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट।

11 सितंबर 1958 को संसद की मंजूरी के बाद AFSPA बना।

सबसे पहले पूर्वोत्तर के राज्यों में AFSPA लगाया गया।

फिलहाल जम्मू-कश्मीर, नगालैंड, असम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में AFSPA लागू।

सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) अधिनियम, 1958 के बारे में:

- अफस्पा (AFSPA) भारत का एक विशेष कानून है, जिसे संसद ने 11 सितंबर 1958 को पारित किया था। प्रारंभ में इसका नाम "सशस्त्र बल (असम और मणिपुर) विशेष अधिकार अधिनियम, 1958" था। बाद में इसके प्रावधानों का दायरा अन्य राज्यों और क्षेत्रों तक बढ़ाया गया और इसका नाम बदलकर "सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) अधिनियम, 1958" कर दिया गया।
- **उद्देश्य:**
    - » इस अधिनियम का उद्देश्य सशस्त्र बलों को उन क्षेत्रों में अतिरिक्त अधिकार देना है, जहाँ नागरिक प्रशासन अकेले कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सक्षम नहीं होता। यह विशेष रूप से उन इलाकों के लिए लागू किया जाता है, जहाँ उग्रवाद, विद्रोह, आंतरिक संघर्ष या गंभीर अशांति की स्थिति होती है।

अफस्पा (AFSPA) की प्रमुख धाराएँ और प्रावधान:

प्रावधान	विवरण
अशांत क्षेत्र की घोषणा	धारा 3 के तहत राज्यपाल या केंद्र सरकार किसी राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के हिस्से को "अशांत क्षेत्र" घोषित कर सकती है। इसके बाद उस क्षेत्र में एएफएसपीए लागू हो जाता है।
बल का प्रयोग (धारा 4)	अशांत क्षेत्र" में तैनात सशस्त्र बलकर्मी बल प्रयोग कर सकते हैं, और आवश्यकता पड़ने पर प्राणघातक बल का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यह अधिकार तब लागू होता है जब कोई व्यक्ति प्रतिबंधित आदेश का उल्लंघन करे, हथियार रखे या प्रतिबंधित सभा में शामिल हो। हालाँकि गोली चलाने से पहले, जहाँ संभव हो, चेतावनी देना अनिवार्य है।
बिना वारंट गिरफ्तारी और तलाशी	इस क़ानून के तहत बलकर्मी "तर्कसम्मत संदेह" होने पर किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार कर सकते हैं। वे हथियार या अन्य सामान बरामद करने के लिए बिना वारंट किसी भी स्थान पर प्रवेश कर तलाशी भी कर सकते हैं।
कानूनी संरक्षण / अनुमति की ज़रूरत	एएफएसपीए के तहत की गई कार्रवाइयों पर मुकदमा चलाने के लिए केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति आवश्यक है। इससे सशस्त्र बलों को व्यापक कानूनी सुरक्षा प्राप्त होती है और उनके खिलाफ सीधे कार्रवाई करना कठिन हो जाता है।

निष्कर्ष:

मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में अफस्पा को छह महीने के लिए बढ़ाने का अर्थ है कि सरकार अब भी इन क्षेत्रों की सुरक्षा स्थिति को संवेदनशील मानती है और उसे संभालने के लिए विशेष उपाय आवश्यक समझती है। यह कदम हिंसा की घटनाओं को नियंत्रित करने और क़ानून-व्यवस्था को मजबूत करने में सहायक हो सकता है। हालांकि, इसके साथ मानवाधिकार उल्लंघन की आशंकाएँ, स्थानीय समाज में अलगाव की भावना और राजनीतिक विरोध जैसी चुनौतियाँ भी मौजूद रहती हैं। इसलिए इस कानून का उपयोग अत्यंत सावधानी, सतत निगरानी और स्थानीय समुदायों से सक्रिय संवाद के साथ किया जाना चाहिए।

तेजस Mk1A लड़ाकू विमान

संदर्भ:

25 सितम्बर 2025 को रक्षा मंत्रालय ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) के साथ एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत भारतीय वायुसेना (IAF) के लिए 97 एलसीए तेजस एमके-1ए लड़ाकू विमान खरीदे जाएंगे। ₹62,370 करोड़ मूल्य का यह सौदा भारत की सैन्य

शक्ति के आधुनिकीकरण और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक निर्णायक कदम माना जा रहा है।

समझौते के बारे में:

- इस समझौते में 68 सिंगल-सीट (एकल सीट) लड़ाकू विमान और 29 ट्विन-सीट (दो सीट वाले) ट्रेनर विमान शामिल हैं। इन विमानों की आपूर्ति 2027–28 से शुरू होकर छह वर्षों में पूरी कर दी जाएगी।
- यह खरीद रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (DAP) 2020 की 'Buy (Indian-IDDM)' श्रेणी के अंतर्गत आती है, जिसका अर्थ है कि इसका डिज़ाइन, विकास और उत्पादन पूरी तरह भारत में किया जाएगा।

तेजस एमके-1ए के बारे में:

- तेजस Mk1A, एलसीए तेजस मार्क 1 का उन्नत संस्करण है। इसे एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी (ADA) ने विकसित किया है और HAL इसका उत्पादन कर रही है। यह Mk1 मॉडल पर आधारित है, लेकिन इसमें एवियोनिक्स, रडार, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, रखरखाव और स्वदेशी तकनीक में कई महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं।

मुख्य सुधार और विशेषताएँ:

- **रडार और सेंसर सिस्टम**
  - » शुरुआती लगभग 40 Mk1A विमानों में इज़राइली EL/M 2052 AESA रडार लगाया जाएगा।
  - » इसके बाद इन विमानों में स्वदेशी "उत्तम" AESA रडार (DRDO/BEL/HAL द्वारा विकसित) स्थापित किया जाएगा।
  - » उत्तम रडार में लगभग 912 ट्रांसमिट-रिसीव (TR) मॉड्यूल हैं, यह मल्टी-मोड ऑपरेशन (एयर-टू-एयर, एयर-टू-ग्राउंड) समर्थित है, बेहतर लक्ष्य ट्रैकिंग करता है और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में उत्कृष्ट प्रदर्शन प्रदान करता है।
- **अधिक स्वदेशी सामग्री और एवियोनिक्स**
  - » एमके-1ए में Mk1 की तुलना में लगभग 50% अधिक स्वदेशी सामग्री है।
  - » एलएसपी 07 प्रोटोटाइप में स्वदेशी डिजिटल फ्लाई-बाय-वायर फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर (DFCC) लगाया गया है, जिससे उड़ान नियंत्रण, संचालन और युद्धाभ्यास की क्षमता और भी बेहतर हो गई है।

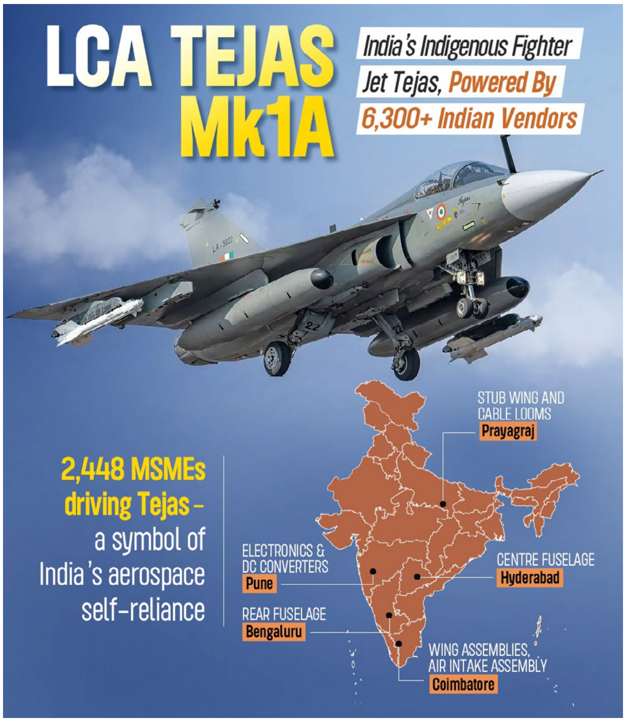

- **इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और सुरक्षा**
  - » नया इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम रडार वार्निंग रिसीवर (RWR), एडवांस्ड सेल्फ-प्रोटेक्शन जैमर पॉड और बेहतर परिस्थितिजन्य जागरूकता प्रणाली (Situational Awareness System) से लैस है।
- **हथियार प्रणाली और हार्डपॉइंट**
  - » एमके-1ए में लगभग 9 हार्डपॉइंट्स हैं, जिन पर एयर-टू-एयर और एयर-टू-ग्राउंड हथियार लगाए जा सकते हैं, जिसमें BVR मिसाइलें और ASRAAM शामिल हैं।
  - » यह विमान सटीक निशाने वाले हथियार (Precision Guided Munitions) और ज़मीनी हमले के लिए सक्षम है, केवल हवाई रक्षा तक सीमित नहीं।
  - » इस विमान में 64% से अधिक स्वदेशी सामग्री होगी और 2021 के करार की तुलना में इसमें 67 नई स्वदेशी तकनीकी चीजें जोड़ी गई हैं। यह भारत के रक्षा उत्पादन तंत्र को मजबूत करेगा और आत्मनिर्भर भारत अभियान को आगे बढ़ाएगा।

रणनीतिक और आर्थिक महत्व:

- एमके-1ए लड़ाकू विमान भारत के पुराने मिग-21/23/27 बेड़े की जगह लेंगे, वायुसेना की स्क्वाड्रन की कमी को पूरा करेंगे और युद्धक क्षमता को बढ़ाएंगे।

- इस समझौते में लगभग 105 भारतीय कंपनियाँ शामिल होंगी, जिससे हर साल 11,000 से अधिक रोजगार सृजित होंगे। इससे भारतीय एयरोस्पेस उद्योग को नई ऊर्जा और गति मिलेगी।
- यह स्वदेशी प्लेटफॉर्म भारत को रणनीतिक रूप से आत्मनिर्भर बनाएगा, विदेशी निर्भरता कम करेगा और भविष्य में रक्षा निर्यात के अवसर खोलेगा। इससे भारत की छवि एक रक्षा निर्यातक देश के रूप में और मजबूत होगी।

निष्कर्ष:

यह समझौता एक रणनीतिक उपलब्धि है जो राष्ट्रीय सुरक्षा और औद्योगिक विकास दोनों को जोड़ता है। यदि इसे समय पर और प्रभावी ढंग से लागू किया गया, तो यह न केवल भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ाएगा बल्कि स्वदेशी नवाचार को बढ़ावा देगा और भारत की स्थिति को वैश्विक स्तर पर एक भरोसेमंद रक्षा निर्माता के रूप में स्थापित करेगा।

अग्नि-प्राइम मिसाइल का परीक्षण

संदर्भ:

भारत ने विशेष रूप से तैयार किए गए रेल-आधारित मोबाइल लांचर से अग्नि-प्राइम (Agni Prime) मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया। यह पहला अवसर है जब इस मिसाइल को रेल प्लेटफॉर्म से दागा गया। इस परीक्षण ने भारत की सामरिक प्रतिरोधक क्षमता (Strategic Deterrence) को एक नई मजबूती और व्यापक आयाम प्रदान किया है।

अग्नि-प्राइम (अग्नि-पी) के बारे में:

- अग्नि-प्राइम (अग्नि-पी) भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) द्वारा विकसित अगली पीढ़ी की कैनिस्टरयुक्त, ठोस ईंधन से संचालित मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल (एमआरबीएम) है।
- यह दो चरणों वाली मिसाइल है, जिसे सड़क और रेल दोनों प्लेटफॉर्म से दागा जा सकता है। इसकी परिचालन सीमा 2,000 किलोमीटर तक है। यह अग्नि मिसाइल श्रृंखला का हिस्सा है, लेकिन इसमें कई आधुनिक और महत्वपूर्ण उन्नयन शामिल किए गए हैं।

मुख्य विशेषताएँ:

- **प्रणोदन (Propulsion):** इसमें ठोस ईंधन आधारित चरणों का उपयोग होता है, जिसमें मिश्रित प्रोपेलेंट और एल्युमिनियम आधारित उच्च ऊर्जा वाला ईंधन प्रयोग किया गया है। इससे मिसाइल हल्की होती है और ज्यादा भार उठाने की क्षमता रखती है।
- **कैनिस्टर लॉन्च और गतिशीलता (Mobility):** यह एक सीलबंद डबल कैनिस्टर प्रणाली से सुसज्जित है, जो सड़क और रेल दोनों से चल सकती है। इसे ठंडी स्थिति (Cold Start) से भी संचालित किया जा सकता है, जिससे यह दुश्मन के हमले से बचने में सक्षम होती है।
- **मार्गदर्शन और नेविगेशन (Guidance & Navigation):** इसमें दोहरी नेविगेशन प्रणाली है:
  - » रिंग लेज़र जाइरोस्कोप आधारित जड़त्वीय नेविगेशन प्रणाली (RLG-INS)
  - » माइक्रो जड़त्वीय नेविगेशन प्रणाली (MINS)
  - » इसके अलावा इसे NaVIC और GPS से भी जोड़ा जा सकता है, जिससे सटीकता और बढ़ जाती है।
- **गतिशील पुनःप्रवेश वाहन (Maneuverable Reentry Vehicle या MARV):** इसमें चार डेल्टा फिन्स लगे हैं, जिससे यह वायुमंडल में प्रवेश करते समय रास्ता बदल सकती है। इससे यह दुश्मन की मिसाइल रक्षा प्रणाली को चकमा देने और ज्यादा सटीकता से वार करने में सक्षम होती है।
- **संचालन तत्परता:** स्ट्रैटेजिक फोर्सेज कमांड (SFC) द्वारा किए गए दिन और रात दोनों समय के परीक्षणों ने यह साबित कर दिया है कि यह मिसाइल सड़क और रेल दोनों से वास्तविक परिस्थितियों में पूरी तरह से विश्वसनीय है।
- अग्नि-पी (Agni-P) का वजन अग्नि-III की तुलना में आधा है। इसमें जंग-रोधी (Corrosion-free) मिश्रित सामग्री का प्रयोग किया गया है। इसे जल्दी तैनात करने और सुरक्षित रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह भारत की परमाणु प्रतिरोधक क्षमता (Nuclear Deterrence Posture) को और मजबूत बनाता है।

रेल आधारित लॉन्च की सामरिक महत्ता:

- **बढ़ी हुई सुरक्षा और प्रतिरोधक क्षमता (Enhanced Survivability & Deterrence):** रेल-आधारित मिसाइल प्रणाली का अर्थ है कि इन्हें देशभर की रेल लाइनों पर बिखेरकर, छिपाकर और लगातार स्थानांतरित किया जा सकता है। इससे दुश्मन के लिए इन्हें ढूँढ़ना और नष्ट करना बेहद कठिन हो जाता है। यह भारत की "सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी" (पहले हमले के बाद भी जवाबी हमला करने की क्षमता) को और मजबूत बनाता है।
- **लचीलापन और त्वरित तैनाती (Flexibility & Rapid**

Deployment): रेल नेटवर्क के माध्यम से मिसाइल लांचर को दूरदराज़ और कठिन इलाकों तक आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इसके लिए अलग से सड़कों या स्थायी लांच साइट की आवश्यकता नहीं पड़ती। इससे संचालन में गति और लचीलापन दोनों बढ़ते हैं।

- **कम दृश्यता और छिपाव:** रेल-आधारित प्रणालियाँ सामान्य ट्रेनों के बीच छिपकर या सुरंगों में सुरक्षित रह सकती हैं। इससे उपग्रह या अन्य निगरानी प्रणालियों के लिए इन्हें पहचानना और भी कठिन हो जाता है। इस प्रकार की अप्रत्याशितता अपने आप में दुश्मन के लिए एक बड़ा मनोवैज्ञानिक दबाव पैदा करती है।
- **विशिष्ट देशों की सूची में भारत की मौजूदगी:** इस परीक्षण के साथ भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिनके पास रेल-आधारित मिसाइल लांच क्षमता मौजूद है। इस श्रेणी में रूस, अमेरिका और चीन जैसे बड़े देश पहले से शामिल हैं। यह उपलब्धि भारत की तकनीकी क्षमता और सामरिक परिपक्वता को दर्शाती है।

निहितार्थ:

- भारत की प्रतिरोधक क्षमता अब और अधिक सुदृढ़ हो गई है। दुश्मन के लिए मिसाइल की तैनाती का पता लगाना या उसे पहले ही नष्ट कर पाना लगभग असंभव हो गया है।
- स्ट्रैटेजिक फोर्सेज कमांड (SFC) को शांति काल और युद्धकाल दोनों ही स्थितियों में तैनाती और तैयारी के व्यापक विकल्प प्राप्त होते हैं।
- यह परीक्षण दर्शाता है कि डीआरडीओ ने गतिशीलता (Mobility), उन्नत मिसाइल तकनीक और सामरिक प्रणालियों—जैसे कैनिस्टरयुक्त ठोस ईंधन और सड़क-रेल दोनों से दागने की क्षमता—का सफल और प्रभावी संयोजन करने में महारत हासिल कर ली है।

निष्कर्ष:

रेल-आधारित अग्नि-पी का सफल परीक्षण भारत की सामरिक मिसाइल क्षमता को और अधिक सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। 2,000 किमी की मारक क्षमता, ठोस ईंधन, कैनिस्टराइजेशन और रेल से प्रक्षेपण की क्षमता इसे अत्यधिक घातक और विश्वसनीय बनाती है। यह न केवल भारत की सेकेंड स्ट्राइक क्षमता को मजबूत करता है, बल्कि देश की प्रतिरोधक नीति और रणनीतिक स्वायत्तता को भी नया आयाम प्रदान करता है। इसके दूरगामी क्षेत्रीय प्रभाव भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं।

शैलेंद्र चंद्र बने टाटा मोटर्स के नए एमडी और सीईओ

- टाटा मोटर्स ने शैलेंद्र चंद्र को 1 अक्टूबर 2025 से तीन साल के लिए नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है।
- शैलेंद्र चंद्र वर्तमान में पैसेंजर व्हीकल और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी डिवीज़न के जॉइंट एमडी हैं और आगे भी कंपनी की इलेक्ट्रिक वाहनों की रणनीति को लीड करेंगे। इस नेतृत्व परिवर्तन के साथ धीमान गुप्ता को नया चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर (CFO) नियुक्त किया गया है, जो पी.बी. बालाजी का स्थान लेंगे। वहीं, बालाजी को जगुआर लैंड रोवर का सीईओ बनाया गया है।
- इन बदलावों से टाटा मोटर्स के इलेक्ट्रिक वाहनों पर बढ़ते फोकस और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयारियों का संकेत मिलता है।

आर. वेंकटरमणी पुनः बने भारत के अटॉर्नी जनरल

- वरिष्ठ अधिवक्ता आर. वेंकटरमणी को भारत का अटॉर्नी जनरल पुनः नियुक्त किया गया है। उनका नया कार्यकाल 1 अक्टूबर 2025 से शुरु होकर दो वर्षों तक चलेगा। उनका पिछला कार्यकाल 30 सितंबर को समाप्त हुआ था।
- कानून मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, उन्हें राष्ट्रपति ने केंद्र सरकार की सिफारिश पर नियुक्त किया। वेंकटरमणी ने 1977 में तमिलनाडु बार काउंसिल से वकालत शुरु की और 1979 में सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने लगे। वे 1997 में वरिष्ठ अधिवक्ता और 2010 में विधि आयोग के सदस्य बने। उन्होंने संवैधानिक, कर, मानवाधिकार और आपराधिक कानूनों में गहरी विशेषज्ञता हासिल की है।
- अटॉर्नी जनरल सरकार को कानूनी सलाह देने और अदालत में उसका प्रतिनिधित्व करने वाला सर्वोच्च विधिक पद है।

मिथुन मन्हास बने बीसीसीआई अध्यक्ष

- पूर्व क्रिकेटर मिथुन मन्हास को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) का 37वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वे रोजर बिन्नी का स्थान लेंगे, जिन्होंने 70 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद पद छोड़ा। नई दिल्ली में हुई बीसीसीआई की वार्षिक आम बैठक में मन्हास को सर्वसम्मति से चुना गया। वे अध्यक्ष बनने वाले तीसरे पूर्व क्रिकेटर हैं, इससे पहले सौरव गांगुली और रोजर बिन्नी यह पद संभाल चुके हैं।
- नए पदाधिकारियों में राजीव शुक्ला को उपाध्यक्ष चुना गया है। मन्हास की नियुक्ति को भारतीय क्रिकेट के लिए सकारात्मक कदम माना जा रहा है, क्योंकि उनके अनुभव से प्रशासनिक और खेल स्तर पर संतुलन मिलेगा।
- बीसीसीआई विश्व क्रिकेट की सबसे शक्तिशाली संस्थाओं में गिनी जाती है और इसके नेतृत्व में बदलाव हमेशा व्यापक महत्व रखता है।

भारत ने जीता नौवां एशिया कप

- 28 सितंबर 2025 को भारत ने पाकिस्तान को हराकर अपना नौवां एशिया कप खिताब जीता। पाकिस्तान की टीम 146 रनों पर ऑल आउट हो गई, जिससे भारत को 147 रनों का लक्ष्य मिला।
- तिलक वर्मा ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 53 गेंदों पर नाबाद 69 रन बनाए और टीम को जीत दिलाई। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, जबकि अभिषेक शर्मा को प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया।
- भारत के पास अब तक सबसे अधिक एशिया कप खिताब (9) हैं, जिनमें दो टी20 (2016 और 2025) और सात वनडे शामिल हैं। श्रीलंका ने छह और पाकिस्तान ने दो खिताब जीते हैं।
- अगला एशिया कप 2027 में वनडे प्रारुप में होगा। यह जीत भारत की एशियाई क्रिकेट में प्रभुत्व को और मजबूत करती है।

सुधांशु वत्स बने एएससीआई अध्यक्ष

- पीडिलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड के प्रबंध निदेशक सुधांशु वत्स को एडवरटाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया (ASCI) का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह घोषणा संस्था की 39वीं वार्षिक आम बैठक में हुई।
- वत्स की नियुक्ति ऐसे समय पर हुई है जब ASCI अक्टूबर में अपनी 40वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है। साथ ही, मुलेनलोव ग्लोबल के एस. सुब्रह्मण्येश्वर को उपाध्यक्ष और प्रवोकेटर एडवाइजरी के पारितोष जोशी को मानद कोषाध्यक्ष चुना गया।
- ASCI देश में विज्ञापन क्षेत्र का एक स्वतंत्र स्व-नियामक निकाय है, जो भ्रामक और अनुचित विज्ञापनों पर निगरानी रखता है। संस्था अगले वर्ष अपनी 40वीं वर्षगांठ के अवसर पर कई नई पहल शुरू करने की योजना बना रही है। सुधांशु वत्स का अनुभव और नेतृत्व ASCI की गतिविधियों को और मजबूत करेगा।

नई मछली प्रजाति "एप्टेरिक्थस कन्याकुमारी" की खोज

- भारतीय वैज्ञानिकों ने समुद्र में पंख रहित साँप जैसी मछली की एक नई प्रजाति की खोज की है, जिसका नाम एप्टेरिक्थस कन्याकुमारी रखा गया है। यह खोज नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज (एनबीएफजीआर), कोच्चि के वैज्ञानिकों ने की।
- यह मछली लगभग 100 मीटर गहराई में कन्याकुमारी जिले के कोलाचल तट के पास पकड़ी गई। अध्ययन हेतु दो नमूनों का विस्तृत शारीरिक, हड्डी और जीनोम विश्लेषण किया गया, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि यह पहले से अज्ञात प्रजाति है। इसके शरीर का अनुपात अनोखा है – सिर की लंबाई 9.6-9.7%, पूंछ की लंबाई 1.8-1.9% और दांत शंकु आकार के हैं। शरीर सुनहरा पीला है, जिसमें तीन काले धब्बे होते हैं। यह खोज "ज़ूटैक्सा" जर्नल में प्रकाशित हुई।
- यह भारतीय तट पर एनबीएफजीआर टीम द्वारा पहचानी गई 16वीं समुद्री प्रजाति है और नाम कन्याकुमारी के सांस्कृतिक व भौगोलिक महत्व को सम्मान देता है।

वर्ल्ड फ़ूड इंडिया 2025

- वर्ल्ड फ़ूड इंडिया 2025 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर को नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में किया। इस आयोजन में 90 से अधिक देशों और 2,000 से ज़्यादा प्रदर्शकों ने भाग लिया। न्यूज़ीलैंड और सऊदी अरब को भागीदार देश, जबकि जापान, यूएई, वियतनाम और रूस को फ़ोकस देश बनाया गया।
- भारत को दूध, प्याज और दालों का सबसे बड़ा तथा चावल, गेहूँ, गन्ना और सब्ज़ियों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बताया गया। भारत वैश्विक दूध आपूर्ति में 25% योगदान देता है और फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में 7.33 अरब डॉलर का एफडीआई आया है। भारत ने वैश्विक फसल संकट और आपूर्ति व्यवधानों के समय अहम भूमिका निभाई।
- भारत तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है और यह आयोजन उसकी वैश्विक नेतृत्व क्षमता को रेखांकित करता है।

स्वदेशी 4G टावरों का उद्घाटन किया

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 सितंबर को देशभर में 97,500 से अधिक नए 4G मोबाइल टावरों का उद्घाटन किया, जिनमें से 92,600 पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से निर्मित हैं।
- भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने इन्हें ₹37,000 करोड़ की लागत से स्थापित किया। इस पहल से 30,000 नए गाँवों में इंटरनेट सुविधा पहुँचेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत 2जी, 3जी और 4जी तकनीक में पीछे था, लेकिन अब अपना खुद का नेटवर्क बनाने में सक्षम है। इन टावरों में से 18,900 डिजिटल इंडिया फंड से वित्त पोषित हैं, जो 26,700 वंचित व सीमावर्ती गाँवों को जोड़ेंगे।

- अधिकांश टावर सौर ऊर्जा चालित हैं और इन्हें हरित दूरसंचार स्थलों का सबसे बड़ा समूह माना गया है। यह पहल ओडिशा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, असम, गुजरात और बिहार समेत कई राज्यों को कवर करती है। यह कदम भारत की डिजिटल आत्मनिर्भरता और ग्रामीण कनेक्टिविटी को मजबूती देगा।

राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2024

- 26 सितंबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार (NGA) 2024 प्रदान किए। यह पुरस्कार 1966 में खान मंत्रालय द्वारा शुरु किए गए थे और भारत में भूविज्ञान क्षेत्र का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान माने जाते हैं। पहले इन्हें राष्ट्रीय खनिज पुरस्कार कहा जाता था, जिसे 2009 में नया नाम मिला। इनका उद्देश्य खनिज अन्वेषण, खनन प्रौद्योगिकी तथा मौलिक और अनुप्रयुक्त भूविज्ञान में योगदान को मान्यता देना है।
- पुरस्कार तीन श्रेणियों में दिए जाते हैं – आजीवन उपलब्धि, राष्ट्रीय भूविज्ञान और युवा भूवैज्ञानिक पुरस्कार। 2024 में कुल 208 नामांकन मिले, जिनमें से 20 भूवैज्ञानिकों को चुना गया। इसमें नौ व्यक्तिगत और तीन टीम पुरस्कार शामिल रहे।
- प्रो. श्याम सुंदर राय को आजीवन उपलब्धि पुरस्कार मिला, जबकि युवा भूवैज्ञानिक पुरस्कार श्री सुशोभन नियोगी को मिला।
- यह सम्मान भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान और भूविज्ञान के महत्व को रेखांकित करता है।

एनआईआरएफ रैंकिंग 2025

- शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) 2025 जारी की है। इसमें उच्च शिक्षा संस्थानों को पाँच मानदंडों – शिक्षण-गुणवत्ता, शोध एवं नवाचार, स्नातक परिणाम, समावेशिता और धारणा – के आधार पर आंका गया है।
- समग्र श्रेणी में आईआईटी मद्रास पहले, आईआईएससी बेंगलुरु दूसरे और आईआईटी बॉम्बे तीसरे स्थान पर रहे। विश्वविद्यालयों में लगातार दसवें वर्ष आईआईएससी बेंगलुरु शीर्ष पर रहा, इसके बाद जेएनयू और मणिपाल एकेडमी रहे।
- इंजीनियरिंग में आईआईटी मद्रास सर्वोच्च स्थान पर है, जबकि चिकित्सा श्रेणी में लगातार आठवें वर्ष एम्स, नई दिल्ली पहले स्थान पर रहा।
- कॉलेज श्रेणी में हिंदू कॉलेज, दिल्ली पहले स्थान पर रहा, इसके बाद मिरांडा हाउस और हंसराज कॉलेज आए।
- यह रैंकिंग भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता को दर्शाने के साथ-साथ उन्हें नवाचार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की दिशा में प्रेरित करती है।

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ

- कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल अनिल चौहान के कार्यकाल को 30 मई 2026 तक बढ़ाने की मंजूरी दी है। वे सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्यरत रहेंगे।
- जनरल चौहान को 28 सितंबर 2022 को भारत का दूसरा CDS नियुक्त किया गया था। 1981 में सेना में शामिल होकर उन्होंने कई अहम कमांड और स्टाफ पदों पर कार्य किया है।
- उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें परम विशिष्ट सेवा पदक, उत्तम युद्ध सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक, सेना पदक और विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। पहले CDS जनरल बिपिन रावत थे। यह विस्तार सैन्य आधुनिकीकरण और तीनों सेनाओं के संयुक्त संचालन को गति देने में अहम माना जा रहा है।

71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार

- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। "12वीं फेल" को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, जबकि "फ्लावरिंग मैन" को सर्वश्रेष्ठ गैर-फीचर फिल्म चुना गया।
- शाहरुख खान ("जवान") और विक्रांत मैसी ("12वीं फेल") को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। रानी मुखर्जी को "मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे" में अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया।
- सहायक कलाकारों की श्रेणी में विजयराघवन और मुथुपेट्टई सोमू भास्कर (अभिनेता), उर्वशी और जानकी बोदीवाला (अभिनेत्री) को सम्मान मिला। "हनु-मान" को AVGC श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया, जबकि "गिद्ध: द स्कैवेंजर" ने सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का पुरस्कार जीता। ये पुरस्कार भारतीय सिनेमा की विविधता और रचनात्मकता को सम्मानित करते हैं।

ग्राम पंचायतों को राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार

- 22 सितंबर 2025 को विशाखापत्तनम में आयोजित राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन में कई ग्राम पंचायतों को राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार प्रदान किए गए। रोहिणी (धुले, महाराष्ट्र) ने स्वर्ण, वेस्ट मजलिशपुर (त्रिपुरा) ने रजत, जबकि पलसाना (गुजरात) और सुआकाटी (ओडिशा) ने जूरी पुरस्कार जीते। ये पुरस्कार 10 और 5 लाख रुपये की वित्तीय प्रोत्साहन राशि, ट्रॉफी और प्रमाणपत्र के साथ दिए गए।
- रोहिणी ग्राम पंचायत ने कागज़ रहित ई-ऑफिस प्रणाली अपनाई, जबकि वेस्ट मजलिशपुर ने जन्म-मृत्यु-पंजीकरण का डिजिटलीकरण किया। पलसाना ने कर भुगतान और कल्याणकारी योजनाओं को डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म से जोड़ा और सुआकाटी ने 24/7 डिजिटल सेवाएँ उपलब्ध कराईं। यह पहल ग्रामीण स्तर पर डिजिटल शासन को सशक्त करने का उदाहरण है।

अर्शदीप सिंह ने बनाया T20 रिकॉर्ड

- भारतीय तेज़ गेंदबाज़ अर्शदीप सिंह 100 T20 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बने। उन्होंने यह उपलब्धि एशिया कप 2025 में ओमान के खिलाफ हासिल की। अर्शदीप ने मात्र 64 मैचों में यह मुकाम पाया और वह 100 विकेट लेने वाले 25वें अंतरराष्ट्रीय गेंदबाज़ बने।
- जुलाई 2022 में इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू करने वाले अर्शदीप ने केवल तीन साल और 74 दिनों में यह कीर्तिमान स्थापित किया। यह किसी तेज़ गेंदबाज़ द्वारा दूसरा सबसे तेज़ रिकॉर्ड है, बहरीन के रिज़वान बट के बाद।
- अर्शदीप का औसत 18.37 है, जो पूर्ण सदस्य देशों के तेज़ गेंदबाज़ों में सर्वश्रेष्ठ है। इससे पहले वीनू मांकड़ टेस्ट, और कपिल देव ODI में 100 विकेट तक पहुँचने वाले पहले भारतीय थे।

गायक जुबीन गर्ग का निधन

- असम के लोकप्रिय गायक और सांस्कृतिक प्रतीक जुबीन गर्ग का सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें समुद्र से बेहोशी की हालत में निकाला गया लेकिन अस्पताल में बचाया नहीं जा सका।
- जुबीन नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल में प्रस्तुति देने सिंगापुर गए थे। 2006 की फिल्म "गैंगस्टर" के गीत "या अली" से उन्हें बॉलीवुड में पहचान मिली। अपने करियर में उन्होंने 40 भाषाओं में 38,000 से अधिक गाने रिकॉर्ड किए। उनका पहला संगीत एल्बम अनामिका 1992 में रिलीज़ हुआ था। वे गायक, संगीतकार, अभिनेता, निर्माता और मानवतावादी के रूप में सम्मानित थे। असम सरकार ने उनके निधन पर तीन दिनों का राजकीय शोक घोषित किया।

पहली राष्ट्रीय भूतापीय ऊर्जा नीति

- नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने भारत की पहली राष्ट्रीय भूतापीय ऊर्जा नीति अधिसूचित की। इसमें संसाधन मूल्यांकन, अन्वेषण और

परियोजना विकास की रूपरेखा दी गई है। भारत में अब तक 381 गर्म झरनों की पहचान हुई है, जो 10 भू-तापीय प्रांतों में फैले हैं।

- नीति में भूतापीय ऊर्जा को 80% क्षमता उपयोग कारकों के साथ एक भरोसेमंद नवीकरणीय विकल्प माना गया है। इसे विद्युत् उत्पादन, हीटिंग-कूलिंग, कृषि और पर्यटन में उपयोगी बताया गया। प्रोत्साहन उपायों में रियायती भूमि आवंटन, प्राथमिकता पारेषण, ग्रीन बॉन्ड, और कर-छूट शामिल हैं।
- नीति 100% एफडीआई की अनुमति देती है और स्वदेशी तकनीक विकास पर ज़ोर देती है। तेल व गैस कंपनियों के साथ संयुक्त उपक्रम को भी बढ़ावा दिया गया है। यह कदम भारत को ऊर्जा आत्मनिर्भरता और विविध नवीकरणीय स्रोतों की ओर अग्रसर करेगा।

बिहार में बेरोजगार स्नातकों को भत्ता

- बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्नातक बेरोजगार युवाओं के लिए 1,000 रुपये मासिक भत्ता योजना की घोषणा की। यह योजना "मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना" का हिस्सा है और प्रमुख सात निश्चय कार्यक्रम के अंतर्गत आती है।
- इससे पहले यह लाभ केवल इंटर पास छात्रों को मिलता था। अब 20–25 वर्ष आयु के स्नातक, जो न तो पढ़ाई कर रहे हैं, न नौकरी या स्वरोजगार में हैं, उन्हें दो साल तक यह भत्ता मिलेगा। इसका उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और कौशल प्रशिक्षण में मदद करना है।
- बिहार सरकार ने पाँच साल में एक करोड़ युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। हाल ही में बिहार सरकार ने निर्माण श्रमिकों के लिए भी आर्थिक सहायता और "प्रतिज्ञा" पोर्टल लॉन्च किया।

अपोलो टायर्स बना भारतीय क्रिकेट टीम का प्रायोजक

- अपोलो टायर्स अब भारत की पुरुष, महिला, सीनियर और जूनियर क्रिकेट टीमों का मुख्य प्रायोजक बन गया है। यह समझौता ढाई साल तक चलेगा, जिसमें टीमों की जर्सी पर अपोलो का लोगो प्रदर्शित होगा।
- बीसीसीआई की प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया में अपोलो ने ₹579 करोड़ की बोली लगाकर यह अनुबंध जीता। कैनवा ने ₹544 करोड़ और जेके टायर्स ने ₹477 करोड़ की बोली दी थी।
- बीसीसीआई ने प्रति द्विपक्षीय मैच ₹3.5 करोड़ और आईसीसी मैचों के लिए ₹1.5 करोड़ आधार मूल्य तय किया था। अपोलो ने क्रमशः ₹4.5 करोड़ और ₹1.72 करोड़ की पेशकश की।
- यह अनुबंध 30 सितंबर को महिला वनडे विश्व कप से शुरू होगा। बीसीसीआई ने इसे भारतीय क्रिकेट की बढ़ती व्यावसायिक अपील का प्रमाण बताया।

भारत-अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास "युद्ध अभ्यास 2025"

- भारत और अमेरिका का 21वाँ द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास "युद्ध अभ्यास 2025" अलास्का के फोर्ट वेनराइट और युकोन प्रशिक्षण क्षेत्र में आयोजित हुआ। यह 1 सितंबर से शुरू हुआ और मद्रास रेजिमेंट की एक बटालियन तथा अमेरिका की 11वीं एयरबोर्न डिवीजन के करीब 450 सैनिकों ने भाग लिया।
- अभ्यास का फोकस पैदल सेना, तोपखाने, विमानन, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और ड्रोन-रोधी प्रणालियों के समन्वित अभियानों पर था। इसमें लाइव-फायर ड्रिल, स्नाइपर प्रशिक्षण, IED-रोधी कार्य और टोही मिशन शामिल थे।
- अलास्का की उप-आर्कटिक परिस्थितियों में शीतदंश बचाव, हताहत निकासी और उच्च-ऊंचाई शारीरिक अनुकूलन का भी प्रशिक्षण दिया गया। यह अभ्यास 2002 के बाद से भारत द्वारा आयोजित सबसे उन्नत द्विपक्षीय अभ्यासों में गिना जाता है और दोनों पक्षों ने इसे व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी व सामरिक अनुक्रियाशीलता को बढ़ाने का अवसर बताया। अभ्यास सैन्य सहयोग, तकनीकी आदान-प्रदान और ऑपरेशनल इंटरऑपरेबिलिटी को मजबूत करने का जरिया रहा।

CSIR-CCMB ने कोशिका गति में स्पिन90 की भूमिका उजागर की

- हैदराबाद स्थित CSIR-कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र (CCMB) के वैज्ञानिकों ने कोशिकीय गतिशीलता की एक महत्वपूर्ण मैकेनिस्टिक खोज की है — स्पिन90 प्रोटीन की केंद्रीय भूमिका। शोध में पाया गया कि स्पिन90, ARP2/3 कॉम्प्लेक्स के साथ डाइमर्स बनाकर एक्टिन तंतुओं की द्वि-दिशात्मक वृद्धि आरंभ करता है, जिससे शाखित एक्टिन नेटवर्क बनता है जो कोशिका को तेज़ी से उभार (protrusion) बनाकर दिशा में आगे बढ़ने में सक्षम बनाता है। ये उभार—जो माइक्रोसेकंड में बनते हैं—रोगजनकों के पीछा करने और घाव भरने जैसी प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक हैं।
- सीसीएमबी टीम के सैकत चौधरी के नेतृत्व वाले इस अध्ययन को 'Nature Structural & Molecular Biology' में प्रकाशित किया गया है। खोज से सेल मोबिलिटी, प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाएं और कैंसर जैसी बीमारियों में कोशिकीय पुनर्गठन की बुनियादी समझ बढ़ेगी और संभावित चिकित्सीय लक्ष्यों की पहचान में मदद मिल सकती है।

मीनाक्षी और जैस्मीन ने विश्व मुक्केबाज़ी चैंपियनशिप में स्वर्ण जीता

- लिवरपूल में आयोजित 2025 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय महिला मुक्केबाज़ मीनाक्षी हुड्डा (48 किग्रा) और जैस्मीन लैम्बोरिया (57 किग्रा) ने क्रमशः स्वर्ण पदक जीते।
- मीनाक्षी ने फाइनल में कज़ाख प्रतिद्वंद्वी नाजिम काइज़ेबे को 4–1 से हराया जबकि जैस्मीन ने पोलिश ओलंपियन सेरेमेटा को 4–1 से मात दी।
- भारत की महिला टीम ने कुल पदक तालिके में दो स्वर्ण, एक रजत और एक कांस्य के साथ समापन किया; पुरुष पहलवान पदक नहीं जीत सके। नूपुर ने 80 किग्रा वर्ग में रजत तथा पूजा रानी ने 80 किग्रा वर्ग में कांस्य हासिल किया। यह प्रदर्शन भारतीय महिला मुक्केबाज़ी की मजबूती और उच्च-स्तरीय प्रशिक्षण के परिणाम को दर्शाता है, तथा ओलंपिक और विश्व प्रतियोगिताओं के लिए उम्मीद बढ़ाता है।

असम में देश का पहला बांस-आधारित बायो-एथेनॉल संयंत्र

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के गोलाघाट जिले में भारत के पहले बांस-आधारित बायो-एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया, जिसे स्वच्छ ऊर्जा और ईंधन आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया गया।
- यह परियोजना स्थानीय कच्चे माल—बांस—को उपयोग में लाकर जैव ईंधन उत्पादन करेगी, जिससे आयातित पेट्रोलियम पर निर्भरता घटेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समर्थन मिलेगा। उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री ने रिफाइनरी साइट पर एक पॉलीप्रोपाइलीन इकाई की आधारशिला भी रखी। उन्होंने असम में पूर्वी अवसंरचना परियोजनाओं—नए मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज, ब्रह्मपुत्र पर पुल व गुवाहाटी रिंग रोड—का भी शिलान्यास किया।
- परियोजना स्थानीय विनिर्माण, हरित ऊर्जा और क्षेत्रीय विकास को जोड़ने वाली पहल के रूप में देखी जा रही है, और बांस-आधारित ईंधन को नवोन्मेषी जैव-आधारित समाधान के रूप में प्रस्तुत किया गया।

सुशीला कार्की—नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री

- सुशीला कार्की को नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री के रुप में चुना गया है जो नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री भी बन गयी है। उन्होंने राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल के समक्ष शपथ ली। उनकी नियुक्ति पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली द्वारा इस्तीफा देने के बाद हुई, जिस पर व्यापक युवा-आधारित (Generation Z) आंदोलन का प्रभाव माना गया।
- इस आंदोलन ने सोशल प्लेटफ़ॉर्म्स पर सक्रिय युवा समूहों और ऑनलाइन मतदान के माध्यम से तटस्थ नेतृत्व की माँग की थी; कार्की का चयन युवा नेताओं द्वारा आयोजित सार्वजनिक मतदान में व्यापक समर्थन से हुआ।

- न्यायिक पृष्ठभूमि वाली कार्की को उनकी ईमानदारी तथा स्वतंत्र निर्णयों के लिए जाना जाता है—वे जुलाई 2016 से नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस भी रह चुकी हैं।
- अंतरिम सरकार के तहत उनका लक्ष्य शांति बहाल करना, चुनावों का संचालन और देश में स्थिरता व विकास को बढ़ावा देना है। उनकी नियुक्ति ने नेपाल में युवा-नेतृत्व और नयी राजनीतिक प्रक्रियाओं की उदारता पर संकेत दिया है।

आईएनएस अरावली का जलावतरण

- 12 सितंबर को गुरुग्राम में आईएनएस अरावली का जलावतरण किया गया — यह भारतीय नौसेना की समुद्री रक्षा क्षमताओं और सूचना-आधारित संचालन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। अरावली, जिसका नाम अरावली पर्वत श्रृंखला पर रखा गया है, संचार और सूचना प्रणालियों के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में कार्य करेगा और नौसेना के डिजिटल बुनियादी ढाँचे को सुदृढ़ करेगा।
- बेस में स्थापित कई उन्नत संचार एवं सूचना केंद्र नौसेना की कमान—नियंत्रण और समुद्री जागरूकता (MARITIME DOMAIN AWARENESS) क्षमताओं को बढ़ाएंगे, जिससे समुद्री निगरानी व परिचालन समन्वय में सुधार होगा।
- रक्षा मंत्रालय ने भी बेस की भूमिका पर ज़ोर दिया—विशेष रूप से सीमित जलक्षेत्रों, समुद्री स्रोतों और आर्थिक हितों की सुरक्षा हेतु वास्तविक समय में सूचना-संचालन क्षमता बढ़ाने में। आईएनएस अरावली दूरदराज़ निगरानी, सामरिक संवाद और समुद्री सहयोग के लिए एक केंद्र बनेगा।

"आदि संस्कृति" — आदिवासी ज्ञान का डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म

- 10 सितंबर 2025 को केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने "आदि संस्कृति" नामक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का बीटा संस्करण लॉन्च किया—जिसे आदिवासी संस्कृति संरक्षण हेतु एक समेकित डिजिटल विश्वविद्यालय का प्रयास बताया गया।
- प्लेटफ़ॉर्म तीन घटकों में विभक्त है: आदि विश्वविद्यालय (डिजिटल आदिवासी कला अकादमी), आदि संपदा (सामाजिक-सांस्कृतिक भंडार) तथा आदि हाट (डिजिटल बाजार)।
- आदि विश्वविद्यालय पर 45 गहन पाठ्यक्रम—नृत्य, चित्रकला, शिल्प, संगीत और लोककथा पर—प्रारंभिक रूप में उपलब्ध हैं, जबकि आदि संपदा में 5,000+ दस्तावेज़ों का संग्रह है। आदि हाट को वर्तमान में ट्राइफेड से जोड़ा गया है ताकि आदिवासी कारीगरों की आजीविका को सीधे बाजार मुहैया कराया जा सके।
- राज्य जनजातीय अनुसंधान संस्थानों द्वारा एकत्रित सामग्री पारंपरिक ज्ञान-स्रोतों को संरक्षित करने, पीढ़ीगत हस्तांतरण सुनिश्चित करने और सांस्कृतिक उत्पादों के वाणिज्यिकरण के लिए डिज़ाइन की गई है। यह पहल सांस्कृतिक आत्म-सम्मान, डिजिटल समावेशन और आर्थिक सशक्तिकरण का संगम प्रस्तुत करती है।

इरफान अली ने गुयाना में दूसरा कार्यकाल संभाला

- 7 सितंबर 2025 को गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली ने हालिया राष्ट्रीय चुनावों में जीत के बाद अपना दूसरा कार्यकाल आधिकारिक रूप से शुरु किया। उनकी पार्टी, पीपुल्स प्रोग्रेसिव पार्टी ने नेशनल असेंबली के 65 सदस्यों में 36 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया।
- पिछले दस वर्षों में तट पर हुई बड़े पैमाने पर तेल खोजों ने गुयाना को अंतरराष्ट्रीय निवेश व भू-राजनीतिक रुचि का केंद्र बना दिया है। प्राकृतिक संसाधन-समृद्ध एस्सेकिबो क्षेत्र पर वेनेज़ुएला के साथ सीमा विवाद अभी भी एक संवेदनशील मुद्दा बना हुआ है। उत्तरी दक्षिण अमेरिका में स्थित गुयाना की सीमाएँ ब्राज़ील, वेनेज़ुएला और सूरीनाम से मिलती हैं तथा इसकी राजधानी जॉर्जटाउन है।
- अली के दूसरे कार्यकाल से अर्थव्यवस्था, तेल नीति और पड़ोसी-देशों के साथ कूटनीति प्रमुख चुनौतियाँ रहेंगी; साथ ही संसाधन-प्रबंधन, राजस्व-शेयरिंग और स्थानीय लाभ सुनिश्चित करने पर अंतरराष्ट्रीय दृष्टि बनी रहेगी।

एआई-आधारित मानसिक स्वास्थ्य पहल "नेवर अलोन" ऐप

- अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS), नई दिल्ली ने 10 सितंबर को एआई-आधारित मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण कार्यक्रम "नेवर अलोन" लॉन्च किया। इसका लक्ष्य छात्रों में आत्महत्या से जुड़ी संवेदनशीलता को कम करना और मानसिक स्वास्थ्य सहायता का सुलभ वितरण सुनिश्चित करना है।
- यह सेवा व्हाट्सएप-सक्षम ऐप के माध्यम से 24×7 मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों से परामर्श, दैनिक व्यक्तिगत मानसिक स्वास्थ्य जाँच और मार्गदर्शन प्रदान करती है; प्रति छात्र दैनिक लागत केवल ₹0.70 निर्धारित की गई है।
- इस पहल के तहत 5,000+ छात्रों वाले संस्थानों को लक्षित किया गया है। कार्यक्रम को आत्महत्या विरोधी कलंक घटाने, सहायताकामी छात्रों तक त्वरित पहुँच और सामुदायिक जागरुकता बढ़ाने के माध्यम के रूप में पेश किया गया है।
- एनसीआरबी के आंकड़े—2022 में 1.7 लाख से अधिक आत्महत्याएँ—के संदर्भ में यह पहल युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता को दर्शाती है; यह तकनीक-सक्षम, कम-लागत और स्केलेबल समाधान के रूप में उभर रहा है।

भारत ने एशिया कप हॉकी का ख़िताब जीतकर 2026 विश्व कप के लिए क्वालीफाई किया

- 7 सितंबर 2025 को बिहार में खेले गए एशिया कप हॉकी के फाइनल में भारत ने दक्षिण कोरिया को 4–1 से हराकर खिताब जीता और साथ ही 2026 हॉकी विश्व कप के लिए सीधा क्वालीफाई कर लिया। मुकाबले में सुखजीत सिंह ने मात्र 31 सेकंड में टूर्नामेंट का सबसे तेज़ गोल दागा; दिलप्रीत सिंह ने दो गोल किए और अमित रोहिदास ने चौथा गोल दर्ज किया। कोरिया ने 51वें मिनट में डैन सोन के माध्यम से एक गोल किया। इस जीत के साथ भारत का महाद्वीपीय खिताब आठ वर्षों के अंतराल के बाद लौटा है।
- यह परिणाम भारतीय हॉकी की पुनरुद्धार यात्रा और आगामी विश्व कप के लिए मजबूत संकेत देता है; टीम का फॉर्म, तेज़ शुरुआत और परिणाम-उन्मुख रणनीति विश्व स्तरीय प्रतिस्पर्धा हेतु सकारात्मक संकेत हैं।

अनुतिन चार्नविराकुल थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री

- 5 सितंबर 2025 को थाई संसद ने अनुतिन चार्नविराकुल को देश का नया प्रधानमंत्री चुना—यह नियुक्ति 2023 के बाद जारी राजनीतिक अशांति के बीच हुई और वे थाईलैंड के तीसरे प्रधानमंत्री बने।
- 58 वर्षीय अनुतिन ने निचली सदन में 273 वोट प्राप्त किए, जो जीत के लिए आवश्यक 247 से अधिक है। उनका प्रतिद्वंद्वी चाइकासेम नीतिसिरी को 132 वोट मिले। अनुतिन को लोकतंत्र समर्थक पीपुल्स पार्टी का समर्थन मिला, जो इस शर्त पर था कि कुछ महीनों में नए चुनाव कराए जाएँ। वे पैतोंगटार्न शिनावात्रा की जगह लेंगे—जिन्हें संवैधानिक न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद हटाया गया था।

न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर बने बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश

- 4 सितंबर 2025 को केंद्र सरकार ने न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर को बॉम्बे उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया। यह नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की 24 अगस्त, 2025 की सिफारिश एवं भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त प्रावधानों के अनुरूप की गयी।
- न्यायमूर्ति चंद्रशेखर ने 1993 में दिल्ली राज्य बार काउंसिल से कानूनी करियर शुरु किया, 2013 में झारखंड उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश बने और बाद में स्थायी नियुक्ति पाई; उन्होंने झारखंड, राजस्थान और जुलाई 2025 में बॉम्बे उच्च न्यायालय में सेवा की। उनके अनुभव में संवैधानिक, प्रशासनिक और उच्च न्यायालय स्तर के न्यायिक निर्णय शामिल हैं।
- मुख्य न्यायाधीश के रूप में उनकी भूमिका न्यायालयिक प्रबंधन, अदालतों की कार्यदक्षता और संवैधानिक अधिकारों के संरक्षण सुनिश्चित करने में निर्णायक होगी। उनकी नियुक्ति से बॉम्बे उच्च न्यायालय के संवैधानिक और प्रबंधन सम्बन्धी उद्देश्यों को बल मिलेगा।

नीति आयोग की दलहन वृद्धि योजना — 2047 तक दोगुना उत्पादन लक्ष्य

- नीति आयोग ने दलहन (पल्स) उत्पादन बढ़ाने के लिए एक विस्तृत रोडमैप जारी किया। लक्ष्य 2047 तक उत्पादन दोगुना करना और 2030 तक आत्मनिर्भरता हासिल करना है।
- बुनियादी स्थिति में 2030 तक उत्पादन 30.59 मिलियन टन तक पहुँचने का अनुमान है; नीतिगत हस्तक्षेपों के साथ इसे 2030 में 48.44 मिलियन टन और 2047 में 63.64 मिलियन टन तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। यह क्षेत्र 5 करोड़ से अधिक किसानों की आजीविका जुड़ा है और वर्तमान में वैश्विक स्तर पर भारत दलहन का प्रमुख उत्पादक व उपभोक्ता है।
- रोडमैप में ज़िलावार लक्षित हस्तक्षेप (111 उच्च-संभावित ज़िले), फसल-विशिष्ट क्लस्टर, बेहतर बीज वितरण, अंतर-फसल एवं परती भूमि उपयोग तथा जलवायु-समायोजित कृषि तकनीकें शामिल हैं।
- केंद्र के बजट 2025–26 में एक छह-वर्षीय मिशन का शुभारम्भ और 2030-2047 के लक्ष्यों के लिए निवेश, बीजांतर व डेटा-संचालित निगरानी पर जोर दिया गया है जिसका उद्देश्य आयात घटाकर पोषण सुरक्षा और टिकाऊ कृषि सुनिश्चित करना है।

राजस्थान कोचिंग सेंटर (नियंत्रण और विनियमन) विधेयक, 2025

- राजस्थान विधानसभा ने हाल ही में कोचिंग सेंटर नियंत्रण एवं विनियमन विधेयक, 2025 पारित किया है। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों पर बढ़ते दबाव को कम करना, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना और कोचिंग उद्योग को अधिक जवाबदेह बनाना है।
- विधेयक के अनुसार, 100 से अधिक छात्रों वाले सभी कोचिंग संस्थानों का पंजीकरण अनिवार्य होगा। इसके लिए एक विशेष प्राधिकरण बनाया जाएगा जिसमें शिक्षा विभाग, पुलिस, मनोचिकित्सक, अभिभावक और कोचिंग प्रतिनिधि शामिल होंगे।
- कोचिंग संस्थानों को अपने शिक्षकों की योग्यता, परिणाम, पढ़ाई का समय और शिकायत निवारण व्यवस्था की जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। पढ़ाई प्रति दिन अधिकतम 5 घंटे तक सीमित होगी और सप्ताह में एक दिन अवकाश अनिवार्य होगा। साथ ही, छात्रों के लिए काउंसलिंग सुविधाएँ उपलब्ध कराना जरुरी होगा।
- उल्लंघन करने पर पहली बार ₹50,000 और दोबारा अपराध पर ₹2,00,000 तक का जुर्माना लगेगा, साथ ही पंजीकरण भी रद्द किया जा सकता है। यह विधेयक छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और शिक्षा की गुणवत्ता को संतुलित करने की दिशा में एक अहम कदम है।

प्रसिद्ध इतालवी फ़ैशन डिज़ाइनर जियोर्जियो अरमानी का निधन

- प्रसिद्ध इतालवी फ़ैशन डिज़ाइनर और उद्योगपति जियोर्जियो अरमानी का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अरमानी को सरलता, शुद्ध रेखाओं और आधुनिक लालित्य के लिए वैश्विक रुप से सम्मानित किया जाता रहा — उन्होंने पुरुष और महिला परिधानों के सिलाई के मानक बदल दिए। 2006 में उन्होंने अपने रनवे शो में अत्यधिक पतले मॉडलों पर प्रतिबंध लगाकर उद्योग में नैतिक मानदंडों पर बहस छेड़ दी थी; यह निर्णय मॉडल एना कैरोलिना रेस्टन की मृत्यु के बाद लिया गया।
- अरमानी ने अपने पेशेवर जीवन की शुरुआत चिकित्सा की पढ़ाई से की। 1960 के दशक में उन्होंने फ़ैशन क्षेत्र को अपनाया और तेज़ी से पहचान बनाई। उन्हें फ्रांस का लीजन ऑफ ऑनर और इटली का ऑर्डर ऑफ मेरिट फॉर लेबर जैसे उच्चतम सम्मान प्राप्त हुए। अरमानी का फैशन पर प्रभाव स्थायी रहा — उन्होंने सौंदर्य और समारोह दोनों में परिधान की नई भाषा गढ़ी और उनका निधन वैश्विक फैशन समुदाय के लिये एक बड़ी क्षति है।

अमित मिश्रा ने पेशेवर क्रिकेट से सन्यास लिया

- दाएँ हाथ के अनुभवी लेग स्पिनर अमित मिश्रा ने 25 वर्षों से अधिक क्रिकेट करियर के बाद पेशेवर क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की।

मिश्रा ने बताया कि लगातार चोटें और युवा प्रतिभाओं को अवसर देने का विश्वास मुख्य कारण हैं। उन्होंने घरेलू रणजी ट्रॉफी में हरियाणा का प्रतिनिधित्व किया और इंडियन प्रीमियर लीग में कई फ्रेंचाइजी "दिल्ली डेयरडेविल्स, डेक्कन चार्जर्स, सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स" के लिए खेला।

- अपने करियर में मिश्रा ने स्पिन कंट्रोल, चक्रवातिक ट्रैजेक्टरी और अनुभवी गेंदबाज़ी के चलते छोटे-फॉर्मेट और घरेलू क्रिकेट में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके अनुभव से युवा स्पिनरों को सीखने को मिलेगा और वे अब कोचिंग, मार्गदर्शन या क्रिकेट व्यवस्थापन के क्षेत्र में अपना योगदान दे सकते हैं।
- भारतीय क्रिकेट के लिए उनकी सेवाएँ और लंबा करियर उनको सम्माननीय बनाता है; उनके अनुभव और मैच-परिस्थिति की समझ नए खिलाड़ियों के लिये उपयोगी सिद्ध होगी।

'द चोला टाइगर्स' पुस्तक का विमोचन

- लोकप्रिय लेखक अमीश त्रिपाठी ने चेन्नई में अपनी नई पुस्तक द चोला टाइगर्स: द एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ का विमोचन किया। यह उनकी इंडिक क्रॉनिकल श्रृंखला की दूसरी कड़ी है और इसमें चोल वंश की शौर्यगाथाओं, प्रशासनिक कौशल और व्यापारिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए युद्ध और प्रतिशोध की गद्य-चित्रण पर बल दिया गया है।
- पुस्तक में सोमनाथ मंदिर के विनाश का प्रत्युत्तर देने वाले निडर योद्धाओं की कथा प्रमुख रूप से उभरी है तथा महिला पात्रों को कथानक के लिये निर्णायक व सक्रिय भूमिका दी गयी है। 15 वर्षों और 12 पुस्तकों के अपने करियर में अमीश ने भारतीय पौराणिक व ऐतिहासिक विषयों को नई रोचक शैली में ढाला और व्यापक पाठक वर्ग हासिल किया।
- विमोचन अवसर पर लेखक ने चोल साम्राज्य की उपलब्धियों को मुख्यधारा में लाने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया। यह कृति उनके पाठकों के बीच फिर से चर्चित होने की उम्मीद जगाती है और ऐतिहासिक-काल्पनिक साहित्य में भारतीय दृष्टिकोण को सशक्त करती है।

महत्वपूर्ण खनिजों के पुनर्चक्रण हेतु ₹1,500 करोड़ की योजना को मंज़ूरी

- प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महत्वपूर्ण खनिजों के पुनर्चक्रण हेतु ₹1,500 करोड़ की छह-वर्षीय योजना को मंज़ूरी दी। यह पहल ई-कचरा, लिथियम-आयन बैटरी स्क्रैप, उत्प्रेरक कन्वर्टर्स व अन्य उच्च-मूल्य सामग्रियों से प्रमुख खनिज पुनर्प्राप्ति पर केंद्रित है और राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (NCMM) का हिस्सा है।
- कार्यक्रम छोटे व बड़े पुनर्चक्रण उद्यमों, स्टार्ट-अप और प्रमुख कंपनियों को प्रोत्साहित करेगा—एक-तिहाई फंड छोटे/उभरते प्लेयर्स के लिये आरक्षित रहेगा। पूँजीगत प्रोत्साहन के रूप में संयंत्र व मशीनरी पर 20% सब्सिडी, और परिचालन व्यय सब्सिडी चरणबद्ध (दूसरे वर्ष 40%, पाँचवें वर्ष 60%) दी जाएगी।
- लक्ष्य प्रति वर्ष 270 किलोटन पुनर्चक्रण क्षमता और 40 किलोटन महत्वपूर्ण खनिज का उत्पादन स्थापित करना है, जिससे अनुमानित ₹8,000 करोड़ निवेश आकर्षित होने की आशा है। योजना घरेलू आपूर्ति श्रृंखलाओं को मज़बूत कर आयात निर्भरता घटाने व हरित-उद्योगों को बढ़ावा देने की दिशा में है।

रजित पुन्हानी FSSAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त

- 1991 बैच के बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी रजित पुन्हानी ने भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद का कार्यभार ग्रहण किया।
- तीन दशकों से अधिक प्रशासनिक अनुभव रखने वाले पुन्हानी पहले कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्रालय में सचिव व राज्यसभा के सचिव तथा संसद टीवी के सीईओ रह चुके हैं।

- FSSAI, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय है जो खाद्य सुरक्षा मानक तय करता, विनियमन और निरीक्षण का कार्य करता है। पुन्हानी की नियुक्ति से खाद्य मानकों के प्रवर्तन, आपूर्ति श्रृंखला निगरानी, और उपभोक्ता सुरक्षा पहल में प्रशासनिक दक्षता व नीति समन्वय की उम्मीद है।

कपास किसान ऐप

- केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने 2 सितंबर को कपास किसान ऐप लॉन्च किया — यह मोबाइल एप्लिकेशन भारतीय कपास निगम (CCI) द्वारा एमएसपी-आधारित कपास खरीद प्रक्रिया को डिजिटाइज़ करने के लिए विकसित किया गया है।
- ऐप के माध्यम से किसान स्वयं पंजीकरण कर सकेंगे, खरीद स्लॉट बुक कर सकेंगे और भुगतान स्टेटस की निगरानी कर सकेंगे; साथ ही गुणवत्ता मूल्यांकन, अनुमोदित मात्रा और खरीद केंद्रों की डिजिटल समय-सारिणी जैसी सुविधाएँ भी उपलब्ध होंगी। उद्देश्य है प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाना, कागजी कार्रवाई घटाना और खरीद केंद्रों पर प्रतीक्षा एवं भीड़ को कम करना।
- ऐप भारतीय भाषाओं में जानकारी और रियल-टाइम अपडेट प्रदान करेगा, जिससे किसान अपनी उपज सुरक्षित मूल्य पर बेच सकेंगे और संकटाग्रस्त बिक्री से बचेंगे। यह पहल एमएसपी तंत्र को सशक्त करने के साथ-साथ कपास किसानों की आजीविका व बाजार पहुँच सुधारने में सहायक होगी।

मेघालय में भारत-थाईलैंड संयुक्त अभ्यास मैत्री-XIV संपन्न

- 1 से 14 सितंबर तक मेघालय के उमरोई संयुक्त प्रशिक्षण केंद्र में भारत और थाईलैंड की सेनाओं ने मैत्री-XIV का 14वाँ संस्करण आयोजित किया। इस अभ्यास में मद्रास रेजिमेंट की एक बटालियन की 120 भारतीय सैनिक तथा थाई रॉयल आर्मी की 53 सैनिकों की टुकड़ी ने भाग लिया। इस वर्ष अभ्यास का फोकस अर्ध-शहरी इलाक़ों में कंपनी-स्तरीय आतंकवाद-रोधी अभियानों पर था—सामरिक योजना, शस्त्र कौशल, छापेमारी और सत्यापन के 48-घंटे चरण सहित।
- यह द्विपक्षीय कार्यक्रम दोनों सेनाओं के बीच इंटर-ऑपरेबिलिटी, संयुक्त अभियान क्षमताओं और क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग को मज़बूत करने के उद्देश्य से 2006 से नियमित रूप से संचालित है।
- अभ्यास ने क्षेत्रीय शांति, सहभागिता और एक दूसरे के परिचालन तरीकों की समझ बढ़ाई; साथ ही थिएटर-विशिष्ट चुनौतियों जैसे अर्ध-शहरी संचालन, छुपे हुए आतंकवाद-सूत्रों की पहचान और नागरिक सुरक्षा-समन्वय पर व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया।

एजुकेट गर्ल्स को 2025 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार

- फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली, यानी एजुकेट गर्ल्स, को 2025 का प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया — यह पहला ऐसा अवसर है जब कोई भारतीय गैर-सरकारी संगठन इस सम्मान से सम्मानित हुआ।
- 2007 में राजस्थान की सफीना हुसैन द्वारा स्थापित यह संस्था ग्रामीण व वंचित क्षेत्रों में लड़कियों की शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए समुदाय-समन्वय और सरकारी साझेदारी के जरिए काम करती है।
- एजुकेट गर्ल्स स्कूल से बाहर रहने वाली लड़कियों को कक्षाओं में वापस लाकर उन्हें उच्च शिक्षा या आजीविका के योग्य बनाने तक बनी रहने का समर्थन देता है; उनका सिद्धान्त है — "एक समय में एक लड़की।" रेमन मैग्सेसे फाउंडेशन ने संगठन की जमीनी रणनीतियों और अत्यंत वंचित समुदायों पर केन्द्रित काम की प्रशंसा की है।
- पुरस्कार विजेताओं को पदक, प्रमाण पत्र और नकद पुरस्कार दिया जाएगा; 67वाँ समारोह 7 नवंबर 2025 को मनीला में आयोजित होगा। यह सम्मान भारतीय नागरिक समाज और लड़कियों की शिक्षा के क्षेत्र में सामूहिक प्रयासों को वैश्विक मान्यता दिलाता है।

मिशेल स्टार्क ने अंतरराष्ट्रीय T20 से संन्यास लिया

- ऑस्ट्रेलिया के तेज़ गेंदबाज़ मिशेल स्टार्क ने आधिकारिक रूप से अंतरराष्ट्रीय टी20 क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की, जिससे वे टेस्ट और वनडे क्रिकेट पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकें।
- स्टार्क ने 2012 में पाकिस्तान के खिलाफ टी20I में पदार्पण किया और टी20 में ऑस्ट्रेलिया के सबसे सफल तेज़ गेंदबाज़ों में से रहे — 65 मैचों में उन्होंने 79 विकेट लिए हैं; इस सूची में उनसे अधिक टी20 विकेट केवल एडम ज़म्पा के पास हैं। उन्होंने छह में से पाँच टी20 विश्व कप संस्करणों में हिस्सा लिया और 2021 के टी20 विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया की जीत में अहम योगदान दिया था (सात मैचों में नौ विकेट)।
- 35 वर्ष के स्टार्क का टी20 करियर प्रभावशाली रहा; अब वे चोट प्रबंधन और लंबी फॉर्मेट की चुनौतियों के मद्देनज़र टेस्ट व वनडे में निरंतरता हासिल करने की दिशा में लौटेंगे। उनका निर्णय टीम व व्यक्तिगत करियर रणनीति दोनों पर आधारित प्रतीत होता है।

वन भूमि पर खनिज अन्वेषण ड्रिलिंग के लिए छूट

- केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की वन सलाहकार समिति (FAC) ने वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत खनिज अन्वेषण ड्रिलिंग को लेकर नई छूटें देने का प्रस्ताव रखा है। पहले प्रति 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 25 बोरहोल खोदने की अनुमति थी, जिसे अब बढ़ाकर 62 से 80 बोरहोल (6 इंच व्यास तक) किया गया है। इसका उद्देश्य देश में खनिजों की खोज को तेज करना और ऊर्जा व उद्योगों की जरूरतें पूरी करना है।
- छूट के साथ कई शर्तें भी जोड़ी गई हैं। ड्रिलिंग केवल सुबह 9 बजे से शाम 5:30 बजे तक ही होगी, ताकि वन्यजीवों को कम नुकसान हो। हर बोरहोल को प्रयोग के बाद सीमेंट से बंद करना जरूरी होगा। संवेदनशील इलाकों जैसे संकटग्रस्त प्रजातियों के आवास, प्रजनन स्थलों और उच्च जैव विविधता क्षेत्रों में ड्रिलिंग पर पूरी तरह रोक होगी।
- यह कदम खनिज संसाधनों तक आसान पहुंच देगा, लेकिन इसके साथ पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय पारिस्थितिकी पर संतुलन बनाना बड़ी चुनौती होगी।

भारत के सार्वभौमिक डाक संघ (UPU) की परिषदों में पुनर्निर्वाचन

- हाल ही में दुबई में आयोजित 28वें सार्वभौमिक डाक संघ (UPU) कांग्रेस में भारत को पुनः प्रशासन परिषद (CA) और डाक संचालन परिषद (POC) का सदस्य चुना गया। यह भारत की वैश्विक डाक शासन में बढ़ती भूमिका और नेतृत्व पर सदस्य देशों के विश्वास को दर्शाता है।
- भारत एशिया-प्रशांत क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए विकासशील देशों की चिंताओं को सामने रखता है। इसके साथ ही, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB), ई-मनी ऑर्डर और उन्नत पार्सल ट्रैकिंग जैसी पहलों ने भारत को डाक सेवाओं के डिजिटलीकरण और नवाचार का मॉडल बना दिया है।
- यह मंच भारत को वैश्विक डाक नियम निर्माण, सीमा-पार मेल सहयोग, ई-कॉमर्स लॉजिस्टिक्स, साइबर सुरक्षा और हरित डाक सेवाओं जैसी उभरती चुनौतियों पर योगदान का अवसर देता है।
- UPU संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है जिसकी स्थापना 1874 में हुई थी, मुख्यालय स्विट्ज़रलैंड के बर्न में है और इसके 192 सदस्य देश हैं। भारत का पुनर्निर्वाचन अंतरराष्ट्रीय सहयोग और समावेशी विकास में उसकी सक्रिय भूमिका को सुदृढ़ करता है।

समसामयिकी आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न

1. भारत–थाईलैंड संबंधों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. द्विपक्षीय संबंधों को 2025 में एक रणनीतिक साझेदारी के रूप में उन्नत किया गया।
2. थाईलैंड BIMSTEC का संस्थापक सदस्य है।
3. दोनों देश पूर्वी एशिया समिट और ADMM-Plus जैसे बहुपक्षीय मंचों में सहयोग करते हैं।

उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

A: केवल 1 और 3
B: केवल 2 और 3
C: केवल 1
D: उपरोक्त सभी

2. चंद्रयान-5 मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है?

1. चंद्रयान-5 मिशन ISRO और JAXA का संयुक्त मिशन है।
2. ISRO रोवर विकसित कर रहा है जबकि JAXA लैंडर विकसित कर रहा है।
3. मिशन ISRO के GSLV Mk III प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया जाएगा।

विकल्प:

A: केवल 1 और 2
B: केवल 1
C: केवल 2 और 3
D: उपरोक्त सभी

3. एससीओ शिखर सम्मेलन 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह शिखर सम्मेलन चीन के तियानजी में आयोजित किया गया।
2. यह एससीओ के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 25वीं बैठक थी।
3. तियानजिन घोषणा को अपनाया गया, जो आर्थिक और सुरक्षा सहयोग पर केंद्रित थी।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A: केवल 1 और 3
B: केवल 2
C: केवल 1 और 2
D: 1, 2 और 3

4. शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इसकी स्थापना 2001 में शंघाई फाइव तंत्र से विकसित होकर हुई थी।
2. इसका क्षेत्रीय आतंकवाद-रोधी ढांचा (RATS) बीजिंग में स्थित है।
3. वर्तमान SCO सचिवालय ताशकंद में स्थित है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A: केवल 1
B: केवल 1और 2
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2 और 3

5. निम्नलिखित में से कौन सा अन्य 2025 रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेताओं में से नहीं था?

A: शाहिना अली - मालदीव
B: फ्लेवियानो एंटोनियो एल. विलानुएवा - फिलीपींस
C: आर. रवि कन्नन - भारत
D: उपरोक्त में से कोई नहीं

6. Air Quality Life Index (AQLI) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा विकसित किया गया है।
2. AQLI मानव जीवन प्रत्याशा पर PM2.5 प्रदूषण के प्रभाव को मापता है।
3. AQLI का 2025 संस्करण वर्ष 2023 के वैश्विक आंकड़ों पर आधारित है।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 2 और 3
C: केवल 1 और 3
D: 1, 2 और 3

7. Air Quality Life Index (AQLI) 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारत में वायु प्रदूषण को सबसे गंभीर स्वास्थ्य खतरे के रूप में पहचाना गया है, जो औसत जीवन प्रत्याशा को 5 वर्षों से अधिक कम करता है।

2. रिपोर्ट के अनुसार, भारत की पूरी जनसंख्या WHO के PM2.5 दिशानिर्देश से अधिक प्रदूषण वाले क्षेत्रों में रहती है।
3. दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण के कारण जीवन प्रत्याशा की सबसे अधिक संभावित हानि दिखाई गई है।
4. PM2.5 प्रदूषण अब धूम्रपान के बाद वैश्विक जीवन प्रत्याशा के लिए दूसरा सबसे बड़ा बाहरी जोखिम है।

उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं?

A: केवल 1 और 3

B: केवल 2 और 4

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2 और 3

8. CEREBO के संदर्भ में, जो हाल ही में भारत में लॉन्च किया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह ट्रॉमैटिक ब्रेन इंजरी (TBI) का पता लगाने के लिए एक इनवेसिव डायग्नोस्टिक उपकरण है।
2. यह उपकरण नजदीकी अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी और मशीन लर्निंग का उपयोग करके मस्तिष्क में रक्तस्राव और सेरेब्रल एडिमा का पता लगाता है।
3. इसके संचालन के लिए उन्नत रेडियोलॉजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर और प्रशिक्षित रेडियोलॉजिस्ट की आवश्यकता नहीं होती।
4. इसे ग्रामीण और आपातकालीन परिस्थितियों में उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है।

उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 2 और 4

C: केवल 1,3 और 4

D: केवल 2, 3 और 4

9. Vikram 3201 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. Vikram 3201 भारत का पहला पूर्ण रूप से स्वदेशी 32-बिट स्पेस-ग्रेड माइक्रोप्रोसेसर है।
2. इसे मुख्यतः स्मार्टफोन और लैपटॉप जैसे वाणिज्यिक अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है।
3. यह प्रोसेसर ISRO और सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी (SCL), चंडीगढ़ द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है।

उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं?

A: केवल 1 और 3

B: 1, 2 और 3

C: केवल 3

D: केवल 2

10. सेमीकंडक्टर्स और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. सेमीकंडक्टर्स ऐसे पदार्थ होते हैं जो चालक और कुचालक दोनों की तरह व्यवहार कर सकते हैं।
2. इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) की शुरुआत 2021 में भारत में एक आत्मनिर्भर सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने के उद्देश्य से की गई थी।
3. ISM के तहत डिज़ाइन-लिंक्ड इंसेंटिव (DLI) योजना का उद्देश्य भारत में बड़े पैमाने पर चिप निर्माण इकाइयों को बढ़ावा देना है।
4. सेमीकंडक्टर्स केवल उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ही नहीं, बल्कि रक्षा, अंतरिक्ष और स्वास्थ्य देखभाल जैसे क्षेत्रों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

A: केवल 1, 2 और 4

B: केवल 1, 3 और 4

C: केवल 2, 3 और 4

D: 1, 2, 3 और 4 सभी

11. भारत में आरक्षण के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. अनुच्छेद 15(4) राज्य को एससी, एसटी और ओबीसी के लिए शैक्षणिक संस्थानों में, जिसमें निजी अनुदान रहित संस्थान भी शामिल हैं, आरक्षण प्रदान करने का अधिकार देता है।
2. अनुच्छेद 16(4A) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण की अनुमति देता है।
3. अनुच्छेद 335 राज्य सेवाओं में एससी और एसटी के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए नियुक्तियों में बिना शर्त मानकों में छूट की अनुमति देता है।
4. अनुच्छेद 15(6) राज्य को शिक्षा और रोजगार में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए 10% आरक्षण प्रदान करने में सक्षम बनाता है।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 2 और 4

C: केवल 2, 3 और 4

D: 1, 2, 3 और 4

12. हाल ही में APEDA द्वारा शुरू की गई BHARATI पहल के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इसका उद्देश्य एग्री-फूड और एग्री-टेक स्टार्टअप्स को सशक्त बनाकर नवाचार और निर्यात को बढ़ावा देना है।
2. इस पहल का लक्ष्य 2030 तक भारत के कृषि निर्यात को $100 बिलियन तक बढ़ाना है।
3. BHARATI का अर्थ है Bharat's Hub for Agritech, Resilience, Advancement, and Incubation for Export Enablement।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 1 और 3
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2 और 3

13. कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. APEDA एक वैधानिक निकाय है जो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है।
2. इसे APEDA अधिनियम 1985 के तहत स्थापित किया गया था और यह 1988 में कार्यात्मक हुआ।
3. इसका एक प्रमुख कार्य अनुसूचित उत्पादों के निर्यातकों को पंजीकृत करना और गुणवत्ता अनुपालन सुनिश्चित करना है।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही नहीं है/हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 2 और 3
C: केवल 1 और 2
D: 1, 2 और 3

14. हाल ही में, भारत और सिंगापुर ने कई क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों (MoUs) पर हस्ताक्षर किए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कवर नहीं किया गया था?

A: ग्रीन और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर
B: नागरिक विमानन
C: रक्षा खरीद
D: डिजिटल एसेट इनोवेशन

15. भारत-सिंगापुर आर्थिक संबंधों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. सिंगापुर, ASEAN क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है।
2. दोनों देशों के बीच 2016 में दोहरा कर बचाव समझौता (DTAA) किया गया।
3. 2024–25 के अनुसार, भारत का सिंगापुर के साथ व्यापार में व्यापार अधिशेष है।

निम्नलिखित में कौन सा/से कथन सही है/हैं?

A: केवल 1
B: केवल 2 और 3
C: केवल 1 और 3
D: 1, 2 और 3

16. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारत खनिज सुरक्षा साझेदारी में एक सदस्य के रूप में शामिल हुआ है।
2. भारत अपने द्वारा चिन्हित सभी 30 महत्वपूर्ण खनिजों में संसाधन-समृद्ध है।
3. संसद ने 2023 में खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 में संशोधन किया, जिससे केंद्र सरकार को कुछ महत्वपूर्ण खनिजों के लिए विशेष रूप से खनन पट्टों और समग्र लाइसेंसों की नीलामी करने का अधिकार मिल गया।

ऊपर दिए गए कौन से कथन सही हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 2 और 3
C: केवल 1 और 3
D: 1, 2 और 3

17. निम्नलिखित में से कौन सी संस्था ग्लोबल पीस इंडेक्स (GPI) प्रकाशित करती है?

A: संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP)
B: वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF)
C: इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस (IEP)
D: इंटरनेशनल इंस्टिट्यूट फॉर स्ट्रैटेजिक स्टडीज (IISS)

18. ग्लोबल पीस इंडेक्स (GPI) 2025 में भारत की रैंकिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारत को 163 देशों में 115वां स्थान मिला।
2. भारत के GPI स्कोर में पिछले वर्ष की तुलना में 0.58% सुधार हुआ।
3. भारत एशिया-प्रशांत क्षेत्र के शीर्ष 10 सबसे शांतिपूर्ण देशों में शामिल है।

कौन सा/से कथन सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 2 और 3
C: केवल 1 और 3
D: 1, 2 और 3

19. निम्नलिखित में से कौन-सा देश 2025 तक विस्तारित BRICS+ समूह का सदस्य नहीं है?

A: इंडोनेशिया

B: ईरान

C: सऊदी अरब

D: इथियोपिया

20. BRICS के आर्थिक और भू-राजनीतिक प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. BRICS राष्ट्र वैश्विक GDP का एक-तिहाई से अधिक योगदान करते हैं।
2. BRICS वैश्विक कच्चे तेल उत्पादन का 50% से अधिक नियंत्रित करते हैं।
3. BRICS वित्तीय तंत्र जैसे NDB और CRA का संचालन करता है।
4. BRICS IMF और UNSC जैसे वैश्विक संस्थानों में सुधार का समर्थन करता है।

उपयुक्त विकल्प चुनें:

A: केवल 1, 2 और 3

B: केवल 1, 3 और 4

C: केवल 2, 3 और 4

D: 1, 2, 3 और 4

21. निम्नलिखित में से HealthAI Global Regulatory Network (GRN) के कार्यों पर विचार करें:

1. पंजीकृत एआई स्वास्थ्य उपकरणों की एक वैश्विक निर्देशिका बनाना
2. उभरते तकनीकी जोखिमों पर प्रारंभिक चेतावनियाँ जारी करना
3. एआई-आधारित स्वास्थ्य बीमा मूल्य निर्धारण को बढ़ावा देना
4. वैश्विक नियामक समन्वयन का समर्थन करना

उपरोक्त में से कौन-से GRN के प्रमुख कार्य हैं?

A: केवल 1, 2 और 4

B: केवल 1, 2 और3

C: केवल 2, 3 और 4

D: 1, 2, 3 और 4

22. INDIAai के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इसे 2023 में WHO और भारत के बीच एक संयुक्त परियोजना के रूप में लॉन्च किया गया था।
2. यह डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के तहत एक स्वतंत्र डिवीजन के रूप में कार्य करता है।
3. यह भारत के कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) ज्ञान का केंद्रीय केंद्र है।

सही उत्तर चुनें:

A: केवल 1 और 2

B: केवल 2 और 3

C: केवल 1 और 3

D: उपरोक्त सभी

23. NISAR मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह ISRO और NASA के बीच एक संयुक्त मिशन है।
2. इसे GSLV-F16 के माध्यम से भू-स्थिर कक्षा (Geostationary Orbit) में प्रक्षेपित किया गया।
3. यह समुद्र तट कटाव और बर्फ पिघलने जैसे पर्यावरणीय परिवर्तनों की निगरानी करेगा।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 1 और 3

C: केवल 2 और 3

D: उपरोक्त सभी

24. भारत और यूरोपीय संघ (EU) के बीच व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यूरोपीय संघ वस्तुओं में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है।
2. यूरोपीय संघ और भारत के बीच वस्तुओं का व्यापार पिछले दशक में लगभग दोगुना हो गया है।
3. भारत का यूरोपीय संघ के साथ सेवाओं में व्यापार अधिशेष है।

उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 2 और 3

C: केवल 1 और 3

D: 1, 2 और 3

25. स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. ये पुरस्कार राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) का हिस्सा हैं।
2. 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में इंदौर ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया।
3. श्रेणी 3 (3 लाख से कम जनसंख्या) में देवास ने प्रथम स्थान प्राप्त किया।

उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 2 और 3

C: केवल 1 और 3

D: 1, 2 और 3

26. UPI-UPU एकीकरण परियोजना (2025 में शुरू की गई) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसका उद्देश्य डाक सेवाओं के माध्यम से सीमा-पार डिजिटल भुगतान को सक्षम बनाना है।
2. यह भारत के डाक विभाग, नीति आयोग और यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन (UPU) के बीच एक संयुक्त प्रयास है।
3. यह परियोजना दुबई में आयोजित 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस में लॉन्च की गई थी।

उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 1 और 3

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2 और 3

27. हाल ही में, फ्रांस में राजनीतिक अस्थिरता के बीच सेबास्टियन लेकॉर्नू को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन फ्रांस की राजनीतिक संरचना के बारे में सही है/हैं?

1. फ्रांस के प्रधानमंत्री को सीधे लोगों द्वारा दो-दौर प्रणाली के माध्यम से चुना जाता है।
2. फ्रांस का राष्ट्रपति कभी भी प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर सकता है।
3. फ्रांस अर्ध-राष्ट्रपति प्रणाली का अनुसरण करता है जहाँ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों कार्यकारी शक्तियाँ रखते हैं।
4. फ्रांसीसी संसद में विश्वास मत प्रधानमंत्री के इस्तीफे का कारण बन सकता है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें:

A: केवल 1 और 2

B: केवल 2, 3 और 4

C: केवल 1, 3 और 4

D: केवल 2 और 4

28. भारत के विदेशी मुद्रा भंडार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ (FCA) भारत के भंडार का सबसे बड़ा घटक हैं।
2. एसडीआर का मूल्यांकन छह प्रमुख अंतरराष्ट्रीय मुद्राओं की टोकरी पर आधारित होता है।
3. विदेशी मुद्रा भंडार देश की विनिमय दर को स्थिर करने और बाह्य दायित्वों को पूरा करने में मदद करता है।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 2 और 3

C: केवल 1 और 3

D: 1, 2 और 3

29. उल्लास (ULLAS) कार्यक्रम के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसे 2022 में सार्वभौमिक साक्षरता 2030 तक प्राप्त करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था।
2. यह उन 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के वयस्कों को लक्षित करता है जिन्होंने औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की।
3. शिक्षार्थियों का परीक्षण फ़ंक्शनल लिटरेसी एंड न्यूमेरसी असेसमेंट टेस्ट (FLNAT) के माध्यम से किया जाता है।
4. प्रमाणपत्र नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ ओपन स्कूलिंग (NIOS) द्वारा प्रदान किया जाता है।

उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

A: केवल दो

B: केवल तीन

C: सभी कथन

D: केवल एक

30. निम्नलिखित युग्मों में से कौन-सा सही रूप से सुमेलित नहीं है?

A: RTS,S/AS01 – मलेरिया वैक्सीन, डब्लूएचओ द्वारा अनुशंसित (2021)

B: R21/Matrix-M – मलेरिया वैक्सीन, डब्लूएचओ द्वारा अनुशंसित (2023)

C: AdFalciVax – बहु-चरणीय वैक्सीन, डब्लूएचओ द्वारा भारत के साथ सहयोग में विकसित

D: Plasmodium vivax – भारत और एशिया में प्रमुख मलेरिया स्ट्रेन

31. अत्यधिक विशेषाधिकार (Exorbitant Privilege) शब्द, जो अक्सर अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व से जुड़ा है, इसे किसके द्वारा दिया गया था?

A: जॉन मेनार्ड कीन्स

B: वैलेरी जिस्कार द'एस्तेंग

C: मिल्टन फ्रीडमैन

D: एलन ग्रीनस्पैन

32. 'Never Alone' मेंटल हेल्थ ऐप की विशेषताओं पर विचार कीजिए:

1. यह एक वेब-आधारित ऐप है, जिसे WhatsApp और QR कोड के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है।
2. यह 24×7 उपलब्ध है और निदान के लिए DSM (मानसिक विकारों का नैदानिक और सांख्यिकीय मैनुअल) मानकों का उपयोग करता है।
3. यह छात्रों के लिए निःशुल्क है, और इसका कोई संस्थागत फंडिंग मॉडल नहीं है।
4. यह ऑनलाइन और ऑफ़लाइन दोनों प्रकार की परामर्श सेवाएँ प्रदान करता है।

उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

A: केवल एक

B: केवल दो

C: केवल तीन

D: सभी चार

33. रेड आइवी वाउंड पैड (Red Ivy Wound Pad) के लिए दायर किए गए प्रोविजनल पेटेंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारत में, पेटेंट डीपीआईआईटी (DPIIT), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय पेटेंट कार्यालय (Indian Patent Office) द्वारा प्रदान किए जाते हैं।
2. प्रोविजनल पेटेंट प्राथमिक तिथि (priority date) को सुरक्षित करता है, लेकिन यह केवल 12 महीनों के लिए मान्य होता है, जब तक कि पूर्ण विनिर्देशन (complete specification) दाखिल न किया जाए।
3. भारत में पेटेंट 10 वर्षों के लिए दिए जाते हैं।

उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 2 और 3

C: केवल 1 और 3

D: 1, 2 और 3

34. निम्नलिखित में से कौन सा/कौन सी कथन UNESCO टेंटेटिव लिस्ट और विश्व धरोहर स्थल नामांकन की प्रक्रिया में इसके भूमिका के बारे में सही है/हैं?

1. किसी स्थल को विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त करने के लिए उसे कम से कम एक साल पहले टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया जाना चाहिए।
2. टेंटेटिव लिस्ट सभी प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहर स्थलों का स्थायी रिकॉर्ड है, जो विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त करने के लिए नामांकित किए गए हैं।
3. UNESCO टेंटेटिव लिस्ट एक राष्ट्र के प्रयास का पहला कदम है, जिसके द्वारा वह अपने महत्वपूर्ण धरोहर स्थलों को संरक्षित और सुरक्षित रखने का प्रयास करता है।

विकल्प:

A: केवल 1 और 3

B: केवल 2 और 3

C: 1, 2 और 3

D: केवल 3

35. पांडुलिपि के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. पांडुलिपि एक हस्तलिखित रचना होती है जो कागज, छाल, कपड़ा, धातु या अन्य सामग्री पर होती है, और इसे पांडुलिपि मानने के लिए कम से कम 75 साल पुराना होना चाहिए।
2. पांडुलिपियाँ मुद्रित ग्रंथों और लिथोग्राफ़्स से भिन्न होती हैं, जिन्हें पांडुलिपियाँ नहीं माना जाता है।
3. पांडुलिपियाँ केवल कुछ भाषाओं और लिपियों में पाई जाती हैं, जैसे संस्कृत जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है।
4. शिलालेख, राजस्व रिकॉर्ड और फरमान पांडुलिपियाँ मानी जाती हैं क्योंकि इनमें भी ज्ञान सामग्री होती है।

उपरोक्त में से कौन सा/कौन सी कथन सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 1, 2 और 3

C: केवल 1, 2 और 4

D: केवल 1, 3 और 4

36. UNESCO के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. UNESCO की स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र के एक विशेष एजेंसी के रूप में की गई थी।
2. UNESCO का मुख्य उद्देश्य शिक्षा, कला, विज्ञान और संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से विश्व शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना है।
3. UNESCO के महासचिव का चुनाव हर दो साल में होता है।
4. UNESCO अपने 194 सदस्य देशों के साथ-साथ गैर-सरकारी और निजी क्षेत्र के साझेदारों के साथ भी काम करता है।

उपरोक्त में से कौन सा/कौन सी कथन सही है/हैं?

A: केवल 1, 2 और 3

B: केवल 1 और 2

C: केवल 1, 2 और 4

D: केवल 1 और 4

37. मानकी-मुंडा प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह झारखंड के कोल्हान क्षेत्र में हो जनजाति द्वारा अपनाई गई पारंपरिक स्वशासन प्रणाली है।
2. इस प्रणाली में, मुंडा गाँवों के समूह का प्रमुख होता है, जबकि मानकी गाँव स्तर पर विवादों का समाधान करता है।

इस प्रणाली को ब्रिटिश शासन के दौरान विल्किंसन के नियमों के तहत औपचारिक रूप से मान्यता मिली थी।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 1 और 3

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2 और 3

38. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें जो मखाना (फॉक्स नट्स) के बारे में हैं:

1. मखाना मुख्य रूप से भारत के बिहार, उत्तर प्रदेश, और पश्चिम बंगाल राज्यों में उगाया जाता है।
2. मखाना प्रोटीन, फाइबर, और एंटीऑक्सिडेंट्स में समृद्ध है, लेकिन इसमें वसा कम होती है।
3. मखाना की खेती के लिए आर्द्रभूमि और उथले तालाब आवश्यक होते हैं ताकि यह अच्छी तरह उग सके।
4. उत्तर भारत में मखाना आमतौर पर धार्मिक व्रतों के दौरान खाया जाता है।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 2, 3, और 4

C: केवल 1, 3, और 4

D: 1, 2, 3, और 4

39. भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 2025 में महिलाओं राजनीतिक कार्यकर्ताओं को POSH अधिनियम, 2013 के अंतर्गत लाने की याचिका क्यों खारिज कर दी?

A: क्योंकि राजनीतिक पार्टियों के पास पहले से ही अपनी शिकायत निवारण प्रणालियाँ हैं।

B: क्योंकि राजनीतिक पार्टियाँ औपचारिक नियोक्ता नहीं हैं और ऐसा समावेशन विधायी कार्रवाई की मांग करता है।

C: क्योंकि POSH अधिनियम पहले ही सभी अनौपचारिक क्षेत्रों सहित राजनीतिक कार्यों पर लागू होता है।

D: क्योंकि महिलाओं राजनीतिक कार्यकर्ताओं को Representation of the People Act, 1951 के तहत कवर किया गया है।

40. किसी आपराधिक मामले में DNA साक्ष्य के संचालन के लिए Kattavellai @ Devakar में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी मुख्य दिशा-निर्देश कौन-से हैं?

1. DNA सैंपल एकत्रित करते समय FIR संख्या, तारीख, जांच अधिकारी और मेडिकल परीक्षक का विवरण लिखा जाना चाहिए।
2. DNA सैंपल एकत्रित होने के 72 घंटे के भीतर फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (FSL) को भेजे जाने चाहिए।
3. पूरे मामले के निष्कर्ष तक कड़ी निगरानी (Chain of Custody Register) रखी जानी चाहिए।
4. DNA सैंपल को पुलिस अधिकारी परीक्षण के दौरान बिना कोर्ट की अनुमति के कभी भी खोल या पुनः सील कर सकते हैं।

सही उत्तर चुनें:

A: केवल 1 और 2

B: केवल 2 और 4

C: केवल 1, 2, और 3

D: 1, 2, 3, और 4

41. यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह केवल केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू है जो 1 अप्रैल 2025 के बाद सेवा में शामिल होते हैं।
2. यह निश्चित मासिक पेंशन की गारंटी देता है, जो सेवानिवृत्ति से पहले के अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% होती है, बशर्ते कुछ शर्तें पूरी हों।
3. सेवा से निकाले गए कर्मचारी UPS के तहत निश्चित लाभ के लिए पात्र रहते हैं।

ऊपर दिए गए कौन-कौन से कथन सही हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 2

C: केवल 1 और 3

D: 1, 2 और 3

42. PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल (PM MITRA) योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इसे 2021 में वस्त्र मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था।
2. यह योजना फाइबर से फैशन तक वस्त्र मूल्य श्रृंखला को एकीकृत करने का लक्ष्य रखती है।
3. इसका उद्देश्य केवल हथकरघा उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना है।
4. यह लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने और रोजगार सृजन करने का प्रयास करती है।

उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं?
A: 1, 2 और 3 केवल
B: 1, 2 और 4 केवल
C: 1 और 4 केवल
D: 4 केवल

43. निम्नलिखित में से भू-तापीय ऊर्जा (Geothermal Energy) के संबंध में कौन से कथन सही हैं?

1. यह सौर और पवन के विपरीत बेसलोड पावर प्रदान करती है।
2. यह एक नवीकरणीय और कम-उत्सर्जन ऊर्जा स्रोत है।
3. इसे केवल विद्युत उत्पादन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

सही विकल्प चुनें:
A: 1 और 2 केवल
B: 2 और 3 केवल
C: 1 और 3 केवल
D: 1, 2 और 3

44. भारत-यूएई व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (CEPA) के बारे में विचार करें:

1. इसे 2023 में हस्ताक्षरित किया गया और 2024 में लागू हुआ।
2. यह भारत का मध्य-पूर्व में पहला गहन मुक्त व्यापार समझौता है।
3. यह समझौता अधिकतर वस्तुओं पर शुल्क समाप्त करता है और बाजार में बेहतर पहुंच देता है।

कौन-से कथन सही हैं?
A: केवल 1 और 2
B: केवल 1 और 3
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2 और 3

45. भारत में राज्य ऋण के संबंध में CAG रिपोर्ट (2023) के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. पिछले दशक में सभी भारतीय राज्यों का कुल सार्वजनिक ऋण तीन गुना से अधिक बढ़ गया है।
2. वित्त वर्ष 2022-23 में सभी राज्यों का ऋण-से-GSDP अनुपात 30% से कम था।
3. ओडिशा का ऋण-से-GSDP अनुपात भारतीय राज्यों में से सबसे कम था।

उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
A: केवल 1 और 2
B: केवल 1 और 3
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3

46. अनंद विवाह अधिनियम, 1909 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह अधिनियम मूल रूप से भाई कहान सिंह नाभा के मार्गदर्शन में प्रस्तुत किया गया था।
2. इस अधिनियम का क्षेत्राधिकार संपूर्ण भारत पर लागू था, जब तक कि 1959 में इसे संशोधित कर जम्मू और कश्मीर को इससे बाहर नहीं कर दिया गया।
3. 2012 के संशोधन के तहत, आनंद विवाह अधिनियम के तहत पंजीकृत विवाहों को हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के अंतर्गत भी पंजीकृत कराना अनिवार्य कर दिया गया।

उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?
A: केवल एक
B: केवल दो
C: सभी तीनो
D: कोई नहीं

47. चिनाब नदी पर सावलकोट जलविद्युत परियोजना (HEP) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. सावलकोट परियोजना पूर्ण होने पर जम्मू-कश्मीर की सबसे बड़ी जलविद्युत परियोजना होगी।
2. यह बांध चिनाब की धारा को पूरी तरह मोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है ताकि हर मौसम में अधिकतम विद्युत उत्पादन सुनिश्चित किया जा सके।
3. परियोजना में पर्यावरणीय प्रवाह बनाए रखने हेतु एक सहायक विद्युत इकाई शामिल है।
4. यह परियोजना जम्मू-कश्मीर के डोडा और किश्तवाड़ जिलों में स्थित है।

इनमें से कौन-से कथन सही हैं?
A: केवल 1 और 2
B: केवल 2
C: केवल 1 और 3
D: 1, 2, 3 और 4

48. संयुक्त राज्य अमेरिका की हालिया H-1B वीज़ा नीति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. H-1B वीज़ा अमेरिकी कंपनियों को कृषि,आईटी और घरेलू कार्यों जैसे निम्न-कुशल नौकरियों के लिए विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करने की अनुमति देता है।
2. H-1B वीज़ा शुल्क में हालिया वृद्धि से भारतीय आईटी कंपनियों पर

असमान रूप से प्रभाव पड़ेगा क्योंकि वे ऑनसाइट परिनियोजन पर अत्यधिक निर्भर हैं।

3. अधिकांश मामलों में H-1B वीज़ा अधिकतम छह वर्षों के लिए वैध होता है।
4. H-1B वीज़ा की वार्षिक सीमा 85,000 है, जिसमें से 20,000 स्लॉट अमेरिका के विश्वविद्यालयों से मास्टर डिग्री या उससे ऊपर की डिग्री प्राप्त करने वालों के लिए आरक्षित हैं।

इनमें से कौन-से कथन सही हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 1 और 3

C: केवल 2,3 और 4

D: 1, 2, 3 और 4

49. भारत - मोरक्को रक्षा समझौता (2025) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इसमें समुद्री सुरक्षा और साइबर रक्षा में सहयोग शामिल है।
2. यह पहली बार है जब भारत ने किसी उत्तर अफ्रीकी देश के साथ रक्षा समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।
3. इस समझौते में मोरक्को में एक स्थायी सैन्य अड्डे की स्थापना शामिल है।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 2

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

50. भारतीय नौसेना के लिए नव निर्मित INS Androth के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह एक प्रकार का एंटी सबमरीन वारफेयर जहाज है, जो "अर्नाला क्लास" का हिस्सा है।
2. इसे GRSE द्वारा बनाया गया है जिसमें 80% से अधिक भाग भारत में बने हैं।
3. यह जल-जेट सिस्टम्स से चलता है जो डीजल इंजनों द्वारा संचालित हैं।
4. इस जहाज का नाम अंडमान और निकोबार के एक द्वीप के नाम पर रखा गया है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 1,3 और 4

C: केवल 1,2 और 3

D: 1, 2, 3 और 4

उत्तर

1	D	11	B	21	A	31	B	41	B
2	B	12	B	22	B	32	C	42	B
3	D	13	A	23	B	33	A	43	A
4	A	14	C	24	D	34	A	44	C
5	C	15	A	25	D	35	A	45	B
6	B	16	C	26	B	36	C	46	A
7	C	17	C	27	B	37	B	47	C
8	D	18	A	28	C	38	D	48	C
9	A	19	C	29	C	39	B	49	A
10	A	20	B	30	C	40	A	50	C

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

Branch
Aliganj Lucknow

NEW BATCH

UPSC (IAS)

29 OCT 2025

8:30 AM हिंदी माध्यम
6:00 PM English medium

Diwali Offer

70% OFF Online Courses

30% OFF Offline Courses

5 Oct to 18 Oct

Call: 9506256789

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

लक्ष्यभेद

Success is a Series of Small **Wins**

"The more we sweat in peace, the less we bleed in war"

UPSC

PRE TEST SERIES 2026

SCHOLARSHIP TEST

UPTO **100% off**

02nd NOV 2025

9:30 to11:30 AM

Total Test: 35

Registration Open

LUCKNOW

ALIGANJ
9506256789

GOMTINAGAR
7570009003